दशम माला, खंड 46, अंक 11

सोमवार, 11 दिसम्बर, 1995
20 अग्रहायण, 1917 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

पंद्रहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

( खण्ड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

11 दिसम्बर, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद

का शुद्धि पत्र

.....

| कालम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| विषय सूची | 14 | तैंतीसवां | बत्तीसवां |
| 89 | नौवें से 3 | (क) और (ग) | (क) और (ख) |
| 97 | 14 | श्री उर्मिला सो. पटेल | श्रीमती उर्मिला सो. पटेल |
| 100 | प्र. संख्या 2182 पंक्ति 8 से 10 | भाग (ग) और (घ) का लोप करें । | |
| 164 | नौवें से 13 | (व) और (घ) | (व) और (छ) |
| 169 | 2 | श्री एम. वो. एस. मूर्ति | श्री एम. वो. वी. एस. मूर्ति |
| 257 | 14 | (ध) से (घ) | (घ) से (च) |
| 276-277 | 19 और 12 | (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) | (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) |
| 280 | पाद-टिप्पण | "वें" | "में" |

# विषय-सूची

दशम माला, खंड 46, पंद्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 11, सोमवार, 11 दिसंबर, 1995/20 अग्रहायण, 1917 (शक)


| विषय | | कालम |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या | 201 से 220 | 1—75 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | 2154 से 2354 | 75—272 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | | 273—278 |
| सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति | | |
| ग्यारहवां प्रतिवेदन—**स्वीकृत** | | 278 |
| संचार संबंधी स्थायी समिति | | |
| तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही—सारांश—**प्रस्तुत** | | 279 |
| मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति | | |
| तैतीसवां प्रतिवेदन—**सभा पटल पर रखा गया** | | 279 |
| समिति के लिए निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव | | 279—280 |
| अनुदान की अनुपूरक मांगें (रेलवे)—**प्रस्तुत** | | 280 |
| कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक—**पुरःस्थापित** | | 280—281 |

# लोक सभा

सोमवार, 11 दिसम्बर, 1995/20, अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री राम नाईक** : कांग्रेस के सदस्यों का कोरम भी नहीं हैं। **(व्यवधान)**

**श्रीमती भावना चिखलिया** : अध्यक्षजी, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप प्रश्न काल करायेंगे तो यह सही नहीं होगा। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : सभा 2 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**[अनुवाद]**

### हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

***201. प्रो. के.वी. थामस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के विभिन्न एककों को कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के करेल में एल्लूर स्थित एकक के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड की एल्लूर स्थित एकक में किसी दीर्घावधिक मंजूरी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव)** : (क) वर्ष 1994-95 के लिए कंपनी का अनन्तिम लाभ 226.13 लाख रुपये हैं।

(ख) उद्योग मण्डल (एल्लूर पंचायत) यूनिट में एक 1.50 टन प्रतिवर्ष डिकोफोल संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसे चालू किया जा रहा है। कंपनी वहां मैन्कोजेब नामक एक फफूंदीनाशक के निर्माण की सुविधाएं भी स्थापित कर रही है।

(ग) और (घ). एच आई एल ने सूचित किया है कि 1.4.1992 से 31.3.1997 की अवधि के लिए उद्योग मंडल इकाई हेतु दीर्घकालीन वेतन समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस संबंध में कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के साथ बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है।

**[हिन्दी]**

### ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

***202. प्रो. प्रेम धूमल :**
**श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराये गए रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान बेरोजगार युवकों को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों की संख्या में कितनी वृद्धि/कमी हुई; और

(घ) आगामी वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या योजना तैयार की है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र)** : (क) और (ख). गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, मजदूरी एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों अर्थात् (1) जवाहर रोजगार योजना; (2) सुनिश्चित रोजगार योजना; (3) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम; और (4) ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम को मार्फत बेरोजगार युवकों सहित ग्रामीण गरीबों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य उन सभी ग्रामीण गरीबों, जिनको कार्य की आवश्यकता है लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता, को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है तथा यह योजना 2475 खडों में कार्यान्वित की जा रही है। मजदूरी रोजगार योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 तक के दौरान कुल 30,830.79 लाख श्रम दिनों के रोजगार का सृजन किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए रोजगार का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सबसिडी के रूप में तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण के रूप में ग्रामीण गरीबों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनको स्व-रोजगार गतिविधियां शुरू करने में मदद मिल सके। केन्द्र द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप-योजना ट्राइसेम को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के ग्रामीण युवकों को बुनियादी तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता उपलब्ध कराना है ताकि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। गत तीन वर्षों अर्थात 1992-93 से 1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या

# लोक सभा

सोमवार, 11 दिसम्बर, 1995/20, अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री राम नाईक** : कांग्रेस के सदस्यों का कोरम भी नहीं हैं। **(व्यवधान)**

**श्रीमती भावना चिखलिया** : अध्यक्षजी, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप प्रश्न काल करायेंगे तो यह सही नहीं होगा। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : सभा 2 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**[अनुवाद]**

### हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

*201. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के विभिन्न एककों को कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के करेल में एल्लूर स्थित एकक के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड की एल्लूर स्थित एकक में किसी दीर्घावधिक मंजूरी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव)** : (क) वर्ष 1994-95 के लिए कंपनी का अनन्तिम लाभ 226.13 लाख रुपये हैं।

(ख) उद्योग मण्डल (एल्लूर पंचायत) यूनिट में एक 1.50 टन प्रतिवर्ष डिकोफोल संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसे चालू किया जा रहा है। कंपनी वहां मैन्कोजेब नामक एक फफूंदीनाशक के निर्माण की सुविधाएं भी स्थापित कर रही है।

(ग) और (घ). एच आई एल ने सूचित किया है कि 1.4.1992 से 31.3.1997 की अवधि के लिए उद्योग मंडल इकाई हेतु दीर्घकालीन वेतन समझौते पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। इस संबंध में कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के साथ बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है।

**[हिन्दी]**

### ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

*202. **प्रो. प्रेम धूमल** :
**श्री प्रभू दयाल कठेरिया** :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराये गए रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान बेरोजगार युवकों को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों की संख्या में कितनी वृद्धि/कमी हुई; और

(घ) आगामी वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या योजना तैयार की है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र)** : (क) और (ख). गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, मजदूरी एवं स्वरोजगार कार्यक्रमों अर्थात् (1) जवाहर रोजगार योजना; (2) सुनिश्चित रोजगार योजना; (3) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम; और (4) ग्रामीण युवा स्व-रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम को मार्फत बेरोजगार युवकों सहित ग्रामीण गरीबों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य उन सभी ग्रामीण गरीबों, जिनको कार्य की आवश्यकता है लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता, को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है तथा यह योजना 2475 खडों में कार्यान्वित की जा रही है। मजदूरी रोजगार योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 तक के दौरान कुल 30,830.79 लाख श्रम दिनों के रोजगार का सृजन किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए रोजगार का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दर्शाया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सबसिडी के रूप में तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवधिक ऋण के रूप में ग्रामीण गरीबों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनको स्व-रोजगार गतिविधियां शुरू करने में मदद मिल सके। केन्द्र द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप-योजना ट्राइसेम को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के ग्रामीण युवकों को बुनियादी तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षता उपलब्ध कराना है ताकि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। गत तीन वर्षों अर्थात 1992-93 से 1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या

तथा ट्राइसेम के अंतर्गत लाभान्वित युवकों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-III और IV में दर्शाया गया है। बेरोजगार ग्रामीण युवकों को सरकार द्वारा मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान सहायता की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण-V संलग्न है।

(ग) और (घ). अनुबंधों में दर्शाई गए विवरणियों से यह देखा जा सकता है कि जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में 1992-93 की तुलना में 1994-95 के दौरान रोजगार सृजन में काफी वृद्धि हुई है। इन सभी कार्यक्रमों को अगले वर्ष के दौरान भी कार्यान्वित किया जाता रहेगा।

**विवरण-I**

(लाख श्रम दिन)

| राज्य/संघ | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आंध्र प्रदेश | 677.93 | 1028.90 | 812.25 |
| अरुणाचल प्रदेश | 6.52 | 4.85 | 5.58 |
| असम | 109.72 | 278.24 | 263.29 |
| बिहार | 1030.16 | 1474.25 | 986.88 |
| गोवा | 8.12 | 8.53 | 6.45 |
| गुजरात | 235.03 | 232.64 | 258.48 |
| हरियाणा | 32.63 | 33.29 | 33.96 |
| हिमाचल प्रदेश | 26.16 | 34.54 | 28.87 |
| जम्मू व कश्मीर | 43.01 | 32.16 | 88.04 |
| कर्नाटक | 418.29 | 651.30 | 499.67 |
| केरल | 134.54 | 120.43 | 101.01 |
| मध्य प्रदेश | 709.66 | 849.24 | 1075.25 |
| महाराष्ट्र | 823.53 | 1188.50 | 1100.73 |
| मणिपुर | 5.23 | 6.68 | 7.16 |
| मेघालय | 8.90 | 9.55 | 8.50 |
| मिजोरम | 4.78 | 6.32 | 5.72 |
| नागालैंड | 15.47 | 16.02 | 8.47 |
| उड़ीसा | 326.39 | 522.96 | 604.51 |
| पंजाब | 31.78 | 38.57 | 24.36 |
| राजस्थान | 339.09 | 450.37 | 545.58 |
| सिक्किम | 13.42 | 10.14 | 7.03 |
| तमिलनाडु | 767.86 | 881.10 | 1027.66 |
| त्रिपुरा | 13.94 | 23.41 | 29.02 |
| उत्तर प्रदेश | 1496.29 | 1791.16 | 1395.94 |
| पश्चिम बंगाल | 525.55 | 554.03 | 580.82 |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1.71 | 1.81 | 2.59 |
| दादर व नगर हवेली | 2.70 | 2.34 | 2.07 |
| दमन व दीव | 0.12 | 0.59 | 0.55 |
| लक्षद्वीप | 2.68 | 2.21 | 1.91 |
| पांडिचेरी | 3.81 | 4.27 | 4.72 |
| कुल | 7821.02 | 10258.40 | 9517.07 |

**विवरण-II**

**सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार के श्रम दिनों की संख्या**

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 62.42 | 277.24 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3.64 | 20.84 |
| 3. | असम | 31.75 | 95.50 |
| 4. | बिहार | 31.44 | 193.72 |
| 5. | गुजरात | 6.75 | 35.26 |
| 6. | हरियाणा | 15.20 | 34.64 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 0.05 | 3.20 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 3.46 | 59.85 |
| 9. | कर्नाटक | 32.12 | 177.45 |
| 10. | केरल | 2.60 | 27.64 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 51.26 | 363.78 |
| 12. | महाराष्ट्र | 31.53 | 233.89 |
| 13. | मणिपुर | 3.06 | 28.60 |
| 14. | मेघालय | शून्य | 1.39 |
| 15. | मिजोरम | 8.52 | 41.71 |
| 16. | नागालैंड | 33.92 | 28.81 |
| 17. | उड़ीसा | 31.43 | 281.24 |
| 18. | राजस्थान | 50.00 | 273.11 |
| 19. | सिक्किम | 0.82 | 8.50 |
| 20. | तमिलनाडु | 10.96 | 141.29 |
| 21. | त्रिपुरा | 16.14 | 60.35 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 15.00 | 165.63 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 52.53 | 184.79 |
| 24. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 0.10 | 0.57 |
| 25. | दादर व नगर हवेली | 0.04 | 0.10 |
| 26. | दमन व दीव | शून्य | 0.12 |
| 27. | लक्षद्वीप | शून्य | 0.34 |
| | कुल | 494.74 | 2739.56 |

नोट : सुनिश्चित रोजगार योजना 1993-94 में शुरू की गई।

**विवरण–III**

**वर्ष 1992–93 से 1994–95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या**

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 179038 | 259697 | 159908 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 13642 | 15207 | 11756 |
| 3. | असम | 40204 | 63381 | 61861 |
| 4. | बिहार | 264252 | 335908 | 224736 |
| 5. | गोवा | 2456 | 3452 | 2137 |
| 6. | गुजरात | 61842 | 79725 | 76498 |
| 7. | हरियाणा | 23349 | 34026 | 28285 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 6956 | 9128 | 7349 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 7331 | 7408 | 9342 |
| 10. | कर्नाटक | 103856 | 132861 | 125818 |
| 11. | केरल | 50517 | 53698 | 46994 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 184083 | 24673 | 210560 |
| 13. | महाराष्ट्र | 177651 | 217671 | 196677 |
| 14. | मणिपुर | 3158 | 6333 | 7658 |
| 15. | मेघालय | 3011 | 2635 | 6020 |
| 16. | मिजोरम | 3474 | 4684 | 2006 |
| 17. | नागालैंड | 3996 | 5439 | 1220 |
| 18. | उड़ीसा | 93226 | 160000 | 136887 |
| 19. | पंजाब | 25248 | 33736 | 22701 |
| 20. | राजस्थान | 101366 | 116567 | 107799 |
| 21. | सिक्किम | 1142 | 1218 | 1281 |
| 22. | तमिलनाडु | 144987 | 214888 | 201221 |
| 23. | त्रिपुरा | 11414 | 16297 | 2361 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 387961 | 445503 | 369725 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 171695 | 73818 | 159722 |
| 26. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 895 | 1171 | 445 |
| 27. | चंडीगढ़ | | | |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 300 | 372 | 302 |
| 29. | दमन व दीव | 524 | 507 | 136 |
| 30. | दिल्ली | | | |
| 31. | लक्षद्वीप | 156 | 81 | 100 |
| 32. | पांडेचरी | 1043 | 1407 | 1221 |
| | अखिल भारत | 2068773 | 2539441 | 2182018 |

**विवरण–IV**

**1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान ट्राइसेम योजना की भौतिक प्रगति**

(संख्या में)

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1992–93 | | 1993–94 | | 1994–95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रशिक्षित युवाओं की संख्या | रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या | प्रशिक्षित युवाओं की संख्या | रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या | प्रशिक्षित युवाओं की संख्या | रोजगार प्राप्त प्रशिक्षित युवाओं की कुल संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 17340 | 9160 | 18047 | 9516 | 20330 | 9840 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 487 | 322 | 886 | 797 | 672 | 332 |
| 3. | असम | 8026 | 2252 | 9970 | 2826 | 9249 | 2944 |
| 4. | बिहार | 32649 | 8101 | 28566 | 6728 | 24504 | 6300 |
| 5. | गोवा | 2552 | 1460 | 275 | 696 | 2591 | 1797 |
| 6. | गुजरात | 11209 | 5518 | 12037 | 4630 | 11794 | 6519 |
| 7. | हरियाणा | 7067 | 3893 | 6536 | 3708 | 3733 | 2483 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1581 | 1145 | 810 | 732 | 1121 | 3831 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 855 | 324 | 1469 | 147 | 2647 | 103 |
| 10. | कर्नाटक | 13407 | 4408 | 15171 | 5551 | 17542 | 4210 |
| 11. | केरल | 7919 | 5409 | 5549 | 4103 | 5954 | 5321 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 22156 | 17489 | 54111 | 32442 | 30415 | 15343 |
| 13. | महाराष्ट्र | 21418 | 5538 | 23063 | 12190 | 11405 | 8437 |
| 14. | मणिपुर | 218 | 0 | 617 | 258 | 1397 | 144 |
| 15. | मेघालय | 316 | 87 | 358 | 114 | 50 | 45 |
| 16. | मिजोरम | 1186 | 252 | 1348 | 554 | 847 | 414 |
| 17. | नागालैंड | 247 | 238 | 596 | 450 | 977 | 450 |
| 18. | उड़ीसा | 15595 | 12889 | 9985 | 9087 | 15656 | 10612 |
| 19. | पंजाब | 4237 | 3485 | 3870 | 2441 | 3324 | 2240 |
| 20. | राजस्थान | 12549 | 4157 | 10813 | 3778 | 9830 | 2313 |
| 21. | सिक्किम | 161 | 0 | 184 | 0 | 156 | 0 |
| 22. | तमिलनाडु | 18985 | 11197 | 16082 | 5552 | 20340 | 6628 |
| 23. | त्रिपुरा | 2502 | 956 | 1689 | 545 | 2680 | 1723 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 37845 | 27541 | 63649 | 35505 | 62394 | 23387 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 155223 | 13603 | 17421 | 8347 | 20711 | 10022 |
| 26. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 361 | 46 | 476 | 53 | 448 | 124 |
| 27. | दमन व दीव | 0 | 11 | 30 | 0 | 145 | 6 |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 74 | 0 | 25 | 0 | 95 | 0 |
| 29. | लक्षद्वीप | 28 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 |
| 30. | पांडेचरी | 0 | 0 | 184 | 173 | 356 | 355 |
| | | 275993 | 141392 | 303821 | 150923 | 281874 | 131431 |

**विवरण–V**

**1992–93 से 1994–95 के दौरान ट्राइसेम के अंतर्गत निधियों की कुल रिलीज**

(लाख रूपए में)

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | कुल रिलीज (केन्द्रीय + राज्य) 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 382.19 | 618.150 | 1213.690 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 14.63 | 26.000 | 32.030 |
| 3. | असम | 118.23 | 173.247 | 156.133 |
| 4. | बिहार | 709.77 | 812.290 | 452.999 |
| 5. | गोवा | 42.67 | 24.415 | 5.830 |
| 6. | गुजरात | 200.07 | 240.470 | 352.910 |
| 7. | हरियाणा | 93.19 | 133.955 | 232.200 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 20.88 | 28.088 | 16.700 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 21.48 | 22.135 | 262.300 |
| 10. | कर्नाटक | 243.30 | 408.952 | 678.460 |
| 11. | केरल | 159.36 | 228.230 | 289.160 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 304.44 | 836.795 | 708.810 |
| 13. | महाराष्ट्र | 319.39 | 624.195 | 292.140 |
| 14. | मणिपुर | 3.94 | 9.657 | 30.139 |
| 15. | मेघालय | 10.73 | 9.870 | 31.330 |
| 16. | मिजोरम | 37.43 | 28.221 | 23.960 |
| 17. | नागालैंड | 14.15 | 23.400 | 36.040 |
| 18. | उड़ीसा | 340.24 | 415.629 | 294.049 |
| 19. | पंजाब | 60.49 | 71.035 | 49.460 |
| 20. | राजस्थान | 132.88 | 198.940 | 168.450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | सिक्किम | 0.50 | 2.840 | 2.300 |
| 22. | तमिलनाडु | 395.00 | 556.210 | 619.240 |
| 23. | त्रिपुरा | 4.00 | 37.409 | 26.340 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 827.51 | 2087.120 | 1075.340 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 239.09 | 266.743 | 334.310 |
| 26. | अडमान व निकोबार द्वीप समूह | 2.60 | 1047.175 | 5.870 |
| 27. | दादर व नगर हवेली | 0.60 | 1.520 | 2.480 |
| 28. | दमन व दीव | 1.00 | 1.425 | 0.000 |
| 29. | लक्षद्वीप | 0.20 | 0.720 | 0.580 |
| 30. | पांडेचरी | 4.00 | 90830 | 10.000 |
| | कुल | 4703.96 | 8944.666 | 7403.250 |

## उर्वरक संयंत्र

***203. श्रीमती भावना चिखलिया :**

**श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

**क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में कुल कितनी उर्वरक संयंत्र हैं;

(ख) इनमें से कितने संयंत्र बंद पड़े हैं;

(ग) उक्त संयंत्रों के बंद होने के कारण उर्वरकों के उत्पादन में कितनी कमी आयी है;

(घ) सरकार द्वारा इन बंद पड़े संयंत्रों को फिर से चालू करने और नए उर्वरक संयंत्र स्थापित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो उपक्रम-वार इसके क्या निष्कर्ष निकले और इन उपक्रमों को कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) देश में निजी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में 59 बड़े आकार के उर्वरक यूनिट हैं।

(ख) निम्नलिखित संयंत्रों में सुरक्षा/फीड स्टाक की सीमितता अथवा अनुपलब्धता के कारण उत्पादन नहीं हुआ :-

1. गोरखपुर में एफ सी आई का अमोनिया-यूरिया संयंत्र
2. नामरूप-I में एच एफ सी का अमोनिया सल्फेट संयंत्र
3. नामरूप-II में एच एफ सी का अमोनिया-यूरिया संयंत्र
4. ट्राम्बे में आर सी एफ का यूरिया-1 संयंत्र।

(ग) उपरोक्त बताए गए यूनिटों में उत्पादन न होने के कारण उत्पादन की संचित हानि 6 लाख टन नाइट्रोजन है।

(घ) सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से, एफ सी आई एवं एच एफ सी के लिये पैकेजों के पुनर्स्थान पर स्वीकृति दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एच एफ सी के नामरूप यूनिट के पुनरूद्धार की परिकल्पना की गई है। इन यूनिटों के पुनर्स्थापन को अन्तिम रूप देने के लिये किए जाने नए निवेश को नहीं जोड़ा गया है चूंकि गोरखपुर एकक के पुनर्वास को प्रोद्योगिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया और नए संयंत्रों की स्थापना के पुनर्स्थान के लिये इसमें 810 करोड़ रुपए के नए निवेश शामिल हैं। यह निर्णय लिया गया कि इनके पुनर्स्थापन के लिये निजी पूंजी के विकल्प को आकर्षित करने पर विचार किया जाए बशर्ते कि बी आई एफ आर की स्वीकृति ली गई हो। ओ एन जी सी/ओ आई एल से प्राकृतिक गैस की पर्याप्त सप्लाई के लिये एच एफ सी के नामरूप-II संयंत्र में उत्पादन पुनः आरम्भ होने की संभावना है।

आर.सी.एफ. के ट्राम्बे-I संयंत्र के संबंध में संरचनात्मक मरम्मत कार्यों के पश्चात् इनका पुनः प्रारम्भण करने का निर्णय आर.सी.एफ. द्वारा तकनीकी-आर्थिक अध्ययन प्रारम्भण के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को जारी किए गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के एककों के उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्य नीतियों को अपनाया है :-

(एक) चालू उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रैट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार।

(दो) नेफ्था द्वारा आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण के लिये वरीयता प्राप्त फीड स्टाक, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता तथा चालू संयंत्रों एवं कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में डूएल फ्यूल/फीड स्टाक सुविधाओं की स्थापना की बाधाओं को दूर करना, और

(तीन) सस्ते तथा भारी मात्रा में कच्चे माल के भण्डार वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को स्थापित किया जाना। 1.4.95 तक देश में उर्वरक उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 89.72 लाख टन नाइट्रोजन और 28.22 लाख टन फास्फेट थी। कार्यान्वयनाधीन उर्वरक परियोजनाएं जब प्रारम्भ हुई तब से 19.08 लाख टन प्रतिवर्ष यूरिया और 0.31 लाख टन प्रतिवर्ष फास्फेट का उत्पादन होने की संभावना है।

(ङ) और (च). उर्वरक विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन पर त्रैमासिक समीक्षा की जाती है। सरकारी सहायता, अन्तर्र मंत्रालय समन्वय के साथ-साथ,

बजटीय सहायता की आवश्यक मुदों पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

वर्ष 1995-96 के दौरान उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता निम्नानुसार है :—

(रुपए करोड़ों में)

| | बजटीय प्रावधान |
|---|---|
| एच एफ सी | 108.00 |
| एफ सी आई | 217.00 |
| पी डी आई एल | 2.50 |
| एफ ए सी टी | 219.00 |
| पी पी एल | 50.00 |
| एम एफ एल | 24.00 |
| पी पी सी एल | 5.00 |

**जल/ताप विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत**

*204. **डा. मुमताज अंसारी :**
**श्री सत्यदेव सिंह :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार और वर्षवार कितनी-कितनी मात्रा में जल और ताप विद्युत का उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव है;

(ग) मांग की तुलना में राज्य-वार कितनी मात्रा में विद्युत आपूर्ति की कमी है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कितनी परियोजनाएं शुरू की गई हैं, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कौन सी तिथियां निर्धारित की गई हैं और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर विद्युत की कितनी आवश्यकता पूरी हो सकेगी?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे)** : (क) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान राज्यवार तथा श्रेणीवार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए राज्यवार ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य संलग्न विवरण-II दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन की स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए देश में विद्युत क्षेत्र के लिए 79589.32 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि अर्थात 31 मार्च, 1997 तक के दौरान चालू किए जाने के लिए परिकल्पित परियोजनाओं को संलग्न विवरण-IV में दर्शाया गया है। यदि वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए योजनाबद्ध किए गए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को परिकल्पित सीमा तक क्रियान्वयन किया जाता है, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमान है कि विद्युत उत्पादन 14वें वैद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार 1996-97 के दौरान लगभग 416 बिलियन यूनिट की आवश्यकता की तुलना में वर्ष 1994-95 में 351 बिलियन यूनिट से बढ़कर 388 बिलियन यूनिट हो जायेगा।

**विवरण-I**

**देश में राज्यवार वास्तविक विद्युत उत्पादन**

(मिलियन यूनिट में)
(मि.कि.वा. आवर)

| राज्य/प्रणाली | स्वरूप | वास्तविक विद्युत उत्पादन (मि.यू.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | 1993-94 | 1194-95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| दिल्ली | ता.वि. | 7331 | 6994 | 7034 |
| जम्मू व कश्मीर | ता.वि. | 36 | 55 | 88 |
| | ज.वि. | 2869 | 2690 | 2749 |
| | जोड़ | 2905 | 2745 | 2837 |
| हिमाचल प्रदेश | ज.वि. | 13210 | 11036 | 15282 |
| हरियाणा | ता.वि. | 3565 | 2888 | 3184 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | ज.वि. | 235 | 245 | 231 |
| | जोड़ | 3800 | 3133 | 3425 |
| राजस्थान | ता.वि. | 6370 | 7128 | 6615 |
| | न्यूक्लीय | 1006 | 1195 | 381 |
| | ज.वि. | 1111 | 1115 | 1475 |
| | जोड़ | 8487 | 9438 | 8469 |
| पंजाब | ता.वि. | 7146 | 8853 | 8444 |
| | ज.वि. | 3988 | 3753 | 4268 |
| | जोड़ | 11134 | 12606 | 12712 |
| उत्तर पदेश | ता.वि. | 41145 | 44937 | 46740 |
| | न्यूक्लीय | 1769 | 334 | 950 |
| | ज.वि. | 4352 | 5687 | 6524 |
| | जोड़ | 47266 | 50958 | 54214 |
| गुजरात | ता.वि. | 23827 | 25141 | 27111 |
| | न्यूक्लीय | 62 | 660 | 365 |
| | ज.वि. | 659 | 1211 | 1373 |
| | जोड़ | 24548 | 27012 | 28849 |
| महाराष्ट्र | ता.वि. | 33507 | 35578 | 40067 |
| | न्यूक्लीय | 1935 | 1821 | 1517 |
| | ज.वि. | 4983 | 5726 | 6287 |
| | जोड़ | 40425 | 43125 | 47871 |
| मध्य प्रदेश | ता.वि. | 31741 | 36162 | 37422 |
| | ज.वि. | 1293 | 1590 | 2279 |
| | जोड़ | 33034 | 37752 | 39701 |
| आंध्र प्रदेश | ता.वि. | 21919 | 24763 | 25777 |
| | ज.वि. | 9117 | 10046 | 10114 |
| | जोड़ | 31036 | 34809 | 35891 |
| कर्नाटक | ता.वि. | 2728 | 3693 | 3698 |
| | ज.वि. | 10025 | 10461 | 12654 |
| | जोड़ | 12753 | 14154 | 16352 |
| केरल | ज.वि. | 6195 | 5823 | 6573 |
| तमिलनाडु | ता.वि. | 19615 | 22395 | 24952 |
| | न्यूक्लीय | 1976 | 1389 | 2433 |
| | ज.वि. | 5637 | 4601 | 5845 |
| | जोड़ | 27228 | 28385 | 33210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| बिहार | ता.वि. | 2825 | 2784 | 2867 |
| | ज.वि. | 138 | 204 | 419 |
| | जोड़ | 2963 | 2988 | 3286 |
| उड़ीसा | ता.वि. | 1389 | 1432 | 1490 |
| | ज.वि. | 3798 | 3685 | 4065 |
| | जोड़ | 5187 | 5117 | 5555 |
| पश्चिम बंगाल | ता.वि. | 15166 | 17236 | 19512 |
| | ज.वि. | 96 | 108 | 85 |
| | जोड़ | 15262 | 17244 | 19597 |
| डी वी सी | ता.वि. | 4984 | 9706 | 6498 |
| | ज.वि. | 217 | 212 | 417 |
| | जोड़ | 5201 | 6918 | 6915 |
| सिक्किम | ज.वि. | 30 | 34 | 55 |
| असम | ता.वि. | 1070 | 908 | 1255 |
| | ज.वि. | 858 | 906 | 860 |
| | जोड़ | 1928 | 1814 | 2115 |
| मेघालय | ज.वि. | 432 | 584 | 381 |
| त्रिपुरा | ता.वि. | 121 | 104 | 124 |
| | ज.वि. | 45 | 41 | 42 |
| | जोड़ | 166 | 145 | 166 |
| मणिपुर | ज.वि. | 432 | 584 | 381 |
| अरूणाचल प्रदेश | ज.वि. | 0 | 0 | 20 |
| अखिल भारत | ता.वि. | 224485 | 247757 | 262868 |
| | न्यूक्लीय | 6748 | 5399 | 5646 |
| | ज.वि. | 69833 | 70375 | 82511 |
| | जोड़ | 301066 | 323531 | 351025 |

**विवरण–II**

**वर्ष 1995–96 के लिए राज्यवार विद्युत उत्पादन लक्ष्य**

मिलियन यूनिट में
(मि.कि.वा.आ.)

| राज्य/प्रणालियां | स्वरूप | विद्युत उत्पादन (एम.यू.) 1995–96 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| दिल्ली | थर्मल | 7552 |
| जम्मू व कश्मीर | थर्मल | 98 |
| | हाइड्रो | 3048 |
| | कुल | 3136 |
| हिमाचल प्रदेश | हाइड्रो | 12646 |
| हरियाणा | थर्मल | 3650 |
| | हाइड्रो | 250 |
| | कुल | 3900 |
| राजस्थान | थर्मल | 8150 |
| | न्यूक्लीयर | 0 |
| | हाइड्रो | 1175 |
| | कुल | 9325 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| पंजाब | थर्मल | 9140 |
| | हाइड्रो | 3951 |
| | कुल | 13091 |
| उत्तर प्रदेश | थर्मल | 54210 |
| | न्यूक्लीयर | 2370 |
| | हाइड्रो | 5680 |
| | कुल | 62260 |
| गुजरात | थर्मल | 27875 |
| | न्यूक्लीयर | 1930 |
| | हाइड्रो | 1225 |
| | कुल | 31030 |
| महाराष्ट्र | थर्मल | 45425 |
| | न्यूक्लीयर | 1600 |
| | हाइड्रो | 5120 |
| | कुल | 52145 |
| मध्य प्रदेश | थर्मल | 39010 |
| | हाइड्रो | 2120 |
| | कुल | 41130 |
| आंध्र प्रदेश | थर्मल | 29320 |
| | हाइड्रो | 9690 |
| | कुल | 39010 |
| कर्नाटक | थर्मल | 5200 |
| | हाइड्रो | 10255 |
| | कुल | 15455 |
| केरल | हाइड्रो | 6220 |
| तमिलनाडु | थर्मल | 25660 |
| | न्यूक्लीयर | 1950 |
| | हाइड्रो | 4300 |
| | कुल | 31910 |
| बिहार | थर्मल | 5695 |
| | हाइड्रो | 325 |
| | कुल | 6020 |
| उड़ीसा | थर्मल | 5700 |
| | हाइड्रो | 3930 |
| | कुल | 7630 |
| पश्चिम बंगाल | थर्मल | 22115 |
| | हाइड्रो | 125 |
| | कुल | 22240 |
| डी.वी.सी. | थर्मल | 7620 |
| | हाइड्रो | 350 |
| | कुल | 7970 |
| सिक्किम | हाइड्रो | 50 |
| असम | थर्मल | 2368 |
| | हाइड्रो | 850 |
| | कुल | 3218 |
| मेघालय | हाइड्रो | 475 |
| त्रिपुरा | थर्मल | 212 |
| | हाइड्रो | 50 |
| | कुल | 262 |
| मणिपुर | हाइड्रो | 450 |
| अरुणाचल प्रदेश | हाइड्रो | 15 |
| अखिल भारत | थर्मल | 297000 |
| | न्यूक्लीयर | 7850 |
| | हाइड्रो | 72300 |
| | कुल | 377150 |

**विवरण–III**

**अप्रैल 1994–मार्च, 1995 तक की वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति**

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

| क्षेत्र/राज्य/प्रणाली | अप्रैल, 94–मार्च, 95 | | | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| | आवश्यकता | उपलब्धता | कमी | ऊर्जा की कमी | वास्ततम कालीन कमी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | |
| चंडीगढ़ | 729 | 724 | 5 | 0.7 प्रतिशत | 0.0 |
| दिल्ली | 12205 | 12076 | 129 | 1.1 प्रतिशत | 0.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| हरियाणा | 11695 | 11139 | 556 | 4.8 प्रतिशत | 3.8 |
| हिमाचल प्रदेश | 1842 | 1842 | 0 | 0.0 प्रतिशत | 0.0 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 4045 | 3296 | 749 | 18.5 प्रतिशत | 27.3 |
| पंजाब | 20035 | 19259 | 776 | 3.9 प्रतिशत | 13.4 |
| राजस्थान | 17000 | 16080 | 920 | 5.4 प्रतिशत | 9.3 |
| उत्तर प्रदेश | 37195 | 32652 | 4543 | 12.2 प्रतिशत | 23.0 |
| कुल (उ.क्षे.) | 104746 | 97068 | 7678 | 7.3 प्रतिशत | 15.7 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | |
| गुजरात | 31985 | 30678 | 1307 | 4.1 प्रतिशत | 12.5 |
| मध्य प्रदेश | 27840 | 25805 | 2035 | 7.3 प्रतिशत | 21.9 |
| महाराष्ट्र | 49525 | 48558 | 967 | 2.0 प्रतिशत | 11.5 |
| गोवा | 965 | 965 | 0 | 0.0 प्रतिशत | 0.0 |
| कुल (प.क्षेत्र) | 110315 | 106006 | 4309 | 3.9 प्रतिशत | 14.4 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | 31245 | 28757 | 2488 | 8.0 प्रतिशत | 18.1 |
| कर्नाटक | 23380 | 19280 | 4000 | 17.2 प्रतिशत | 23.0 |
| केरल | 8902 | 8831 | 71 | 0.8 प्रतिशत | 9.4 |
| तमिलनाडु | 29570 | 28730 | 840 | 2.8 प्रतिशत | 17.1 |
| कुल. (द.क्षे.) | 92997 | 85598 | 7399 | 8.0 प्रतिशत | 18.5 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | |
| बिहार | 9410 | 6295 | 3115 | 33.1 प्रतिशत | 38.6 |
| डी.वी.सी. | 7970 | 7392 | 578 | 7.3 प्रतिशत | 32.2 |
| उड़ीसा | 9420 | 8723 | 697 | 7.4 प्रतिशत | 21.1 |
| प. बंगाल | 13540 | 12708 | 832 | 6.1 प्रतिशत | 13.4 |
| कुल (पू.क्षे.) | 40340 | 35118 | 5222 | 12.9 प्रतिशत | 21.2 |
| **उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र** | | | | | |
| अरुणाचल प्रदेश | 157.5 | 118.4 | 39.1 | 24.8 प्रतिशत | 34.5 |
| असम | 2437.1 | 2231.3 | 205.8 | 8.4 प्रतिशत | 31.0 |
| मणिपुर | 337.2 | 287.0 | 50.21 | 14.9 प्रतिशत | 21.3 |
| मेघालय | 342.8 | 342.8 | 0.0 | 0.0 प्रतिशत | 0.0 |
| मिजोरम | 139.5 | 122.9 | 16.6 | 11.9 प्रतिशत | 27.9 |
| नागालैंड | 136.7 | 116.7 | 20.0 | 14.6 प्रतिशत | 21.2 |
| त्रिपुरा | 311.2 | 271.9 | 39.3 | 12.6 प्रतिशत | 45.1 |
| कुल (एन.ई.आर) | 3862.0 | 3491.0 | 371.0 | 9.6 प्रतिशत | 26.2 |
| अखिल भारत | 352260 | 327281 | 24979 | 7.1 प्रतिशत | 16.5 |

## विवरण–IV

## वर्ष 1995–96 के लिए सम्भावित विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि

(केवल यूटीलिटी)

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | स्वरूप | सं.xआकार | राज्य/संगठन | 95–96 के दौरान लाभ (मे.वा.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **(1) उत्तरी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | बनेर एचईपी | एच | 3x4 | हि.प्र. | 12.00 | |
| 2. | गाज एचई | एच | 3x3.5 | हि.प्र. | 10.50 | |
| 3. | थिरोट एचई(यू–2 एवं 3) | एच | 3x1.5 | हि.प्र. | 3.00 | जून, 95 एवं जुलाई, 95 में चालू की गई |
| 4. | कारगिल एचई | एच | 3x1.25 | जे एंड के | 3.76 | |
| 5. | रामगढ़ जीटी यू–2 | जी | 1x35.5 | राजस्थान | 35.50 | |
| 6. | आईपीडब्ल्यूएच (यू–2 एवं 3) | जी | 3x34 | दिल्ली | 68.00 | अक्तूबर, 95 में चालू की गई |
| | उप–जोड़ (एन आर) | | | | 132.75 | |
| **(2) पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | सरदार सरोवर सीपीएच (यू–1 से 3) | एच | 5x50 | गुजरात/म.प्र., महाराष्ट्र | 150.00 | |
| 2. | कदाना पीएसएस (यू–3) | एच | 2x60 | गुजरात | 60.00 | |
| 3. | भंडारधारा –2 | एच | 1x34 | महाराष्ट्र | 34.00 | |
| 4. | सूर्या | एच | 1x6 | महाराष्ट्र | 6.00 | |
| 5. | डिम्मे | एच | 1x5 | महाराष्ट्र | 5.00 | |
| 6. | हजीरा सीसीजीटी (प्रा.) | जी | 3x110 | गुजरात | 330.00 | |
| | उप–जोड़ (प.क्षेत्र) | | | | 585.00 | |
| **(3) दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | लोअर पैरियार (यू–1) | एच | 3x60 | केरल | 60.00 | |
| 2. | कक्कड़ (यू–2) | एच | 2x25 | केरल | 25.00 | |
| 3. | ब्रह्मपुरम डीजी (यू–1 से 3) | टी | 5x20 | केरल | 60.00 | |
| 4. | नार्थ मद्रास टीपीएस (यू–3) | टी | 3x210 | तमिलनाडु | 210.00 | |
| 5. | बेसिन ब्रिज जीटी | जी | 4x30 | तमिलनाडु | 120.00 | |
| | उप–जोड़ (द.क्षे.) | | | | 475.00 | |
| **(4) पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | पूर्वी गंडक नहर (यू–1 से 2) | एच | 3x5 | बिहार | 10.00 | |
| 2. | सोन ई.एल. कैनाल | एच | 2x1.65 | बिहार | 3.30 | |
| 3. | तेनूघाट टीपीएस (यू–2) | टी | 2x210 | बिहार | 210.00 | |
| 4. | पोत्तेरू एचई | एच | 2x3 | उड़ीसा | 6.00 | |
| 5. | तालचेर–1 (यू–2) | टी | 2x500 | उड़ीसा/एनटीपीसी | 500.00 | |
| 6. | इब घाटी (यू–2) | टी | 2x210 | उड़ीसा | 210.00 | अक्टूबर,95 में चालू की गई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | रामम-2 (यू-3 एवं 4) | एच | 4×12.5 | प. बंगाल | 25.00 | |
| 8. | मेजिया (यू-1) | टी | 3×210 | प. बंगाल/डीवीसी | 210.00 | |
| | उप-जोड़ (पूर्वी क्षेत्र) | | | | 1174.30 | |
| **(5) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | रोखिया-3 जीटी | जी | 2×8 | त्रिपुरा | 16.00 | अप्रैल, 95 में चालू की गई |
| 2. | कैथलगुड़ी सीसीजीटी (यू-4 से 6) | जी | 6×33.5+ 3×30 | असम/नीपको | 100.50 | जुलाई, 95 में चालू की गई |
| | उप-जोड़ (उ.-पू. क्षेत्र) | | | | 116.50 | |
| | जोड़ भारत-एच | | | | 413.55 | |
| | जोड़ भारत-टी | | | | 2070.00 | |
| | जोड़ भारत-एच+टी | | | | 2483.55 | |

**वर्ष 1996-97 के लिए सम्भावित विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि (8वीं योजना समीक्षा-अगस्त, 1995 पर आधारित)**

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | संख्या×आकार | प्रकार | राज्य/संगठन | 96-97 के दौरान सम्भावित लाभ (मे.वा.) | वास्तविक क्षमता (मे.वा.) | चालू करने की तिमाही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **एक.** | **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | भटिण्डा टीपीएस विस्तार | 2×210 | थर्मल | पंजाब | 210.0 | 210.8 | तीसरी |
| 2. | राजघाट एचई (50 प्रतिशत) | 3×15 | हाइडल | उत्तर प्रदेश | 22.5 | 22.5 | तीसरी, चौथी |
| 3. | सोबला एचई | 2×3.0 | हाइडल | उत्तर प्रदेश | 6.0 | | तीसरी, चौथी |
| 4. | सुरतगढ़ टीपीएस | 2×250 | थर्मल | राजस्थान | 250.0 | | तीसरी |
| 5. | पहलगांव एचई | 2×1.50 | हाइडल | जम्मू एवं कश्मीर | 3.0 | | तीसरी, चौथी |
| 6. | उड़ी एचई | 4×120 | हाइडल | जम्मू एवं कश्मीर एनएचपीसी | 360.0 | | चौथी |
| | उप जोड़ (उ.क्षे) | | | | 851.5 | 232.5 | |
| **दो.** | **प. क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | सरदार सरोवर सी.पीएच | 5×50 | हाइडल | गुजरात/मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र | 100.0 | | दूसरी, तीसरी |
| 2. | कदाना एचई-2 | 2×60 | हाइडल | गुजरात | 60.0 | | प्रथम |
| 3. | कच्छ लिग्नाइट यू.3 | 1×75 | थर्मल | गुजरात | 75.0 | | चौथी |
| 4. | राजघाट एचई (50 प्रतिशत) | 3×7.5 | हाइडल | मध्य प्रदेश | 22.5 | 22.5 | तीसरी, चौथी, छठी |
| 5. | दुधगंगा एचई | 2×12 | हाइडल | महाराष्ट्र | 24.0 | 24.0 | तीसरी, चौथी |
| 6. | वारना एचई | 2×8 | हाइडल | महाराष्ट्र | 16.0 | 16.0 | तीसरी, चौथी |
| 7. | हजिरा सीसीजीटी (निजी) | 1×185 | गैस | गुजरात | 185 | | तीसरी |
| | उप जोड़ - (प. क्षे.) | | | | 482.5 | 62.5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तीन.** | **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | सिंगुर एचई | 2x7.5 | हाइडल | आन्ध्र प्रदेश | 15.0 | 15.0 | तीसरी, चौथी |
| 2. | कोठागुड्डा टीपीएस-5 | 2x250 | थर्मल | आन्ध्र प्रदेश | 500.0 | 250.0 | चौथी |
| 3. | ब्रह्मापुरम डी.सी. | 5x20 | थर्मल | केरल | 40.0 | | चौथी, दूसरी |
| 4. | काक्काड एचई | 2x250 | हाइडल | केरल | 25.0 | 25.0 | तीसरी, चौथी |
| 5. | लोअर पेरियार एचई | 3x60 | हाइडल | केरल | 120.0 | | प्रथम, दूसरी |
| 6. | मालांकरा एचई | 3x60 | हाइडल | केरल | 7.0 | 7.0 | चौथी |
| 7. | पेप्पारा एचई | 3x1.0 | हाइडल | केरल | 3.0 | | चौथी |
| 8. | परिंगलुकुथु एलबी विस्तार | 1x16 | हाइडल | केरल | 16.0 | 16.0 | चौथी |
| 9. | लोअर भिवानी कारबीसी | 2x4 | हाइडल | तमिलनाडु | 8.0 | 8.0 | तीसरी, चौथी |
| 10. | सथनुर डैम | 1x7.5 | हाइडल | तमिलनाडु | 7.5 | 7.5 | चौथी |
| 11. | केगा | 2x220 | न्यूक्लीय | कर्नाटक/एनपीसी | 440.0 | 440.0 | चौथी |
| | उप-जोड़ (द.क्षे.) | | | | 1181.5 | 768.5 | |
| **चार.** | **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | चान्दिल एचई | 2x4 | हाइडल | बिहार | 8.0 | 8.0 | चौथी |
| 2. | मेजिया टीपीएस (यू.2) | 3x210 | थर्मल | डीवीसी | 210.0 | | चौथी |
| 3. | तीस्ता फाल्स 2-4 | 33x7.5 | हाइडल | प. बंगाल | 45.0 | | तीसरी, चौथी |
| 4. | बज-बज टीपीएस | 2x250 | थर्मल | प. बंगाल | 500.00 | | प्रथम, तीसरी |
| 5. | कहलगांव टीपीएस | 4x210 | थर्मल | बिहार/एनटीपीसी | 210.0 | | तीसरी |
| | उप जोड़ (पू. क्षेत्र) | | | | 973.0 | 8.0 | |
| **पांच.** | **उत्तर पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | मिनी एचई अरुणाचल प्रदेश | 4.3 | हाइडल | अरुणाचल प्रदेश | 4.3 | | तीसरी |
| 2. | नुरानांग एचई | 3x2.0 | हाइडल | अरुणाचल प्रदेश | 6.0 | | तीसरी, चौथी |
| 3. | मिनी एचई मिजोरा | 3.6 | हाइडल | मिजोरम | 3.6 | | चौथी |
| 4. | कोपिली एचई विस्तार | 2x50 | हाइडल | असम/नीपको | 100.0 | | तीसरी एवं चौथी |
| 5. | अगरतला जीटी | 4x21 | गैस | त्रिपुरा/एनईसी | 84.0 | | तीसरी एवं चौथी |
| 6. | कैथलगुड़ी सीसीजीटी | 6x33.5x3x30 | गैस | असम/नीपको | 90.0 | | तीसरी एवं चौथी |
| 7. | रोखिया जीटी फेज-2 | 2x8 | गैस | त्रिपुरा/मिजोरम | 16.0 | | तीसरी एवं चौथी |
| | | | | | 303.9 | 0.0 | |
| | अखिल भारत | | | | | | |
| | कुल जल विद्युत (हाइड्रो) | | | | 982.4 | 171.5 | |
| | कुल जल विद्युत (थर्मल) | | | | 2370.0 | 460.0 | |
| | जोड़ (गैस) | | | | 375.0 | 0.0 | |
| | कुल (न्यूक्लीय) | | | | 440.0 | 440.0 | |
| | कुल अखिल भारत | | | | 3792.4 | 1071.5 | |

## उर्वरकों का उत्पादन

*205. **प्रो. रासा सिंह रावत :**
**डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उर्वरकों की कुल कितनी मांग है तथा इनके उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की स्थिति के अनुसार उर्वरकों के उत्पादन और खपत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 में कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया तथा इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(घ) देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) राजस्थान के सीकर जिले में सलादीपुरा में रसायन उर्वरक संयंत्र को लगाने का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है तथा इस संयंत्र के लिए कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) इस संयंत्र के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) से (घ). पोषक के रूप में वर्ष 1995-96 के दौरान उर्वरकों की अनुमानित खपत निम्न प्रकार है :—

| पोषक | (लाख टन में) |
|---|---|
| नोइट्रोजन (एन) | 107.54 |
| फास्फेट (पी) | 35.60 |
| पोटाश (के) | 13.51 |
| योग एन पी के | 156.65 |

सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को जारी किए गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइर्सेस की आवश्यकता नहीं है। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के एककों ने उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य नीतियों को अपनाया है :—

(एक) चालू उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार।

(दो) नेफ्था आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करके तथा वर्तमान संयंत्रों एवं कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में डूएल फ्यूल/फीड स्टाक सुविधाएं लगाकर नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन के लिए वरीयता प्राप्त फीड स्टाक प्राकृतिक गैस की उपलब्धता संबंधी बाधाओं को दूर करना, और

(तीन) सस्ते तथा भारी मात्रा में कच्चे माल के भण्डार वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को स्थापित किया जाना।

वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान उर्वरकों के उत्पादन और खपत संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण I से IV में दिए गए हैं।

यूरिया, डी ए पी, और एम ओ पी तीन मुख्य उर्वरक हैं, जिनका देश में आयात किया जाता है। डी ए पी और एम ओ पी का आयात असरणीबद्ध किया गया है। यूरिया, मूल्य तथा संचलन नियंत्रण के अंतर्गत आता है तथा इसका आयात नामित अधिकरणों द्वारा सरणीकृत किया जाता है।

वर्ष 1994-95 के दौरान 28.70 लाख टन यूरिया का 1603.62 करोड़ रुपए की लागत एवं भाड़ा मूल्य पर सरकारी खाते में आयात किया गया था। डी ए पी और एम ओ पी के आयात पर मूल्य और इस संबंध में विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन संबंधी सूचना उर्वरक विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(ङ) सरकार ने सलादीपुरा राजस्थान में 300 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले सिंगल सुपर फास्फेट एकक की स्थापना के लिए पाइराइस, फास्फेटस एण्ड कैमिकल्स लि. (पी पी सी एल) के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। परियोजना के नवम्बर, 1996 तक शुरू होने की सम्भावना है।

(च) परियोजना की अनुमानित लागत 9 करोड़ रुपए है जिसे बजटीय सहायता के माध्यम से अंशतः वित्त पोषित किया जायेगा। बजट 1995-96 में इस संबंध में दस लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।

**विवरण-I**

("000" में. ट)

| राज्य का नाम | उत्पादन (1992-93) | | | खपत (1992-93) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एन | पी | एन+पी | एन | पी | के | एन+पी+के |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 369.4 | 276.0 | 645.4 | 1021.65 | 410.69 | 81.75 | 1514.09 |
| कर्नाटक | 112.2 | 41.9 | 154.1 | 419.60 | 239.60 | 120.94 | 780.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केरल | 237.9 | 143.6 | 281.5 | 83.92 | 47.25 | 71.79 | 202.96 |
| तमिलनाडु | 599.2 | 366.6 | 965.8 | 455.33 | 161.53 | 182.61 | 799.47 |
| ए एण्ड एन आइलैंड | | | | 303 | .118 | .271 | .692 |
| पाण्डिचेरी | | | | 9.27 | 3.27 | 3.98 | 16.46 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | | | |
| गुजरात | 1794.1 | 615.8 | 2409.9 | 496.16 | 181.14 | 39.29 | 716.60 |
| मध्य प्रदेश | 397.2 | 54.7 | 451.9 | 502.00 | 255.92 | 35.09 | 793.10 |
| महाराष्ट्र | 946.6 | 184.7 | 1131.3 | 731.00 | 280.00 | 121.00 | 1132.00 |
| राजस्थान | 164.9 | 33.1 | 198.0 | 349.40 | 136.04 | 5.07 | 490.51 |
| दादरा नागर हवेली | | | | .65 | .42 | .80 | 1.08 |
| गोवा | 235.8 | 94.4 | 330.2 | 3.21 | 1.88 | 1.83 | 6.92 |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | | | |
| हरियाणा | 200.0 | 11.8 | 211.8 | 464.71 | 141.41 | 2.51 | 608.63 |
| हिमाचल प्रदेश | | | | 24.47 | 3.75 | 2.37 | 30.59 |
| जम्मू एण्ड काश्मीर | | | | 33.52 | 10.14 | .74 | 44.40 |
| पंजाब | 460.2 | 31.7 | 491.9 | 934.52 | 254.25 | 10.56 | 1199.33 |
| उत्तर प्रदेश | 1323.2 | 54.1 | 1377.3 | 1783.46 | 345.74 | 48.51 | 2177.71 |
| चण्डीगढ़ | | | | .48 | .05 | .007 | .54 |
| दिल्ली | | | | 11.02 | 1.33 | .04 | 12.39 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | | |
| आसाम | 136.8 | 0.7 | 137.5 | 16.10 | 5.28 | 5.12 | 26.50 |
| मणिपुर | | | | 6.67 | 1.90 | .58 | 9.15 |
| मेघालय | | | | 1.56 | 1.23 | .18 | 2.97 |
| नागालैंड | | | | .27 | .38 | .09 | .74 |
| सिक्किम | | | | .61 | .37 | .10 | 1.09 |
| त्रिपुरा | | | | 5.13 | 2.51 | 1.27 | 8.90 |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | .30 | .14 | .05 | .49 |
| मिजोरम | | | | .41 | .54 | .24 | 1.19 |
| चाय बोर्ड (उ.पू.) | | | | 27.00 | 4.88 | 11.55 | 43.44 |
| बिहार | 191.6 | 28.5 | 220.1 | 474.59 | 100.19 | 20.96 | 595.75 |
| उड़ीसा | 192.5 | 240.5 | 433.0 | 142.59 | 39.08 | 21.27 | 202.95 |
| पश्चिम बंगाल | 88.7 | 18.1 | 216.8 | 424.68 | 212.64 | 93.96 | 731.28 |
| दमण एण्ड दीव | | | | .15 | .04 | .01 | .20 |
| लक्षद्वीप | | | | .0 | .0 | .0 | .0 |
| योग | 7430.3 | 2306.2 | 9736.5 | 8426.83 | 2843.77 | 3889.22 | 12154.52 |

## विवरण–II

### वर्ष 1993–94 के दौरान राज्यवार उर्वरकों का उत्पादन और खपत

("000" में. ट)

| राज्य का नाम | उत्पादन (1993–94) | | | खपत (1992–93) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एन | पी | एन+पी | एन | पी | के | एन+पी+के |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 489.9 | 197.4 | 687.3 | 1085.74 | 369.51 | 88.09 | 1543.34 |
| केरल | 262.2 | 112.8 | 375.0 | 77.60 | 33.12 | 66.11 | 176.83 |
| कर्नाटक | 100.0 | 31.1 | 131.1 | 472.81 | 215.82 | 116.40 | 805.03 |
| तमिलनाडु | 487.5 | 223.0 | 710.5 | 413.88 | 181.34 | 205.69 | 780.91 |
| पांडिचेरी | | | | 11.52 | 3.82 | 3.90 | 19.22 |
| ए एण्ड एन आइलैंड | | | | 0.22 | .10 | .03 | .35 |
| **योग (दक्षिण क्षेत्र)** | **1339.6** | **564.3** | **1903.9** | **2061.77** | **783.71** | **480.25** | **3235.73** |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | | | |
| गोवा | 215.3 | 50.1 | 265.4 | 3.12 | 1.86 | 1.09 | 6.07 |
| मध्य प्रदेश | 413.2 | 45.5 | 458.7 | 521.20 | 235.95 | 16.83 | 773.98 |
| महाराष्ट्र | 902.3 | 155.1 | 1057.4 | 804.31 | 259.02 | 130.85 | 1194.18 |
| गुजरात | 1702.7 | 841.1 | 2343.8 | 472.89 | 157.02 | 39.18 | 660.09 |
| राजस्थान | 243.9 | 14.7 | 258.8 | 385.98 | 133.75 | 2.63 | 502.36 |
| दमण एण्ड दीव | | | | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.20 |
| दादर नागर हवेली | | | | 0.68 | 0.38 | 0.02 | 1.08 |
| **योग (पश्चिमी क्षेत्र)** | **3477.4** | **906.53** | **4383.9** | **2168.33** | **788.02** | **190.61** | **3146.96** |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | | |
| बिहार | 129.4 | 20.6 | 150.0 | 471.64 | 98.67 | 15.01 | 585.32 |
| उड़ीसा | 188.8 | 177.1 | 365.7 | 154.59 | 34.17 | 18.95 | 201.11 |
| पश्चिम बंगाल | 35.0 | 68.4 | 103.4 | 425.31 | 183.21 | 136.57 | 745.09 |
| आसाम | 87.3 | 0.2 | 87.5 | 20.72 | 4.98 | 7.70 | 33.40 |
| त्रिपुरा | | | | 5.25 | 1.72 | 0.89 | 7.86 |
| मणिपुर | | | | 8.20 | 0.86 | 0.05 | 9.11 |
| मेघालय | | | | 1.82 | 1.13 | 0.27 | 3.22 |
| नागालैंड | | | | 0.50 | 0.46 | 0.14 | 1.10 |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | 0.28 | 0.21 | 0.08 | 0.57 |
| मिजोरम | | | | 0.36 | 0.43 | 0.15 | 0.94 |
| सिक्किम | | | | 0.61 | 0.28 | 0.09 | 0.98 |
| **योग (पूर्वी क्षेत्र)** | **440.3** | **266.3** | **706.6** | **1089.28** | **326.12** | **179.90** | **1595.30** |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | | | |
| हरियाणा | 237.5 | 3.8 | 241.3 | 522.88 | 148.44 | 0.36 | 671.68 |
| पंजाब | 478.9 | 20.8 | 499.5 | 946.52 | 245.59 | 7.47 | 1199.48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1257.5 | 54.2 | 1311.8 | 1893.52 | 359.85 | 38.75 | 2291.92 |
| हिमाचल प्रदेश | | | | 24.65 | 2.34 | 1.62 | 28.61 |
| जम्मू एण्ड काश्मीर | | | | 35.17 | 6.56 | 0.60 | 42.33 |
| दिल्ली | | | | 13.28 | 2.44 | 0.02 | 15.74 |
| चण्डीगढ़ | | | | 0.51 | 0.02 | 0.00 | 0.53 |
| योग (उत्तरी क्षेत्र) | 1973.9 | 78.7 | 2092.6 | 3436.53 | 764.84 | 48.82 | 4250.29 |
| चाय बोर्ड | | | | 32.86 | 6.55 | 8.84 | 48.05 |
| **योग (अखिल भारत)** | **7231.2** | **1615.8** | **9047.0** | **8788.57** | **2669.34** | **908.42** | **12366.33** |

**विवरण–III**

**वर्ष 1994–95 के दौरान राज्यवार उर्वरकों का उत्पादन और खपत ("000" में.ट)**

| राज्य का नाम | उत्पादन (1993–94) | | | खपत (1994–95) | | अनुमानित | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एन | पी | एन+पी | एन | पी | के | एन+पी+के |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 507.3 | 268.8 | 778.1 | 1138.08 | 385.20 | 120.75 | 1644.18 |
| केरल | 283.5 | 132.6 | 416.1 | 81.18 | 39.93 | 78.20 | 199.32 |
| कर्नाटक | 133.8 | 47.2 | 181.0 | 494.69 | 202.23 | 125.82 | 822.74 |
| तमिलनाडु | 606.7 | 370.5 | 977.2 | 455.83 | 179.78 | 238.96 | 874.37 |
| पाण्डिचेरी | | | | 12.38 | 3.61 | 4.22 | 22.22 |
| ए एण्ड एन आइलैंड | | | | 0.24 | .09 | .25 | .58 |
| **योग (दक्षिणी क्षेत्र)** | **1531.3** | **819.1** | **2350.4** | **2182.40** | **810.84** | **568.20** | **3561.41** |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | | | |
| गोवा | 224.4 | 88.0 | 312.4 | 3.37 | 1.46 | 1.42 | 6.27 |
| मध्य प्रदेश | 388.4 | 73.3 | 459.7 | 591.16 | 274.75 | 30.0 | 895.91 |
| महाराष्ट्र | 898.9 | 161.9 | 1058.8 | 876.00 | 345.00 | 169.00 | 1390.00 |
| गुजरात | 1756.9 | 724.8 | 2481.7 | 572.27 | 195.64 | 50.38 | 818.29 |
| राजस्थान | 522.8 | 16.3 | 539.1 | 451.13 | 142.81 | 8.04 | 601.99 |
| दमन एवं दीव दादरा नागर हवेली | | | | 0.12 | .03 | 0.009 | 0.16 |
| **योग (पश्चिमी क्षेत्र)** | **3787.4** | **1064.3** | **4851.7** | **2494.05** | **959.69** | **258.93** | **3712.62** |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | | |
| बिहार | 174.8 | 27.4 | 202.2 | 516.09 | 100.35 | 36.5 | 652.94 |
| उड़ीसा | 214.8 | 323.8 | 538.6 | 161.75 | 33.29 | 24.93 | 220.00 |
| पश्चिम बंगाल | 36.4 | 100.2 | 136.6 | 451.91 | 177.71 | 123.96 | 753.58 |
| आसाम | 73.3 | 0.2 | 73.5 | 221.38 | 3.85 | 10.77 | 37.01 |
| त्रिपुरा | | | | 4.88 | 1.77 | 1.03 | 7.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मणिपुर | | | | 7.51 | 0.90 | 0.14 | 8.55 |
| मेघालय | | | | 1.93 | 1.12 | 0.17 | 3.22 |
| नागालैंड | | | | 0.25 | 0.28 | 0.10 | 0.64 |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.55 |
| मिजोरम | | | | 0.37 | 0.31 | 0.24 | 0.03 |
| सिक्किम | | | | 0.55 | 0.22 | 0.00 | 0.77 |
| **योग (पूर्वी क्षेत्र)** | **499.3** | **451.6** | **950.9** | **1167.91** | **319.98** | **197.93** | **1684.97** |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | | | |
| हरियाणा | 209.3 | 12.6 | 221.9 | 559.11 | 150.50 | 2.62 | 712.25 |
| पंजाब | 483.5 | 34.8 | 518.3 | 1013.46 | 255.92 | 15.29 | 1285.08 |
| उत्तर प्रदेश | 1434.6 | 110.3 | 1544.9 | 1986.55 | 417.40 | 76.35 | 2480.38 |
| हिमाचल प्रदेश | | | | 24.84 | 2.40 | 1.97 | 29.22 |
| जम्मू एण्ड कश्मीर | | | | 37.81 | 7.27 | 1.22 | 46.31 |
| दिल्ली | | | | 13.03 | 1.70 | 0.02 | 14.76 |
| चंडीगढ़ | | | | 0.38 | 0.06 | 0.001 | 0.44 |
| **योग (उत्तरी क्षेत्र)** | **2127.4** | **157.7** | **2285.1** | | | | |
| चाय बोर्ड | | | | 26.68 | 4.90 | 2.03 | 33.62 |
| **योग (अखिल भारत)** | **7945.4** | **2492.7** | **10438.1** | **3661.86** | **840.15** | **90.481** | **4601.97** |

**विवरण–IV**

**वर्ष 1995–96 के दौरान राज्यवार उर्वरकों का उत्पादन और खपत (अनुमानित)**

| राज्य का नाम | उत्पादन (1995–96) अप्रैल–अक्तूबर | | | खपत (1995–96) अनुमानित | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एन | पी | एन+पी | एन | पी | के | एन+पी+के |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 287.6 | 150.5 | 438.1 | 1269.304 | 428.180 | 149.104 | 1846.588 |
| कर्नाटक | 99.0 | 26.1 | 125.1 | 534.287 | 214.053 | 127.769 | 876.109 |
| केरल | 190.4 | 87.2 | 277.6 | 91.175 | 43.920 | 78.135 | 213.230 |
| तमिलनाडु | 371.3 | 239.0 | 610.3 | 517.924 | 799.310 | 255.650 | 972.884 |
| ए एण्ड ए आइलैंड | – | – | – | .340 | .97 | .142 | .679 |
| लक्षद्वीप | – | – | – | .064 | .0 | .126 | .190 |
| पाण्डिचेरी | – | – | – | 15.533 | 4.839 | 5.242 | 25.614 |
| **योग (दक्षिणी क्षेत्र)** | **948.3** | **502.8** | **1450.8** | **2428.627** | **890.499** | **616.168** | **3935.294** |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | | | |
| गुजरात | 1099.8 | 447.0 | 1546.8 | 645.171 | 236.997 | 66.571 | 948.739 |
| मध्य प्रदेश | 232.4 | 42.7 | 275.1 | 703.889 | 337.013 | 46.802 | 1087.704 |
| महाराष्ट्र | 504.8 | 104.1 | 608.9 | 959.000 | 373.100 | 199.100 | 1531.200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | 381.7 | 9.7 | 371.4 | 524.903 | 177.049 | 8.319 | 710.271 |
| दादरा नागर हवेली | – | – | – | .749 | .483 | .048 | 1.280 |
| गोवा | 142.9 | 48.7 | 191.6 | 3.774 | 1.653 | 1.509 | 6.936 |
| दमन एण्ड दीव | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **योग (पश्चिमी क्षेत्र)** | **2341.6** | **652.2** | **2993.8** | **2837.488** | **1126.295** | **322.349** | **4286.13** |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | | | |
| हरियाणा | 127.7 | 5.7 | 133.4 | 648.754 | 170.214 | 2.532 | 821.500 |
| हिमाचल प्रदेश | – | – | – | 32.894 | 2.807 | 2.467 | 38.168 |
| जम्मू एण्ड कश्मीर | – | – | – | 47.529 | 9.200 | 1.051 | 57.780 |
| पंजाब | 258.9 | 16.1 | 275.0 | 1076.630 | 308.880 | 15.440 | 1400.950 |
| उत्तर प्रदेश | 997.6 | 51.8 | 1049.4 | 2227.783 | 604.352 | 106.088 | 2938.223 |
| चण्डीगढ़ | – | – | – | .348 | .110 | .030 | .488 |
| दिल्ली | – | – | – | 15.087 | 2.508 | .060 | 17.655 |
| **योग (उत्तरी क्षेत्र)** | **1384.2** | **73.6** | **1457.8** | **4049.025** | **1098.071** | **127.668** | **5574.814** |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | | |
| असम | 36.1 | 0.0 | 36.1 | 23.19 | 6.28 | 11.20 | 40.68 |
| मणिपुर | – | – | – | 11.76 | 1.91 | .42 | 14.10 |
| मेघालय | – | – | – | 2.35 | 1.26 | .26 | 3.88 |
| नागालैंड | – | – | – | .44 | .22 | .04 | .71 |
| सिक्किम | – | – | – | .76 | .31 | .06 | 1.14 |
| त्रिपुरा | – | – | – | 6.92 | 2.58 | 2.58 | 12.08 |
| अरुणाचल प्रदेश | – | – | – | .32 | .22 | .10 | .64 |
| मिजोरम | – | – | – | .57 | .41 | .26 | 1.24 |
| चाय बोर्ड (उ.पू) | – | – | – | 31.43 | 6.65 | 9.01 | 47.10 |
| बिहार | 78.7 | 14.2 | 92.9 | 648.46 | 167.74 | 67.27 | 883.48 |
| उड़ीसा | 106.7 | 168.9 | 275.6 | 188.21 | 51.28 | 37.39 | 276.90 |
| पश्चिम बंगाल | 44.3 | 65.1 | 129.4 | 524.44 | 205.96 | 156.49 | 886.90 |
| **योग (अखिल भारत)** | **265.8** | **248.2** | **534.0** | **10754.04** | **3559.74** | **1951.32** | **15665.10** |

**राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित राख का निपटान**

***206. कुमारी उमा भारती :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित राख को कैसे और किन स्थानों पर फैंका जाता है अथवा किस प्रकार उसका निपटान किया जाता है;

(ख) क्या सरकार इस राख के वाणिज्यिक उपयोग की व्यवहार्यता की सम्भावना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) क्या सरकार को निजी कम्पनियों से इस राख के वाणिज्यिक उपयोग हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे)** : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन टी पी सी) के कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित राख, राख-कुंडों में एकत्रित की जाती है, जो चारों तरफ से, इसी उद्देश्य हेतु तैयार राख-डाइकों से घिरे होते हैं। एन टी पी सी द्वारा निजी उद्यमियों को निःशुल्क उड़न राख की आपूर्ति की जाती है, ताकि ईंटें/टाईल/खोखले ब्लाकों इत्यादि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जा सके। एन टी पी सी द्वारा उड़न राख का प्रयोग उथले क्षेत्रों/बेकार भूमि के भराव तथा इसके विद्युत केन्द्रों में विद्यमान राख-डाइकों को ऊंचा उठाने के लिए भी किया जाता है।

(ख) और (ग). जी, हां। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1994 में, 12.91 करोड़ रुपये की कुल लागत पर उड़न राख मिशन संबंधी एक परियोजना को अनुमोदित किया है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, उड़न राख का वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु भी उपयोग किया जा सके। इस परियोजना की अवधि 4 वर्ष है।

जहां तक एन टी पी सी का संबंध है, यह राख-आधारित उत्पादों के निर्माण हेतु संयंत्रों की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

(घ) और (ङ). वाणिज्यिक उपयोग हेतु राख के समुपयोजन के लिए एन टी पी सी को निजी पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| | राख समुपयोजन की शक्यता (टन प्रति दिन) |
|---|---|
| 1. सैलुलर कंक्रीट उत्पादों के निर्माण हेतु बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में मैसर्स बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 250 |
| 2. उड़न-राख आधारित ईंटों, सैलुलर कंक्रीट इत्यादि के निर्माण के लिए रामागुंडम एस टी पी एस में मैसर्स नागार्जुन लिटक्रेट लिमिटेड | 350* |
| 3. उड़न राख आधारित पोर्टलैंड पोजोलान सीमेण्ट के निर्माण हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत परियोजना में मैसर्स फीनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड | 350* |
| 4. उड़न राख आधारित पोर्टलैंड पोजोलान सीमेण्ट के निर्माण हेतु फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप-विद्युत परियोजना में मैसर्स तलवंडी सीमेण्ट लिमिटेड | 650 |
| 5. उड़न राख आधारित उत्पादों के निर्माण हेतु विंध्याचल ताप विद्युत केन्द्र में मैसर्स विंध्याचल फ्लाई ऐश प्रोडक्ट | 20 |
| 6. उड़न राख ईंटों के निर्माण हेतु फरक्का ताप विद्युत केन्द्र में मैसर्स रिया शेल्कन | 20 |
| 7. उड़न राख ईंटों के निर्माण हेतु फरक्का ताप विद्युत केन्द्र में मैसर्स लोकनाथ फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 20 |

उपरोक्त के अलावा, कई निजी पार्टियां उड़न राख आधारित पोर्टलैंड पोजोलान सीमेण्ट और एस्बेस्टा सीमेण्ट उत्पादों के निर्माण के लिए, विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों से राख ले रहे हैं।

* 350 टन प्रति दिन तक की वृद्धि हेतु प्रावधान सहित।

**[अनुवाद]**

## खनिजों का निर्यात

*207. **श्री तारा सिंह :**
**श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्टूबर, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मिनरल्स एक्सपोर्ट्स हिट बाई पूअर इन्फ्रास्ट्रक्चर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या-क्या है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान खनिजों के निर्यात में वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने और मूल्य वृद्धि सहित खनिजों के निर्यात को भी बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). पिछले कुछ वर्षों के दौरान मूल्य के संदर्भ में खनिजों के निर्यात का रुख बढ़ता दिखाई दिया है। 1990-91 और 1993-94 के बीच सभी खनिजों का वर्षवार निर्यात निम्नानुसार है :—

| वर्ष | सभी खनिजों का निर्यात (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 1990-91 | 6659 |
| 1991-92 | 8343 |
| 1992-93 | 10210 |
| 1993-94 | 14266 |

वर्ष 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति से वैल्यू एड रूप में खनिजों के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है। निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार के प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

**तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता**

*208. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विदेश स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु धार्मिक स्थल-वार कितने तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) इस तरह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया)** : (क) केन्द्रीय हज समिति द्वारा किए गए प्रबंधों के अन्तर्गत जिन हाजियों ने सऊदी अरब की यात्रा की और जिन्हें चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से रियायती हवाई किराए की सुविधा उपलब्ध कराई गई, उनकी संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1993 | — | 25,205 |
| 1994 | — | 25,685 |
| 1995 | — | 31,000 |

जो तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए उनकी संख्या नीचे लिखे अनुसार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1993-94 | — | 365 |
| 1994-95 | — | 370 |
| 1995-96 | — | 340 |

(ख) बराबर बढ़ रहे यात्रा किरायों से हाजियों को राहत देने के एक उपाय के रूप में केन्द्रीय हज समिति लाटरी निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से हज यात्रियों का चयन करती है और उन्हें रियायती यात्रा किराए की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 1995 में यह निर्णय लिया गया था कि जिन यात्रियों ने हज के लिए आवेदन किया है उन सभी को शामिल कर लिया जाए। 1996 में भी चयन लाटरी निकाल कर ही करना होगा।

सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं देती। तथापि, सरकार चिकित्सा सहायता, वायरलैस सुविधा, चीन के साथ दूरसंचार संपर्क और आपात स्थितियों में तीर्थयात्रियों को वायुयान से अन्यत्र पहुंचाने की व्यवस्था करके यात्रा को सुविधाजनक बनाती है। सरकार कुमाऊं मंडल विकास निगम, जो भारतीय प्रदेश में यात्रियों के लिए संभारतंत्रीय व्यवस्था करता है, को आंशिक वित्तीय सहायता देती है।

[अनुवाद]

**संधियों/समझौतों की संपुष्टि**

*209. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत चार वर्षों के दौरान इस आशय के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि किसी देश के साथ हुई किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संधियों अथवा समझौतों की संपुष्टि संसद द्वारा उनका अनुसमर्थन करने के पश्चात ही की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की ऐसी प्रस्तावों के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित "संघ सूची" की प्रविष्टि 14 में संशोधन हेतु भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कभी भी कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि कुछ माननीय सदस्यों ने संविधान में इस आशय के संशोधन के लिए 1992, 1993 और 1994 में संसद को नोटिस दिए थे।

(ख) 1992 का नोटिस राज्य सभा में 13 अगस्त, 1993 और 17 मई, 1995 को सूचीबद्ध हुआ था जिस पर समयाभाव के कारण विचार नहीं हो सका। 1993 का नोटिस लोक सभा में अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुआ है। 1994 का नोटिस लोक सभा में 13 मई, 1994 को विचारार्थ सूचीबद्ध हुआ था लेकिन समयाभाव के कारण उस पर विचार नहीं हो सका। संदर्भ के लिए विवरण संलग्न है। इस प्रकार सरकार को इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने का कोई अवसर नहीं मिला।

जिस व्यवस्था का हम पालन करते हैं उसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संधियों/करारों पर हस्ताक्षर करने और उनका अनुसमर्थन करने का कार्य केन्द्रीय मंत्रिमंडल और भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार के तहत कार्यपालिका का है। तथापि भारत में उनका प्रवर्तन संसद द्वारा बनाए गए अथवा आवश्यकतानुसार बनाए जाने वाले भारतीय कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा यह मानना है कि संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का संसद द्वारा अनुमोदन करने से संबंधित प्रस्ताव**

(एक) 5 मार्च, 1993 को श्री जार्ज फर्नांडीस, संसद सदस्य (लोक सभा) ने इस आशय का नोटिस दिया था कि यह प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 253 के संशोधन हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक, 1993 पेश करना चाहते हैं कि सभी संधियों और अभिसमयों का अनुसमर्थन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी सदस्यता के कम से कम आधे बहुमत से और कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों के बहुमत से किया जाए।

**टिप्पणी**

यह विधेयक आज तक लोक सभा में विचारार्थ सूचीबद्ध नहीं हुआ है।

(दो) फरवरी, 1992 के दौरान श्री एम.ए.बेबी, संसद सदस्य (राज्य सभा) ने इस आशय का नोटिस दिया था कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद-77 में इस आशय का संशोधन करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक, 1992 पेश करना चाहते हैं कि किसी भी देश अथवा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय अथवा सांस्कृतिक स्वरूप के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ तथा व्यापार, टैरिफ और पैटेंट संबंधी निपटारों के बारे में सरकार द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले सभी करारों, संधियों, समझौता ज्ञापनों और संविदाओं को उनके क्रियान्वयन से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन की मेज पर रखा जाए और संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदन के बाद ही उनका प्रवर्तन हो।

**टिप्पणी**

यह विधेयक 13 अगस्त, 1993 तथा 17 मई, 1995 को राज्य सभा में सूचीबद्ध हुआ था। तथापि इस विधेयक पर समयाभाव के कारण विचार नहीं हो सका।

(तीन) श्री सत्य प्रकाश मालवीय, संसद सदस्य, (राज्य सभा) ने इस आशय का एक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के संसदीय अनुमोदन का प्रावधान करने के लिए संविधान में संशोधन हेतु कोई कानून लागू करना चाहती है। 12.5.1994 को प्रश्न सं. 6856 के उत्तर में यह कहा गया था कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(चार) श्री मोहन सिंह (देवरिया), संसद सदस्य, ने लोक सभा में एक प्रस्ताव पेश करके सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह भारत सरकार द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सभी अन्तर्राष्ट्रीय संधियों को संसदीय अनुसमर्थन के प्रावधान के लिए समुचित आधार लागू करे।

**टिप्पणी**

गैर सरकारी सदस्य का यह प्रस्ताव शुक्रवार 13 मई, 1994 को लोकसभा में विचारार्थ सूचीबद्ध हुआ था। तथापि समयाभाव के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सका।

**[हिन्दी]**

**जल आपूर्ति एवं सफाई व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव**

*210. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के पास देश में विशेषकर पिछड़े ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था संबंधी कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार और वर्षवार ऐसी कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई और राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र) :** (क) फ्लोरोसिस और खारेपन पर उपमिशन के अन्तर्गत तकनीकी अनुमोदन एवं वित्तीय सहायता हेतु आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित तीन प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं :—

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | परियोजना | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| 1. | पश्चिमी गोदावरी जिले के कोल्लापरू क्षेत्र में खारेपन से प्रभावित 61 बस्तियों में सुरक्षित पेयजल | 691.0 |
| 2. | खम्मम जिले के नागिलीगोडा क्षेत्र में फ्लोराइड से प्रभावित 11 बस्तियों में सुरक्षित पेयजल | 298.0 |
| 3. | खम्मम जिले के कुनावरम क्षेत्र में फ्लोराइड से प्रभावित 30 बस्तियों में सुरक्षित पेयजल | 239.0 |

उपर्युक्त परियोजनाएं 5 दिसम्बर, 1995 को प्राप्त हुई हैं।

ग्रामीण स्वच्छता के बारे में केरल सरकार से प्राप्त दो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय सहायता हेतु लंबित हैं।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कोझीकोड़ जिले को थुरानोर पंचायत को आदर्श स्वच्छता गांव के रूप में विकसित करना | 20.731 |
| 2. | कोझीकोड जिले की थिक्कोड़ी पंचायत को आदर्श स्वच्छता गांव के रूप में विकसित करना | 29.093 |

किसी अन्य राज्य से संबंधित जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना का कोई प्रस्ताव प्रेषित नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त सभी परियोजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त सभी 5 परियोजना प्रस्तावों को संभवतया तीन माह की अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना है।

(घ) उपमिशन कार्यक्रम और विशेष परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम योजनाओं के लिए जहां केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्य के अन्तर्गत आवंटन से अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसी योजनाओं के लिए केंन्द्रीय सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपमिशन/स्वच्छता के अंतर्गत अनुमोदित की गई ऐसी योजनाओं की संख्या और उनके लिए जारी की गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :—

(रुपये लाख में)

| वर्ष | अनुमोदित की गई योजनाओं की संख्या | जारी की गई धनराशि |
|---|---|---|
| 1992–93 | 4 | 480.355 |
| 1993–94 | 21 | 7263.51 |
| 1994–95 | 37 | 9428.35 |

अनुमोदित की गई योजनाओं की संख्या के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे तथा जारी की गई निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के संबंध में राज्यों को पूर्ण शक्तियां दी गई हैं कि वे त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं को तकनीकी अनुमोदन प्रदान करें। अतः इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं को तकनीकी अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार के पास नहीं भेजा जाता है। इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता वार्षिक आवंटन के आधार पर निर्धारित शर्तों के अनुसार रिलीज की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार है :—

(रुपये करोड़ में)

| वर्ष | त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम | केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम |
|---|---|---|
| 1992–93 | 362.56 | 21.64 |
| 1993–94 | 622.73 | 32.67 |
| 1994–95 | 675.96 | 59.50 |

**विवरण**

**पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित की गई योजनाओं की संख्या और उनके लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता**

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या | | | जारी की गई धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **फ्लोरोसिस नियंत्रण** | | | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4 | 3 | 12 | 480.355 | 1920.19 | 4178.27 |
| 2. | गुजरात | — | 2 | 5 | — | 482.89 | 1003.11 |
| 3. | हरियाणा | — | 1 | — | — | 137.00 | — |
| 4. | कर्नाटक | — | — | 2 | — | — | 51.51 |
| 5. | मध्य प्रदेश | — | — | 2 | — | — | 49.4 |
| 6. | पंजाब | — | — | 2 | — | — | 1315.87 |
| 7. | राजस्थान | — | 1 | 1 | — | 617.66 | 198.00 |
| 8. | तमिलनाडु | — | 2 | 3 | — | 183.50 | 1656.5 |
| 9. | उत्तर प्रदेश | — | 1 | — | — | 1583.30 | |
| | कुल | 4 | 10 | 27 | 480.355 | 4926.54 | 8452.31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **खारेपन को दूर करना** | | | | | | | |
| 1. | केरल | — | 1 | — | — | 306.0 | — |
| 2. | पंजाब | — | 1 | — | — | 870.00 | — |
| 3. | राजस्थान | — | — | 1 | — | — | 200.00 |
| 4. | तमिलनाडु | — | 1 | 1 | — | 537.50 | — |
| | कुल | | 3 | 2 | — | 1713.50 | 200.00 |
| **लोहे की अधिकता को दूर करना** | | | | | | | |
| 1. | असम | — | — | 2 | — | — | 31.63 |
| 2. | मणिपुर | — | 1 | — | — | 0.27 | — |
| 3. | मेघालय | — | 1 | — | — | 24.90 | — |
| | कुल | — | 2 | 2 | — | 25.17 | 31.63 |
| **आरसैनिक को दूर करना** | | | | | | | |
| 1. | पश्चिम बंगाल | — | 1 | 1 | — | 480.92 | 607.05 |
| **जल सम्पूर्ति ढांचे स्थापित्व** | | | | | | | |
| 1. | मध्य प्रदेश | — | — | 1 | — | — | 25.00 |
| 2. | सिक्किम | — | — | 1 | — | — | 77.15 |
| 3. | तमिलनाडु | — | — | 1 | — | — | 28.71 |
| | कुल | — | — | 3 | — | — | 130.86 |
| **ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं** | | | | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | — | 1 | — | — | 5.00 | — |
| 2. | असम | — | 1 | — | — | 8.49 | — |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | — | 1 | — | — | 0.77 | — |
| 4. | केरल | — | — | 1 | — | — | 5.35 |
| 5. | मध्य प्रदेश | — | 1 | — | — | 3.12 | — |
| 6. | महाराष्ट्र | — | 1 | — | — | 100.00 | — |
| 7. | उड़ीसा | — | — | 1 | — | — | 1.15 |
| | कुल | — | 5 | 2 | — | 117.38 | 6.50 |
| | महायोग | 4 | 21 | 37 | 480.355 | 7263.51 | 9428.35 |

**[अनुवाद]**

**खनन अधिकार**

***211. श्री के.टी. वान्डायार :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन उद्योग की कितनी परियोजनाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों को दिया गया था;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाएं विदेशी खनन कंपनियों को दी गईं;

(ग) खनन अधिकार देने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(घ) खनन अधिकारों को उक्त रीति से निजी पार्टियों को पट्टे पर दिये जाने के क्या-क्या लाभ हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश में बहुमूल्य धातुओं के खनन हेतु किन्हीं नये क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग)** : (क) से (च). खनन अधिकार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। देश में खनन कार्य एतिहासिक रूप से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1994-95 के अंत में जिन कुल 3083 (अनन्तिम) खानों में उत्पादन कार्य हो रहा था और जिन्हें गौण खनिजों को छोड़कर गैर-परमाणु और गैर-ईंधन खनिजों का खनन अधिकार दिया गया था, उनमें से केवल 316 खानें सरकारी क्षेत्र में थीं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित कम्पनी को ही खनन अधिकार दिए जा सकते हैं। संबंधित धारा इस प्रकार है :—

धारा 5(1) राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या खनन पट्टा तभी दिया जाएगा जबकि ऐसा व्यक्ति :—

(क) भारतीय नागरिक हो, या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित कम्पनी हो; और

(ख) निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करता हो।

किन्तु शर्त यह है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी खनिज के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त मामलों को छोड़कर कोई प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा।

अतः किसी विदेशी कम्पनी को इस प्रकार के अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं उठता। केन्द्र सरकार ने देश में बहुमूल्य धातुओं के खनन के लिए किसी विशेष क्षेत्र को विनिर्दिष्ट नहीं किया है। रोजगार और किसी भी आर्थिक कार्य के राजस्व अर्जन जैसी सामान्य सुविधाओं के अलावा खनन कार्य में संबंधित राज्य सरकारों को रायल्टी और संबंधित प्रभारों का भुगतान भी शामिल है।

## भारी ईंधन तेल आधारित विद्युत परियोजनाएं

***212. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
**श्री प्रमथेश मुखर्जी :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी ईंधन तेल आधारित विद्युत एककों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विचाराधीन तथा पूर्व स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर इसके सम्भावित दुष्प्रभावों के बारे में विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से निजी क्षेत्र में तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु अनुमति मांगी है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे)** : (क) और (ख). सरकार ने जहां भारी ईंधन तेल, यथा हैवी पैट्रोलियम स्टाक (एच.पी.एस.), निम्न सल्फर हैवी स्टाक (एल.एस.एच.एस.), हैवी फर्नेन्स ऑयल (एच.एफ.ओ.), फर्नेन्स ऑयल (एफ.ओ.), नाफ्था तथा प्राकृतिक गैस प्रमुख ईंधन के रूप में उपलब्ध हैं, के सदुपयोग के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। एच.एस.डी. (डीजल) का ईंधन के रूप में सदुपयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तरल ईंधन का सदुपयोग किए जाने की परिकल्पना से संबंधित अभी तक 72 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के लिए रूचि प्रकट की गई है और इनमें से पांच को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ग) और (घ). नीतियों का निर्धारण करते समय तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण संबंधी पहलुओं पर भी विचार किया गया है और ऐसी परियोजनाओं की स्थापना, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही की जा सकती है।

(ङ) जी, हां।

(च) जैसा कि उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उत्तर दिया गया है।

## विद्युत वित्त निगम द्वारा निजी विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता

***213. डा. रमेश चन्द तोमर :**
**श्री अमर पाल सिंह :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने निजी क्षेत्र की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ विद्युत वित्त निगम की कुल धनराशि का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पी.एफ.सी. से निजी क्षेत्र ऋणी के लिए पात्रता की शर्तों के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए पी.एफ.सी. द्वारा विशेष प्रतिशतता का प्रारक्षण नहीं किया गया है।

विवरण

**निजी क्षेत्र ऋणियों की पात्रता के बारे में शर्तें**

1. ऋणी, निजी क्षेत्र की भागीदारी का नियंत्रण करने वाले भारत सरकार के नियमों का पालन करेगा।
2. ऋणी की पिछले तीन वर्षों की संचयी हानि की स्थिति नहीं होनी चाहिये और अपने किसी भी ऋणदाता को भुगतान करने में चूक नहीं की जानी चाहिये तथा वार्षिक लेखे संतोषजनक वित्तीय कार्य निष्पादन के सूचक होने चाहिये।
3. विद्युत क्षेत्र की नई संस्थाओं के मामले में प्रवर्तकों के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय प्रचालन संबंधी कार्य निष्पादन (ट्रैक रिकार्ड) की स्थिति का अवलोकन किया जाएगा।
4. विद्यमान विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं के मामले में परियोजना, उनकी वर्तमान विस्तार योजनाओं आदि के अनुरूप होनी चाहिये।
5. ऋण शोधन व्यवस्था अनुपात (डी एस सी आर) की राशि स्वीकार्य मानदण्डों से कम नहीं होनी चाहिये तथा ऋण इक्विटी अनुपात भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिये।
6. परियोजना, जिसके लिए पी.एफ.सी. से वित्त पोषण के लिए अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार की संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए लागू सांविधिक एवं नियामक शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिये।
7. परियोजना तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से सुसंगत होनी चाहिये।
8. परियोजना की वित्तीय लाभांश की दर इसी प्रकार की परियोजना के बारे में प्रचलित संभावित वित्तीय लाभांश की दर के समरूप होनी चाहिये, लेकिन यह 12 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये।
9. अन्य स्रोतों से अपेक्षित वित्तीय सहायता सुनिश्चित किए जाने के बारे में पी एफ सी की संतुष्टि के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।
10. वित्तीय व्यवहार्यता का निर्धारण किए जाने के लिए विद्युत संबंधी विद्युत क्रय समझौता, अन्तरण समझौता तथा अन्य सभी प्रकार के समझौते, जोकि विद्युत की बिक्री/क्रय को प्रभावित करते हों, इनके मूल्यांकन कार्य की निगम स्वयं व्यवस्था करेगा।
11. कन्सोर्टियम समझौते के एक अंग के रूप में वित्त पोषण किए जाने के लिए पी एफ सी सहमत हो जाने के मामले में ऋणी को अग्रणी संस्थान के पात्रता संबंधी मानदण्डों की सामान्यतः पूर्ति करनी होगी।

**जर्मन कम्पनियों से शिकायतें**

*214. **श्री हरिन पाठक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास को विदेशी उद्यमियों द्वारा भारतीय कम्पनियों/भारतीय उद्यमियों के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) क्या सरकार द्वारा उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो शिकायत–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) उनसठ।

(ख) जी, हां। जर्मनी में स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र जर्मन कंपनियों/उद्यमियों की प्रत्येक शिकायत को उन भारतीय असामियों, जिनके खिलाफ शिकायत की गई हो तथा संबंधित अभिकरणों (निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार और उद्योग संघों, वाणिज्य मंत्रालय आदि) के साथ शीघ्रता पूर्वक उठाता है और इन शिकायतों का सौहार्दपूर्ण निपटान करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

**पिछले दो वर्षों के दौरान भारत के राजदूतावास, बॉन को, जिन जर्मन कंपनियों/उद्यमियों से व्यापार संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई, उनकी सूची**

| क्र.सं. | जर्मन कंपनी/ उद्यमी का विवरण | भारतीय कंपनी/ उद्यमी का विवरण | विवाद का स्वरूप | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री हारोल्ड डेनियल, गाबलिक 8, 70499 स्टटगार्ट नवम्बर, 94 में शिकायत दर्ज कराई। | मैं. वुड "निजारार बोनांजा" फर्स्ट फ्लोर, 813 अन्न सलई, माउण्ट रोड, मद्रास | पूर्व भुगतान अदा करने के बावजूद भी कालीन और मेज प्राप्त न होना। | कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली और वाणिज्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | डा. हैंज जोसेफ अंगेर, नुस्सबौम्ट्र 13,85435 एंरर्डिंग। दिसम्बर, 94 में शिकायत दर्ज कराई | कोस्मो पोलीटन बुक हाऊस, 24 बी अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली | आर्डर दी गई 14 पुस्तकों की आपूर्ति नहीं करना, जिनके लिए भुगतान मार्च, 94 में कर दिया गया था | भारतीय कम्पनी से पुस्तकें शीघ्र भेजने के लिए अनुरोध किया गया है |
| 3. | मैं. तेवगे एम बी एच पोस्ट बाक्स 100443 कासेला जनवरी, 94 में शिकायत दर्ज कराई | मै. तूतीकोरिन स्पीनिंग मिल्स लिमि. 106, पलायमकोट्टई रोड़, तूतीकोरिन | घटिया किस्म के धागे की सुपुर्दगी | टेक्स प्रोसिल के विवाचन नियमों द्वारा पूर्व में विवाचन मुकदमा दायर किया। उसके बाद आई जी सी सी इस मामले की कार्यवाही कर रही है |
| 4. | श्री हंस सीडलर फोर्स-टेनरीडलेईट्र 158, ई 1476 म्युनिक मार्च, 94 में शिकायत दर्ज कराई। | मैं जयपुर ब्यूटीक कार्पेट बिहाईड गुल मोहर गार्डेन, आमेर रोड़ जयपुर-2 | खरीदे गए कालीन की प्राप्ति नहीं होना जिसके लिए अग्रिम भुगतान कर दिया गया था | भारतीय कम्पनी को भेज दिया गया |
| 5. | मै. श्यूहफब्रिक मीस्सेन बर्लिन स्थित भारत के राजदूतावास कार्यालय में शिकायत की गई है। | मै. पार्क एक्सपोर्ट्स 42/141 कृष्ण कुंज, आगरा-2 | जूते के खराब ऊपरी भागों की आपूर्ति | चमड़ा निर्यात परिषद तथा बर्लिन स्थित भारत के राजदूतावास का कार्यालय मामले की कार्रवाई कर रहे हैं |
| 6. | होटल अण्ड गैसट्सटेटेन-वरबेण्ड नार्डमीन ई वी होफकाम्प 20,42103 वुपंटल अगस्त, 94 में शिकायत दर्ज कराई | मै. सीता वर्ल्ड ट्रवल इन्डिया (प्रा.) लिमि. 8 अटलांटा बिल्डिंग, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-21 | होटल बिलों का भुगतान नहीं करना | राजदूतावास ने सौहार्दपूर्ण हल निकालने की कोशिश की। इस समय वे भारतीय कम्पनी के साथ सीधे बातचीत कर रहे हैं |
| 7. | मैं. पोलीग्राफ हैंडलगेजेल-साफ्ट कार्लोटेनट्र, 46 10117 बर्लिन फरवरी, 94 में शिकायत दर्ज कराई | मै. प्लेमेग इन्टरनेशनल लिमि. बम्बई | भारतीय कंपनी को दी गई प्रिंटिंग मशीनों के लिए बिलों का भुगतान नहीं करना। | बर्लिन स्थित भारत के राजदूतावास के कार्यालय द्वारा कार्रवाई की गई। |
| 8. | मै. मोड ट्रेंड हमबर्ग अप्रैल, 94 में हमबर्ग स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास को शिकायत प्राप्त हुई | मै. ब्यूटी वीयर्स, बी-92, मालवीयनगर नई दिल्ली | परिधानों का मानक नमूनों के अनुसार नहीं था। | भारतीय कम्पनी ने क्षति स्वीकार कर ली है तथा परस्पर सहमत मुआवजा दिया गया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | कोम्पेनी अल्ट्रामार पोस्ट बाक्स 760660 हमबर्ग अक्तूबर, 94 में शिकायत दर्ज कराई गई | मै. यूफार्मा बम्बई | खराब औषधियां सप्लाई की गई | मामला डी जी एफ टी, नई दिल्ली को भेज दिया गया है |
| 10. | मै. किर्सके सेरिस जीएम बी एच, वोल्फबर्जर स्ट्रीट 9, 83254 ब्रेटब्रुन अप्रैल, 94 में शिकायत दर्ज कराई | मै. रिडी वीयर (प्रा.) लि. 132 डबल रोड, इन्दिरा नगर, बंगलौर | भारतीय कम्पनी द्वारा आर्डर दी गई वस्तुओं के लिए बिल का भुगतान नहीं करना | मामला डी जी एफ टी, नई दिल्ली को भेज दिया गया। |
| 11. | मैं.आई एस फैशन, पोस्ट बाक्स 101950 41019, मोनचेनग्डेबेक फरवरी, 94 में शिकायत दर्ज कराई | मै. अमितारा फेब्रिक्स (प्रा.) लि. गिरगांव रोड बम्बई | जर्मन कम्पनी के लिए सप्लाई की गई बेड लाइनें आंशिक रूप से खराब थी | भारतीय कम्पनी वस्तुएं शीघ्र बदलने लिए सहमत हो गई है या उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी |
| 12. | मै. एच.आर.डब्ल्यू. फिंक जी एम बी एच पोस्ट बाक्स 265, 40702 हिलडेन मई, 94 में शिकायत दर्ज कराई | मै. हुसैन इन्टरनेशनल मुरादाबाद | डिजाइन पंजीकरण अधिकारों का उल्लंघन | मामला वाणिज्य मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय को भेज दिया गया है |
| 13. | मैं. हंस जोचिम टिल्से जी एम बी एच, सोटोरफाली 12, 22529 हमबर्ग फरवरी, 94 में शिकायत प्राप्त हुई। | तेल और प्राकृतिक गैस आयोग देहरादून | ओ एन जी सी के लिए सप्लाई किए गए फालतू पुर्जों के लिए बीजकों का भुगतानद नहीं करना | विवाद निपटा लिया गया है |
| 14. | मै. एच डब्ल्यू एस सोहलेन फेब्रिकेशन जी एम बी एच रेनसट्र 16,66955 पीरमासेन्स सितम्बर, 94 में शिकायत प्राप्त हुई | मै. ताज रेन शूज कम्पनी, 15-16 नौएडा एक्सपोर्ट प्रोमोशन जोन, जिला गाजियाबाद | सप्लाई की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए बीजकों का भुगतान नहीं करना | भारतीय कम्पनी ने आई जी सी सी दिल्ली को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसकी प्रति जर्मन कम्पनी को भेज दी गई है |
| 15. | मै. एम के मिकडेवरट्रीबस अण्ड वरवैतुग्स जी एम बी एच कापेलोंट्र 16 वीस्टेडेन जून, 94 में शिकायत प्राप्त हुई | मै. वृजेश कार्पोरेशन 31 ए मित्तल चैम्बर्स, नारीमन प्वाइंट, बम्बई | भारतीय कम्पनी को दिए गए आर्डर पर उसने कपड़े की वस्तुओं को नहीं भेजा | वस्तुओं की शीघ्र आपूर्ति के लिए भारतीय कम्पनी से अनुरोध किया गया था |
| 16. | मै. डेगमार एरटिंगेर, ब्रेटेस्ट्र 18,90402 नर्नबर्ग मार्च, 94 में शिकायत प्राप्त हुई | मै. माश लेदर एस 72/4, एम आई डी सी गौसारी, पुणे | घटिया किस्म के परिधान सप्लाई किए गए | मामला एक्सपोर्ट लेदर कौंसिल को भेज दिया गया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | डा. एच ब्लेंज रूपरेश्ट 31,87629 फुसेन नवम्बर, 94 में शिकायत प्राप्त हुई | मै. तापिस ओरिएंटल, मथुरा रोड, नई दिल्ली | खरीद के समय सहमत कालीन की वास्तविक किस्म तथा सप्लाई किए गए कालीन के बीच अनुरूपता नहीं होना | फ्रेंकफर्ट स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय को मामला भेज दिया गया |
| 18. | मै. कौफमान एण्ड कम्पनी, काट्रेपेल 2, हमबर्ग स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास की शिकायत प्राप्त हुई | मै. गोपीनाथ ब्रदर्स कत्थावाला लि. 358360 कत्था बाजार बम्बई | जर्मन कम्पनी से निर्यातित रसायनों और रंगों के लिए बकाया ऋणों का भुगतान नहीं करना | हमबर्ग स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास द्वारा कार्रवाई की गई, जिसने बाद में डी जी एफ टी तथा डी वाई (ईडी) विदेश मंत्रालय को भेज दिया |
| 19. | मै. बेकमान एण्ड वागेडीज, पोस्ट बाक्स 1127 46361 बोचूल्ट मार्च, 94 को शिकायत प्राप्त हुई | मै. बोनांजा ओवरसीज (प्रा.) लि. एच. सोमानी मार्ग फोर्ट, बम्बई | भारतीय कम्पनी ने खराब किस्म के धागे की सप्लाई की | भारतीय कम्पनी से विवाद का सौहार्दपूर्ण हल निकालने का अनुरोध किया है |
| 20. | श्री हादी मुर्तजावी वोर्म होल्ज 4-445 421-9 वुपरतल फरवरी, 94 में शिकायत दर्ज हुई | मै. बिग बॉस, 24 डी एस आई डी सी स्कीम 11, ओखला फेज-II, नई दिल्ली | उन वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होना जिनके लिए डी एम 12000 का भुगतान कर दिया गया था | भारतीय कम्पनी से विवाद का सौहार्दपूर्ण हल निकालने का अनुरोध किया है |
| 21. | मै. जेबिंग गैबिंग फेब्रीकेशन-इमपोर्ट-एक्सपोर्ट-श्वार्जवाल्डट्र 16,6476 हीरजेनहैनर 21 अगस्त, 95 को शिकायत दर्ज कराई | मै. जगदीश एम्पोरियम 21 एच भूपालपुर उदयपुर | जर्मनी में माल के पहुंचने के पश्चात् प्रेषित माल में 3 कालीन कम पाए गए, जिनके लिए लदान से पहले ही भुगतान कर दिया गया था | भारतीय कं. ने हमारे फेक्सों का जवाब नहीं दिया इसलिए जर्मन कम्पनी ने एक स्थानीय वकील की सेवाएं ली |
| 22. | श्री गुन्टर सेफार्थ ब्लेंकेनहैमेरट्र 42,41469 न्यूउस 3 जुलाई, 95 को शिकायत दर्ज कराई | मैं. जे. हैण्डीक्राफ्ट 1326, उदयहाऊस, चाणक्य मार्ग, सुभाष चौक, जयपुर | श्री गुन्टर द्वारा फरवरी/मार्च, 94 में दिए गए आर्डर पर खरीदे गए कालीनों की प्राप्ति नहीं हुई | भारतीय कम्पनी 31 दिसम्बर, 95 से पहले माल भेजने या तत्काल धन लौटाने पर सहमत हो गई है |
| 23. | मै. जेब्सेन एण्ड जेब्सेन, पोस्ट बाक्स 103329, 20023 हमबर्ग, सितम्बर, 95 में शिकायत दर्ज कराई | मै. हाई तैसुन मेग्नेटिक्स मारूति हाऊस, आश्रम रोड़, बंगलौर | बिलों का भुगतान नहीं किया | मामला डीजीएफटी को सौंप दिया गया। भारतीय कम्पनी 95 भुगतान का निपटान यथाशीघ्र करने के लिए सहमत हो गई है |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | मै. टूर ट्रेवल गाईड वरलेग जी एम बी एच बोस्टलर चौसी 85–89, हमबर्ग, जनवरी, 95 में शिकायत प्राप्त हुई | मै. कुमार टेक्सीज पेलेस रोड़, कोचीन | विज्ञापन खर्चे का प्राप्त नहीं होना | भारतीय कम्पनी से आर्डर रद्द करने की फीस के मद्देनजर डीएम 150 की न्यूनतम राशि अदा करने के लिए कहा गया है |
| 25. | मै. एस–13112 मासचिने–नबऊ जी एम बी एच माईकेलेटालवेग 9, मार्कटोवरडोर्फ/अलगऊ अगस्त, 95 में शिकायत प्राप्त हुई | मै. आयशर इन्टरनेशनल लि. 14 कामर्शियल काम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली | भारतीय कंपनी द्वारा उन आर्डर दी गई वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करना, जिनके लिए भुगतान कर दिया गया था | भारतीय कंपनी ने अपने दृष्टिकोण से जर्मन कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के संबंध में जवाब दे दिया है |
| 26. | मै. क्रीप्लान किरचेनट्र 7581657 म्युनिक मई, 95 में शिकायत प्राप्त हुई | मै. राजस्थान ब्रेवरीज लि. एशियन हाऊस डी–193, ओखला इन्ड. एरिया नई दिल्ली | जर्मन क. द्वारा एकब्रांड, लोगों और बीयर केन्स डिजाइन के संबंध में बकाया बिल | विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए डी जी एफ टी, वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय कंपनी को सौंप दिया |
| 27. | मै. फ्रेंक एण्ड स्यूसट्र, हौपस्ट्र 60, 74867 निऊनकिरचे अप्रैल, 95 मे शिकायत प्राप्त हुई | मै. इन्डियन आर्टवेयर्स कोर्पो. एम–14 ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली | त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति | विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए लिए भारतीय कंपनी को सौंप दिया गया |
| 28. | श्री नाडेर डेराक्षानी/ श्रीमती इंग्रिद वालिंग एलीगर होहे 2353177 बोन, शिकायत मई, 95 में प्राप्त हुई | मैसर्ज महारानी आर्ट एम्पोरियम, जोधपुर राजस्थान | अधूरे नौवहन के अलावा त्रुटिपूर्ण सामान | भारतीय कंपनी अंत में इस बात पर सहमत हुई कि वह माल भेजेगी |
| 29. | मैसर्स फारफालाना टेक्सटाइल हैंडल्सजीसेल्स–चाफ्ट जी एम बी एच कैसेराले 79,76185 कार्लसरूहे शिकायत अगस्त, 95 में प्राप्त हुई | इलाहाबाद बैंक, इन्टरनेशनल ब्रांच, कलकत्ता | जर्मन कम्पनी द्वारा बुक किए गए आदेशों पर कमीशन की रकम न मिलना | विवाद का हल हो गया है |
| 30. | श्री माथूक स्वेगा स्ट्रासबेरगरस्ट्रा 125, 80809 मुनचेन शिकायत अक्तूबर, 95 में प्राप्त हुई | मैसर्ज आगरा कार्पेट्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट्स, 795–सदर बाजार, आगरा कैंट | त्रुटिपूर्ण कारपेट की सप्लाई | भारतीय कंपनी को भेज दिया गया है |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | मैसर्स बेस्टफार्म बेसिका जी एम बी एच, एम्मेटेमिचर बहन्नोफ, 11,56072 कोबलेंज शिकायत फरवरी, 95 में प्राप्त हुई | मैसर्ज पायनियर आर्ट इण्डिया, 45–प्रिंस रोड़, मुरादाबाद | भारतीय कंपनी द्वारा त्रुटिपूर्ण सामान की आपूर्ति | विवाद हल हो गया है |

**भारत के प्रधान कौंसलावास, हेमबर्ग में गत दो वर्षों के दौरान जर्मन कम्पनियों/उद्यमियों से प्राप्त व्यापारिक शिकायतों की सूची**

| क्र.सं. | जर्मन कम्पनियों/ उद्यमियों के ब्यौरे | भारतीय कंपनियों/ उद्यमियों के ब्यौरे | विवाद की प्रकृति | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री होर्स्ट वारनेके | मैसर्स ओसवाल एम्पोरियम, आगरा | भारत यात्रा के दौरान खरीदे गए माल की देर से सुपुर्दगी | प्रधान कौंसल के प्रयासों से विवाद हल हुआ |
| 2. | श्री गुंतेर होफ्त हाल्स्तेबेक | –वही– | –वही– | –वही– |
| 3. | मैसर्ज ओटीसी ओरियन्ट ट्रांजिट एंड चार्टरिंग, हेम्बर्ग | मैसर्ज यूनिमोडेक्स एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली | संविदात्मक लक्ष्यों की पूर्ति न होना | मिशन दोनों पक्षों से संपर्क बनाए हुए है |
| 4. | मैसर्स जेस्से सीसेन/हार्स | मैसर्स सिंघवी इंटरनेशनल, कलकत्ता | क्षतिग्रस्त खेप की अनियमितता | विवाद को हल किया जा चुका है |
| 5. | मैसर्स कुहलमान वेर्कसा–यग्माशिनेन जीएमबीएच एण्ड कंपनी, के जी, बाद लॉतेरबर्ग | डी जी एस एंड डी, नई दिल्ली | डी जी एस एंड डी ने जर्मन फर्म को एक मशीन का आर्डर दिया था लेकिन सुपुर्दगी के लिए नहीं कहा | मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए मिशन दोनों पक्षों से संपर्क बनाए हुए है |
| 6. | मैसर्स मॉटेरेंड जी एम बी एच हेमबर्ग | मैसर्स ब्यूटी वीपर्स, नई दिल्ली | सुपुर्द किया गया माल अपेक्षित स्तर का नहीं था | भारतीय फर्म ने नुकसान की भरपाई करने से इंकार कर दिया |
| 7. | बुद्लविनि, हेमबर्ग | शार्पइंडस्ट्रीज मुरादाबाद | आर्डर किए गए माल की सुपुर्दगी न होना | विवाद हल कर दिया गया |
| 8. | रोजी एस एंड टार्सटेन कोब्लिश्के | न्यू कश्मीर स्टोर्स, वाराणसी | अग्रिम भुगतान कर दिए जाने पर भी गलीचों की सुपुर्दगी नहीं दी गई | –वही– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | श्री एडुआर्ट क्लाइन, रेप्पेन्सटेट | सिल्वर एंड आर्ट पैलेस, जयपुर | | विवाद हल कर दिया गया है। |
| 10. | मैसर्स सारू जी एम॰ बी एच ब्रेमेर हावेन | मैसर्स केसवान एण्ड संस, कोचीन | सुपुर्द किया गया माल लेडिंग के बिल से भिन्न था। | –वही– |
| 11. | मैसर्स होफर एंड शुल्स टेक्नीकल एक्सपोर्ट्स जी एम बी एच | मैसर्स जोसन ट्रेडिंग कंपनी, बम्बई | भारतीय आपूर्ति कर्ता ने, जो बिल भेजा था, वह बहुत अधिक था | |
| 12. | मैसर्स मार्गिटवूल्फ हेमबर्ग | मैसर्स ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रीज, मुरादाबाद | माल की खेप नहीं भेजी गई | मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए मिशन दोनों पक्षों से संपर्क बनाए हुए है |
| 13. | मैसर्स पॉल मुग्मेनबर्ग, अल्वास्लोट्टे | कुसुम जेम्स, बॉम्बे एंड, ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामरी बॉम्बे | भुगतान न करना | विवाद निपटा दिया गया |
| 14. | मैसर्स कोम्पेनी उल्तरामार स्लेवेर्स एंड कंपनी जीएमबीएच हेमबर्ग | मैसर्स यूफार्मा, बम्बई | खेप में विलम्ब | –वही– |
| 15. | श्री कार्ल त्रोगे | कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम | लांडरी में उनकी कमीज का क्षति–ग्रस्त होना | मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए मिशन दोनों पक्षों से संपर्क बनाए हुए है |
| 16. | मैसर्स एस टी एन एटलस इलैक्ट्रोनिक | शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया | भारतीय कंपनी द्वारा भुगतान न किया जाना | मामला निपट गया है |
| 17. | मैसर्स श्वाब | मैसर्स कृष्णा | | पंचाट ने कृष्णा एंड कंपनी तथा नितिन स्पाइसेज, कोचीन के विरूद्ध निर्णय दिया। |
| 18. | मैसर्स स्टीग्मा आरबेल्तशुत्स जीएम बीएच | मैसर्स आरबेल्ट्स (इंडिया) | भारतीय कंपनी द्वारा विशिष्ट स्टाइल का गैर कानूनी प्रयोग | विवाद हल हो गया है |
| 19. | श्री डिर्क रिश्प्र, हेमबर्ग | कन्कोर्ड नई दिल्ली | भारतीय कंपनी द्वारा खेप न भेजा जाना | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | मैसर्स जेबसेन एंड जेस्सेन | मैसर्स हाइतेसुन मेग्नेटिक्स | भारतीय कंपनी द्वारा भुगतान न किया जाना | |
| 21. | मैसर्स एमेको हान्देल्सूगेसेलशाफ्ट | मैसर्स ईस्ट वेस्ट आवेरसीज | भारतीय कंपनी द्वारा निर्यात निदेशों की गलत सूचना | |

**भारत का प्रधान कॉसलावास फ्रेंकफर्ट में गत दो वर्ष के दौरान जर्मन कंपनियों/उद्यमियों से प्राप्त व्यापार संबंधी शिकायतें।**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 1000/अमरीकी डालर की वापसी न करना | निदेशक टेक्सप्रोसिल द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर राशि लौटा दी गई |
| 2. | रबड़ सेम्पलों तथा मूल सिल्वर पार्ट को वापस न किया जाना | संबंधित भारतीय फर्म को पत्र भेजा गया हल हो गया |
| 3. | कोट किए गए मूल्यों पर स्थिर न रहना। | न्यायिक कारणों से मामले को कान्जेंडिया हेमबर्ग को भेज दिया गया। |
| 4. | सुपुर्दगी के कार्यक्रम पर स्थिर न रहना | मामला संबंधित फर्म को भेजा गया और फिर वाणिज्य मंत्रालय को, मामला निपट गया |
| 5. | घटिया माल की आपूर्ति | जर्मन कंपनी से ब्यौरे मांगे गए हैं |
| 6. | माल की विलंबित आपूर्ति | संबंधित एम्पोरियम से संपर्क करके मामले को निपटा दिया गया है |

**भारत के राजदूतावास, बर्लिन कार्यालय, बर्लिन में पिछले दो वर्षों के दौरान जर्मन कम्पनियों/उद्यमियों से प्राप्त व्यापार संबंधी शिकायतों की सूची**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स मेटलवेर्क वेरदाउ जी एम बी एच, जर्मनी | मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा | ग्रीस स्थित महिन्द्रा संयंत्र से 27 एकर्को की डिलीवरी के संबंध में, भारत से 20 एकर्को के संबंध में कमियों के अलावा संघटकों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पुर्जों के न मिलने के संबंध में। | इस शिकायत की सूचना निदेशक (ई सी यू) विदेश मंत्रालय को संबंधित पार्टी के साथ इस मामले को उठाने के संबंध में दे दी गई है। |

## लौह अयस्क का खनन

*215. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह अयस्क खनन संबंधी दर्जा-सह-नीतिगत पत्र तैयार करने हेतु एक कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन का क्या आधार है, क्या बैलाडिला और कुमारस्वामी खान संबंधी विवाद के कारण इसका गठन आवश्यक हो गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यदल ने खानों को पट्टे पर देने से पूर्व अनुपालन हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक इस बारे में निर्णय लिये जाने और इसे क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

## विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की काउंटर गारंटी

*216. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**श्री सुल्तान सलाउदीन ओवेसी :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में विद्युत परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी देने की परिपाटी बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक से विद्युत परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी देने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है;

(ङ) काउंटर गारंटी देने के लिए विश्व बैंक की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने विश्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों की जांच करके उसके प्रति सहमति दे दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) :** (क) और (ख). भारत सरकार (जी ओ आई) ने आठ प्रारम्भिक फास्ट-ट्रैक परियोजनाओं नामशः दभोल (675 मेगावाट), इब घाटी यूनिट-3 व 4 (420 मेगावाट), जेगुरूपाडु (216 मेगावाट), गोदावरी (208 मेगावाट), विशाखापत्तनम (1000 मे.वा.), मंगलौर (1000 मेगावाट) और भद्रावती (1072 मेगावाट) विद्युत परियोजनाओं के अलावा भारत सरकार की काउंटर गारंटी की सुविधा प्रदान न किए जाने का निर्णय लिया है।

(ग) से (छ). विश्व बैंक की गारंटी स्कीम प्रचालनाधीन है। विश्व बैंक की शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) जी ओ आई की बैक-अप काउंटर गारंटी।

(2) परियोजना का बैंक के मानक मूल्यांकन मानदण्ड के अनुरूप होना।

(3) गारंटी फीस का भुगतान किया जाना।

भारतीय निजी विद्युत क्षेत्र के लिए गारंटी स्कीम और तौर-तरीकों को अंतिम रूप, विश्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात दिया जाएगा।

## सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम परियोजनाओं का कार्यकरण

*217. **श्री शांताराम पोतदुखे :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम परियोजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा हेतु कोई तकनीकी समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. चगन्नाथ मिश्र) :** (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए अप्रैल, 1993 में प्रो. सी.एच. हनुमंतराव, भूतपूर्व सदस्य योजना आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया था।

(ख) अप्रैल, 1994 में समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशों में हैं :—

1. इन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में भूमि, पानी और वनस्पति संसाधनों का सुचारू प्रबंध, विकास और उपयोग वाटरशेड आधार पर होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए वाटरशेड विकास परियोजनाएं, जिनमें लगभग प्रत्येक में 500 हेक्टेयर लघु वाटरशेड शामिल होंगे, भूमि के उपचार के लिए शुरू की जाएंगी।
2. वाटरशेड उपचार योजना में निजी, जांच की सामूहिक, राजस्व और निम्न श्रेणी की वन भूमि सहित सभी क्षेत्रियों

की भूमि शामिल होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, चुने गए वाटरशेड में एक गांव/बस्ती शामिल होनी चाहिए।

3. वाटरशेड विकास परियोजनाएं लाभार्थियों की समग्र भागीदारी से कार्यान्वित की जानी चाहिए। लोगों द्वारा अपनी नीतियों और उनकी अपनी घरेलू प्रौद्योगिकियों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

4. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को मंत्रालय के विभिन्न संभागों और साथ ही संबंधित मंत्रालयों के बीच प्रभावी तालमेल बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। मंत्रालय को विभिन्न एजेंसियों के अन्तर्गत चल रहे कार्यक्रमों के बीच एकरूपता लाने के लिए मार्गदर्शिकाएं भी तैयार करनी चाहिए और वाटरशेड विकास योजनाएं तैयार करने के लिए प्रशिक्षण के मॉडल शुरू करने चाहिए।

5. परियोजना के घटक पूर्व निर्धारित नहीं होने चाहिए। इसमें पूर्ण लोचशीलता होनी चाहिए और घटकों के वास्तविक विकल्प लाभार्थियों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार की गई वाटरशेड योजनाओं में से उभरकर आने चाहिए।

6. समिति वाटरशेड विकास परियोजनाओं को योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने में स्थानीय जन-भागीदारी को विभिन्न स्तरों पर बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक तंत्र की सिफारिश करती है।

7. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम को तैयार करने और कार्यान्वित करने में स्वयंसेवी भावना को बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयास और ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

8. वाटरशेड समुदाय द्वारा कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित ढांचों के रखरखाव के लिए एक पहले से बनाया गया तंत्र होना चाहिए।

9. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय को इन कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान और विकास सहायता मुहैया कराने हेतु अनुसंधान संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए।

10. सूखाग्रस्त कार्यक्रम/मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों/खण्डों को शामिल करने के लिए समिति ने तीन परिस्थितिक प्रणालियों, जिनका निर्धारण नमी सूचकांक के आधार पर किया जाता है, में सकल बुआई क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत के निम्नलिखित मानदण्ड की सिफारिश की है :—

| नमी सूचकांक | अनुमेय कार्यक्रम | पारिस्थितकीय प्रणाली | जिला खण्ड को शामिल करने हेतु सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 66.7 | मरूभूमि विकास कार्यक्रम | शुष्क | 50% तक 30% तक |
| 66.6 | सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम | शुष्क | 40% तक 20% तक |
| -33.3 तक | | | |
| -33.2 से 0 तक | -वही- | शुष्क अर्द्ध-नम | 30% तक 15% तक |

11. समिति ने सिफारिश की है कि 1995-96 से वित्त-पोषण केवल परियोजना के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार नए कार्यक्रम 1995-96 से लागू होंगे।

12. केन्द्रीय/राज्य/जिला/वाटरशेड स्तर पर समन्वय लाने के उद्देश्य से इन सभी स्तरों पर उपयुक्त कार्यान्वयन और समीक्षा समितियों की सिफारिश की जाती है।

(ग) तकनीकी समिति की सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है और निम्नलिखित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है :—

1. हनुमंतराव समिति द्वारा सुझायी गई शर्तों के अनुसरण में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करने हेतु अतिरिक्त जिलों और खंडों का चयन किया गया है। 1995-96 से सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों और खण्डों की कुल संख्या को बढ़ाकर क्रमशः 96 से 627 और 149 से 946 कर दिया गया है। इसी प्रकार, मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों और खण्डों की संख्या को 21 जिलों तथा 131 खण्डों की पूर्व कवरेज की तुलना में बढ़ाकर क्रमशः 36 और 227 कर दिया गया है।

2. तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम और बंजरभूमि क्षेत्रों में वाटरशेड विकास के लिए सामान्य मार्गदर्शिकाओं का एक नया सेट अप्रैल, 1995 से कार्यान्वयन हेतु सभी

संबंधित राज्य सरकारों को जारी किया गया है। 1995-96 के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम निधियों को कार्यक्रम खण्डों में विशेष रूप से वाटरशेड आधार पर परियोजनाएं शुरू करने के लिए रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा, मार्गदर्शिकाओं में वाटरशेड विकास सहित गहन जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना की 50 प्रतिशत निधियों के उपयोग की परिकल्पना की गई है। वाटरशेड विकास में शामिल मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के बीच प्रभावी समन्वय हेतु मंत्रालय में क्षेत्र विकास हेतु समन्वय, जांच और समीक्षा की एक समिति का गठन किया गया है। समिति, वाटरशेड विकास की नीति में एकरूपता लाने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ भी संपर्क स्थापित कर रही है।

3. वाटरशेड विकास की नई मार्गदर्शिकाओं में वाटरशेड विकास परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय और गैर-सरकारी संगठनों की प्रभावी भागीदारी हेतु व्यापक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था है। इस प्रयोजन हेतु कार्यों के निष्पादन हेतु वाटर शेड समुदाय को कुल निधियों का 80 प्रतिशत दिया जाएगा।

4. वाटरशेड विकास पर जिला स्तर अधिकारियों अर्थात् कलेक्टरों, परियोजना अधिकारियों/मुख्य विकास अधिकारियों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से आरंभ किए गए हैं। संस्थान कार्यक्रम वाले राज्यों की चुनी हुई संस्थाओं के प्रशिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो बाद में विभिन्न स्तरों पर फील्ड कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। इस उद्देश्य के लिए सभी राज्यों को यह सलाह दी गई है कि वे योग्य संस्थाओं का चयन करें तथा इन संस्थाओं से प्रशिक्षण को प्रशिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के लिए नामित करें।

5. राज्यों से 1995-96 के दौरान शुरू की जाने वाली वाटरशेड विकास योजनाओं को जारी की गई नई मार्गदर्शिकाओं के अनुसार तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

6. राज्यों से राज्य स्तरीय वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं समीक्षा समिति जिला वाटरशेड विकास सलाहकार समिति गठित करने तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों एवं वाटरशेड परियोजनाओं के विकास के लिए गांवों का चयन करने का अनुरोध किया गया है।

7. 1995-96 के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के आवंटनों को कार्यक्रम खण्डों के विभिन्न आकार-समूहों में शुरू की जाने वाली वाटरशेड परियोजनाओं की संख्या को देखते हुए किया जाता है।

8. मंत्रालय ने मरूभूमि विकास कार्यक्रम को अनुसंधान और विकास की जानकारी प्रदान करने हेतु शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के साथ संबंध स्थापित किया है। अन्य राष्ट्रीय संगठनों जैसे केन्द्रीय शुष्कभूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (हैदराबाद), केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (जोधपुर), केन्द्रीय भूमि जल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (देहरादून), क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (लेह-लद्दाख) आदि से आवश्यक तकनीकी निवेश का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

## भारतीय शिपयार्ड

*218. **श्री मोहन रावले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र की नौवहन कंपनियों ने पोत निर्माण हेतु इंडियन शिप बिल्डिंग यार्ड को कितने क्रयादेश दिए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष सरकारी क्षेत्र की नौवहन कंपनियों ने कितने पोत खरीदे और उन शिपयार्डों (भारतीय तथा विदेशी) के नाम क्या हैं जिनसे इन पोतों की खरीद की गई;

(ग) विदेशी शिपयार्डों से इन पोतों की खरीद में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(घ) भारतीय शिपयार्डों की बजाय विदेशी शिपयार्डों से पोत खरीदने के क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय शिपयार्डों के कार्यनिष्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के नौवहन क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय नौवहन निगम (भा.नौ.नि.) ही एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। गत तीन वर्षों के दौरान भा.नौ.नि. ने किसी भारतीय शिपयार्ड को कोई आर्डर नहीं दिया है।

(ख) भा.नौ.नि. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय शिपयार्डों से 2 जलयान और विदेशी जलयानों से 9 जलयान खरीदे हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

**भारतीय शिपयार्ड**

| वर्ष | जलयान का नाम | शिपयार्ड का नाम |
|---|---|---|
| 1992-93 | एम टी जवाहर लाल नेहरू | कोचीन शिपयार्ड लि, कोचीन। |
| 1993-94 | एम वी लोक प्रताप | हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम। |

**विदेशी शिपयार्ड**

| वर्ष | जलयान का नाम | शिपयार्ड एवं देश का नाम |
|---|---|---|
| 1992-93 | एम.वी. पलानिमलै | एस्टीलेरीज, स्पेन। |
| 1993-94 | (i) एम.वी. लाल बहादुर शास्त्री | हिउण्डर्ड हैवी इंडस्ट्रीज लि., कोरिया। |
| | (ii) एम वी. इंदिरा गांधी | |
| | (iii) एम.वी. राजीव गांधी | |
| | (iv) एम.टी. रवीन्द्रनाथ टैगोर | हंजिन हैवी इंडस्ट्रीज कम्पनी लि., कोरिया। |
| | (v) एम.टी. बंकिम चन्द्र चटर्जी | |
| 1994-95 | (i) एम टी अंकलेषवर | सेमसंग हैवी इंडस्ट्रीज कम्पनी लि, कोरिया। |
| | (ii) एम.टी. गन्धार | |
| | (iii) एम टी महाराजा अग्रसेन | हिउण्डर्ड हैवी इंडस्ट्रीज कम्पनी लि., कोरिया। |

(ग) भा.नौ.नि. द्वारा विदेशी शिपयार्डों से खरीदे गए जलयानों के लिए भुगतान किया गया कुल मूल्य 443.15 मिलियन अमरीकी डालर है और इस पूर्ण राशि का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया था।

(घ) भा.नौ.नि. नवनिर्मित टनेज की खरीद के लिए विश्वव्यापी निविदा प्रक्रिया का अनुकरण करता है भारतीय शिपयार्ड इन निविदाओं में भाग ले सकते हैं। तथापि, आर्डर उन्हीं शिपयार्डों को दिए जाते हैं जो तकनीकी तौर पर और आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक होते हैं। भारतीय शिपयार्डों के मामले में, यदि वे प्रतिस्पर्द्धात्मक हैं तो उन्हें आर्डर दिए जा सकते हैं। तथापि, भारतीय शिपयार्डों ने गत तीन वर्षों के दौरान इन निविदाओं में भाग नहीं लिया था।

(ङ) भारतीय शिपयार्डों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) समुद्रगामी पोतों के मूल्य निर्धारण फार्मूले को संशोधित किया गया है। इसमें 30 प्रतिशत सब्सिडी (20 प्रतिशत सरकार द्वारा और 10 प्रतिशत पोत मालिक द्वारा देय) शामिल है।

(ii) भारतीय शिपयार्डों को आर्डर देने वाली नौवहन कम्पनियों के लिए पोत की लागत के 80 प्रतिशत तक 9 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण।

(iii) अमरीकी डालर/जापानी येन के संदर्भ में मूल्य निर्धारण तथा पोत मालिक, भुगतान की वास्तविक तारीख को जारी विदेशी मुद्रा की बाजार निर्धारित समता दर पर शिपयार्ड को किस्त में प्रत्येक स्तर का भुगतान करेगा।

सितम्बर, 1993 में घोषित ये उपाय 2 वर्ष की अवधि के लिए थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भी शुरू किए गए हैं :—

(एक) सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों का आधुनिकीकरण तथा सुविधाओं का विस्तार।

(दो) शिपयार्डो को उत्पादकता में सुधार के लिए कंप्यूटर की सहायता से तैयार डिजाइन (सी ए डी), कंप्यूटर की सहायता से विनिर्माण (सी ए एम) जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने, ड्रिल पोतों, तेल टैंकरों, बल्क कैरियरों/यात्री जलयानों, युद्ध पोतों जैसे आधुनिक पोतों, पनडुब्बियों, अपतटीय प्लेट फार्मों आदि के निर्माण के लिए प्लाज्मा कटिंग मशीनों, एक पक्षीय वैल्डिंग मशीनों आदि के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(तीन) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों की पूंजीगत पुनर्संरचना।

इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड नए पोतों के लिए आर्डर प्राप्त कर सके हैं और इससे आर्डर बुक स्थिति में सुधार हुआ है।

## एन.एम.डी.सी. द्वारा विशाखापत्तनम में उच्च प्रौद्योगिकी परियोजना

*219. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.एम.डी.सी. का "अल्ट्रा प्योर फैरिक ऑक्साइड" के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु विशाखापत्तनम में उच्च प्रौद्योगिकी परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परियोजना अमरीकी फर्म के सहयोग से स्थापित की जाएगी;

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इसमें प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) और (ख). अल्ट्रा प्योर फैरिक आक्साइड का वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए संयत्र स्थापित करने हेतु प्रौद्योगिकी जानकारी, जिसमें उपस्करों की सप्लाई संयंत्र स्थापित करना तथा चालू करना शामिल है, के हस्तान्तरण के लिए मैसर्स इन्टरनेशनल स्टील सर्विसेज इंक (आइ.एस.एस. आई.), पिटट्सबर्ग, यू.एस.ए. के साथ करार करने के लिए सरकार ने हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) हैदराबाद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संयंत्र का प्रस्तावित स्थान आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम होगा।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 47.93 करोड़ रुपए है तथा 90 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर अल्ट्रा प्योर फैरिक आक्साइड का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 6,000 मीट्रिक टन है।

(घ) सहयोग करार की तारीख, 11.8.1995 से 28 माह के भीतर परियोजना के पूरा होने की सम्भावना है।

## नई विद्युत नीति

*220. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई विद्युत नीति को अंतिम रूप देने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन सी विदेशी कम्पनियां सम्मिलित हैं;

(ग) नई विद्युत नीति को कब तक घोषित और कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) :** (क) से (घ). विद्युत उत्पादन और वितरण में क्षमता अभिवृद्धि हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में निधियों की कमी के सन्दर्भ में, विद्युत उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए अक्तूबर, 1991 में एक नीति तैयार की गई थी, जो कि इस समय क्रियान्वयनाधीन है। इस नीति में विदेशी कम्पनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान है :—

- यह सुनिश्चित करना कि निजी उद्यमी क्षेत्र में संसाधनों में वृद्धि करें, जोकि परियोजना के लिए कुल परिव्यय के 60 प्रतिशत से कम न हो और जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के अलावा अन्य स्रोतों से जुटाया गया हो।
- विदेशी निजी निवेशकों द्वारा अधिष्ठापित परियोजनाओं के लिए सौ प्रतिशत (100%) तक विदेशी इक्विटी भागीदारी को सहमति प्रदान की जा सकती है।
- विदेशी इक्विटी के भाग के लिए 167 तक के लाभांश को निर्धारित पूंजी की मुद्रा में उल्लिखित किया जा सकता है, ताकि इसे विदेशी विनियम में होने वाले उतार-चढ़ावों से बचाया जा सके।

बदलती हुई आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए यह नीति समय-समय पर संशोधित की जाती है। भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 37,503 मेगावाट की कुल क्षमता अभिवृद्धि हेतु लगभग 1,46,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अब तक निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश वाली (एन आर आई और संयुक्त उद्यम प्रस्तावों समेत) 52 विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

## भूमि चकबन्दी अधिनियम, 1960

2154. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के संबंध में भूमि चकबन्दी अधिनियम, 1960 में संशोधन करने को कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संभावना है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि चकबन्दी अधिनियम, 1960 में संशोधन करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## रिहायशी इकाइयों का निर्माण

2155. **श्री महेश कनोडिया :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों के लिये राज्यवार कितनी रिहायशी इकाइयों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी और अधिक रिहायशी इकाइयों के निर्माण का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). जी, हां। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए 10 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव है। इन दस लाख मकानों में से 6 लाख मकान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए बनाये जायेंगे।

[अनुवाद]

## गरीबी उन्मूलन योजनाएं

**2156. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गरीबी उन्मूलन योजनाओं में गैर-सरकारी भागीदारी को आमंत्रित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) और (ख). विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे दो प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व-डिप्टी गवर्नर श्री डी.आर. मेहता की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि छोटे आई.टी.आई. तथा ग्रामीण पोलीटेक्निकों की स्थापना के काम में निजी क्षेत्र को लाभकारी रूप में जोड़ने का सुझाव दिया है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने इस सिफारिश पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राज्य सरकारों से निजी क्षेत्र को इस काम में शामिल करने की संभाविता का पता लगाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का एक सार्थक मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण कार्य हेतु निजी स्वतंत्र और प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों को आमंत्रित किया है।

## "कापार्ट" के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

**2157. श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कापार्ट" की स्थापना के पश्चात् इसके अंतर्गत केरल में कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) केरल राज्य में उन एजेन्सियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें "कापार्ट" द्वारा सहायता प्रदान की गई है और ये कहां-कहां पर स्थित हैं; और

(ग) उनमें से प्रत्येक एजेंसी के लिए अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है और कितनी राशि जारी की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) से (ग). कापार्ट द्वारा इसके आरम्भ होने से लेकर 30.9.1995 तक केरल राज्य में सहायता की गई स्वंयसेवी एजेन्सियों की संख्या, स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत राशि और उन्हें रिलीज की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

**केरल में आरम्भ से लेकर 30 सितम्बर, 1995 तक स्वंयसेवी एजेन्सियों को स्वीकृत परियोजना के जिलावार ब्यौरे**

| जिला | एजेन्सियों की संख्या | परियोजनाओं की सं. | स्वीकृत राशि | रिलीज की गई राशि (लाख रु. में) |
|---|---|---|---|---|
| तिरूवनन्तपुरम | 74 | 160 | 483.74 | 288.06 |
| वायानाद | 9 | 19 | 59.98 | 40.62 |
| क्वीलोन | 22 | 42 | 88.85 | 47.38 |
| एलीपी | 6 | 14 | 31.06 | 15.61 |
| पालघाट | 4 | 4 | 20.22 | 7.52 |
| कोट्टायम | 17 | 51 | 165.21 | 116.11 |
| इडुक्की | 11 | 29 | 68.25 | 41.86 |
| कन्नानौर | 2 | 2 | 3.97 | 1.60 |
| कालीकट | 6 | 6 | 17.21 | 12.88 |
| एर्नाकुलम | 12 | 5 | 29.44 | 22.38 |
| पठानीहिता | 15 | 39 | 77.85 | 54.75 |
| त्रिचूर | 5 | 23 | 74.30 | 52.39 |
| मालापरम | 1 | 2 | 1.33 | 1.33 |
| कासरगौड | 1 | 1 | 1.30 | 1.13 |
| कुल | 185 | 407 | 1046.71 | 703.62 |

## मास्को में भारतीय

**2158. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारियों और अन्य लोगों सहित कितने भारतीय मास्को में रह रहे हैं;

(ख) क्या वहां रह रहे भारतीय व्यापारियों को स्थानीय अपराधियों से कोई खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) प्राप्त सूचना के अनुसार अनुमान है कि लगभग 6000 भारतीय, जिनमें व्यापारी तथा लगभग 450 फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, इस समय मास्को में रह रहे हैं।

(ख) और (ग). सामान्य तौर पर भारतीय समुदाय को अथवा विशेष तौर पर भारतीय व्यापारियों को कोई विशिष्ट खतरा नहीं है। बहरहाल, मास्को के अन्य निवासियों के साथ भारतीय समुदाय भी कानून और व्यवस्था की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों से सामान्य रूप

से किसी न किसी तरह प्रभावित होते रहे हैं। मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास भारतीय समुदाय के बराबर संपर्क में रहता है जिनमें व्यापारी, छात्र तथा सामाजिक संगठन शामिल हैं तथा भारतीय राजदूतावास उनके हित कल्याण का सुनिश्चिय करने के लिए प्रयास करता है।

## केरल में पासपोर्ट कार्यालय

**2159. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट, कोचीन और तिरूअनन्तपुरम स्थित पासपोर्ट कार्यालय में लंबित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1994 के दौरान प्रत्येक कार्यालय द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किये गये;

(ग) क्या इन कार्यालयों में कार्य-भार को निपटाने के लिये पर्याप्त कर्मचारी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) और (ख). वर्ष 1994 के दौरान कोचीन, कालीकट (कोजीकोड) तथा तिरूअनन्तपुरम में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी पासपोर्टों की कुल संख्या तथा 4 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार इन पासपोर्ट कार्यालयों में लम्बित आवेदनों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

| पासपोर्ट कार्यालय | 4.12.1995 की स्थिति के अनुसार लम्बित पासपोर्ट | वर्ष 1994 के दौरान जारी किए गए पासपोर्टों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| कोजीकोड (कालीकट) | 22,576 | 1,79,074 |
| कोचीन | 9,866 | 99,410 |
| तिरूअनन्तपुरम | 11,650 | 97,022 |

(ग) इन पासपोर्ट कार्यालयों में तैनात कर्मचारी कार्यभार का निपटान करने के लिए पर्याप्त हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## दिल्ली परिवहन निगम को प्राप्त हुए पत्र

**2160. श्री अमर रायप्रधान :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1995 से 30 नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन के कार्यालय में विभिन्न "आवासी कल्याण संघों" से कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त कार्यालय/अधिकारी द्वारा अभी तक कितने पत्रों की पावती नहीं भेजी गई;

(ग) कितने पत्रों का अभी तक अंतिम उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) क्या सरकार का क्षेत्रीय कल्याण संघों से प्राप्त हुए पत्रों की पावती/उत्तर न भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) 34

(ख) और (ग). 32 पत्रों के संबंध में अंतिम उत्तर पहले ही भेजे जा चुके हैं। शेष 2 पत्रों के संबंध में दिल्ली परिवहन निगम में कार्रवाई की जा रही है क्योंकि ये पत्र दि.प.नि. को नवम्बर, 1995 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुए थे।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

## राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 को चौड़ा करना

**2161. श्री पवन कुमार बंसल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 29 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1407 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 को चौड़ा किये जाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) दिल्ली तथा अमृतसर के बीच सड़क को पूर्णरूप से चार लेनों वाला बनाने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) राष्ट्रीय राजमार्ग से. 1 को दिल्ली से अमृतसर तक चार लेन का बनाने में हुई प्रगति की स्थिति इस प्रकार है :—

| क्र.स. | कार्य का नाम | प्रगति/पूरा करने का लक्षित तारीख |
|---|---|---|
| 1. | 0.00 से 50 कि.मी. (दिल्ली से मुरथल) | पहले से ही चार लेन का है। |
| 2. | 50 से 74.8 कि.मी. (मुरथल से समालखा) | पूरा होने वाला है। |
| 3. | 74.8 से 130 कि.मी. (समालखा से करनाल) | घटिया कार्य निष्पादन के कारण ठेकेदार को हटा दिया गया है और राज्य लो.नि.वि. इस कार्य को पूरा करने के लिए आगे कार्रवाई कर रहा है। |
| 4. | 130 से 252 कि.मी. (करनाल से सरहिन्द) | प्रगति पर है। 3/99 तक पूरा हो जाने की संभावना है। |
| 5. | 252 से 372 कि.मी. (सरहिन्द से जालंधर) | अभी हाल में पूरा किया गया है। |
| 6. | 372 कि.मी. से आगे (जालंधर से अमृतसर) | फिलहाल इस खण्ड को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। |

(ख) अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि दिल्ली और अमृतसर के बीच चार लेन बनाने का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

## भारत-फ्रांस संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक का रद्द किया जाना

**2162. श्री राम नाईक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 22-23 नवम्बर, 1995 को बुलाई गई भारत-फ्रांस संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त बैठक को रद्द किए जाने पर फ्रांस ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) से (घ). सरकार ने फ्रांस के प्राधिकारियों को इस बात की सूचना दे दी है कि संयुक्त आयोग की बैठक अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त कार्यक्रम तय किए जाने तक आस्थिगित की जा रही है। दोनों सरकारें इस मुद्दे पर बराबर संपर्क बनाए रखने के लिए सहमत हैं।

## पासपोर्ट कार्यालयों में रिक्त पद

**2163. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक पासपोर्ट कार्यालयों में अनेक पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 1 जनवरी, 1995 से आज तक और पिछले दो वर्षों की इसी अवधि के दौरान जारी पासपोर्टों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) और (ख). जी, हां। यह सच है कि विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में कुछ पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) कर्मचारी चयन आयोग को अवर श्रेणी लिपिक के 147 पदों तथा आशुलिपिक के 23 पदों के लिए मांगपत्र भेजा जा चुका है। अधिकारियों के स्तर पर कुछ पद रिक्त रहेंगे क्योंकि अगले उच्चतर पदों पर पदोन्नत किए जाने के लिए ऐसे अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, जिन्होंने अपेक्षित सेवा अवधि पूरी कर ली हो। यह स्थिति पासपोर्ट अधिकारी, सहायक पासपोर्ट अधिकारी और जन संपर्क अधिकारी के कुछ रिक्त पदों की है। कुछ वर्षों में इस स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

(घ) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। जहां तक 1 जनवरी, 1995 से आज तक के तुलनात्मक आंकड़ों का प्रश्न है, संबद्ध सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**विवरण-I**

| ग्रेड | स्वीकृत पदों की संख्या | भरे हुए पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| पासपोर्ट अधिकारी | 16 | 11 | 5 |
| सहायक पासपोर्ट अधिकारी | 25 | 1 | 24 |
| जन संपर्क अधिकारी | 48 | 34 | 1 |
| अधीक्षक | 61 | 66 | -5 |
| सहायक | 172 | 173 | -1 |
| हिन्दी अनुवादक | 15 | - | 15 |
| उच्च श्रेणी लिपिक | 341 | 335 | 6 |
| अवर श्रेणी लिपिक | 965 | 743 | 222 |
| आशुलिपिक | 31 | 8 | 23 |
| ड्राईवर | 18 | 12 | 6 |
| समूह "घ" के कर्मचारी | 181 | 158 | 23 |
| योग | 1873 | 1541 | 332 |

**विवरण-II**

**1993 और 1994 के दौरान सभी पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या**

| | | 1993 | 1994 |
|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 |
| 1. | अहमदाबाद | 124080 | 160000 |
| 2. | बंगलौर | 104068 | 77646 |
| 3. | बरेली | 61906 | 40154 |
| 4. | भोपाल | 26410 | 20690 |
| 5. | भुवनेश्वर | 11114 | 7706 |
| 6. | बम्बई | 209480 | 208282 |
| 7. | कलकत्ता | 51720 | 43753 |
| 8. | चण्डीगढ़ | 95554 | 95236 |
| 9. | कोचीन | 183535 | 99410 |
| 10. | दिल्ली | 128186 | 108249 |

| | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 11. | गोवा | 16015 | 13681 |
| 12. | गुवाहाटी | 9358 | 7423 |
| 13. | हैदराबाद | 215090 | 141610 |
| 14. | जयपुर | 106104 | 65127 |
| 15. | जालंधर | 110070 | 111002 |
| 16. | कोजीकोड़ | 341000 | 179074 |
| 17. | लखनऊ | 138457 | 117649 |
| 18. | मद्रास | 188416 | 134949 |
| 19. | नागपुर | 12890 | 9755 |
| 20. | पटना | 46661 | 70500 |
| 21. | त्रिची | 334847 | 201055 |
| 22. | त्रिवेन्द्रम | 194319 | 97022 |
| 23. | जम्मू* | | 1431 |
| | | 2709280 | 2011404 |

* जम्मू पासपोर्ट कार्यालय 31.3.94 को खोला गया था।

## राजस्थान में धनराशियों का आबंटन

**2164. श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने ग्रामीण विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशियों के और आबंटन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य को कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ( ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) और (ख). 1992-93 और 1993-94 के दौरान राजस्थान सरकार ने जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियों के लिए कहा था। 1992-93 और 1993-94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को रिलीज की गई अतिरिक्त राशि निम्न प्रकार थी :—

| | उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त निधियां (लाख रुपये में) | |
|---|---|---|
| वर्ष | जवाहर रोजगार योजना | समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम |
| 1992-93 | 2135.21 | 96.27 |
| 1993-94 | 774.00 | 113.17 |

तथापि, 1994-95 के दौरान राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी गई थी।

## गांवों में स्वच्छ पेयजल योजना

**2165. श्री धर्मभिक्षम :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्यवार कितने गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं हैं; और

(ख) इन गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क). 1.11.95 तक स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के अन्तर्गत शामिल न हो पाई बस्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) इन बस्तियों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए किए गए उपायों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम एवं राज्य क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार करने, योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति देने, वित्तीय संसाधनों का प्रावधान करने के साथ-साथ इसकी प्रगति इत्यादि की समीक्षा/निगरानी करना शामिल है।

**विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1.11.95 तक स्वच्छ पेयजल के अन्तर्गत शामिल न हो पाई बस्तियां/ गांवों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 733 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 287 |
| 3. | असम | 12648 |
| 4. | बिहार | 20251 |
| 5. | गोवा | 56 |
| 6. | गुजरात | 1096 |
| 7. | हरियाणा | 0 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 5453 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 1165 |
| 10. | कर्नाटक | 5710 |
| 11. | केरल | 1138 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 7786 |
| 13. | महाराष्ट्र | 0 |
| 14. | मणिपुर | 495 |
| 15. | मेघालय | 1272 |
| 16. | मिजोरम | 38 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | नागालैंड | 358 |
| 18. | उड़ीसा | 2625 |
| 19. | पंजाब | 5529 |
| 20. | राजस्थान | 13462 |
| 21. | सिक्किम | 63 |
| 22. | तमिलनाडु | 28 |
| 23. | त्रिपुरा | 907 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 15347 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 533 |
| 26. | अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह | 11 |
| 27. | दादरा व नगर हवेली | 0 |
| 28. | दमन व दीव | 0 |
| 29. | दिल्ली | 1 |
| 30. | लक्षद्वीप | 0 |
| 31. | पांडिचेरी | 0 |
| | कुल | 96992 |

## मुक्त पत्तन के रूप में गोवा

**2166. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गोवा को मुक्त पत्तन के रूप में विकसित करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और राष्ट्र एवं गोवा की अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे;

(ग) सरकार कब तक इस मामले पर अपना निर्णय ले लेगी;

(घ) इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार के क्या विचार हैं;

(ङ) क्या सरकार ने संबंधित एजेन्सियों से प्रस्ताव पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) से (च). भारत में एक मुक्त पत्तन स्थापित करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता की जांच करने के लिए गठित रौनक सिंह समिति द्वारा मार्च, 1992 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में उपयुक्त स्थान के रूप में गोवा की सिफारिश की गई थी। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**[हिन्दी]**

## मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैलाडोला खान के संबंध में की गई सिफारिशें

**2167. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने बैलाडोला खान को निजी कम्पनी को सौंपे जाने के प्रस्ताव के संबंध में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या एन.एम.डी.सी. के साथ हुए पट्टा करार में किसी प्रकार का संशोधन करने से पूर्व नए सिरे से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने की औपचारिकता को पूरा करना बाध्यकारी है;

(घ) इस प्रक्रिया से संबंधित खान अधिनियम के उपबंध क्या हैं;

(ङ) क्या उपबंधों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) नेशनल मिनरल डेवलपेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) ने बेलडिला लौह अयस्क निक्षेप II-बी का खनन पट्टा संयुक्त उद्यम कम्पनी के पक्ष में हस्तान्तरित करने के लिए 30.8.95 को समाहर्ता, जिला बस्तर, मध्य प्रदेश को आवेदन दिया था। राज्य सरकार ने एन.एम.डी.सी. तथा संयुक्त उद्यम कम्पनी के प्रबंधनों को लिखे अपने दिनांक 24.11.95 के पत्र के तहत उक्त पत्र में उल्लिखित प्रस्तावों के संबंध में उनका उत्तर मांगा है।

(ख) से (च). उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

## "एपेक" की सदस्यता

**2168. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित "दी आब्जर्वर ऑफ बिजनेस एण्ड पोलिटिक्स" के 21 नवम्बर, 1995 के अंक में "इग्जीक्यूशन फ्राम एपेक टू हिट इंडिया हार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के संबंध में तथ्य क्या हैं तथा सरकार की उस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत द्वारा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) की सदस्यता प्राप्त करने की बात इस समय किस स्थिति में है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) और (ख). 17 नवम्बर, 1995 को आस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट आफ इन्टरनेशनल अफेयर्स तथा नेशनल सेन्टर फार साउथ एशियन स्टेडिज द्वारा मेलबोर्न में "भारत की विदेश तथा आर्थिक नीतियां" विषय पर आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए आस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर ने ए पी ई सी में भारत को शामिल करने के सम्भावित लागत लाभ अथवा अन्यथा को रेखांकित किया था तथा उन्होंने भारत और ए पी ई सी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मौजूद सह-क्रियाओं पर बल देते हुए कहा कि इन्हें और आगे विकसित किया जा सकता है।

(ग) भारत ने एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (ए पी ई सी) के सदस्यों को औपचारिक रूप से इस बात से अवगत करा दिया है कि वह एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध होना चाहता है और उसकी गतिविधियों में भाग लेना चाहता है। नवम्बर, 1993 में सीटल में सम्पन्न हुई एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग की मंत्रीस्तरीय बैठक में एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग में अतिरिक्त सदस्यों के प्रवेश पर तीन साल का प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को देखते हुए भारत तथा अन्य नए सदस्यों के प्रवेश पर केवल 1997 में ही विचार किया जा सकेगा।

## आंध्र प्रदेश में आवास इकाइयां

**2169. श्री जे. चोक्का राव** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इन्दिरा आवास योजना" के अंतर्गत 1994-95 के दौरान और अब तक आंध्र प्रदेश राज्य में कितनी आवास इकाइयां स्वीकृत की गयी हैं;

(ख) क्या हाल ही में आए तूफान से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोई अतिरिक्त आवास इकाइयां स्वीकृत की गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तूफान पीड़ित व्यक्तियों के लिए आवास के निर्माण हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को कोई धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है और इसके अन्तर्गत कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किया गया?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 1994-95 के लिए 23817 तथा वर्तमान वर्ष के लिए 77642 आवास इकाइयों को निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) और (ग). राज्य में बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 40,000 अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति दी गयी है। इन्दिरा आवास योजना के इन 40,000 आवासों के लिए केन्द्रीय सहायता 40.00 करोड़ रुपये बैठती हैं, जिसमें से 10.00 करोड़ रुपये राज्य को अतिरिक्त साधन के रूप में प्रदान किये जाएंगे। शेष राशि का प्रबंध जवाहर रोजगार योजना के अन्य उप-शीर्षों में से धन का उपयोग कर दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर बाईपास

**2170. श्री ए. चार्ल्स** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर बाईपास के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और उक्त अवधि के दौरान इस कार्य में कितनी प्रगति हुई;

(ख) क्या अक्कुलम से चेकाई के बीच के भाग के निर्माण हेतु मंजूरी दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इस भाग पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने का विचार है; और

(घ) वाजहमुत्तम से परसाला के बीच के भाग के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) एक कार्य रा.रा.-47 पर त्रिवेन्द्रम बाईपास पर अक्कुलम पुल के निर्माण कार्य के लिए नवम्बर, 1992 में 4.90 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इसकी नींव रखी जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभी तक कार्य को संस्वीकृति नहीं दी गई है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अनुमान की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

## ग्रामीण आवास

**2171. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास का योजनावार कितना योजना परिव्यय है;

(ख) 31 मार्च, 1995 तक योजनावार कितना वास्तविक आबंटन हुआ और आवास इकाइयों संबंधी लक्ष्य कितना था;

(ग) 31 मार्च, 1995 तक कितना व्यय हुआ और वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) 1995-96 का बजट और लक्ष्य क्या है तथा अप्रैल-सितम्बर, 1995 के दौरान योजनावार व्यय और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) यह मंत्रालय इन्दिरा आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना नामक दो ग्रामीण आवास योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान वर्ष के लिए योजनावार केन्द्रीय योजना परिव्यय निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| इन्दिरा आवास योजना | – | 1000 करोड़ रुपये |
| ग्रामीण आवास | – | 45 करोड़ रुपये |

(ख) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1994–95 के दौरान 3,53,353 मकानों का निर्माण करने के लिए 330.15 करोड़ रुपये का वास्तविक केन्द्रीय आवंटन किया गया था। जहां तक ग्रामीण आवास योजना का सम्बन्ध है 1994–95 के दौरान 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) 1994–95 के दौरान 31 मार्च, 1995 तक इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 475 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी जिसमें राज्य अंश शामिल था और 3,72,275 मकानों का निर्माण किया गया था।

जहां तक ग्रामीण आवास योजना का सम्बन्ध है राज्य सरकारों को 31 मार्च, 1995 तक 30.00 करोड़ रुपये रिलीज किए गये थे। वास्तविक उपलब्धियों के आंकड़े राज्य सरकारों से एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(घ) वर्ष 1995–96 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 10 लाख मकानों का निर्माण करने के लिए 1250 करोड़ रुपये (250 करोड़ रुपये के राज्य अंश सहित) आवंटित किये गये हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अप्रैल–सितम्बर, 1995 के दौरान 1,69,672 मकानों का निर्माण किया गया है। जहां तक ग्रामीण आवास योजना का सम्बन्ध है। वर्तमान वर्ष के दौरान 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। तथापि, अभी तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है क्योंकि ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

## अमरीकी दूतावासों में भारतीय कर्मचारी

**2172. श्री गुरुदास कामत** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि अमरीकी दूतावासों में बड़ी संख्या में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को निकाल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) और (ग). सरकार को अमरीकी राजदूतावास से पता चला है कि बजटीय कटौतियों के कारण विश्वभर में स्थित अमरीकी मिशन अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने पर विवश थे। इसी प्रक्रिया के अंग के रूप में, भारत स्थित अमरीकी मिशनों में कुछ भारतीयों को अस्थायी रूप से छटनी की गई है।

## सुश्री राबिन राफेल द्वारा जम्मू और कश्मीर संबंधी वक्तव्य

**2173. श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेट्री आफॅ स्टेट सुश्री राबिन राफेल द्वारा हाल ही में दिया गया वह वक्तव्य कि जम्मू और कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की यह सुसंगत स्थिति है कि जम्मू–कश्मीर भारत का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग है।

## रोजगार कार्यक्रम

**2174. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी चल रहे विशेष रोजगार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए थे;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार ने लक्ष्य को कहां तक हासिल किया है;

(घ) कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कौन–कौन से राज्य पिछड़ गए हैं; और

(ङ) इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना, स्व–रोजगार तथा मजदूरी रोजगार के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम हैं, जिन्हें वर्तमान में केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग). विगत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यवार भौतिक लक्ष्यों/उपलब्धियों को विवरण–I, II, और III में दर्शाया गया है। चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना 1993–94 में आरंभ किया गया एक मांग आधारित कार्यक्रम हैं, इस योजना के अंतर्गत कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(घ) और (ङ). अनुबंधों से देखा जा सकता है कि कुछेक राज्य भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवधिक रिपोर्टों, फील्ड निरीक्षण और राज्य/जिला प्राधिकारियों से सीधे संबंधों की मार्फत ठोस प्रयास किए गए हैं।

**विवरण–I**

**समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां**

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1992–93 | | 1993–94 | | 1994–95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 138879 | 179038 | 204024 | 259697 | 166884 | 159908 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 12519 | 13642 | 16603 | 15207 | 12468 | 11756 |
| 3. | असम | 37711 | 10204 | 67158 | 63381 | 54938 | 61861 |
| 4. | बिहार | 276337 | 269252 | 387248 | 335908 | 324640 | 224736 |
| 5. | गोवा | 2608 | 2451 | 3446 | 3452 | 2840 | 2137 |
| 6. | गुजरात | 56861 | 61847 | 74909 | 79725 | 61262 | 76498 |
| 7. | हरियाणा | 13606 | 23349 | 17989 | 34026 | 14715 | 28285 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 4871 | 6956 | 5803 | 9128 | 4796 | 7349 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 6803 | 7331 | 11193 | 7408 | 20000 | 9342 |
| 10. | कर्नाटक | 86425 | 103856 | 136981 | 132861 | 112055 | 125810 |
| 11. | केरल | 46950 | 56517 | 49836 | 53698 | 40767 | 46294 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 183097 | 184083 | 25521 | 242673 | 211466 | 210560 |
| 13. | महाराष्ट्र | 147906 | 177651 | 222399 | 217671 | 181926 | 19667 |
| 14. | मणिपुर | 1092 | 3158 | 4848 | 6333 | 8982 | 7658 |
| 15. | मेघालय | 3275 | 3011 | 4655 | 2635 | 9567 | 6020 |
| 16. | मिजोरम | 5216 | 3474 | 6971 | 4684 | 4027 | 2006 |
| 17. | नागालैंड | 5477 | 3996 | 7273 | 5439 | 6737 | 1220 |
| 18. | उड़ीसा | 90457 | 93226 | 165479 | 160000 | 135382 | 136887 |
| 19. | पंजाब | 11507 | 25248 | 12792 | 33736 | 10464 | 22701 |
| 20. | राजस्थान | 88189 | 101300 | 107400 | 116567 | 87857 | 107799 |
| 21. | सिक्किम | 1043 | 1142 | 1352 | 1218 | 1120 | 1281 |
| 22. | तमिलनाडु | 123969 | 144987 | 184436 | 214888 | 150860 | 201221 |
| 23. | त्रिपुरा | 3863 | 11414 | 15000 | 16297 | 12856 | 2361 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 369554 | 387961 | 416334 | 445403 | 325353 | 369725 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 154457 | 171695 | 187836 | 73818 | 149552 | 159722 |
| 26. | अंडमान निकोबार | 1304 | 895 | 1726 | 1171 | 1421 | 445 |
| 27. | दादर व नगर हवेली | 261 | 300 | 372 | 372 | 300 | 302 |
| 28. | दमन व दीव | 522 | 524 | 690 | 507 | 561 | 136 |
| 29. | लक्षद्वीप | 133 | 156 | 156 | 81 | 140 | 100 |
| 30. | पांडिचेरी | 1043 | 1043 | 1407 | 1407 | 1161 | 1221 |
| | अखिल भारत | 1875135 | 2068773 | 2569942 | 2539441 | 2115097 | 2182018 |

## विवरण–II

### जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां (लाख श्रम दिन)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1992–93 | | 1993–94 | | 1994–95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 659.76 | 677.93 | 1025.61 | 1028.90 | 1145.23 | 812.25 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 10.01 | 6.52 | 10.01 | 4.85 | 9.38 | 5.58 |
| 3. | असम | 119.72 | 109.72 | 228.90 | 278.24 | 211.97 | 263.29 |
| 4. | बिहार | 937.91 | 1036.16 | 1467.71 | 1474.25 | 1340.30 | 986.88 |
| 5. | गोवा | 8.36 | 8.12 | 10.12 | 8.53 | 7.84 | 6.45 |
| 6. | गुजरात | 236.73 | 235.03 | 211.40 | 232.64 | 210.49 | 258.48 |
| 7. | हरियाणा | 33.71 | 32.63 | 38.64 | 39.29 | 33.29 | 33.96 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 29.77 | 26.16 | 33.73 | 33.54 | 28.68 | 28.87 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 62.87 | 43.01 | 72.75 | 32.16 | 117.10 | 88.01 |
| 10. | कर्नाटक | 441.08 | 418.29 | 718.01 | 651.30 | 513.65 | 499.67 |
| 11. | केरल | 138.63 | 134.54 | 113.47 | 120.43 | 97.10 | 101.01 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 648.77 | 709.66 | 766.00 | 819.21 | 1015.23 | 1075.25 |
| 13. | महाराष्ट्र | 838.77 | 823.53 | 1378.27 | 1188.50 | 1119.13 | 1100.73 |
| 14. | मणिपुर | 9.84 | 5.23 | 14.81 | 6.68 | 5.78 | 7.16 |
| 15. | मेघालय | 11.61 | 8.90 | 16.89 | 9.55 | 7.82 | 8.50 |
| 16. | मिजोरम | 4.37 | 4.78 | 5.24 | 6.32 | 4.08 | 5.72 |
| 17. | नागालैंड | 20.74 | 15.47 | 14.74 | 16.02 | 11.51 | 8.47 |
| 18. | उड़ीसा | 306.52 | 326.39 | 557.70 | 522.96 | 676.65 | 604.51 |
| 19. | पंजाब | 21.67 | 31.78 | 29.93 | 38.57 | 25.39 | 24.36 |
| 20. | राजस्थान | 340.62 | 339.09 | 426.66 | 450.37 | 497.35 | 545.58 |
| 21. | सिक्किम | 6.66 | 13.42 | 8.19 | 10.14 | 6.19 | 7.03 |
| 22. | तमिलनाडु | 671.91 | 767.86 | 853.62 | 881.10 | 815.47 | 1027.66 |
| 23. | त्रिपुरा | 18.10 | 13.94 | 22.01 | 23.41 | 13.19 | 29.02 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 1389.00 | 1496.29 | 1779.57 | 1791.16 | 1298.94 | 1395.91 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 557.21 | 525.55 | 563.81 | 554.03 | 613.39 | 580.82 |
| 26. | अंडमान व निकोबार | 4.47 | 1.71 | 3.27 | 1.81 | 2.46 | 2.59 |
| 27. | दादर व नगर हवेली | 3.55 | 2.70 | 2.73 | 2.31 | 2.29 | 2.07 |
| 28. | दमन व दीव | 1.63 | 0.12 | 1.63 | 0.59 | 1.48 | 0.55 |
| 29. | लक्षद्वीप | 2.55 | 2.68 | 2.62 | 2.21 | 1.38 | 1.91 |
| 30 | पांडिचरी | 3.32 | 3.81 | 5.16 | 4.27 | 3.08 | 4.72 |
| | | 7537.95 | 7821.02 | 10383.26 | 10258.40 | 9865.45 | 9517.07 |

विवरण–III

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार के श्रम दिनों की संख्या

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1993–94 | 1994–95 |
|---|---|---|---|
| | | (लाख श्रम दिन) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 62.42 | 277.24 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 3.64 | 20.84 |
| 3. | असम | 31.75 | 95.50 |
| 4. | बिहार | 31.44 | 193.72 |
| 5. | गुजरात | 6.75 | 35.26 |
| 6. | हरियाणा | 15.20 | 34.64 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 0.05 | 3.20 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 3.46 | 59.85 |
| 9. | कर्नाटक | 32.12 | 177.45 |
| 10. | केरल | 2.60 | 27.64 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 51.26 | 363.78 |
| 12. | महाराष्ट्र | 31.53 | 233.89 |
| 13. | मणिपुर | 3.06 | 28.60 |
| 14. | मेघालय | शून्य | 1.39 |
| 15. | मिजोरम | 8.52 | 41.71 |
| 16. | नागालैंड | 33.92 | 28.81 |
| 17. | उड़ीसा | 31.43 | 281.24 |
| 18. | राजस्थान | 50.00 | 273.11 |
| 19. | सिक्किम | 0.82 | 8.50 |
| 20. | तमिलनाडु | 10.96 | 141.29 |
| 21. | त्रिपुरा | 16.14 | 60.35 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 15.00 | 165.63 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 52.53 | 184.79 |
| 24. | अंडमान व निकोबार | 0.10 | 0.57 |
| 25. | दादर व नगर हवेली | 0.04 | 0.10 |
| 26. | दमन व दीव | शून्य | 0.12 |
| 27. | लक्षद्वीप | शून्य | 0.34 |
| | कुल | 494.74 | 2739.56 |

## बी.एच.सी. तथा डी.डी.टी.

**2175. श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुल उत्पादित कीटनाशक दवाओं में बी. एच.सी. (बेंजीन टेक्साक्लोराइड) तथा डी.डी.टी. की मात्रा पचास प्रतिशत है जोकि विकसित देशों में काफी पहले ही प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं की सूची में शामिल कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं के भारत में उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) और (ख). जी, नहीं। 1994–95 के दौरान डी.डी.टी. और बी. एच.सी. का उत्पादन लगभग 36,000 मीट्रिक टन है जबकि इस अवधि के दौरान कुल कीटनाशकों का उत्पादन 90,000 मीट्रिक टन से अधिक है। विभिन्न देश एक या अनेक कारणों से कुछ कीटनाशकों के प्रयोग को सीमित/प्रतिबंधित कर देते हैं। यह कारण हैं :— नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव, विशेष देश के विशेष जलवायु सम्बन्ध कारणों से ऐसे कीटनाशकों की अस्वीकार्यता, कीटों पर कीटनाशकों के प्रभाव में कमी इत्यादि। भारत में ऐसे कीटनाशकों के प्रयोग, जिसे कुछ अन्य देशों में सीमित या प्रतिबन्धित कर दिया गया है, की समीक्षा कीटनाशक अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।

## बिहार में परती भूमि

**2176. श्री राम टहल चौधरी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में परती भूमि के विकास के लिए कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में क्षारीय भूमि और वन एवं परती भूमि के विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के लिए परियोजनावार किन–किन जिलों का चयन किया गया है;

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी हेक्टेयर भूमि शामिल की गई है;

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू कर दिये जाने की संभावना है; और

(च) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री कर्नल राव राम सिंह) :** (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## विद्युत क्षेत्र में निजी कम्पनियों द्वारा निवेश

**2177. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिक पूंजी निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रवृत्त करने हेतु राज्य सरकारों की ऋण साख और विद्युत उपयोग की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उपाय किया गया है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र हेतु कोई ऋण नीति तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को राज्यों में विद्युत परियोजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किया गया है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उर्मिला सी. पटेल) :** (क) और (ख). अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर विद्युत उद्योग का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। राज्य स्तर की यूटिलिटियों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और प्रचालनों में संशोधन करने के लिए अर्थोपाय सुझाने और निदानात्मक अध्ययन करने हेतु अनेक राज्यों के लिए केन्द्रीय सरकार के माध्यम से विश्व बैंक की परियोजना को तैयार करने संबंधी सुविधा (पी पी एस) के अंतर्गत ऋणों की व्यवस्था की गई है। यह प्रत्याशा की गई है कि एक बार जब पुनर्गठन कार्य पूरा कर लिया जाए, तब विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में अधिकाधिक संख्या में निजी निवेशक निवेश करने के इच्छुक होंगे।

(ग) से (ङ). हालांकि, विद्युत क्षेत्र के लिए कोई निर्धारित ऋण नीति नहीं है, फिर भी वित्तीय संस्थान घरेलू और विदेशी दोनों, देश में निजी विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कुछ विस्तृत मानदण्ड तैयार किए गए हैं।

## लेजर हथियार

**2178. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1995 के 'स्टेट्समैन' में "ब्लाइंडिंग लेजर वेपनस कॉजिंग वरी "शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के उद्देश्यों और नीतियों के संदर्भ में अन्धा कर देने वाले लेजर हथियारों सहित अन्य लेजर हथियारों के उत्पादन और विकास के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) जी, हां।

(ख) अमानवीय हथियार अभिसमय के पक्षकार राज्यों के 25 सितम्बर से 13 अक्तूबर, 1995 को विएना में आयोजित समीक्षा सम्मेलन में आम सहमति से एक नया प्रोटोकोल पारित किया गया, जो लेजर हथियारों के इस्तेमाल विशेषकर स्थायी रूप से अन्धा कर देने वाले हथियारों के इस्तेमाल का निषेध करता है। भारत इस अभिसमय का एक पक्षकार राज्य है।

## बिहार में जल विद्युत परियोजनाओं को राजसहायता

**2179. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**
**श्रीमती गिरिजा देवी :**
**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
**श्री श्रीकांत जेना :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नेतरहाट, सदनी और लोअर घाघरी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पूंजीगत राज सहायता का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य को देय धनराशि को जारी करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने यह बताया है कि पूंजीगत राजसहायता न प्राप्त होने के कारण परियोजना के कार्य में अड़चन आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) और (ख). गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने, बिहार में नेतरहाटा, सदनी और लोअर घाघरी जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 271.2 लाख रुपये की पूंजीगत आर्थिक सहायता को अनुमोदन प्रदान किया है। परियोजनावार ब्यौरा और अब तक उपलब्ध कराई गई निधियां निम्नलिखित हैं :—

| | अनुमोदन की तारीख | पूंजीगत आर्थिक सहायता (लाख रु.) | अब तक उपलब्ध कराई गई निधियां |
|---|---|---|---|
| नेतरहाट (1x50 कि.वा.) | 11.1.95 | 10.0 | 1.00 |
| सदनी (2x500 कि.वा.) | 11.1.95 | 181.265 | 18.21 |
| लोअर घाघरी (2x200 कि.वा.) | 11.1.95 | 80.00 | 8.00 |

(ग) से (ङ). इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिहार राज्य पन बिजली विद्युत निगम लि. द्वारा किया जा रहा है। इन परियोजनाओं हेतु निधियों को, जो कि परियोजना के अनुमोदन के साथ देय हैं, आरंभ में प्रदान नहीं कराया जा सका क्योंकि राज्य सरकार, अधिग्रहीत भूमि को सुरक्षित नहीं रख पाई। इस बात की पुष्टि होने के बाद कि इस संबंध में पर्याप्त प्रगति कर ली गई है, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 1995 में आरंभ में निधियां उपलब्ध कराई गईं।

## आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान का हस्तक्षेप

**2180. श्री सुधीर सावन्त :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान के निरन्तर हस्तक्षेप के विरूद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) संगठित अपराध, आतंकवादियों और स्वापक द्रव्यों में संलिप्त अपराधियों की सहायता करने के लिए पाकिस्तान के विरूद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) और (ख). सरकार नारको आतंकवाद सहित भारत के विरूद्ध सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृत संकल्प है। सरकार ने प्रत्येक उपलब्ध अवसर पर पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा है। यह कड़े शब्दों में कह दिया गया है कि इस प्रकार की कार्रवाई पूर्णतया अस्वीकार्य है तथा शिमला समझौते और अन्तर्राज्जीय व्यवहार के अन्तर्राष्ट्रीय रूप से निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करता है तथापि भारत के विरूद्ध आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान का समर्थन जारी है।

## विपणन निदेशालय का स्थानान्तरण

**2181. श्री शरत पटनायक :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विपणन निदेशालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय से कृषि मंत्रालय में स्थानान्तरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना

**2182. श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने समेकित जल आपूर्ति परियोजना हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) प्रस्तावित योजना में शामिल किये जाने वाले गांवों की संख्या क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाए किए गए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) और (ख). गुजरात सरकार ने मेहसाना जिले के फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु एक प्राथमिक परियोजना प्रस्ताव भेजा है। हांलाकि अभी तक इस मंत्रालय को शहरी क्षेत्र के संबंध में शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई है।

## अरुणाचल प्रदेश में खनिजों के लिए सर्वेक्षण

**2183. श्री लाईता उम्बे :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में चूना और अन्य खनिजों के भण्डारों का पता लगाने के लिए अब तक कोई उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये सर्वेक्षण और पाये गये प्रत्येक खनिज की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य में कोई सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) :** (क) और (ख). जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित खनिजों का सर्वेक्षण किया है और उनके भण्डारों का पता लगाया हैं :—

चूना पत्थर : लोहित जिले में सीमेंट ग्रेडिड चूना पत्थर के 91 मिलियन टन भण्डार

डोलोमाइट: कर्मेंग जिले में 185 मिलियन टन भण्डार

कोयला : चांगलेंग जिले के नामचिक-नामप्रक क्षेत्र में 93 मिलियन टन भण्डार

सीसा : जस्ता और स्वर्ण-सीसे जस्ते के लिए

वासुधरा : अमृतगंगा, मुक्तांग और शैरगांव ब्लाकों में और स्वर्ण के लिए चांगलेंग जिले में अन्वेषण किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). जी, हां। सीसे-जस्ते, चूनापत्थर, बहुआयामी पत्थर और रिफ्रेक्टरी और फाउंड्री क्वार्टजाइट के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

**ग्रामीण कार्यकर्ता**

**2184. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
**श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण कार्यकर्ताओं को संगठित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में नियुक्त ग्रामीण संयोजकों के दायित्व तथा कार्य क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु विभिन्न राज्यों को प्रदान की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में राज्य सरकारों का भी वित्तीय योगदान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) से (घ). इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे "अवैतनिक ग्रामीण संयोजक" नामक एक नियोजित योजना कार्यान्वित कर रहे थे, जिसके अन्तर्गत योजना के अधीन नियुक्त किये गए प्रत्येक संयोजक को प्रतिमाह 200/- रुपये का मानदेय और प्रतिमाह 50/- रुपये का निर्धारित यात्रा भत्ता दिया जाता था, योजना का शत-प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था।

श्रम मंत्रालय द्वारा योजना के आरम्भ होने से लेकर 31 मार्च 1995 तक राज्य सरकारों को रिलीज की गई निधियां नीचे दर्शाई गई हैं :

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | राशि (रुपये में) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| तमिलनाडु | 7,43,609.00 |
| गुजरात | 19,62,009.00 |
| उड़ीसा | 11,98,301.00 |
| हरियाणा | 15,496.00 |
| आन्ध्र प्रदेश | 4,35,285.00 |
| पंडीचेरी | 99,354.00 |
| असम | 7,77,368.00 |
| कर्नाटक | 12,47,477.00 |
| उत्तर प्रदेश | 4,46,651.00 |
| महाराष्ट्र | 6,12,190.00 |
| राजस्थान | 11,63,951.00 |
| बिहार | 4,04,150.00 |
| मध्य प्रदेश | |
| योग | 1,06,99,836.00 |

श्रम मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि अब यह योजना संचलन में नहीं है तथापि, बकाया राशियों का निपटान करने के लिए वे प्रति वर्ष कुछ प्रावधान कर रहे हैं।

**[अनुवाद]**

**"अंकटाड" में पदों का समाप्त किया जाना**

**2185. श्री रवि राय :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1995 के "द स्टेट्स मैन" में थर्ड वर्ल्ड एक्यूज वैस्ट ऑफ रिड्यूसिंग यू.एन. डेवलपमेन्ट बोडीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या "अंकटाड" में सहायक महासचिव और निदेशक स्तर के कुछ पद समाप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के साथ उठाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) और (ख). जी हां। इस खबर से संयुक्त राष्ट्र सुधारों के अंग के रूप में यू एन सी टी ए डी, यू एन आई डी ओ तथा ईसीओ एस ओ सी का समापन करने के प्रस्तावों पर कई विकासशील देशों की चिन्ता प्रतिलक्षित होती है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति विकसित करने के लिए इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई ठोस विचार-विमर्श नहीं किया है।

(ग) और (घ). यू एन सी टी एडी के सहायक महासचिव का पद 1993 के समाप्त कर दिया गया था। यू एन सी टी एडी वरिष्ठ स्तर के पदों की रिक्तियों को न भरने की नीति पर चल रहा है। भारत सरकार उन सुधारों को महत्व देती है जिनका उद्देश्य कार्य कुशलता और प्रभावकारिता को बेहतर बनाना हो। गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के 11वें शिखर सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की गई थी कि यू एन सी टी ए डी विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति और विकास को तेज करने के उद्देश्य से है। निम्नलिखित के संबंध में सार्वभौमिक मंच के रूप में केन्द्रीय भूमिका निभा रहा है। अन्तर्सरकारी विचार-विमर्श नीति, निर्माण तथा सर्वसम्मति विकसित करना, मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन तथा अनुवर्ती कार्रवाई, और तकनीकी सहयोग अधिकांश देशों ने यह कहा है कि वे यू एन सी टी ए डी को कमजोर बनाने अथवा उनके योगदान को कम करने के किसी भी प्रयास का विरोध करने के लिए कृत संकल्प हैं।

## बिहार को जापानी ऋण

**2186. श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी सरकार ने बाल्मीकी नगर, बिहार में 3×5 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए "ओईसीएफ" के माध्यम से 163 करोड़ येन का ऋण उपलब्ध कराया था;

(ख) क्या "परियोजना समीक्षा मिशन" ने इस परियोजना सम्बन्धी कार्य पर अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "ओईसीएफ" ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बिहार सरकार इस परियोजना को पूरा करने में सक्षम नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) बाल्मीकि नगर में 3×5 मेगावाट की जल विद्युत केन्द्र (पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना) स्थापित करने के लिए 1630 मिलियन जापानी येन का एक ऋण 1984 में स्वीकृत किया गया था। इसमें से लगभग 1621 मिलियन येन की धनराशि का उपयोग पहले ही किया जा चुका है।

(ख) और (ग). परियोजना की यूनिट-1 अगस्त, 1994 से वाणिज्यिक प्रचालन में है। यूनिट-2 और 3 बिहार जल विद्युत निगम लिमिटेड (बी एच पी सी एल) द्वारा अभी तक चालू नहीं किया गया है। सितम्बर, 1995 में ओवरसीज इकोनोमिक को-आपरेशन फण्ड [illegible] के तकनीकी मिशन द्वारा की गई परियोजना की समीक्षा [illegible] के साथ-साथ, गंदा पानी, इनटेक चैनल एवं टेल रेस [illegible] गाद को बाहर निकालने और इन दो यूनिटों को चालू करने के लिए प्रचालन और अनुरक्षण के संबंध में चिन्ता प्रकट की गई है। बी एच पी सी एल इस बात पर सहमत हो गया है कि समस्याओं का गहराई से अध्ययन, केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके किया जाएगा, ताकि इनका क्रियान्वयन शीघ्र किया जा सके।

(घ) और (ङ). यूनिट-2 को चालू करने के लिए बी एच पी सी एल को लगभग 71.5 मिलियन येन की आवश्यकता होगी, जबकि ऋण समझौते के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धनराशि लगभग 8 मिलियन है। कमी के बारे में व्यवस्था बीएचपीसीएल तथा राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

## अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत नौकरियों का सृजन

**2187. श्री विजय एन. पाटील :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजनाओं जैसे अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी नौकरियों का सृजन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उन योजनाओं की कार्य क्षमता की समीक्षा कर ली है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन कमियों का पता चला है; और

(घ) उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. विलास मुत्तेमवार) :** (क) नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी लघु उपक्रमों की योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे शहरी गरीबों को स्व-रोजगार अवसर मुहैया कराना है। 30.11.95 तक की प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 7.38 लाख लाभार्थियों को लघु उपक्रम लगाने हेतु सहायता दी गई है।

इसके अतिरिक्त, जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मजदूरी रोजगार और स्व-रोजगार कार्यक्रम हैं, जिन्हें केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना में 1994-95 के दौरान रोजगार के 9517 लाख श्रमदिन और अक्तूबर, 1995 तक 3502 लाख श्रम दिन सृजित किए गए थे। इसी प्रकार, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कि एक स्व-रोजगार कार्यक्रम है और जिसके अन्तर्गत परिवारों को केन्द्र द्वारा सबसिडी तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा सावधिक ऋण की मार्फत सहायता दी जाती है, के अंतर्गत, 1994-95 के दौरान 21.82 लाख परिवारों को तथा अक्तूबर 1995 तक 5.87 लाख परिवारों को सहायता दी गई है।

(ख) से (घ). इन कार्यक्रमों के निष्पादन की प्रगति रिपोर्टों अर्थात राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों, तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा वार्षिक रिपोर्टों, के आधार पर नियमित रूप से समीक्षा की

जाती है। केन्द्र कार्यशालाओं और सम्मेलनों की मार्फत संबंधित राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरणों के साथ निरंतर सम्पर्क में रहता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति और निष्पादन करने के लिए विशिष्ट राज्य/संघ शासित क्षेत्र आबंटित किए गए हैं। उनके अवलोकन के आधार पर, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार हेतु आवश्यक उपचारी उपाय किए जाते हैं।

## नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं

**2188. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जनजातीय पठार क्षेत्रों की नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश की नदियों और उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या सरकार का सर्वेक्षण और जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कार्य विदेशी कम्पनियों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) :** (क) और (ख). जी, हां। मध्य प्रदेश के जबलपुर और मांडला आदिवासी जिलों में नर्मदा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना करने की सम्भाव्यता का पता लगाने हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया है। इसके अतिरिक्त, मांडला जिले में गौर और हेलन नदियां और धीमार खेड़ा के समीप छोटी महानदी पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं।

(ग) और (घ). सरकार के पास, विदेशी कम्पनियों को सर्वेक्षण कार्य सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि विद्युत क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु भारत सरकार ने विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी के लिए एक स्कीम तैयार की है। जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना के लिए अब तक 7 विदेशी कम्पनियों द्वारा रूचि प्रकट की गई है। ब्यौरा निम्नलिखित है:

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मे.वा.) | कम्पनी का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | कार्मेंग एचईपी (अरुणाचल प्रदेश) | 600 | इन्टर कोर्प इण्डस्ट्रीज लि./स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग लि. आस्ट्रेलिया |
| 2. | धामवाड़ी एचईपी (हिमाचल प्रदेश) | 70 | हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी, यूएसए |
| 3. | हिब्रा एचईपी (हिमाचल प्रदेश) | 231 | |
| 4. | आलमाट्टी डैम (कर्नाटक) | 600 | एशिया पावर कम्पनी लि. (टापको), यूएसए, केपीसी |
| 5. | हारांगा एलबीसी एचईपी (कर्नाटक) | 4.5 | नॉर्थ-ईस्ट एनर्जी सर्विसिज, यूएसए |
| 6. | वैस्टर्न काल्लार एचईपी (केरल) | 5 | आइडियल प्रोजेक्टस एण्ड सर्विसिज (पी) लि. एण्ड मैं, कैनेडियन हाइड्रो डेवलपमेंट |
| 7. | माहेश्वर एचईपी (मध्य प्रदेश) | 400 | मैं. एस. कुमार्स/बैचटेल, यूएस |

**[हिन्दी]**

## अनिवासी भारतीयों से प्राप्त शिकायतें

**2189. श्री कुन्वी लाल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान विदेश स्थित भारतीय दूतावासों को अनिवासी भारतीयों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो दूतावासवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) से (ग). विदेश स्थित भारतीय मिशनों को अप्रवासी भारतीयों को उनके विदेश प्रवास के दौरान पेश आने वाली समस्याओं के बारे में उनसे समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं। संबंधित देशों में रह रहे अपने नागरिकों के हित-कल्याण का सुनिश्चय करने के लिए भारत सरकार भारतीय मिशनों के माध्यम से विदेशी सरकारों के साथ नियमित सम्पर्क बनाए रखती है। प्राप्त होने वाली विशिष्ट शिकायतें अन्य बातों के साथ-साथ कार्य स्थितियों, नियोक्ता द्वारा यात्रा दस्तावेज अपने पास रख लिए जाने, संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में होती हैं। इन सभी मामलों में मिशन परस्पर स्वीकार्य समाधानों के माध्यम से मतभेद दूर करने का प्रयास करता है। जहां कहीं आवश्यक होता है, मामलों को विदेशी सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

## दिल्ली में वाहन

**2190. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **चल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में श्रेणीवार कितने वाहन चल रहे हैं;

(ख) क्या सड़क की स्थिति और अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए कितने वाहन चल सकते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सड़कों की क्षमतानुसार वाहनों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) सुविधानुसार सड़क पर कितने वाहन चल सकते हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 में कोई प्रावधान है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) किस सीमा तक इस प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है?

**चल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

## पेप्सीको इंडिया होल्डिंग्स

**2191. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
**श्री आर. जीवरत्नम :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** 21 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2536 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किए गए निवेश पर निगरानी रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मै. पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उसने देश में लाई गई विदेशी इक्विटी का निम्नलिखित कार्यों पर खर्च किया :—

| | |
|---|---|
| (1) प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण | 12 करोड़ रु. |
| (2) ऐसी रूग्ण/अव्यावहारिक यूनिटों की खरीद जब बंद होने को थी | 105 करोड़ रु. |
| (3) पेय व्यापार पर पूंजी निवेश | 75 करोड़ रु. |
| (4) कृषि आधारित उत्पादों/फल रस पर पूंजी निवेश | 3 करोड़ रु. |
| (5) वॉटलर समर्थन कार्यक्रम | 54 करोड़ रु. |
| (6) वितरण प्रणाली | 58 करोड़ रु. |

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अनुमोदन में दी गई शर्तों के अनुसार देश में किए जाने वाले विदेशी पूंजी निवेश पर निगरानी रखती है। कंपनी अधिनियम के तहत निजी कंपनी को अपने द्वारा किए गए पूंजी निवेश को अपने तुलना-पत्र में दर्शाना होता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सामने पेश करना होता है। यह सूचना सरकार के समक्ष भी समय-समय पर पेश की जाती है।

[हिन्दी]

## क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ में लम्बित पासपोर्ट आवेदन

**2192. डा. साक्षीजी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ में बड़ी संख्या में आवेदन लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लम्बित आवेदनों के निपटाने हेतु कोई विशेष अभियान चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) से (घ). पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ में लम्बित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या जनवरी 1995 में 21952 के मुकाबले 4 दिसंबर 1995 को घटकर 13,996 हो गई है।

पासपोर्ट कार्यालयों के कार्य को कारगर बनाने तथा शीघ्रता से पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकार बराबर कदम उठाती रही है और उठती रहेगी जैसे कि कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, कार्यालय सुविधाओं को उन्नत बनाना जिनमें कम्प्यूटरीकरण भी शामिल हैं, विलंब को दूर करने के लिए प्रणालियों और क्रियाविधियों की समीक्षा करना, पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई।

## मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

**2193. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
**कुमारी उमा भारती :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के अधीन कितने उर्वरक संयंत्र हैं और कौन-कौन से संयंत्र घाटे में चल रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों को संयंत्रवार उपलब्ध कराई गई सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्य सरकार को वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में उर्वरकों का कुल उत्पादन ब्योरा और एककवार कितना-कितना रहा; और

(ङ) सरकार ने मध्य प्रदेश में नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव)** : (क) से (ङ). दो मुख्य उर्वरक संयंत्र अर्थात विजयपुर और सेल, भिलाई मध्य प्रदेश में स्थित हैं। गत तीन वर्षों के दौरान उनमें उत्पादन कार्य निष्पादन निम्न प्रकार रहा।

| संयंत्र | क्षेत्र | उत्पाद | उत्पादन (000मी.टन) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
| एनएफएल : विजयपुर | सार्वजनिक | यूरिया | 842.1 | 878.3 | 819.7 |
| सेल : भिलाई | सार्वजनिक | ए एस | 46.8 | 43.9 | 44.7 |

इन इकाईयों में कोई हानि नहीं हुई है।

प्राकृतिक गैस के सिवाय उर्वरकों के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले पैट्रोलियम उत्पाद सम्पूर्ण देश में आर्थिक सहायता दरों पर सप्लाई किये जाते हैं।

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित उर्वरक इकाईयों को क्रमशः 197.07 करोड़ रुपये और 167.00 करोड़ रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी गयी थी। इसके अतिरिक्त कृषि और सहकारिता विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1993-94 के दौरान स्वदेशी फास्फेटिक उर्वरकों और आयातित म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) की बिक्री पर विशेष रियायत के रूप में 31.92 करोड़ रु. की राशि जारी की। वर्ष 1994-95 के दौरान इस विभाग ने मध्य प्रदेश में इन उर्वरकों की बिक्री के संबंध में विशेष रियायत के रूप में फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादकों और म्यूरिएट आफ पोटाश के आयातकों को 26.42 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया।

मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. 7.26 लाख टन यूरिया/वार्षिक की अतिरिक्त मात्रा उत्पादित करने के लिए अपने विजयपुर स्थित अमोनिया-यूरिया संयंत्रों की क्षमता को दुगुना करने के लिए एक परियोजना इस समय कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 987.3 करोड़ रुपए हैं।

## कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार संबंधी योजना

**2194. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
**श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को गुणवत्ता में सुधार करने ताकि उनकी आय तथा उत्पादन में वृद्धि हो सके तथा गांव से शहरों में उनके पलायन को भी रोकने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कितने कारीगरों को शामिल किया गया है;

(ग) तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र के कितने कारीगरों को लाभ पहुंचा; और

(घ) इन योजनाओं पर कितना अनुमानित व्यय हुआ?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग में राज्य मंत्री) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ). ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म की औजार किटों की सप्लाई की योजना जुलाई, 92 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाकर उत्पादन और आय में वृद्धि कराकर उन्हें सक्षम बनाना है तथा उन्नत औजारों के इस्तेमाल से उनके बेहतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करना है। यह उनके शहरों के पलायन को भी रोकेगा। विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में अनुमानित आवर्ती खर्च और योजना के अंतर्गत लाभान्वित ग्रामीण कारीगरों की संख्या निम्नानुसार है :

| | लाभान्वित ग्रामीण कारीगर (संख्या) | आवर्ती खर्च (रुपये लाख में) |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश-57488 | 1100.62 |
| 2. | राजस्थान-13137 | 218.82 |

1995-96 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों को क्रमशः 490.50 लाख रुपए और 202.80 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई हैं।

## हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत क्षमता

**2195. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल कितनी मेगावाट क्षमता है;

(ख) अब तक केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई जल विद्युत परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) इन परियोजनाओं में कितनी भारतीय और विदेशी फर्म निवेश कर रही हैं;

(घ) राज्य सरकार से किन-किन परियोजनाओं हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) कितनी परियोजनाओं को राज्यवार वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृति प्रदान की गई?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे ) :** (क) हिमाचल प्रदेश में राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र में कुल अधिष्ठापित जल विद्युत क्षमता (3 मेगावाट से अधिक) 1011 मेगावाट है।

(ख) और (ग). स्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इनमें से 12 परियोजनाओं के लिए भारतीय और विदेशी फर्मों द्वारा अपनी रूचि प्रकट की गई है।

(घ) राज्य सरकारों की 24 जल विद्युत स्कीमें (100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत की जा चुकी हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त हुई अन्य 12 जल विद्युत स्कीमों के बारे में राज्य सरकार/निजी प्रवर्तकों के परामर्श से तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ङ) 1994-95 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा निम्नवत् है :

| क्र.सं. | परियोजना का नाम/अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) | राज्य | स्वीकृति की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना-2 (2x500 मे.वा.) (एनटीपीसी) | मध्य प्रदेश | 2/95 |
| 2. | अगरतला जीबीपीपी (नीपको) (4x21 मे.वा.) | त्रिपुरा | 11/94 |
| 3. | कोठागुडम ताप विद्युत केन्द्र चरण-5 (2x250मे.वा.) | आन्ध्र प्रदेश | 3/94 |

### विवरण-I

### स्वीकृत पन बिजली स्कीमें
### (3 मेगावाट से अधिक अधिष्ठापित क्षमता)

15.11.95 की स्थितिनुसार

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | राज्य | अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | |
| 1. | नाथपा-झाकरी (एनकेपीसी) | हिमाचल प्रदेश | 6x250 |
| 2. | दुलहस्ती (एनएचपीसी) | जे एंड के | 3x130 |
| 3. | उरी (एनएचपीसी) | जे एंड के | 4x120 |
| 4. | टिहरी चरण-1(टीएचडीसी) | उ.प्र. | 4x250 |
| 5. | धौलीगंगा चरण-1(एनएचपीसी) | उ.प्र. | 4x70 |
| 6. | कोयलकारो (एनएचपीसी) | बिहार | 4x172.5+1x20 |
| 7. | रंगीत-3 (एनएचपीसी) | सिक्किम | 3x20 |
| 8. | दोयांग (नीपको) | नागालैंड | 3x25 |
| 9. | रंगानदी (नीपको) | अरु. प्रदेश | 3x135 |
| 10. | कोपिली विस्तार(नीपको) | असम | 2x50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **राज्य क्षेत्र** | | | |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | |
| 11. | दादुपुर | हरियाणा | 4×1.5 |
| 12. | घानवी | हि.प्र. | 3×7.5 |
| 13. | ऊहल-3 | हि.प्र. | 4×17.5 |
| 14. | बनेर | हि.प्र. | 3×4 |
| 15. | गाज | हि.प्र. | 3×3.5 |
| 16. | लारजी | हि.प्र. | 3×42 |
| 17. | (क) अपर सिंध-2 | जे एंड के | 2×35 |
| | (ख) अपर सिंध विस्तार | जे. एंड के | 1×35 |
| 18. | किशनगंगा | जे एंड के | 3×110 |
| 19. | शाहपुर कंडी | पंजाब | 2×40+2×40×1+8 |
| 20. | रंजीत सागर | पंजाब | 4×150 |
| 21. | जाखम | राजस्थान | 2×2.5 |
| 22. | विष्णुप्रयाग | उ.प्र. | 4×100 |
| 23. | श्रीनगर | उ.प्र. | 6×55 |
| 24. | सोबला | उ.प्र. | 2×3.1 |
| 25. | लखवार व्यासी | उ.प्र. | 3×100+2×60 |
| 26. | मनेरी भाली-2 | उ.प्र. | 4×76 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | |
| 27. | कदाना पीएसएस विस्तार | गुजरात | 2×60 |
| 28. | सरदार सरोवर | गुजरात/म.प्र./महाराष्ट्र | 6×200+5×50 |
| 29. | बाणसागर टोन्स चरण-2 व 3 | म.प्र. | 2×15+3×20 |
| 30. | बाणसागर टोन्स चरण-4 | म.प्र. | 2×10 |
| 31. | इंदिरा सागर (नर्मदा सागर) | म.प्र. | 8×25 |
| 32. | बोधघाट | म.प्र. | 4×125 |
| 33. | राजघाट | उ.प्र./म.प्र. | 3×15 |
| 34. | भंडारदारा चरण-2 | महाराष्ट्र | 1×34 |
| 35. | सूर्या | महाराष्ट्र | 1×6 |
| 36. | वारणा | महाराष्ट्र | 2×8 |
| 37. | कोयना चरण-4 | महाराष्ट्र | 4×250 |
| 38. | दुधगंगा | महाराष्ट्र | 2×12 |
| 39. | डिम्भे | महाराष्ट्र | 1×5 |
| 40. | घाटघर पीएसएस | महाराष्ट्र | 2×125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | |
| 41. | श्रीसेलम एलबीपीएच | आं. प्रदेश | 6x15ख |
| 42. | सिंगुर | आं. प्रदेश | 2x7.5 |
| 43. | सोमासिला | आं. प्रदेश | 2x5 |
| 44. | बालीमेला में एपीपीएच | आं. प्रदेश | 2x30 |
| 45. | डांडेली | कर्नाटक | 2x30 |
| 46. | कालिंदी-2 | कर्नाटक | 3x40+3x50 |
| 47. | वृन्दावन | कर्नाटक | 2x6 |
| 48. | भांद्रा आरबीसी विस्तार | कर्नाटक | 1x6 |
| 49. | शराबथी टीआर | कर्नाटक | 4x60 |
| 50. | बेडथी (गंगावली) | कर्नाटक | 2x105 |
| 51. | लोवर पेरियार | केरल | 3x60 |
| 52. | मलंककारा (मुवाथपूला) | केरल | 2x3.5 |
| 53. | कक्कड़ | केरल | 2x25 |
| 54. | पोरिगांलकुथू एलबी विस्तार | केरल | 1x16 |
| 55. | कुट्टीयाड्डी विस्तार | केरल | 1x50 |
| 56. | पूयामकुट्टी चरण-I | केरल | 2x120 |
| 57. | अंककायम | केरल | 2x4 |
| 58. | लोवर भवानी डैम आरबीसी | तमिलनाडु | 2x4 |
| 59. | सैथानुर डैम | तमिलनाडु | 1x7.5 |
| 60. | पार्सन्स घाटी (कुंड-5 विस्तार) | तमिलनाडु | 1x30 |
| 61. | पयकरा अल्टीमेटम चरण | तमिलनाडु | 3x50 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | |
| 62. | पूर्वी गंडक | बिहार | 3x5 |
| 63. | सौन पूर्वी नहर | बिहार | 2x1.55 |
| 64. | चांडिली | बिहार | 2x4 |
| 65. | उ. कोल | बिहार | 2x12 |
| 66. | अपर इन्द्रावती | उड़ीसा | 4x150 |
| 67. | पोत्तेरू | उड़ीसा | 2x3 |
| 68. | वाल्मीमेला-2 | उड़ीसा | 2x60 |
| 69. | बारगढ़ कैनाल | उड़ीसा | 3x3 |
| 70. | राथोगंछ | सिक्किम | 3x10 |
| 71. | रामम चरण-2 | प. बंगाल | 4x12.5 |
| 72. | तीस्ता फाल्स-1-4 | प. बंगाल | 3x3+7.5 |
| 73. | रामम चरण-1 | प. बंगाल | 3x12 |
| 74. | पुरूलिया पीएसएस | प. बंगाल | 4x225 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र** | | | |
| 75. | नुरानांग | अरु. प्रदेश | 3×2 |
| 76. | कारबी लांगपी (लोअर बोरपानी) | असम | 2×50 |
| 77. | धनसिरी | असम | 15×1.33 |
| 78. | दालाईमा | असम | 3×2 |
| 79. | सेरलुई-बी | मिजोरम | 2×4.5 |
| 80. | लिकिम-रो | नागालैंड | 3×8 |
| **निजी क्षेत्र** | | | |
| 81. | वासपा-2* | हि.प्र. | 3×100 |
| 82. | ताबा एलबीसी | म.प्र. | 2×6 |
| 83. | महेश्वर* | म.प्र. | 10×40 |
| 84. | भिवपुरी पीएसएस* | महाराष्ट्र | 1×90 |
| 85. | गुंटर कैनाल-1 | आ. प्रदेश | 2×2** |
| 86. | गुटूर कैनाल-2 | आ. प्रदेश | 2×2.25* |

* निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु के वि प्रा द्वारा स्वीकृत।

** क्षमता को संशोधित करके 3×1.25 मेगावाट कर दिया गया है।

**विवरण-II**

**राज्य सरकारों/निजी प्रवर्तकों से प्राप्त किए गए पन बिजली स्कीमों के नाम जिनका केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है**

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मे.वा.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | |
| 1. | एस वाई एल कैनाल (पंजाब) | 50 |
| 2. | धामवाड़ी सुण्डा (हिमाचल प्रदेश) | 70 |
| 3. | कोल डैम (हिमाचल प्रदेश) | 800 |
| 4. | चमेरा चरण-2 (एनएचपीसी) (हिमाचल प्रदेश) | 300 |
| 5. | हिब्रा (हिमाचल प्रदेश) | 231 |
| 6. | पारबती चरण-2 (हिमाचल प्रदेश) | 800 |
| 7. | सावालकोट (जम्मू एण्ड कश्मीर) | 600 |
| 8. | बग्लिहर (जम्मू एव कश्मीर) | 450 |
| 9. | परनाई (जम्मू एवं कश्मीर) | 37.50 |
| 10. | कोटेश्वर, टीएचडीसी (उत्तर प्रदेश) | 400 |
| 11. | टिहरी-2 पीएसएस (टीएचडीसी) (उत्तर प्रदेश) | 1000 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | |
| 12. | आंकारेश्वर एमपीपी (म.प्र.) | 520 |
| 13. | मढीखेड़ा (म.प्र.) | 40 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | |
| 14. | प्रियदर्शिनी जुराला (आन्ध्र प्रदेश) | 221.40 |
| 15. | नागार्जुनसागर टेल पोण्ड डैम (आन्ध्र प्रदेश) | 50 |
| 16. | सारपाडी (कर्नाटक | 90 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | |
| 17. | तीस्ता चरण-3 (सिक्किम) | 1200 |
| 18. | तीस्ता चरण-5 (सिक्किम) | 510 |
| 19. | फरक्का बेरेज (प. बंगाल) | 125 |
| **उत्तर पूर्वी क्षेत्र** | | |
| 20. | कार्मेंग (नीपको) (अरुणाचल प्रदेश) | 600 |
| 21. | लोकतक डी/एस (मणिपुर) | 90 |
| 22. | धालेश्वरी (एनएचपीसी) (मिजोरम) | 120 |
| 23. | तुईरियल (मिजोरम) | 60 |
| 24. | तुईवाई (मिजोरम) | 210 |

**विवरण–III**

**उन पन बिजली स्कीमों की सूची जिन पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है**

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मे.वा.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | रंगानदी चरण–2 (नीपको) (अरुणाचल प्रदेश) | 100 |
| 2. | मालाना एचईपी (हिमाचल प्रदेश) | 86 |
| 3. | न्यू गेंडरबल (जम्मू एवं कश्मीर) | 45 |
| 4. | पारखाचिक पनिखार (जम्मू एवं कश्मीर) | 60 |
| 5. | अदिरापल्ली (केरल) | 160 |
| 6. | चिकलदारा पीएस एस (महाराष्ट्र) | 400 |
| 7. | तिपाईमुख (मणिपुर) | 1500 |
| 8. | सिन्डोल (उड़ीसा) | 320 |
| 9. | हिराकुड–बी एवं चिपलिमा–बी (उड़ीसा) | 408 |
| 10. | लाखवाड़ व्यासी (उत्तर प्रदेश) | 420 |
| 11. | विष्णु प्रयोग (उत्तर प्रदेश) | 400 |
| 12. | श्रीनगर (उत्तर प्रदेश) | 330 |

**[अनुवाद]**

**गुट–निरपेक्ष सम्मेलन में निःशस्त्रीकरण संबंधी मामले**

**2196. श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हाल ही में सम्पन्न गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के राष्ट्रों के सम्मेलन में राष्ट्रों को इस बात के लिए राजी करने में सफल हो गया है कि वे 1988 में प्रारम्भ की गई निःशस्त्रीकरण संबंधी राजीव गांधी कार्य योजना को अपना लें;

(ख) क्या इस सम्मेलन में कम्प्रीहेन्सिव टैस्ट बैन ट्रीटी या फिसाइल मेटिरियल कट आफ ट्रीटी पर कोई निर्णय लिया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) हाल ही में काटाजिना में सम्पन्न 11 वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने भारत के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की पूर्ति 1988 की कार्य योजना के आधार पर एक नियत समय–सीमा में की जाए। 11 वें गुट–निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अन्तिम दस्तावेज में यह आह्वान शामिल है कि "सभी प्रकार के हथियारों का एक नियत समय–सीमा में निराकरण करने के लिए एक कार्य योजना स्वीकार की जाए।"

(ख) से (घ). व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में 11 वें–गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अन्तिम दस्तावेज में अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर 1996 तक बातचीत पूरी कर लेने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया गया है। इस दस्तावेज में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसी निरस्त्रीकरण संधि के परिप्रेक्ष्य में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि तभी सार्थक हो सकती है जब उसे एक ऐसी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम समझा जाए जिसका उद्देश्य सभी नाभिकीय हथियारों का एक नियम समय–सीमा में पूरी तरह से निराकरण करना हो क्योंकि इस संबंध में आम राय नहीं हो पाई थी इसलिए शिखर सम्मेलन के अन्तिम दस्तावेज में एफ एम सी टी से सम्बद्ध विषय का कोई उल्लेख नहीं है।

**इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड का निजीकरण**

**2197. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को निजी क्षेत्र को बेचने का है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे;

(ग) क्या नए उत्पादों के लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को निजी क्षेत्र तथा राज्य सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम लगाने देने की अनुमति देने का भी विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने 1996–97 के दौरान इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के लिए 30.00 करोड़ रुपये गैर–योजनागत सहायता के रूप में जारी करने संबंधी कोई निर्णय लिया है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) और (ख). इस स्टेज पर इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. (आई.डी.पी.एल.) को किसी निजी क्षेत्र की कंपनी को बेचने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा स्वीकार की गई पुनरूद्धार योजना पर क्रियान्वयन हो रहा है। पुनरूद्धार की अवधि 1994–95 से शुरू होकर 10 वर्ष के लिए है। इस योजना में अन्य बातों के साथ–साथ उच्च उत्पादन/ बिक्री, पूंजी तथा व्यवसाय का पुनरूद्धार फालतू जनशक्ति का युक्तियुक्तकरण, सरकार से नई वित्तीय सहायता, सभी वर्गों के कर्मचारियों से तथा अधिकारियों से समर्थन तथा त्याग और संबंधित राज्य सरकारों से सहायता की परिकल्पना की गई है।

(ग) आई.डी.पी.एल. को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में सयुक्त उद्यम की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) पुनरूद्धार योजना में यथा-परिकल्पित वित्तीय सहायता सरकार द्वारा जारी कर दी गई थी। कंपनी ने प्रचालन के प्रथम वर्ष अर्थात् 1994-95 के अनुभव को ध्यान में रखते हुए विद्यमान योजना के कुछेक संशोधनों का प्रस्ताव किया है प्रस्तावित संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ 2 वर्षों की अवधि में 93.00 करोड़ रुपये की और वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। यह प्रश्न कि क्या सरकार 1996-97 में से गैर-योजना से आई.डी.पी.एल. को 30.00 करोड़ रु. की राशि देगी, समय-पूर्व बात होगी क्योंकि 1996-97 के लिए बजट को सभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

**[हिन्दी]**

## ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

**2198. श्री लक्ष्मण सिंह :**
**श्री फूलचन्द वर्मा :**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं तथा उनका पता क्या है;

(ख) गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान आज तक गैर-सरकारी संगठनों को संगठनवार कितना आवंटन किया गया; और

(घ) किन-किन राज्यों में गैर सरकारी संगठनों की सहायता से ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किये गए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) यह सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है तथापि, लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट), जो कि इस मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वायत निकाय है, द्वारा ग्रामीण विकास हेतु देश में लगभग 6000 स्वयं सेवी संगठनों की परियोजनाएं वित्तपोषित की गई हैं।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा कापार्ट की मार्फत वित्तपोषित स्वयंसेवी संगठनों की परियोजनाएं जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना (डवाकरा) जन, सहयोग, लाभार्थियों का संगठन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के क्षेत्रों को कवर करती है।

(ग) कापार्ट स्वयंसेवी संगठन-वार आवंटन नहीं करती है तथापि, 1-4-1994 से 30.9.1995 तक अवधि के दौरान कापार्ट ने स्वयंसेवी संगठनों की 1996 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनमें 59.23 करोड़ रुपये की सहायता शामिल है।

(घ) कापार्ट ने अब तक सिक्किम को छोड़कर देश के सभी राज्यों में स्वयंसेवी संगठनों की परियोजनाएं स्वीकृत की है।

**[अनुवाद]**

## कश्मीर के मुद्दे पर भारत की स्थिति को समर्थन

**2199. श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया है;

(ख) क्या इसके दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कश्मीर के मामले पर भारत के दृष्टिकोण के संबंध में और विश्व समर्थन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) बोस्निया-हर्जेगोविना और अल्बानिया को छोड़कर पूर्वी यूरोप के सभी देश इस बात का समर्थन करते हैं कि कश्मीर-मसला शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। सभी पश्चिम यूरोपीय देश अलग-अलग सभाभिरूपता के साथ कश्मीर पर भारतीय स्थिति का समर्थन करते हैं। अमरीकी सरकार का यह दृष्टिकोण रहा है कि शिमला समझौते की व्यवस्था के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत ही कश्मीर मसले को सुलझाने का सर्वोत्तम उपाय है। तथापि कश्मीर के लोगों की इच्छा का भी पता लगाया जाना चाहिए।

(ख) और (ग). पूर्व यूरोपीय देशों के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सभी पन्द्रह पश्चिम यूरोपीय देश जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, यूरोपीय संघ के इन व्यापक तथ्यों का समर्थन करते हैं जो नीचे लिखे अनुसार हैं :

(i) कश्मीर मसले का स्थायी हल द्विपक्षीय बातचीत से ही हो सकता है।

(ii) यूरोपीय संघ कश्मीर में जारी हिंसा तथा मानवाधिकारों के उल्लंघनों पर खेद व्यक्त करता है।

(iii) आतंकवादी हिंसा को बाहरी समर्थन बन्द करने का आह्वान।

(iv) पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत।

(v) भारत सरकार से यह अनुरोध कि वह कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की स्थापना के लिए अपने प्रयासों को दुगुना करे।

कमोबेश यही दृष्टिकोण उन पूर्वी यूरोप के देशों का है जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं।

(घ) कश्मीर से संबद्ध मसलों पर यूरोपीय देशों के सतत समर्थन का सुनिश्चय करने के लिए उनके साथ बराबर बातचीत की जा रही है। उच्च स्तरीय बातचीत द्विपक्षीय बातचीत तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हर अवसर पर पश्चिमी यूरोप के देशों को कश्मीर पर भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया जाता है। प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, विदेश सचिव आदि भी उन्हें इस बात से अवगत कराते रहे हैं। अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान भारत की यह स्थिति कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है, दोहराई जाती रही है। सरकार कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया जिसमें राज्य विधान सभाओं के चुनाव कराना शामिल है को बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देती रही है ताकि कश्मीर में प्रातिनिधिक तथा लोकतांत्रिक सरकार पाने के संबंध में कश्मीर में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का सुनिश्चय हो सके। अमरीका की सरकार ने यह संकेत दिया है कि वे लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करने के माध्यम के रूप में चुनावों के पक्षधर हैं।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों को संपूर्ण सूचना मुहैया कराई जाती रही है जिसमें कश्मीर मसले के सभी ऐतिहासिक पहलुओं के संबंध में प्रकाशित तथा दृश्य-श्रव्य सूचना, जम्मू-कश्मीर सहित भारत में उग्रवादियों को शस्त्र, प्रशिक्षण देने तथा उनका वित्त पोषण करने में पाकिस्तान का प्रत्यक्ष हाथ होने से संबद्ध साक्ष्यों का ब्यौरा, आदि शामिल है। भारतीय मिशन स्थानीय सरकारों, मत-निर्माताओं और निर्णयकर्ताओं तथा समाचार तंत्र को अवगत कराने के लिए इस सामग्री का उपयोग करते हैं। आवासी विदेशी राजनयिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया नियमित रूप से जम्मू-कश्मीर की यात्रा करता रहा है। सरकार इनमें से कुछ यात्राओं के लिए संभारतंत्रीय प्रबंधों में सहायता करती रही है। इनमें से बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने गिरफ्तार आतंकवादियों तथा भाड़े के सैनिकों से मुलाकात की है जिन्होंने उन्हें यह बताया कि पाकिस्तान द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, जिहाद की शिक्षा दी गई है तथा शस्त्र दिए गए हैं। संसदीय प्रतिनिधिमंडलों, गैर सरकारी प्रख्यात व्यक्तियों जिन्होंने मध्यपूर्व अफ्रीका, यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों की यात्रा की है, ने वहां जिनसे भी मुलाकात की उन्हें सही ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से उत्पन्न वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया। भारत सरकार की पारदर्शिता की नीति और आतंकवाद से दृढ़ता से निपटने के साथ-साथ चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक, राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के संबंध में उसके दृढ़ संकल्प की व्यापक सराहना होती रही है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

**2200 श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आरम्भ किये गये नये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नवम्बर, 1995 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 हेतु तत्संबंधी अनुमानित आंकलन क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) से (ग). वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नये रोजगार कार्यक्रम शुरू नहीं किए गये हैं।

## कर्नाटक की बारपोल जल विद्युत परियोजना

**2201. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय से लम्बित पड़ी हुई 450 मेगावाट क्षमता की बारपोल जल विद्युत परियोजना को निकट भविष्ट में जल्दी ही शुरू किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) 450 मेगावाट की परिकल्पित विद्युत शक्यता वाली बारपोल जल विद्युत परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## बैलाडिया लौह अयस्क खान

**2202. श्री राजेश कुमार :**
**श्री राम विलास पासवान :**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रक्रियागत समस्याओं से बैलाडिला-2 बी लौह अयस्क खान समझौते की जांच में अड़चन पैदा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो निजी फर्म के पक्ष में सरकारी क्षेत्र के एकक के हितों का कम आंकलन न किया जाना सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) और (ख). बैलाडिला-II बी लौह अयस्क परियोजना से संबंधित मामले में जांच करने के बारे में इस्पात मंत्रालय को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

## रुग्ण राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति

**2203. श्री अन्ना जोशी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य बिजली बोर्डों को हुई हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों को अपने उत्पादन और वितरण के विभिन्न कार्यों के लिए निजीकरण करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजीकरण की प्रक्रिया की निगरानी हेतु कोई केन्द्रीय समिति बनाई गई है ताकि यह प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) वर्ष 1994-95 के लिए राज्य बिजली बोर्डों के लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता को हिसाब में लेते हुए, जैसा कि लेखों में प्रावधान किया गया है, रा.बि.बोर्डों के अधिशेष/घाटा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). यद्यपि रा.बि. बोर्डों को इस संबंध में कोई सामान्य सलाह प्रदान नहीं की गई है, लेकिन अनेक राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर अपनी वैद्युत गतिविधियों का निदानात्मक अध्ययन करना शुरू कर दिया है। अध्ययनों में विशेषतः वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा अधिकाधिक सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

### विवरण

**वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता को हिसाब में लेते हुए, जैसाकि लेखे में प्रावधान किया गया है, रा.बि.बोर्डों का अधिशेष/घाटा**

| क्र.सं. | रा.बि.बो. का नाम | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 79.45 | 86.99 |
| 2. | बिहार | 191.19 | 442.65 |
| 3. | गुजरात | 89.29 | 92.26 |
| 4. | हरियाणा | (-)335.66 | (-)410.90 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 11.82 | 14.61 |
| 6. | कर्नाटक | 32.21 | 33.87 |
| 7. | केरल | 18.42 | 24.12 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 101.01 | 118.24 |
| 9. | महाराष्ट्र | 272.16 | 288.90 |
| 10. | उड़ीसा | 25.94 | 29.98 |
| 11. | पंजाब | (-) 117.53 | (-)117.91 |
| 12. | राजस्थान | 65.04 | 70.12 |
| 13. | तमिलनाडु | 225.10 | 225.54 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 213.86 | 61.23 |
| 15. | प. बंगाल | (-) 28.35 | 17.81 |
| 16. | असम | (-) 70.68 | (-)264.60 |
| 17. | मेघालय | (-) 1.91 | 4.18 |

## नेल्लोर उर्वरक परियोजना

**2204. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषक सहकारी उर्वरक लि. (इफको) ने आन्ध्र प्रदेश में नेल्लोर में उर्वकर परियोजना स्थापित करने हेतु उनके मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी, इनके वित्त पोषण का स्रोत क्या है तथा कितनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन होगा, इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और यह परियोजना कब से आरम्भ की जाएगी;

(ग) क्या परियोजना के लिए भूमि इत्यादि जैसी आधारभूत संरचना इफको द्वारा खरीदा/प्राप्त की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) से (ङ). मैसर्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) ने ग्राम लाचेर लपाडु, जिला नैल्लोर, आन्ध्र प्रदेश में ग्रासरूट अमोनिया-यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए निर्धारित दो चरण प्रयोजना अनुमोदन प्रक्रिया के अन्तर्गत एक प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है। परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत 1468.20 करोड़ रु. है। 7.26 लाख टन यूरिया की वार्षिक क्षमता वाली इस परियोजना की वित्तीय सहायता के लिए इफको के आन्तरिक स्त्रोतों और वित्तीय संस्थानों से 2:1 के अनुपात में ऋणों का प्रस्ताव है। आपेक्षित इनफ्रास्ट्रेक्चर अधिप्राप्ति/अधिग्रहण के लिए कार्यवाही और परियोजना को पूर्ण करने और प्रारम्भ करने के लिए समय-सूची को अंतिम रूप दिया जाने परियोजना प्रस्ताव संबंधी निवेश निर्णय पर आधारित है।

## खुले मुहाने की खानों में खनन कार्य

2205. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार गोल्ड फील्ड्स में भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा एक आस्ट्रेलियाई कम्पनी के सहयोग से खुले मुहाने की खानों में खनन कार्य की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर कोई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आपत्तियों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) :** (क) भारत गोल्ड माइंस लि. (बीजीएमएल) ने एक विदेशी पार्टनर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत विदोहन योग्य भण्डार प्रमाणित होने पर बीजीएमएल पट्टाकृत क्षेत्रों में भण्डारों का विदोहन किया जाएगा। समझौता ज्ञापन अभी सरकार और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

## आंध्र प्रदेश को धनराशि

2206. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 के दौरान आंध्र प्रदेश की विभिन्न कार्यक्रमों जैसे जे.आर.वाई., आई.ए.वाई., ई.ए.एस., डी. आर.डी.ए., आई.आर.डी.पी., इत्यादि के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का वर्षवार, कार्यक्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के निष्पादन तथा जारी धनराशि के व्यय की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार को धन के इस्तेमाल न किए जाने और दूसरे कार्यों में लगाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है;

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) से (ग). जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मजदूरी रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम हैं जिन्हें केन्द्र द्वारा आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 1994–95 और 1995–96 के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश द्वारा रिलीज की गई निधियों की तुलना में सूचित खर्च को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :

राज्य : **आंध्र प्रदेश**

**विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रि[illegible]ीज और खर्च**
**(केन्द्रीय अंश + राज्य अंश)**

(रुपये लाख में)

| योजना | 1994–95 | | 1995–96 | |
|---|---|---|---|---|
| | रिलीज | खर्च | रिलीज | खर्च |
| जवाहर रोजगार योजना | 27,598.51 | 28367.54 | 22586.20 | 1091.11 |
| सुनिश्चित रोजगार योजना | 12,987.50 | 13787.18 | 11875.00 (5.12.95 तक) | 6307.24 |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 10,506.35 | 11287.12 | 2906.68 (अगस्त, 95 तक) | 1703.34 |

जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक/तिमाही/वार्षिक रिपोर्टों की मार्फत की जाती है। निधियों के गैर उपयोगिता अथवा इनके अन्य स्थानों पर उपयोग किये जाने के संबंध में कोई भी विपरीत सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड में चोरी की घटनाएं

2207. **श्री हाराधन राय :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड से लोहा, इस्पात और छोलन स्क्रैप की चोरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस कम्पनी के अधिकारियों के विरूद्ध कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) "सेल" ने सूचित किया है कि बर्नपुर कारखाने से लोहे, इस्पात और स्क्रैप की चोरी के संबंध में इस्को में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## मेस्को इस्पात संयंत्र के कारण विस्थापित व्यक्ति

**2208. श्री अनादि चरण दास :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा में जाजपुर जिले के सुकिन्डा ब्लाक में प्रस्तावित "मेस्को" इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कुल कितने व्यक्ति और परिवार विस्थापित किए गए; और

(ख) इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अब तक क्या उपाय किये गए हैं?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा के जाजपुर जिले के सुकिण्डा ब्लाक में मैस्को इस्पात संयंत्र (मिडइस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील लिमिटेड तथा मेस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड दोनों) के निर्माण के कारण 675 परिवारों जिनमें 3434 व्यक्ति हैं, के विस्थापित होने की सम्भावना है।

(ख) विस्थापित परिवारों/व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दो पुनर्वास स्थल-एक त्रिजंगा में और दूसरा गोबरघाटी में, अभिज्ञात किए गए हैं। त्रिजंगा में भूमि सुधार का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार की लागत पर अब संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। त्रिजंगा में 223 परिवारों को 1/10 एकड़ सरकारी भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है। गोबरघाटी में पुनर्वास कार्य प्रगति पर है। पुनर्वास प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार ने भी 207.75 लाख रुपए मंजूर किए हैं।

## सामुद्रिक सीमा

**2209. श्री बलराज पासी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अरब सागर में पाकिस्तान के साथ और बंगाल की खाड़ी में बंगलादेश के साथ सामुद्रिक सीमा तय करने संबंधी द्विपक्षीय वार्ता के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) तत्संबंधीवार्ता का वर्तमान स्तर क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

**बंगलादेश**

(क) बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के रेखाकंन के सम्बन्ध में भारत की सरकार और बंगलादेश की सरकार नवम्बर, 1974 से लेकर जनवरी, 1985 तक बातचीत के 8 दौर हो चुके हैं। इन बातचीतों के बावजूद प्रमुख मुद्दों पर दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों में मतभेद होने के कारण कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस मसले के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ख) भारत की सरकार बंगलादेश की सरकार के साथ यह मुद्दा बातचीत के जरिये सुलझाने के प्रति वचनबद्ध है।

**पाकिस्तान**

(क) और (ख). सरक्रीक क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा के रेखांकन के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के पांच दौर हो चुके हैं बातचीतों का अन्तिम दौर 5-6 नवम्बर, 1992 को नई दिल्ली में हुआ जिसके दौरान दोनों पक्षों ने विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान किया तथापि सरक्रीक क्षेत्र में सीमा की व्याख्या से सम्बन्धित मतभेद बने हुए हैं।

सरकार ने उसके बाद पाकिस्तान को कतिपय रचनात्मक एवं विशिष्ट सुझाव दिए हैं जो इस विषय में एक व्यापक तथा अर्थपूर्ण वार्ता का आधार बन सकते हैं।

## असम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण

**2210. श्री प्रवीन डेका :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने असम में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो पाए गए खनिज भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्य में खनिज भण्डार का पता लगाने के प्रयास में तेजी लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) :** (क) जी, हां। असम में जिला कारबी ऐंगलांग के बूरा पहाड़ क्षेत्र में बहुआयामी पत्थरों के लिए संसाधन सर्वेक्षण का प्रस्ताव था और उसे एफ.एस., 1994-95 में किया गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में कोई अन्य खनिज सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

(ख) भण्डारों की अभी तक गणना नहीं की गयी है।

(ग) और(घ). सल्फाइड उपस्थिति के आंकलन के दृष्टिकोण से थीमेटिक मानचित्रण के अतिरिक्त बहुआयामी पत्थरों की चल रही जांच जारी रखने का प्रस्ताव है।

**[हिन्दी]**

## ग्रामीण विकास योजना में गैर-सरकारी संगठन

**2211. श्री फूलचंद वर्मा :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ग्रामीण विकास योजनाओं का स्वरूप और ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद और लोक कार्यक्रम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को सम्मिलित किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार ने कुछ पिछड़े जिलों का चयन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल)** : (क) इस मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद और लोक कार्यक्रम नाम का कोई भी संगठन नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय द्वारा लोक कार्यक्रम व ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद "कापार्ट की मार्फत स्वयंसेवी संगठनों की ग्रामीण विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है। जिसमें जवाहर रोजगार योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम (डवाकरा), जन सहयोग ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

## आवंला परियोजना का विस्तार

**2212. श्री रामनिहोर राय** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इफको की आंवला विस्तार परियोजना की अनुमानित मूल लागत कितनी है और वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या इस परियोजना में समय या लागत अधिक लगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की लागत में और वृद्धि को रोकने हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव)** : (क) इफको के आंवला विस्तार परियोजना की वास्तविक अनुमानित लागत 960 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1994-95 के दौरान इस परियोजना पर वास्तविक व्यय 123.15 करोड़ रुपए था। वर्ष 1995-96 के लिए परियोजना परिव्यय 340 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग). इस परियोजना में अधिक लागत प्रत्याशित नहीं है। अब इस परियोजना के 1.1.1997 तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है जबकि निर्धारित तिथि 30.9.1996 थी।

## विद्युत नीति

**2213. श्री एस.एम. लालखान बाशा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय स्वतंत्र विद्युत उत्पादन संघ से विद्युत नीति को अधिक लचीला बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संघ को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) और (ख). भारतीय स्वतंत्र विद्युत निर्माता संघ (आई पी पी ए आई) भारत सरकार की निजी विद्युत नीति के संबंध में समय-समय पर सुझाव भेजता रहता है। ये सुझाव अधिकतर ऐसे मदों के रूप में हैं, जिन पर आई पी पी ए आई द्वारा आयोजित सम्मेलनों और गोष्ठियों में विचार-विमर्श किया जाना है अथवा इनके समापन सम्मेलनों में किए गए विचार-विमर्शों के उद्धरण होते हैं। कई बार भारत सरकार के अधिकारी भी इन सम्मेलनों में भाग लेते हैं, ताकि सरकार की नीति को प्रक्षेपित किया जा सके, जहां कहीं भी आवश्यक हो स्पष्टीकरण दिया जा सके और उपयोगी सुझावों का लाभ उठाया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## लौह अयस्क पर सीमा शुल्क में कमी

**2214. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पंज लौह उत्पादक संघ ने लौह अयस्क पर सीमा शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) जी, हां।

(ख) सीमा शुल्क में परिवर्तन के बारे में घरेलू इस्पात उत्पादकों/एशोसिएशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है और जहां आवश्यक होता है, सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

## बंगलादेश को विद्युत की आपूर्ति

**2215. श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंगलादेश को विद्युत की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को इस उद्देश्य हेतु जिम्मेवारी सौंपी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्य

**2216. श्री मनफूल सिंह** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्य के क्रियान्वयन के लिए सत्तर प्रतिशत धनराशि संबधित गांवों द्वारा तीस प्रतिशत पहले जमा कराने पर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सूखा-प्रवण क्षेत्रों विशेषकर पहाड़ी भूमि वाले क्षेत्रों तथा जहां निर्धन किसान रह रहे हैं, के लिए पाबन्दी को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाया अथवा उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) से (ग). ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं है।

**[हिन्दी]**

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

**2217. श्री पवन दीवान :**

**श्री धर्मभिक्षम :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, विस्तार और बढ़ावा देने के संबंध में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में 30 जून, 1995 तक कितनी प्रगति हुई है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव)** : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें चला रहा है। योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन अथवा विस्तार, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, सुअर मांस, पाल्ट्री और अन्य मांस तथा मांस प्रसंस्करण सुविधाओं, ट्रूना और अन्य मछली प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए विपणन समर्थन, कोल्ड चेन की स्थापना, गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की खरीद पर ब्याज सब्सिडी, खाद्य प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग में अनुसंधान तथा विकास तथा कतिपय क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार के संगठनों/संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र की यूनिटों/सहकारिताओं/स्वयं सेवी संगठनों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) 8वीं योजना अवधि के दौरान 146 करोड़ रु. के कुल योजना परिव्यय में से 1992-93 से 30 जून, 1995 तक 106.82 करोड़ रु. योजना व्यय हुआ।

## विदेश स्थित भारतीय मिशनों के परिसरों के किराये

**2218. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश स्थित भारतीय मिशनों के परिसरों के किराये विदेश स्थित भारतीय मिशनों की संपत्तियों के कुल मूल्य से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिये कुल कितना किराया दिया गया;

(घ) विदेश स्थित भारतीय मिशनों की संपत्ति का कुल मूल्य कितना है;

(ङ) क्या विदेशों में भारतीय मिशनों के लिये और अधिक संपत्ति के अर्जन के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान भारतीय मिशनों के परिसरों का कुल वार्षिक किराया क्रमशः 8.32 करोड़ रुपये और 11.02 करोड़ रुपये था।

(घ) विदेशों में भारत सरकार की सम्पत्ति का कुल मूल्य 310.29 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च). विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों के लिए सम्पत्ति के अधिग्रहण/निर्माण हेतु एक व्यापक योजना तैयार कर ली गई है जिसे दस वर्ष की अवधि के दौरान धन की उपलब्धता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा। किराए पर कम से कम करने के उद्देश्य को लेकर सरकार की यह सुसंगत और सामान्य नीति है कि जहां तक सम्भव हो अपने स्वामित्व के लिए सम्पत्तियां अधिग्रहीत/निर्मित की जाएं।

## उर्वरकों का संकट

**2219. श्री खेलन राम जांगडे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उर्वरकों के अतिरिक्त भण्डारों और कच्चे माल की कमी के कारण कुछ उर्वरक एकक बन्द हो चुके हैं और कुछ बन्द होने के कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों के नाम क्या हैं और इन एककों के लिए कच्चा माल खरीदने और इनकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) और (ख). हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. के नामरूप-II संयंत्र में गैस की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन प्रारम्भ नहीं हो सका है। उर्वरक के अतिरिक्त भण्डारों और कच्चे माल की कमी के कारण कोई अन्य बड़ा संयंत्र बंद नहीं हुआ है। कुछ उर्वरक यूनिटों पर रेलवे वैगनों की उपलब्धता में बाधाओं के कारण तैयार तथा/अथवा कम स्तर के उर्वरकों के संचलन में निवेश संबंधी स्टाक में कुछ कठिनाई हुई है। ट्रैफिक फलों के पैटर्न द्वारा बनाए गए संचलन योजनाओं में प्रभावी अन्तर मन्त्रालयीन संबंध एवं उपयुक्त समायोजन के माध्यम से उर्वरक कच्चे माल के साथ-साथ तैयार उर्वरक की सप्लाई वैगन उपलब्धता की बाधाओं के होते हुए अधिकतम सप्लाई की गई है।

सड़क द्वारा उर्वरकों के प्रेषण के लिए भी उपाय किए गए हैं। वर्तमान मांग की तुलना में देश में उर्वरकों की उपलब्धता काफी हद तक संतोषजनक है।

## सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहन

**2220. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनके मंत्रालयाधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को 1994-95 के दौरान उनके प्रशंसनीय कार्य निष्पादन के लिए उन्हें प्रशस्ति-पत्र दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रम कौन-कौन से हैं तथा उनके प्रशंसकीय कार्य निष्पादन के संबंध में निर्णय लेने के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे सरकारी उपक्रमों को प्रशंसनीय कार्य के लिये प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) :** (क) और (ख). जी, हां। 4 प्रमुख सरकारी क्षेत्र उपक्रमों अर्थात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि., हिन्दुस्तान कापर लि. और हिन्दुस्तान जिंक लि. को उनके उत्पादन और वित्तीय निष्पादन के लिए श्रेयस्कर पाया गया है जैसा कि उनके मुनाफे और स्रोत उत्पन्न करने तथा समझौता ज्ञापन के मानदण्डों के संदर्भ में उत्तम श्रेणी से परिलक्षित होता है।

(ग) से (ङ). इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**[अनुवाद]**

## केरल को विद्युत आपूर्ति

**2221. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दक्षिण विद्युत ग्रिड में विद्युत उत्पादन का स्तर गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिणी विद्युत ग्रिड से केरल को प्रतिवर्ष कितनी विद्युत की आपूर्ति की जा रही है; और

(ग) विद्युत की कमी को देखते हुए क्या सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है ताकि विद्युत की कमी होने पर केरल इससे प्रभावित न हो?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान, दक्षिणी क्षेत्र में ऊर्जा का उत्पादन, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51389 मि. यू. की तुलना में 54592 मि.यू. है, जो पिछले वर्ष से 6.2 प्रतिशत अधिक है।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र से केरल द्वारा पात्रता की तुलना में की गई वास्तविक निकासी नीचे दी गई है :

| | |
|---|---|
| पात्रता (मि.यू.) | 1623.5 |
| वास्तविक निकासी (मि.यू.) | 1487.9 |
| प्रतिशत | 91.6 |

(ग) केरल में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में, विद्यमान उत्पादन केन्द्रों से उत्पादन को इष्टतम बनाना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबन्ध और ऊर्जा सम्बन्धित उपाय करना तथा जब भी व्यवहार्य हो पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना शामिल हैं। आठवीं योजना के दौरान केरल में 371.0 मे.वा. क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य को केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं, उसका देय हिस्सा भी प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

## बसों और जलयानों में टेलीफोन सुविधा

**2222. श्री रामेश्वर पाटीदार :**
**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "इन्मार सेट" प्रणाली के अंतर्गत जलयान और बसों में यात्रियों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली को शुरू करने हेतु कोई परीक्षण चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) ये परीक्षण किन-किन स्थानों पर किए गए हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) जहाजों में यात्रियों के लिए इन्मारसेट प्रणाली के जरिए पहले ही टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है, बशर्ते कि उस जहाज में इन्मारसेट टर्मिनल लगा हुआ हो। तथापि, बसों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) बसों में यह प्रणाली शुरू करने के लिए कोई परीक्षण नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## उत्तर प्रदेश स्थित पासपोर्ट कार्यालय

**2223. श्री चरत वीर सिंह द्रोण :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट कार्यालयों, उनके अधिकार क्षेत्रों और कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्यभार की तुलना में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया)** : (क) उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बरेली में दो पासपोर्ट कार्यालय हैं। उनके आवंटित क्षेत्राधिकार और कर्मचारी संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं, उठता

**विवरण**

**उत्तर प्रदेश में जिलेवार पासपोर्ट कार्यालयों के क्षेत्राधिकार और उनकी कर्मचारी संख्या को दर्शाने वाला विवरण**

| क्रं. सं. | पासपोर्ट कार्यालय | क्षेत्राधिकार | कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बरेली | पीलीभीत | जनसंपर्क अधिकारी – 1 |
| | | चमोली | अधीक्षक – 1 |
| | | शाहजहां पुर | सहायक – 1 |
| | | मैनपुरी | अपर श्रेणी लिपिक – 5 |
| | | आगरा | आशुलिपिक – 1 |
| | | मथुरा | अवर श्रेणी लिपिक – 29 |
| | | अलीगढ़ | ड्राईवर – 1 |
| | | एटा | दफ्तरी – 2 |
| | | बुलंदशहर | चपरासी – 4 |
| | | बदायूं | सफाई कर्मचारी – 1 |
| | | बरेली | चौकीदार – 1 |
| | | रामपुर | कुल योग 47 |
| | | मुरादाबाद | |
| | | नैनीताल | |
| | | बिजनौर | |
| | | मुजफ्फरनगर | |
| | | सहारनपुर | |
| | | गढ़वाल | |
| | | अल्मोड़ा | |
| | | पिथोरागढ़ | |
| | | टिहरी-गढ़वाल | |
| | | देहरादून | |
| | | उत्तरकाशी | |
| 2. | लखनऊ | इलाहाबाद | जनसंपर्क अधिकारी – 1 |
| | | आजमगढ़ | अधीक्षक – 7 |
| | | बाराबंकी | सहायक – 9 |
| | | बलिया | आशुलिपिक – 1 |
| | | बस्ती | अपर श्रेणी लिपिक – 23 |
| | | बांदा | अवर श्रेणी लिपिक – 23 |
| | | बहराइच | रिकार्ड सार्टर – 1 |
| | | देवरिया | दफ्तरी – 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | | इटावा | चपरासी | – 2 |
| | | फैजाबाद | चौकीदार | – 1 |
| | | फतेहपुर | सफाई कर्मचारी | – 2 |
| | | फर्रूखाबाद | कुल योग | – 82 |
| | | गोरखपुर | | |
| | | गौन्डा | | |
| | | गाजीपुर | | |
| | | हमीरपुर | | |
| | | हरदोई | | |
| | | जौनपुर | | |
| | | जालौन | | |
| | | ललितपुर | | |
| | | सोनभद्र | | |
| | | झांसी | | |
| | | कानपुर (देहात) | | |
| | | कानपुर (नगर) | | |
| | | लखनऊ | | |
| | | लखीमपुर | | |
| | | मऊ | | |
| | | मिर्जापुर | | |
| | | महाराजगंज | | |
| | | प्रतापगढ़ | | |
| | | रायबरेली | | |
| | | सीतापुर | | |
| | | सुलतानपुर | | |
| | | सिद्धार्थ नगर | | |
| | | उन्नाव | | |
| | | वाराणसी | | |

## अमरीका के प्रति कड़ा रूख

**2224. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका द्वारा ब्राउन संशोधन स्वीकार किये जाने की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप परमाणु प्रसार, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के प्रति कड़ा रूख अपनाने और भारत –अमरीका रक्षा सहयोग संबंधी सभी कार्यक्रमों को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) और (ख). भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले ऐसे मुद्दों पर सरकार की स्थिति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित की जाती है। भारत और अमरीका की सरकार, दोनों का ही यह दृष्टिकोण है कि ब्राउन संशोधन जैसे मुद्दों पर हमारे मतभेदों से समान हित के क्षेत्रों में परस्पर लाभ के लिए सहयोग पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

## महाराष्ट्र में सड़क परियोजनायें

**2225. श्री अशोक आनंदराव देशमुख :** क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन–कौन सी प्रमुख सड़क परियोजनायें आरम्भ की गयी हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) से (ग). आठवीं पंच–वर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अभी तक नौ मुख्य सड़क/पुल कार्यों को शुरू किया गया है। ये सभी कार्य प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं तथा इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

## केरल हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना

**2226. श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा घोषित सामाजिक सुरक्षा सहायता योजना केरल में लागू कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) और (ख). जी हां। योजना में केरल सहित पूरे देश को शामिल किया गया है, केरल राज्य के बारे में ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में प्रति वर्ष निम्नलिखित संख्या में लाभार्थियों को शामिल किया जायेगा :

| | |
|---|---|
| (1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन | – 144500 |
| (2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | – 5900 |
| (3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना | – 75100 |

ये लाभ मुहैया कराने के लिए प्रति वर्ष कुल 1850.30 लाख रुपये की राशि अन्तर्गस्त है।

## रुग्ण दुग्ध संयंत्र

**2227. श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध उपलब्ध न होने के कारण स्थापित नये दुग्ध संयंत्रों के बन्द होने की संभावना है/बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रुग्ण दुग्ध संयंत्रों को कुल कितना सावधि ऋण प्रदान किया गया है; और

(घ) इन रुग्ण संयंत्रों से ऋण वसूली हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) इस मंत्रालय को तरल दूध न मिल पाने के कारण किसी दूध संयंत्र के बंद होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

## दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड

**2228. श्री हाराधन राय :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को दुर्गापुर परियोजना की उत्पादन इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी अनुमानित लागत आयेगी;

(ग) क्या इसे तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) और (ख). दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड के 2x30 मेगावाट, 2x70 मेगावाट, और 1x77 मेगावाट यूनिटों के नवीकरण, आधुनिकीकरण, प्रचालन अवधि में विस्तार करने, उन्नयन सम्बन्धी कार्य 355.448 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किए जाने के लिए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-44 की उपधारा-2 क के अधीन प. बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के माध्यम से 24 नवम्बर, 1995 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रस्ताव की जांच कर ली है और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा 2-क के अधीन अपनी टिप्पणियां प. बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को भेज दी हैं।

## राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद

**2229. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, हैदराबाद से कमजोर वर्गों की समस्याओं का पता लगाने और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को पंचायतों के माध्यम से सफल बनाने हेतु निदानात्मक उपाय सुझाने के लिए कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कमजोर वर्गों की गरीबी को दूर करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

## पाकिस्तान और खाड़ी देशों की हिरासत में भारतीय

**2230. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1993 और 1994 के दौरान पाकिस्तान और किसी खाड़ी देश की हिरासत में रखे गये भारतीयों को छुडवाने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पाकिस्तान और खाड़ी देशों की हिरासत में भारतीय नागरिकों से संबंधित कितने मामले सरकार की जानकारी में लाये गये हैं; और

(घ) ऐसे कितने मामलों में सरकार ने कदम उठाए हैं और हिरासत में रखे गये भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित की है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) जी हां। पाकिस्तान और खाड़ी देशों की हिरासत में कैद भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता हेतु समय-समय पर सरकार को अनुरोध प्राप्त होते हैं।

(ख) भारतीय नागरकिों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर मिशन मामले की समीक्षा तथा रिहाई के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मामले को सक्रिय रूप से उठाता है। जेल प्रधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करने के अलावा जब और जैसी जरूरत होती है मामले विदेश कार्यालयों के साथ उठाये जाते हैं। बहरहाल, कई सरकारें न्यायालय द्वारा दी गई सजा की अवधि की पुनरीक्षा के लिए अनुरोधों पर विचार नहीं करती हैं और कैदियों की सजा की अवधि पूर्ण होने पर ही उन्हें रिहा करती है। (ग) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

**विकास के लिए बंजर भूमि**

**2231. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी योजनाओं का सफलतापूर्ण कार्यान्वयन हो रहा है;

(ग) क्या सरकार को निधियों के किसी दुरूपयोग का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह)** : (क) जी, हां। बोर्ड ने हाल ही में एक निगरानी प्रकोष्ट की स्थापना की है जो निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियों का समय-समय पर समन्वय और समीक्षा करता है। बोर्ड में निम्नलिखित निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है :

(1) राजय सरकारों से बोर्ड की योजनाओं की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय और निगरानी समिति की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है।

(2) योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी कार्यान्वयन एजेंसियों की नियमित प्रगति रिपोर्टों की मार्फत की जाती है।

(3) कार्य-स्थल पर मूल्यांकन कर्त्ताओं को भेज कर परियोजनाओं का नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।

(4) बोर्ड से अधिकारियों को योजनाओं का कार्य-स्थल पर मूल्यांकन करने के लिए दौरे पर भेजा जाता है।

(ख) 31.3.95 तक बोर्ड द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की संख्या निम्नानुसार है :

**(1) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना योजना** – इस योजना के अंतर्गत 324.00 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 128 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

**(2) सहायता अनुदान योजना** – अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत 20.87 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 180 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

**(3) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना** – इसके अंतर्गत 10.65 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 57 संचलन अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

**(4) निवेश संवर्धन योजना** – इस योजना के अंतर्गत 34.09 लाख रु. के कुल परिव्यय से एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं।

**(5) बंजर भूमि विकास कार्य बल** – बंजर भूमि विकास कार्यबल पर 0.35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(ग) और (घ). समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना योजना, प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना, निवेश संवर्धन योजना और बंजर भूमि विकास कार्य बल के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग के दो मामलों का पता लगा है। इन दोनों मामलों में राज्य सरकार से दोषी स्वयंसेवी एजेंसियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। इन स्वयंसेवी एजेंसियों को काली-सूची में डाल दिया गया है और इनको अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए बोर्ड, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से स्वयंसेवी एजेंसी की पूर्व-मूल्यांकन रिपोर्ट मांगता है। इस रिपोर्ट में स्वयंसेवी एजेंसी के पूर्ववृन्त और कार्य करने में उसकी क्षमता का जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा सत्यापन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड उनके द्वारा काली-सूची में डाली गई स्वयंसेवी एजेंसियों के बारे में कापार्ट तथा राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड से परामर्श करता है।

**ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार**

**2232. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "जवाहर रोजगार योजना" में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता और अपर्याप्त आवंटन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रोजगार प्रदान करने के संबंध में कितना लक्ष्य रखा गया है, और इस हेतु कितनी राशि प्रदान की गई है तथा इस दिशा में अब तक कितनी उपलब्धि की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) और (ख). इस विभाग में समय-समय पर योजनाओं के देरी से तथा अनुचित कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं निधियों की अपर्याप्तता के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। लेकिन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में शामिल कार्यान्वयन एजेंसियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक नहीं है। प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को तत्काल भेज दिया जाता है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में उपलब्ध कराई गई राशि, निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार है:

| वर्ष | रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां | लक्ष्य (मिलियन श्रम दिन) | सृजित रोजगार (मिलियन श्रम दिन) (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|---|
| **जवाहर रोजगार योजना (प्रथम चरण)** | | | |
| 1992-93 | 2524.68 | 753.80 | 782.10 |
| 1993-94 | 2541.36 | 1038.33 | 952.35 |
| 1994-95 | 2884.72 | 799.74 | 745.36 |
| 1995-96 | 1621.46 | 804.58 | 291.27 |
| **जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय चरण)** | | | |
| 1993-94 | 688.30 | निर्धारित नहीं | 73.50 |
| 1994-95 | 612.82 | 186.81 | 206.35 |
| 1995-96 (अक्तूबर, 1995 तक) | 136.26 | 100.89 | 65.27 |
| **सुनिश्चित रोजगार योजना** | | | |
| 1993-94 | 439.10 | निर्धारित नहीं | 49.47 |
| 1994-95 | 1128.52 | वही | 273.96 |
| 1995-96 (अक्तूबर, 1995 तक) | 835.09 | वही | 137.03 |

[हिन्दी]

## गुजरात में क्रोमाइट खानें

**2233. श्री एन.वी. राठवा :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर गुजरात राज्य में "क्रोमाइट अयस्क" के क्षेत्रवार अनुमानित भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्रोमाइट की खानों की निजी/सरकारी क्षेत्र को पट्टे पर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक राज्य-वार स्थिति क्या है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) :** (क) भारतीय खान ब्यूरो के रिकार्ड के अनुसार गुजरात में क्रोमाइट के भंडार नहीं हैं। भारत में क्रोमाइट स्रोतों के पुनर-मूल्यांकन हेतु बनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार क्रोमाइट के राज्यवार कुल भण्डार/स्रोत इस प्रकार हैं :

| राज्य | सभी ग्रेडों और वर्गों के कुल भंडार/स्रोत (000 टन में) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 86.5 |
| बिहार | 466.0 |
| कर्नाटक | 1143.0 |
| महाराष्ट्र | 731.0 |
| मणिपुर | 1.9 |
| उड़ीसा | 183,395.0 |
| तमिलनाडु | 261.0 |

(ख) और (ग). भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में सरकारी और निजी क्षेत्रों को क्रोमाइट के लिए दिए गए पट्टों की संख्या इस प्रकार है :

| राज्य | कुल | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 2 | — | 2 |
| बिहार | 1 | — | 1 |
| कर्नाटक | 6 | 6 | — |
| महाराष्ट्र | 2 | — | 2 |
| मणिपुर | 2 | — | 2 |
| उड़ीसा | 19 | 11 | 8 |
| | 32 | 17 | 15 |

[अनुवाद]

## चण्डीगढ़ में विद्युत की आवश्यकता

**2234. श्री पवन कुमार बंसल :** क्या विद्युत मंत्री 2 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं. 1783 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में विद्युत की आवश्यकता और आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत आपूर्ति में सम्भावित कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) अप्रैल-अक्तूबर, 95 की अवधि के दौरान, चंडीगढ़ में ऊर्जा की आवश्यकता 494 मि.यू. थी, जिसकी तुलना में ऊर्जा की उपलब्धता 490 मि.यू. थी।

(ख) आठवीं योजना के अंत अर्थात् वर्ष 1996-97 में चण्डीगढ़ में ऊर्जा की कोई प्रक्षेपित कमी नहीं है।

[हिन्दी]

## भारत तथा नेपाल के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत

2235. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए भारत तथा नेपाल के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ख) क्या वार्ता के चलते कोई समझौता किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) से (ग). दोनों देशों के विदेश कार्यालयों के बीच नियमित परामर्श की परम्परा जारी रखते हुए भारत के विदेश सचिव 17 से 19 नवम्बर, 1995 तक काठमाण्डू गए थे। आपसी हित के विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श हुआ था जिनमें जल संसाधन और नागर विमानन के क्षेत्रों में सहयोग; व्यापार, पारगमन तथा निवेश संबंधी मसले और भारत की सहायता से नेपाल में चल रही विकास परियोजनाएं शामिल थीं।

[अनुवाद]

## विदेशी जेलों में कैद भारतीय

2236. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में देश-वार कितने-कितने भारतीय कैद किये गये हैं; और

(ख) उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) जैसे ही मिशन/केन्द्र को किसी भारतीय राष्ट्रिक की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी मिलती है, उस गिरफ्तार किए गए भारतीय राष्ट्रिक को कोंसली सेवायें प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। कोंसली अधिकारी नजरबंद व्यक्ति से मुलाकात करता है और उसकी गिरफ्तारी से संबंधित आधारों तथा परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश करता है। आवश्यकता पड़ने पर मिशन शीघ्रता से और निष्पक्ष विचारण अथवा सजा की समीक्षा करवाने के लिए मेजबान सरकार के साथ उच्च स्तर पर मामले को उठाता है। संबंधित मिशन/केन्द्र इस बात का भी सुनिश्चित करता है कि जेलों में नजरबंद भारतीय नजरबंदियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। तथापि, कई सरकारें अदालत द्वारा निर्धारित सजा की अवधि की समीक्षा से संबंधित आवेदनों पर विचार नहीं करती हैं। सामान्यतः बंदियों को उनकी सजा की अवधि पूरी होने पर रिहा किया जाता है।

## रेल उपरि पुल

2237. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत और विदेशों के निजी उद्यमियों को "बिल्ड, आपरेट एंड ट्रान्सफर बेसिस (बी ओ टी)" पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्तमान रेल फाटकों के स्थान पर रेल उपरि पुल के निर्माण के लिये इस वर्ष के आरंभ में निविदायें आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे उन उद्यमियों के नाम बतायेंगे जिन्होंने प्रत्येक परियोजना के लिये प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

## राज्यों में वित्तीय आयोग

2238. **श्री जे. चोक्का राव :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने संविधान की परिकल्पना के अनुरूप स्थानीय निकायों को वित्त के हस्तांतरण के लिए वित्तीय आयोगों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने ऐसे आयोगों का गठन किया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सहायता विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत स्थानीय निकायों को सीधे दे दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) और (ख). जी, हां। अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों, जहां संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रावधान लागू हैं, में राज्य वित्त आयोगों का गठन कर लिया गया है।

(ग) और (घ). राज्यों से कहा गया है कि वे संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के संदर्भों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक, न्याय के लिए योजनाएं पंचायतों को स्थानान्तरित करें। इस समय जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों/जिला परिषदों को भेजी जाती है, जहां से यह धन ग्राम पंचायतों तक पहुंचता है।

## उर्वरकों पर राज सहायता

**2239. श्री ए. चार्ल्स :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल सरकार से उर्वरक की उत्पादन लागत के अनुपात में उर्वरक पर राज सहायता में वृद्धि का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) और (ख). सरकार का आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पाण्डीचेरी और तमिलनाडु के कृषि मंत्रियों से उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति के बारे में एक संयुक्त ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 1991-92 के स्तर तक कम्पलैक्स उर्वरकों के लिए राज सहायता बनाए रखने की मांग की है। ज्ञापन में दिए गए सुझावों को नोट कर लिया गया है।

## गुजरात तथा अन्य राज्यों में जी.एस.आई. सर्वेक्षण

**2240. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खनिजों का पता लगाने के लिए गुजरात तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वाणिज्यिक खनन के लिए किस प्रकार के खनिज पाए गए; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए और किये जाने का विचार है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) :** (क) और (ख). जी, हां। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अब तक (1993 तक) पता लगाए गए खनिजों की सूचना इंडियन मिनरल ईयर बुक में प्रकाशित की गई है।

(ग) कोयला, लिग्नाइट, बाक्साइट, क्रोमाइट, तांबा अयस्क, लौह अयस्क, मैंग्नीज, जस्ता, फास्फोराइट, बैराइट, कैल्साइट, हीरा, डोलोमाइट, फ्लोराइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, अभ्रक, पायराइट सिलिका सैंड, सिलिमेनाइट, वोलास्टानाइट।

(घ) सरकार ने तांबा, सीसा जस्ता, एल्यूमिनियम कोयला और लौह अयस्क के विदोहन के लिए सरकारी उपक्रम स्थापित किए हैं। मार्च, 1993 में घोषित की गई नई राष्ट्रीय खनिज नीति के तहत खनिज गवेषण और विदोहन अनारक्षित करके निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।

## अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में भारतीय मूल के लोग

**2241. श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की देश-वार कितनी अनुमानित संख्या है;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश उन्हीं देशों के नागरिक हैं जिनमें वे रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें जातीय अल्पसंख्यक मानते हुए उनके साथ कानूनन अथवा व्यवहार में जातिगत, धार्मिक अथवा भाषाई भेदभाव किया जाता है;

(घ) क्या वहां हाल ही में उनके विरूद्ध जन हिंसा की कोई घटना हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) :** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उप-सहारा अफ्रीका में भारतीय मूल के लगभग 1.9 मिलियन व्यक्ति हैं। देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) उनमें से अधिकांश अपने-अपने अधिवास के देशों अथवा अन्य देशों के राष्ट्रिक हैं।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि उप-सहारा अफ्रीका के किसी भी देश में भारतीय मूल के लोगों के प्रति राज्य द्वारा कानून के अधीन अथवा व्यवहारिक तौर पर जानबूझकर कोई भेदभाव किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). इस आशय की खबरों के बाद कि तथाकथित अनुष्ठानिक हत्याओं में दक्षिण जाम्बिया के लिविंग स्टोन नगर में रह रहे भारतीय मूल के वासिंदों में से किसी एक का हाथ था, अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में जन हिंसा के दौरान उनके साथ लूटपाट की गई और उनकी सम्पति को क्षति पहुंचायी गई। इस मामले पर सरकार की चिन्ता से जाम्बिया की सरकार को अवगत करा दिया गया था। अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है।

**विवरण**

| क्र.सं. | देश का नाम | भारतीय मूल के लोगों की अनुमानित संख्या (लगभग) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अंगोला | 30 |
| 2. | बेनिन | 250 |
| 3. | बोत्स्वाना | 3000 |
| 4. | बुर्कीना फासो | 10 |
| 5. | बुंडी | 500 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | कैमरून | 250 |
| 7. | केप वर्डे | 2 |
| 8. | मध्य अफ्रीका | 10 |
| 9. | चाड | |
| 10. | कोमोरोस | 150 |
| 11. | कांगो | 15 |
| 12. | इक्वाडोर गिनी | उपलब्ध नहीं |
| 13. | इथिओपिया | 1000 |
| 14. | एरिट्रिया | 30 |
| 15. | गैबोन | उपलब्ध नहीं |
| 16. | गाम्बिया | 100 |
| 17. | घाना | 1500 |
| 18. | गिनी | 50 |
| 19. | गिनी बिसाऊ | 10 |
| 20. | आईवरी कोस्ट | 110 |
| 21. | कीनिया | 55000 |
| 22. | लेसाथो | उपलब्ध नहीं |
| 23. | लाइबेरिया | 300 |
| 24. | मैडागास्कर | 15000 |
| 25. | मलवी | 4000 |
| 26. | माली | 50 |
| 27. | मारीशस | 770000 |
| 28. | मोजाम्बिक | 20000 |
| 29. | नामीबिया | 50 |
| 30. | नाइजर | 30 |
| 31. | नाईजीरिया | 25000 |
| 32. | रुवांडा | 300 |
| 33. | साओ टोम एण्ड प्रिंसिप | उपलब्ध नहीं |
| 34. | सेनेगल | 100 |
| 35. | शेशल्स | 5250 |
| 36. | शीरा लेओन | 600 |
| 37. | दक्षिण अफ्रीका | 1000000 |
| 38. | स्वाजिलैंड | 250 |
| 39. | तंजानिया | 80000 |
| 40. | टोगो | उपलब्ध नहीं |
| 41. | उगांडा | 5000 |
| 42. | जैरे | 500 |
| 43. | जाम्बिया | 15000 |
| 44. | जिम्बावे | 15200 |

[हिन्दी]

**बंजर भूमि**

**2242. श्री पवन दीवान :**
**श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :**

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर बंजर भूमि है;

(ख) यदि हां, तो देश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितनी बंजर भूमि है और यह देश की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या बंजर भूमि को कृषि भूमि के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बोर्ड के गठन के परिणामस्वरूप बंजर भूमि के कुल क्षेत्रफल में काफी कमी आई है;

(ङ) कितने प्रतिशत भूमि कृषि भूमि के रूप में विकसित की गई है और इस कार्य में कितने वर्ष लगेंगे।

(च) गत दो वर्षों के दौरान कितनी बंजर भूमि विकास योजनाएं मंजूर की गई; और

(छ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) :** (क) जी, हां। देश में काफी बड़े पैमाने पर बंजर भूमि है।

(ख) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने अपने राष्ट्रीय बंजर भूमि चयन कार्यक्रम के अंतर्गत देश में बंजर भूमि के नक्शे बनाने के लिए राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी की स्थापना की है। अभी तक 237 जिलों के नक्शे बनाए गए हैं। इसलिए, देश में बंजर भूमि का वास्तविक क्षेत्र दर्शाना संभव नहीं है। तथापि, एक अनुमान के अनुसार देश में 142.50 मिलियन हेक्टेयर निवल बुआई क्षेत्र की तुलना में देश में 129.58 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है।

(ग) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य वनरोपण और अन्य उपयुक्त उपायों के एक व्यापक कार्यक्रम की मार्फत् बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाना था। जुलाई 1992 में एक नए बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया गया और पुनर्गठित राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को गैर-वनीय क्षेत्रों में बंजर भूमि के स्थायी विकास के प्राधिकार सहित इस नव-सृजित विभाग में हस्तांतरित किया गया जिसका उद्देश्य भूमि के निम्नीकरण की जांच करना, देश में ऐसी भूमि को संपोषित कर इस्तेमाल में लाना तथा बायोमास विशेष रूप से ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना है। तथापि, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को खेती के लिए बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था।

(घ) 1985 से वृक्षारोपण/वनरोपण गतिविधि 13.66 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वित की गई और 31.3.95 तक निजी भूमि पर पौधरोपण के लिए 61257.75 लाख पौद् वितरित की गई है।

(ङ) खेती के लिए बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाना राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

(च) और (छ). राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जुलाई 1992 से 31.3.95 तक संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या नीचे दर्शाई गई है :

| क्र. | योजना का नाम | संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या | परिव्यय (रु. करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1. | समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना | 128 | 324.00 |
| 2. | सहायता अनुदान | 181 | 20.87 |
| 3. | प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण | 53 | 10.65 |
| 4. | निवेश संवर्धन योजना | 1 | 0.34 |
| 5. | बंजर भूमि विकास कार्यबल | 1 | 1.37 |

**[अनुवाद]**

## परमाणु अप्रसार संधि

**2243. श्री सुधीर सावन्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चित विस्तार के परिपेक्ष्य में भारतीय नीति क्या है;

(ख) क्या भारत इस मामले पर अलग-थलग पड़ गया है; और

(ग) संभावित परमाणविक खतरे में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) अप्रसार संधि के सम्बन्ध में भारत की सैद्धान्तगत स्थिति सुसंगत और सुज्ञात है। भारत अप्रसार संधि का इसलिए विरोध करता है क्योंकि यह भेदभावमूलक संधि है और "नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न" तथा "नाभिकीय शस्त्र विहीन" राज्यों के बीच एक स्थायी रूप से विभाजन करती है। अनिश्चितकाल तक इस संधि के विस्तार से हमारी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है जिसे राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त है। भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। तथापि, भारत सभी नाभिकीय शस्त्रों के पूर्ण निराकरण के माध्यम से वास्तविक अप्रसार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता रहेगा।

(ख) इस समय 181 राज्य नाभिकीय अप्रसार संधि के पक्षकार हैं। भारत, इजराइल, पाकिस्तान, क्यूबा, ब्राजील, चिली, जिबूती, अंडोरा, अंगोला, ओमान तथा सर्बिया और मोन्तेनिग्रो उन राज्यों में से हैं जो अप्रसार संधि के पक्षकार राज्य नहीं हैं।

(ग) क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को ध्यान में रखकर भारत की सुरक्षा स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है तथा सरकार राष्ट्र की सुरक्षा को पेश आने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

**[हिन्दी]**

## अमरीका प्रतिनिधि की कश्मीर यात्रा

**2244. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार के एक प्रतिनिधि ने हाल ही में कश्मीर घाटी की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस आधार पर यात्रा की अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या प्रतिनिधि ने कोई सुझाव दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) भारत में अमरीका राजदूत श्री फ्रैंक वाइजर ने अमरीकी दूतावास के प्राधिकारियों के साथ 24 से 27 जून, 1995 तक श्रीनगर तथा जम्मू की यात्रा की अमरीकी मिशन के अन्य अधिकारी भी समय-समय पर जम्मू और कश्मीर जाते रहे हैं।

(ख) जम्मू-कश्मीर विदेशी यात्रियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है और जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने के इच्छुक भारत स्थित विदेशी मिशनों के राजदूतों और उनके अधिकारियों को भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ). विदेशी सरकारों के प्रतिनिधियों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे उन मामलों पर अपने सुझाव दें जो भारत सरकार के घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं तथापि, अमरीकी राजदूत ने अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में जम्मू कश्मीर में चुनावों का समर्थन करते हुए यह कहा कि चुनाव जम्मू कश्मीर के लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का एक माध्यम है। उनका यह विचार था कि जम्मू और कश्मीर के लोग लगातार चल रही हिंसा से उब चुके हैं और अब राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सम्पन्न शिमला समझौता कश्मीर मसले को हल करने का सर्वोत्तम तरीका उपलब्ध कराता है।

[अनुवाद]

## गरीबी उन्मूलन हेतु निधि

**2245. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की निधियों के दुरूपयोग पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी आयी है कि कई राज्यों द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी नहीं लाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किये गये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करें;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से यह रिपोर्ट मिली है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गति धीमी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) से (ङ). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना गरीबी उपशमन के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं, जिन्हें केन्द्र द्वारा देशभर के विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्र द्वारा इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है।

निधियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से वित्तीय व भौतिक उपलब्धियों संबंधी मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मांगी जाती है तथापि, ऐसा देखा गया है कि कुछेक राज्य विभिन्न कारणों से इन निधियों को पूर्णरूपेण प्रयोग में नहीं ला सके हैं। उदाहरण के तौर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में कुछेक राज्यों ने बताया है कि पंचायत चुनावों के कारण सम्पूर्ण मशीनरी को चुनाव संबंधी कार्यों में लगा दिया गया था। इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना के मामले में, योजनाओं के विलम्बित एवं अनुचित कार्यान्वयन तथा धन संबंधी भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं अनुपयुक्ता की शिकायतें इस विभाग में समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। परन्तु जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में संलग्न एजेन्सियों की संख्या को देखते हुए शिकायतों की संख्या अधिक प्रतीत नहीं होती है। प्राप्त शिकायतों को यथोचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को तत्काल भेज दिया जाता है।

राज्य सरकारों द्वारा गरीबी उपशमन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के मामले में, त्रैमासिक बजट के आधार पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए एक दण्डात्मक कटौती लागू की गयी है। इसी तरह से जवाहर रोजगार योजना के मामले में वित्तीय किस्त राज्यों को तब रिलीज की जाती है, जब प्रथम किस्त के माध्यम से रिलीज की गयी निधियों में से राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तक उपयोग कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर राज्य/जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ क्षेत्रीय अधिकारियों की योजना के अधीन कार्यरत केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के माध्यम से भी निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

## ऋण ब्याज राज सहायता योजना

**2246. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान ऋण ब्याज राज सहायता योजना और राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की पद्धति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के गठन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) से (ग). जी, हां। मौजूदा ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम तथा अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की पद्धति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति का गठन इस प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | संयुक्त सचिव (पत्तन एवं आई डब्ल्यू टी) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय | - अध्यक्ष |
| (ii) | सचिव (परिवहन) पश्चिम बंगाल सरकार | - सदस्य |
| (iii) | सचिव/आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार | - सदस्य |
| (iv) | सचिव/आयुक्त, परिवहन बिहार सरकार | - सदस्य |
| (v) | उप वित्त सलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय | - सदस्य |
| (vi) | सदस्य (तकनीकी) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण | - सदस्य |
| (vii) | अवर सचिव (आई डब्ल्यू टी) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय | - सदस्य सचिव |

यह समिति संभवतः मार्च, 1996 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

[अनुवाद]

**आई.पी.सी.एल. के अन्तर्गत गांधार काम्पलैक्स**

**2247. श्री राम निहोर राय :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.पी.सी.एल. के अन्तर्गत गांधार काम्पलैक्स के पूरा होने संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है और इसका निर्माण कार्य किस वर्ष आरंभ हुआ था;

(ख) इस काम्पलैक्स की अनुमानित लागत कितनी है और सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या इसके निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव) :** (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 1992 में इंडियन पैट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. (आई पी सी एल) द्वारा 3485 करोड़ रु. की लागत से गंधार, गुजरात में डाउन स्ट्रीम यूनिट सहित गैस क्रैकर काम्पलैक्स स्थापित करने का अनुमोदन किया है। परियोजना को कंपनी द्वारा आंतरिक और बाह्य बजट से लागू किया जा रहा है और सरकार की ओर से कोई बजट सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके लिए अक्तूबर, 1992 में भूमि अधिग्रहीत की गई थी और बाद में निर्माण किया गया।

मूल सरकारी अनुमोदन के अनुसार परियोजना को यांत्रिक रूप में पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 1996 के अन्त तक थी। फिर भी, इसके बाद परियोजना प्राधिकारियों ने निम्नलिखित कारणों से परियोजना लागू करने की समय सीमा पुनः निर्धारित की जिसमें प्रथम चरण को 1996 के मध्य तक और द्वितीय चरण को 1998 मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य था।

(1) 1992-93 और 1993-94 के दौरान पैट्रोरसायन उद्योग में गिरावट का कारण आंतरिक संसाधनों का कम होना था।

(2) अल्फा-आलेफिन के लिए प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता और डाउनस्ट्रीम इथाइलीन उपयोग के लिए लिए उसका प्रतिस्थापन करने की जरूरत।

**हिमाचल प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं पर रायल्टी**

**2248. प्रो. प्रेम धूमल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य जल विद्युत परियोजनाओं पर 1100 करोड़ रुपये की धनराशि रायल्टी स्वरूप मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा मांग मान ली गई है तथा यदि हां, तो राज्य को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाखड़ा नांगल, बैरास्यूल और व्यास स्थित जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत के लिए कुछ राशि हेतु और भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजनाओं से अपने हिस्से में अभिवृद्धि दिए जाने के लिए दावा किया है।

हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड की वैरास्यूल और चमेरा चरण-I जल विद्युत परियोजनाओं से 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्ति करने की पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है। जहां तक भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजनाओं से विद्युत के हिस्से में अभिवृद्धि करने और निःशुल्क विद्युत की हकदारी का सम्बन्ध है चूंकि ये केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना नहीं है, इसलिये इन मुद्दों को सम्बद्ध राज्यों द्वारा स्वंय निपटाया जाना है।

**हज तीर्थयात्रियों के लिये राज सहायता**

**2249. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज यात्रियों को हज यात्रा के वर्तमान किराये से 8000 रु. अधिक देने होंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हज समिति ने हज यात्रियों के लिये राज सहायता की कोई मांग की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का हज यात्रियों के लिये राज सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) और (घ). हज पर जाने वाले भारतीय हाजियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे या तो 4600 सउदी रियाल या 5500 सऊदी रियाल ले सकते हैं। विनिमय की दर में परिवर्तन के कारण उन्हें हज 95 का तुलना में हज 96 के लिए अपने विकल्प के अनुसार 6072 रु. अथवा 7260 रु. का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). भारत सरकार भारतीय हाजियों को हवाई किराये में रियायत देती रही है। हज 1996 के लिए वायुयान को चार्टर करने की प्रक्रिया को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है तथा उसके बाद ही रियायती किराया तय किया जाएगा।

[हिन्दी]

**भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गुजरात में सर्वेक्षण**

**2250. श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 30 सितम्बर, 1995 तक गत तीन वर्षों के दौरान देश में तथा विशेष रूप से गुजरात के पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सोने तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के नये भंडारों का पता लगाने के लिए कोई खोज कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने वहां पर औद्योगिक परियोजनाएं लगाने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) :** (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) ने देश में स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुओं के सर्वेक्षण का कार्य किया है। गुजरात में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित स्वर्ण भंडारों का पता लगाया है :

(1) जामनगर जिले में एलेक पहाड़ियों में **स्वर्ण** प्राप्त परिणाम और विस्तृत कार्य करने के लिए उत्साहवर्धक नहीं है।

(2) **बहुमूल्य धातुयें :**

बड़ोदा जिले के खाण्डी क्षेत्र में **तांबे** की खोज।

बनासकंठा जिले के अतल गांव के समीप टंगस्टन की खोज से 0.07 से 1.6 प्रतिशत तक **टंगस्टन** के भंडारों का पता लगा है।

(ख) परियोजनाओं की प्रोद्यो-आर्थिक साध्यता और विपणन के आधार पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय ने सिफारिश कर दी है। योजना आयोग ने राज्यवार परियोजनाओं की सिफारिश नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**प्रमुख पत्तनों के विकास हेतु समझौता**

**2251. श्री महेश कनोडिया :**
**श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 18 नवम्बर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत और नीदरलैंड ने देश में प्रमुख पत्तनों के विकास हेतु सहयोग के समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**फलों और सब्जी इकाइयों की सुविधाएं**

**2252. डा. मुमताज अंसारी :**
**श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
**श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के फल और सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में हजारों मीट्रिक टन फल और सब्जी की क्षति हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कराए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में फल और सब्जी पर आधारित उद्योगों के चार प्रतिशत भाग की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय और विदेशी उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) से (ग). फल और सब्जियों की वास्तविक बरबादी का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण विशेष नहीं किया गया है लेकिन 1981 में अनुमान लगाया गया था कि सड़ जाने, फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण कुछ फल व सब्जियों की गुणवत्ता में कमी और उसके परिणामस्वरूप इनके मूल्य में कमी और बरबादी लगभग 25-30 प्रतिशत तक होती है। मात्रा की दृष्टि से कुल बरबादी फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। हालांकि ग्रामीण इलाकों में फल तथा सब्जी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्रतिशत संबंधी कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया लेकिन सरकार मार्ग दर्शन और योजना स्कीम द्वारा उन ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है जहां कच्चा माल आस-पास ही मिल जाता है।

[अनुवाद]

**दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पर बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन की बकाया धनराशि**

**2253. श्री तारा सिंह :**
**श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने की दशा में बदरपुर ताप विद्युत स्टेशन ने दिल्ली को विद्युत की आपूर्ति बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पर कुल कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या इसके कारण राजधानी में विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो राजधानी में विद्युत की आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) डेसू के अनुसार, दिनांक 31.10.95 की स्थिति के अनुसार इसके द्वारा बी टी पी एस को 2325.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। इसमें बकाया राशियों संबंधी भुगतानों पर प्रभार (ब्याज) शामिल नहीं है।

(ग) और (घ). उपरोक्त (क) में उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

**विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता**

**2254. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
**श्री राम सिंह कस्वां :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने संबंधी कुछ प्रस्ताव लंबित पड़े हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य-वार किन-किन विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) :** (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) जल विद्युत संयंत्र, जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता वर्ष 1995-96 में नवीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयनीकरण कार्यों द्वारा बढ़ाए जाने की सम्भावना है, वे हैं, कर्नाटक स्थित नागझड़ी (135 मे. वा. की यूनिट-2), शरावती (89.1 मे.वा. की यूनिट-10) और उत्तर प्रदेश स्थित रिहन्द (5x50 मे.वा.)। इस प्रकार का कोई ताप विद्युत केन्द्र नहीं है, जिसकी उत्पादन क्षमता को वर्ष 1995-96 के दौरान बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

**"कापार्ट" के अधिकारियों के विरूद्ध सी.बी.आई. की जांच**

**2255. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
**श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कापार्ट (काउन्सिल फॉर एडवान्समेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रुरल टेकोनोलॉजी) के अधिकारियों द्वारा ऐसे गैर सरकारी संगठनों को जो अस्तित्व के नहीं हैं को धन देने के संबंध में उनकी भूमिका की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच के परिणाम क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) से (ग). लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की गई तथाकथित अनियमितताओं के कुछ मामलों को जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा है। कापार्ट को इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसमें शामिल पाये जाने वाले अधिकारियों (यदि कोई हों) के विरूद्ध कार्रवाई सहित आगे की कार्रवाई केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

[हिन्दी]

**पश्चिमी राज्यों में पन बिजली संभावनाएं**

**2256. श्री एन.जे. राठवा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी राज्यों में पन बिजली की कुल संभावना का आंकलन करने के लिए कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय इन राज्यों में कितनी विद्युत का उत्पादन हो रहा है और इन राज्यों की राज्य-वार विद्युत आवश्यकता कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिमी राज्यों के कुल पन बिजली संभावनाओं के उपयोग/दोहन के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पश्चिमी राज्यों में मूल्यांकित जल विद्युत शक्यता का ब्यौरा निम्नलिखित है :

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 60% भार घटक पर मूल्यांकित शक्यता |
|---|---|---|
| 1. | मध्य प्रदेश | 2774.00 मे.वा. |
| 2. | गुजरात | 409.00 मे.वा. |
| 3. | महाराष्ट्र | 2460.00 मे.वा. |
| 4. | गोवा | 36.00 मे.वा. |

(ग) पश्चिमी क्षेत्र में इस समय कुल उत्पादित विद्युत की मात्रा और विद्युत की राज्यवार आवश्यकता निम्नलिखित है :—

| क्र.सं. | राज्य का नाम | अप्रैल,95 आवश्यकता (मि.यू. में) | अक्तूबर, 95 उपलब्धता (मि.यू. में) |
|---|---|---|---|
| 1. | गुजरात | 20675 | 19704 |
| 2. | मध्य प्रदेश | 16085 | 15102 |
| 3. | महाराष्ट्र | 31175 | 30672 |
| 4. | गोवा | 642 | 642 |

(घ) और (ङ). इस समय, पश्चिमी क्षेत्र में 7062 मे.वा. की कुल अधिष्ठापित क्षमता वाली 17 स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1038 मे.वा. क्षमता जोड़े जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

## पासपोर्ट कार्यालय

**2257. श्री के.टी. वान्डायार :**
**श्रीमती गिरिजा देवी :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में देश में नये पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट हेतु लंबित पड़े आवेदनों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पासपोर्ट जारी किये जाने में विलंब के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट जारी करने हेतु कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ज) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(झ) पासपोर्ट कार्यालयों से भ्रष्टाचार को जड़ से दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) देश में 23 पासपोर्ट कार्यालय हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार सभी पासपोर्ट कार्यालयों के बकाया आवेदनों की स्थिति पर बराबर निगाह रखती है।

(घ) विवरण संलग्न है।

(ङ) पासपोर्ट जारी करने में देरी आमतौर पर अधूरे पासपोर्ट आवेदन पत्रों के प्राप्त होने और प्रतिकूल अथवा अधूरी पुलिस रिपोर्टों की वजह से होती है। सरकार पासपोर्ट कार्यालयों की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और पासपोर्ट शीघ्र जारी करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने, कार्यालय सुविधाओं का उन्नयन करने जिसमें कम्प्यूटीकरण भी शामिल है, विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रणालियों तथा क्रियाविधियों की समीक्षा करने, पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने जैसे उपाय करती रही है और करती रहेगी।

(च) और (घ). कार्यात्मक और व्यवहारिक कारणों की वजह से नए पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई समय-सीमा तय करना सम्भव नहीं पाया गया है। पासपोर्ट जारी करने में कई कार्रवाईयां शामिल हैं जिसमें पासपोर्ट आवेदनों और अपेक्षित कागजातों की जांच, उन पर कार्रवाई करना, पुलिस साक्ष्यांकन तथा पासपोर्ट तैयार करना एवं उसे जारी करना शामिल हैं। किसी कार्यालय विशेष में प्राप्त आवेदनों की संख्या के साथ-साथ उस कार्यालय में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और कर्मचारियों की संख्या से भी पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले समय पर प्रभाव पड़ता है। गृह मंत्रालय की इस सहमति कि यदि पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट कार्यालय का यह प्रयास रहता है कि पासपोर्ट लगभग एक महीने की अवधि के भीतर जारी हो जाए।

(ज) पासपोर्ट जारी करने में सुरक्षा की आवश्यकता के अनुरूप सरकार पासपोर्ट जारी करने की क्रियाविधि को सरल बनाने के लिए स्टाफिंग पैटर्न, नीति, उपकरण और कार्यालय परिसरों से संबंधित कार्रवाई करती है जो एक सतत प्रक्रिया है।

(झ) सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे प्रणाली में पारदर्शिता, अधिक से अधिक संख्या में पासपोर्ट जारी करना जिसके परिणामतः विलम्ब में कमी आए, दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर और दण्डात्मक कार्रवाई करना, पासपोर्टों की सुपुर्दगी तथा उन्हें भेजने से सम्बद्ध तरीके को सुव्यवस्थित बनाना आदि।

**विवरण**

**31.12.93, 31.12.94 और 31.3.95 की स्थिति के अनुसार पासपोर्ट कार्यालयों में बकाया नए आवेदनों की स्थिति**

| क्र.सं. | कार्यालय | 1993 | | 1994 | | 31.3.1995 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल बकाया | एक महीने की अवधि से बकाया | कुल बकाया | एक महीने की अवधि से बकाया | कुल बकाया | एक महीने की अवधि से बकाया |
| 1. | अहमदाबाद | 16897 | 14126 | 13133 | 3266 | 17879 | 6279 |
| 2. | बंगलौर | 29790 | 11676 | 24365 | 15575 | 20406 | 12800 |
| 3. | बरेली | 1792 | 1781 | 8024 | 3075 | 3448 | 1625 |
| 4. | भोपाल | 3346 | 327 | 2570 | 718 | 3484 | 1967 |
| 5. | भुवनेश्वर | 1956 | 245 | 1542 | 915 | 1967 | 915 |
| 6. | बम्बई | 49827 | 16216 | 14555 | 1994 | 23531 | 4732 |
| 7. | कलकत्ता | 14707 | 4901 | 10801 | 5479 | 13693 | 8472 |
| 8. | चण्डीगढ़ | 59912 | 49900 | 26281 | 20223 | 19671 | 12290 |
| 9. | कोचीन | 8912 | 5225 | 9975 | 1984 | 7823 | 1744 |
| 10. | दिल्ली | 33355 | 10464 | 21445 | 13656 | 17801 | 10012 |
| 11. | गोवा | 2350 | 97 | 1191 | 290 | 1881 | 370 |
| 12. | गुवाहाटी | 3071 | 1977 | 2340 | 1648 | 2267 | 1700 |
| 13. | हैदराबाद | 23254 | 9222 | 14274 | 4667 | 16590 | 8125 |
| 14. | जयपुर | 8966 | 1583 | 5251 | 1040 | 7855 | 3112 |
| 15. | जालन्धर | 75547 | 57032 | 36134 | 27631 | 32933 | 24653 |
| 16. | कोजीकोड़ | 74501 | 18077 | 26137 | 14927 | 26924 | 10440 |
| 17. | लखनऊ | 58231 | 55301 | 21952 | 14481 | 8122 | 2774 |
| 18. | मद्रास | 13376 | 12819 | 11034 | 2919 | 11733 | 3652 |
| 19. | नागपुर | 1143 | 54 | 982 | 211 | 1108 | 252 |
| 20. | पटना | 42979 | 36536 | 7322 | 3490 | 4180 | 1236 |
| 21. | त्रिची | 36040 | 24471 | 9672 | 161 | 25045 | 16995 |
| 22. | त्रिवेन्द्रम | 12655 | 1161 | 7999 | 743 | 9648 | 1440 |
| 23. | जम्मू | | | 9240 | 844 | 9223 | 8905 |
| | | 532738 | 364880 | 284887 | 140109 | 286115 | 137680 |

पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू मार्च, 1994 में खुला था।

[हिन्दी]

## गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान मृत्यु

2258. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
**श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान पिछले दो वर्षों में अनेक मछुआरों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मछुआरों के लिए योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव)** : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम के समूह दुर्घटना बीमा संघटक के तहत कुल 472 दावे निपटाए गए हैं। इन दावों में जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर मछुआरों की मृत्यु और स्थायी/आंशिक विकलांगता के मामले शामिल हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान निपटाए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण स्कीम के समूह दुर्घटना बीमा संघटक जिसे 1986-87 में प्रारम्भ किया गया था में मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता की स्थिति में 25,000 रु. के बीमे और एक आंख अथवा एक अंग खराब हो जाने के कारण होने वाली आंशिक विकलांगता के मामले में 12,500 रु. के बीमे की व्यवस्था है। मछुआरों के बीमे की वार्षिक किश्त का वहन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा बराबर बराबर किया जाएगा। मछुआरों से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### विवरण

### पिछले दो वर्षों के दौरान मछुआरों के निपटाए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | तय किए गए दावों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | गुजरात | 7 |
| 2. | कर्नाटक | 39 |
| 3. | महाराष्ट्र | 1 |
| 4. | उड़ीसा | 72 |
| 5. | तमिलनाडु | 307 |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 44 |
| 7. | अंडमान एवं निकोबार | 2 |
| | कुल | 472 |

[अनुवाद]

## भूमिगत परमाणु परीक्षणों की निगरानी के लिये वैज्ञानिक सुविधाएं

2259. **श्री हरिन पाठक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का पाकिस्तान में भूमिगत परमाणु परीक्षण की निगरानी के लिये किसी वैज्ञानिक सुविधा की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान के पास भी विनाशकारी परमाणु हथियार हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) और (ख). सरकार की इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान में एक भूकम्पीय मानीटरिंग केन्द्र की स्थापना की गई है। यह अन्तर्राष्ट्रीय भूकम्पीय नेटवर्क के एक भाग के रूप में अमरीका की मदद से स्थापित किया जा रहा है जिसका प्रयोग भावी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का सत्यापन करने के लिए किया जाएगा जिस पर इस समय जेनेवा में चल रहे निरस्त्रीकरण संबंधी कान्फ्रैंस में विचार-विमर्श किया जा रहा है। पाकिस्तान, भारत और चीन सहित 48 देश इस संबंध में किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय भूकम्पीय प्रायोगिक परीक्षण में भाग ले रहे हैं।

(ग) और (घ). सरकार को पाकिस्तान के गुप्त शस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम की जानकारी है। भारत की सुरक्षा स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है विशेषकर पड़ौस में होने वाली घटनाओं को देखते हुए तथा सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

## भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा निवेश

**2260. श्री एम.वी.एस. मूर्ति :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू योजना के दौरान संयंत्रों के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन पर इतनी ही धनराशि खर्च की गई थी;

(ग) यदि हां, तो चालू योजना के दौरान इस्पात उत्पादन में कितना सुधार हुआ; और

(घ) नौवीं योजना अवधि में इस्पात के उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) और (घ). "सेल" ने 9वीं पंचवर्षीय योजना जो वर्ष 1997-98 से आरम्भ होगी, में शामिल किए जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ख) और (ग). आठवीं योजना (अप्रैल, 1992 से अक्तूबर, 1995) के दौरान "सेल" के दुर्गापुर, राउरकेला, और बोकारो स्थित संयंत्रों के नवीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन (आधुनिकीकरण) पर 4610 करोड़ रुपए (चार हजार छः सौ दस करोड़ रुपये) खर्च हो चुके हैं। इन संयंत्रों द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94, और 1994-95 (अर्थात चालू योजना अवधि का भाग) के दौरान वर्ष 1991-92 अर्थात् आठवीं योजना के पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन क्रमशः 6 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अधिक हुआ। तथापि, अन्तिम वर्ष अर्थात 1996-97 तक इन संयंत्रों का उत्पादन वर्ष 1991-92 की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक होने की सम्भावना है।

## बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक केमिकल्स

**2261. श्री रवि राय :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक केमिकल्स ने इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के मुजफ्फरपुर एकक में इक्विटी के कुछ प्रतिशत को लेने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने इसी तरह से पंजाब और गोवा इकाइयों की अपनी इक्विटी को बेच दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) और (ख). बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार 1 अप्रैल, 1994 के मुजफ्फरपुर इकाई को आई.डी.पी.एल. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है अब इसे बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (बी.डी.ओ.सी.एल.) के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए आई.डी.पी.एल. इक्विटी का कुछ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए बी.डी.ओ.सी.एल. के लिए सहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). विगत में आई.डी.पी.एल. ने कार्य-निष्पादन सुधारने के उद्देश्य से पंजाब स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कारपोरेशन के पक्ष में पंजाब में संयुक्त उद्यम से अपनी इक्विटी का निवेश हटा लिया था। आई.डी.पी.एल. की गोवा में किसी इकाई में इक्विटी होल्डिंग नहीं है।

## अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविर

**2262. श्री सुधीर सावन्त :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविरों में जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) और (ख). सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान अपने प्रदेश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में ऐसे कैम्प चला रहा है जिनमें जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों को आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियां चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

सरकार पाकिस्तान-प्रायोजित आंतकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृत संकल्प है।

## राष्ट्रीय पेयजल प्राधिकरण

**2263. श्री मोहन रावले :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु गंगा कार्य योजना के अनुरूप राष्ट्रीय पेयजल प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की प्रमुख विशेषता क्या है;

(ग) कब तक प्रस्तावित राष्ट्रीय पेयजल प्राधिकरण की स्थापना किये जाने की संभावना है; और

(घ) इसके प्रस्तावित गठन का ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). प्रस्तावित प्राधिकरण के कार्यों और संगठन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

प्राधिकरण को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक स्थापित किये जाने की संभावना है।

## विद्युत की कमी

**2264. श्री प्रमथेश मुखर्जी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1995 के पायोनियर" में "पावर शोर्टेज में वर्सन इन नैक्सट टू ईअर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अधिक विद्युत उत्पादित करने और पारेषण तथा वितरण हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति और वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की प्रत्याशित स्थिति निम्नलिखित है :—

(आंकड़े निवल मि.यू. में)

| | वास्तविक | | प्रत्याशित | |
|---|---|---|---|---|
| | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 |
| आवश्यकता | 323252 | 352260 | 378200 | 416274 |
| उपलब्धता | 299494 | 327251 | 351315 | 388525 |
| कमी | 23758 | 24979 | 26885 | 27749 |
| प्रतिशत | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.6 |

जैसाकि ऊपर देखा जा सकता है, अगले तीन वर्षों में विद्युत की शेष कमी की स्थिति खराब नहीं है।

(ग) मांग और उपलब्धता के अन्तर को समाप्त करने हेतु किए जाने वाले विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; नई उत्पादन क्षमता को चालू करना, अल्प निर्माणावधि वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना और एन्ड एम कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग प्रबन्धन और ऊर्जा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन करना और पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से विद्युत का अंतरण करना।

(घ) विद्युत उत्पादन में अभिवृद्धि करने हेतु किए गए उपायों में, अधिष्ठापित क्षमता का अधिक समुपयोजन करना, ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की उचित गुणवत्ता और मात्रा की आपूर्ति की मानीटरिंग करना और विद्यमान विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण और उन्नयनीकरण करना। पारेषण एवं वितरण हानियों के सम्बन्ध में विद्युत यूटिलिटियों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं; ऊर्जा सम्बन्धी लेखा परीक्षा करना, वोल्टता परिदृश्य को सुधारने के लिए कैपिसिटर अधिष्ठापित करना, प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ताकि उनकी पारेषण और वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाया जा सके और ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैम्पर प्रूफ बक्स लगाना।

## सुपर नेशनल हाई वे परियोजनाओं के लिए प्रमुख समिति

**2265. श्री अमर पाल सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर नेशनल हाई वे के लिए बोली देने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक समिति का गठन किया है, जैसाकि 19 नवम्बर, 1995 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के गठन और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) जी हां।

(ख) गठन

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री आर.एल. कौल, मुख्य इंजीनियर (योजना), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय | अध्यक्ष |
| 2. | श्री एस. चटर्जी, सदस्य (निजी निवेश), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | सदस्य |
| 3. | श्री पी.आर. आचार्य, उप वित्त सलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय | सदस्य |
| 4. | शिपिंग क्रेडिट इंवेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. | इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेन्शियल सर्विसेज का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. | श्री कमलेश कुमार, महाप्रबंधक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | सदस्य सचिव |

**समिति के सलाहकार**

1. श्री ए.के. अग्रवाल, पूर्व अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय।
2. निजी परामर्शदाताओं का एक प्रतिनिधि, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सलाह देने के लिए विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कानूनी सोलिसिटरों की फर्मों का एक प्रतिनिधि।

**समिति के विचारार्थ विषय**

(क) बोलियों से संबंधित सभी बकाया मुद्दों को निपटाना।

(ख) मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ सभी बोलियों को मानकित करना।

(ग) बोलीदाताओं के साथ वार्ताओं का आयोजन करना।

## राज्यों को उर्वरक

**2266. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को अन्य विभिन्न एजेंसियों, जो अभी हाल तक कार्य कर रहे थे, द्वारा रासायनिक उर्वरकों का आवंटन किए जाने के बजाय केवल राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा ही इसका आवंटन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्यों को किये गये आबंटन और 1996-97 के दौरान प्रस्तावित आवंटन का ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) इस समय मात्र यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य, वितरण और संचालन नियंत्रण के अंतर्गत है। यूरिया की आवश्यकता का मूल्यांकन राज्य सरकारों और उर्वरक उद्योग के साथ परामर्श से प्रत्येक फसल मौसम अर्थात् खरीफ (अप्रैल से सितम्बर) और रबी (अक्तूबर से मार्च) से पूर्व किया जाता है। नीचे दी गयी तालिका में 1995 की खरीफ और 1995-96 की रबी मौसमों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/टी बोर्ड की यूरिया की मूल्यांकित आवश्यकता और किये गये आवंटन का ब्यौरा दिया गया है :—

(लाख टनों में)

| मूल्यांकित | आबंटन | आवश्यकता |
|---|---|---|
| खरीफ, 95 | 87.67 | 95.76 |
| रबी, 95-96 | 101.01 | 07.58 |

वर्ष 1996-97 के दौरान खरीफ और रबी मौसमों के लिए यूरिया का आवंटन उचित समय पर उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

## जी-77 बैठक में विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं पर टिप्पणी

**2267. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में जी-77 के विदेश मंत्रियों की बैठक में विचार-विमर्श में भाग लेते हुए इस विचार की आलोचना की है कि विकासशील राष्ट्रों को ऐसा राष्ट्र समूह नहीं माना जा सकता है, जिसके समान हित समस्याएं और चिन्ता हों तथा विकसित राष्ट्रों से यह अनुरोध किया है कि वे विकासशील राष्ट्रों को, ऐसे समूह के रूप में मान्यता दें, जिनकी ज्यादातर समस्याएं और चिन्ताएं समान हों; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या मुख्य टिप्पणियां की गई और क्या मुख्य सुझाव दिए गए तथा विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) और (ख). सितम्बर, 1995 के दौरान न्यूयार्क में सम्पन्न विकासशील देशों के जी-77 ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री के भाषण के संगत उद्धरण इस प्रकार हैं :-

यह तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि पिछले चालीस वर्षों के दौरान आर्थिक विकास और सार्वभौमिक प्रतिस्पर्द्धा एवं एकीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों, जिनकी संख्या अब 130 से अधिक हो गई है, द्वारा अलग-अलग प्रगति हासिल की गई है इसलिए उन्हें विकासशील सहयोग के प्रयोजनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक समूह नहीं माना जा सकता। इसलिए इस प्रस्ताव का उद्देश्य आय तथा प्रगति के विभिन्न मानदण्डों के मुताबिक विकासशील देशों को श्रेणीबद्ध करना ही नहीं है बल्कि वास्तव में सहायता देने अथवा व्यापारिक व्यवहार के संदर्भ में प्रत्येक विकासशील देश के प्रति "अलग-अलग" विकास सहयोग दृष्टिकोण अपनाना भी है। लगाई जा रही व्यापक नीतिगत शर्तों की संकल्पना इसके साथ जुड़ी हुई है और इन शर्तों में गैर आर्थिक शर्तें भी शामिल हैं। जिन संसाधनों को स्वयं विकासशील देश वांछनीय समझते हैं उनके कुशल पुनःआवंटन तथा उपयोग से विकासशील देशों को व्यापार, वित्तीय तथा प्रौद्योगिक अन्तरण के माध्यम से संसाधनों के अतिरिक्त, नये तथा पर्याप्त प्रवाह को संकुचित करने की प्रवृत्ति और सुदृढ़ हुई है।

"जी-77 द्वारा हर स्तर पर तथा हर मंच पर इस तथ्य पर बल दिया जाना चाहिए कि विकासशील देश होने के नाते हमारी कुछ हित-चिन्ताएं और दृष्टिकोण समान हैं चाहे हमारी आर्थिक प्रगति के स्तर अलग-अलग क्यों न हो। हम अत्यधिक निर्धनता, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, संसाधनों की गम्भीरक कमी, प्रौद्योगिक कमी से सम्बन्धित एक जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और हम सभी कठिन परिस्थितियों में विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समान रूप से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन बाधाओं को दूर करने के लिए एकजुट होकर प्रयासरत हैं जो मण्डियों में हमारी वस्तुओं, निर्मित और सेवागत

निर्यातों के प्रवेश पर हमारे विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर, तथा उन वर्द्धित वित्तीय संसाधनों पर लगाये जा रहे प्रतिबन्धों के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो रही हैं, जो हमारे लोगों की बुनियादी जरूरतों की ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु नीतियां तैयार करने के लिए आवश्यक हैं। हमें अपने विकास भागीदारों को बल देकर यह बात कहनी चाहिए कि यही वह समय है जब विकास के लिए कार्य सूची तय करते समय विकास सम्बन्धी समस्याओं और चुनौतियों के प्रति एक समग्र सार्वभौमिक दृष्टिकोण तैयार किया जाए और यह आंशिक नहीं होना चाहिए तथा बहुवाद से वंचित नहीं होना चाहिए।"

## रुग्ण गहरे-समुद्र मत्स्यन उद्योग को अर्थक्षम बनाना

**2268. श्री अन्ना जोशी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण गहरे समुद्र मत्स्यन उद्योग को अर्थक्षम बनाने हेतु कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) और (ख). सरकार ने गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है तथा उसमें दी गई सिफारिशों पर अंतर-मंत्रालय स्तर पर कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

## ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि

**2269. श्री विजय एन. पाटील :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला परिषदों और पंचायतों को सीधे धनराशि जारी की जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों ने अपनी आपत्तियों के संबंध में क्या कारण बताए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जिला परिषदों और पंचायतों के माध्यम से सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) और (ख). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं, जिन्हें केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, किसी भी राज्य ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषदों को सीधे रूप से निधियां रिलीज करने पर विरोध नहीं किया है। तथापि, जवाहर रोजगार योजना के मामले में चार राज्य, अर्थात् केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषदों को सीधे रूप से निधियां रिलीज करने पर अभी तक सहमत नहीं हुए हैं। वर्तमान में ग्राम-पंचायतों को सीधे रूप से निधियां रिलीज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के मामले में, निधियां राज्य सरकारों को रिलीज की जाती हैं।

(ग) और (घ). ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्य सरकारें पूर्ण सहयोग दे रही हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार संविधान (73 वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के आलोक में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए सभी उपाय कर रही है।

## राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर निर्माण कार्य

**2270. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गुन्टूर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर चल रहे निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आएगी; और

(ख) इन निर्माण कार्यों के कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) और (ख). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

| क्र.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत लागत (लाख रु.) | पूरा होने की संभावित तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 358-395.9 कि.मी. तक रा.रा.सं. 5 (विजयवाडा-विशाखापत्तनम खंड) में 4 लेन बनाने के लिए कैरिज वे को चौड़ा करने हेतु भूमि का अधिग्रहण | 400.00 | 3/96 |
| 2. | रा.रा.-5 पर 170.785 से 179.650 कि.मी. (पालासा बाईपास) विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) में कार्य के सरेखण के लिए भूमि का अधिग्रहण | 260.05 | 3/96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | रा.रा.-5 के विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड में इलुरू के चारों ओर बाईपास के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण | 391.40 | 3/96 |
| 4. | अनाकापल्ली से विशाखापत्तनम तक (विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड और विशाखापत्तनम-भुवेनश्वर खंड) रा.रा. 5 को चौड़ा करने तथा मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक योजना | 8333.33 | 12/96 |
| 5. | रा.रा. 5 पर 170.785 से 179.61 कि.मी. तक (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) कमजोर पेवमेंट को मजबूत बनाना | 84.55 | 3/96 |
| 6. | रा.रा. 5 पर 254/0 से 274/0 कि.मी. तक (मद्रास विजयवाड़ा खंड) में पेवमेंट को मजबूत करना | 404.60 | 3/96 |
| 7. | रा.रा. 5 के विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम के 80.0 से 90.0 कि.मी. तक कमजोर पेवमेंट को मजबूत करना | 206.93 | 3/96 |
| 8. | रा.रा. 5 पर 220/0 से 213/0 कि.मी. तक कमजोर पेवमेंट को मजबूत करना (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) | 317.25 | 3/97 |
| 9. | रा.रा. 5 के 181.0-196.0 कि.मी. (मद्रास-विजयवाड़ा खंड) में 2 लेन वाली कमजोर पेवमेंट को मजबूत करना | 370.33 | 9/97 |
| 10. | रा.रा. 5 पर 179.60-195.0 कि.मी. (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खंड) में 2 लेन वाली कमजोर पेवमेंट को मजबूत करना | 311.43 | 9/97 |
| 11. | रा.रा. 5 के विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम खंड के 170.0 से 183.0 कि.मी. तक में कमजोर 2 लेनों को मजबूत करना। | 324.46 | 9/97 |
| | | जोड़ 11404.33 | |
| | | अर्थात् 114.00 करोड़ रु. | |

**पारेषण और वितरण क्षति के लिये विदेशी धनराशि**

**2271. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत के पारेषण और वितरण क्षति को रोकने के लिए विशेषज्ञों/राज्य विद्युत बोर्डों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने विद्युत के पारेषण और वितरण क्षति को रोकने के लिये विदेशी सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों ने सहायता की पेशकश की है और कौन-कौन से राज्य इससे लाभान्वित होंगे;

(ङ) भारत में विद्युत के पारेषण और वितरण की क्षति अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में कितनी है; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे)** : (क) से (घ). पारेषण तथा वितरण हानियां कम करने के लिए समय-समय पर कई सुझाव/विकल्प प्राप्त किए जाते हैं। इन पर विचार किया जाता है और राज्य सरकारों, जो विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवारी रखते हैं, को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों की स्थापना किए जाने, कैपिसिटर अधिष्ठापना और उप वितरण प्रणालियों का सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी कार्यक्रमों को वित्तीय स्रोतों के अनुसार अनुमत्य सीमा तक राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया गया है। प्रणाली सुधार स्कीमों का क्रियान्वयन किए जाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (के.वि.प्रा.) विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) राज्य सरकारों/रा.बि. बोर्डों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। इस सम्बन्ध में आर ई सी/पीएफसी ने विश्व बैंक/एडीबी/ओईसीएफ, तथा यू.के. की ओ डी ए से ऋण की श्रृंखला प्राप्त की है।

(ङ) विकसित और विकासशील देशों द्वारा सामना की जा रही पारेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं। तथापि, विभिन्न देशों की इन हानियों की तुलना औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रणाली प्रचालन की परिस्थितियां प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न हैं।

(च) भारत सरकार ने एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाने के लिए अच्छे कार्यनिष्पादन करने वाले राज्य बिजली बोर्डों और वितरण प्रभागों को नकद पुरस्कार/शील्ड प्रदान किए जाते हैं। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 39 और 39-ए में संशोधन करके बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। अपनी विद्युत प्रणालियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए भी राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों को प्रोत्साहित किया जाता है।

**विवरण-I**

**विकसित देशों में पारेषण तथा वितरण हानियों का प्रतिशत**
**(सार्वजनिक यूटिलिटियां)**

| क्र.सं. | देश | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आस्ट्रेलिया | 7.49 | 7.34 | 7.44 | 7.19 |
| 2. | बेल्जियम | 5.64 | 5.82 | 5.59 | 5.51 |
| 3. | कनाडा | 9.45 | 8.44 | 8.74 | 8.44 |
| 4. | चेकोस्लोवाकिया | 7.91 | 7.86 | 8.08 | 8.50 |
| 5. | डेनमार्क | 5.65 | 5.17 | 6.92 | 6.70 |
| 6. | फिनलैण्ड | 5.64 | 5.91 | 5.04 | 5.09 |
| 7. | फ्रांस | 8.25 | 8.18 | 8.28 | 7.64 |
| 8. | जर्मन डीआर | 8.05 | 9.15 | – | – |
| 9. | जर्मन एफआर | 4.18 | 4.63 | – | – |
| 10. | जर्मनी | – | – | 5.17 | 4.87 |
| 11. | ग्रीस | 8.12 | 9.05 | 8.88 | 7.92 |
| 12. | हंगरी | 11.11 | 11.09 | 11.06 | 9.43 |
| 13. | आयरलैण्ड | 9.70 | 9.78 | 10.00 | 9.71 |
| 14. | इटली | 8.54 | 7.83 | 8.15 | 7.84 |
| 15. | नार्वे | 8.53 | 10.43 | 7.40 | 9.71 |
| 16. | पौलेण्ड | 10.58 | 9.83 | 12.43 | 13.85 |
| 17. | स्पेन | 9.10 | 10.00 | 10.01 | 10.05 |
| 18. | स्वीडन | 7.20 | 7.00 | 6.57 | 7.11 |
| 19. | स्विट्जरलैण्ड | 8.03 | 7.97 | 7.97 | 8.03 |
| 20. | यूएसएसआर | 9.45 | 9.32 | – | – |
| 21. | रूस गणराज्य | – | – | 8.98 | 9.59 |
| 22. | यू.के. | 8.53 | 8.25 | 8.80 | 9.20 |
| 23. | यू एस ए | 5.70 | 3.68 | 7.93 | 8.97 |
| 24. | भारत* | 23.28 | 22.89 | 22.83 | 21.80 |

टिप्पणी

1.* – वित्तीय वर्ष के लिए

## विवरण–II

### विकासशील देशों में पारेषण तथा वितरण हानियों का प्रतिशत
### (सार्वजनिक यूटिलिटियां)

| क्र.सं. | देश | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अल्जीरिया | 14.09 | 15.55 | 18.51 | 15.07 |
| 2. | बंगलादेश | 38.64 | 38.55 | 30.10 | 35.57 |
| 3. | ब्राजील | 13.28 | 13.26 | 13.70 | 13.31 |
| 4. | चिली | 17.67 | 18.77 | 15.41 | 14.72 |
| 5. | कोलम्बिया | 17.46 | 25.83 | 24.25 | 23.70 |
| 6. | कोस्टारिका | 10.20 | 10.44 | 10.16 | 17.62 |
| 7. | गोटेमाला | 15.97 | 16.31 | 16.08 | उ.न. |
| 8. | इण्डोनेशिया | 20.84 | 19.02 | 18.42 | 17.98 |
| 9. | जोर्डन | 15.91 | 13.27 | 10.99 | 10.07 |
| 10. | केन्या | 13.42 | 16.47 | 15.46 | 15.45 |
| 11. | रिपब्लिक ऑफ कोरिया | 5.85 | 5.60 | 5.93 | 5.49 |
| 12. | कुवैत | 9.02 | 9.32 | 9.02 | 8.40 |
| 13. | मलेशिया | 11.96 | 11.75 | 11.38 | 9.63 |
| 14. | म्यांमार | 30.13 | 34.05 | 27.96 | 26.16 |
| 15. | नेपाल | 28.21 | 32.67 | 28.39 | 28.84 |
| 16. | फिलीपिन्स | 21.73 | 19.80 | 18.37 | 16.51 |
| 17. | पाकिस्तान | 22.36 | 22.24 | 20.64 | 21.34 |
| 18. | पेरू | 13.67 | 13.52 | 13.91 | 14.46 |
| 19. | श्रीलंका | 16.31 | 14.83 | 17.26 | 16.78 |
| 20. | सिंगापुर | 4.97 | 4.99 | 5.00 | 5.00 |
| 21. | थाईलैण्ड | 10.64 | 10.50 | 10.20 | 10.85 |
| 22. | ट्यूनिशिया | 13.51 | 14.04 | 13.62 | 12.83 |
| 23. | उरूग्वे | 23.62 | 21.77 | 19.12 | 21.72 |
| 24. | जिम्बाब्वे | 8.93 | 9.73 | 6.76 | 9.74 |
| 25. | भारत* | 22.48 | 22.31 | 23.28 | 22.89 |

टिप्पणी

उ.न.–उपलब्ध नहीं

*–वित्तीय वर्ष के लिए

## विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का कार्यनिष्पादन तथा विस्तार

**2272. श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत पुनर्गठन के पश्चात् विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो वी.एस.पी. (आर.आई.एन.एल) को दी गई एकमुक्त सहायता तथा गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसके वित्तीय, उत्पादन संबंधी तथा विपणन के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयंत्र के विस्तार किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बेरोजगार तथा रोजगार प्राप्त विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है तथा बेरोजगार विस्थापित लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) पुनर्संरचना के पश्चात् वर्ष 1993-94, 1994-95 और चालू वर्ष में नवम्बर, 1995 तक के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ख) पूंजीगत पुनर्गठन के अन्तर्गत सरकार द्वारा मंजूर वित्तीय पैकेज का विवरण निम्नलिखित है :—

(i) दसवें वर्ष के समापन पर 31.3.1992 को भारत सरकार के 2369 करोड़ रुपए के बकाया ऋणों में से 1184 करोड़ रुपए की साम्य पूंजी में परिवर्तन तथा शेष 1185 करोड़ रुपए का 7 प्रतिशत असंचयी शोधनीय अधिमान अंशों में परिवर्तन।

(ii) 31.7.1992 को भारत सरकार के ऋण पर 791 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज को 7 वर्ष ब्याज मुक्त ऋण में बदलना।

(iii) 1 अगस्त, 1992 के पश्चात् 1992-93 में प्राप्त किए जाने वाले भारत सरकार के ऋण को आबंटन की तारीख से दसवें वर्ष के अन्त में 7 प्रतिशत असंचयी शोधनीय अधिमान अंशों में बदलना।

(iv) वर्ष 1993-94 में प्राप्त किए जाने वाले भारत सरकार के ऋण को पुनरीक्षण के बाद तय किए जाने वाले अधिमान अंशों में बदलना।

(v) 31 जुलाई, 1992 तक भारत सरकार के ऋण के मूल धन और ब्याज को चुकाने में हुए विलंब के फलस्वरूप वसूल किया जाने वाला दंडस्वरूप ब्याज माफ करना।

गत दो वर्षों में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का वित्तीय, उत्पादन और विपणन निष्पादन नीचे दिया गया है :—

**(क) वित्तीय निष्पादन (करोड़ रुपए)**

| विवरण | 1993-94 | 1994-95 | % वृद्धि |
|---|---|---|---|
| निवल बिक्री वसूली | 1531 | 1842 | 20 |
| सकल मार्जिन | 114 | 416 | 265 |
| नकद लाभ/हानि | -232 | 50 | 122 |
| निवल लाभ/हानि | -572 | -364 | 36 |

**(ख) उत्पादन निष्पादन (मिलियन टन)**

| उत्पादन | 1993-94 | | 1994-95 | | प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| | वास्तविक | प्रतिशत क्षमता उपयोग | वास्तविक | प्रतिशत क्षमता उपयोग | |
| तप्त धातु | 2.37 | 70 | 2.84 | 84 | 20 |
| अपरिष्कृत इस्पात | 1.36 | 45 | 1.94 | 65 | 43 |
| विक्रेय इस्पात | 1.184 | 45 | 1.56 | 59 | 32 |

**(ग) विपणन निष्पादन (मात्रा : मिलियन टन/मूल्य : करोड़ रुपए)**

| उत्पाद | 1993-94 | | 1994-95 | | प्रतिशत वृद्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1. लोहा और इस्पात | | | | | | |
| इस्पात | 1.235 | 1190 | 1.476 | 1622 | 20 प्रतिशत | 36 प्रतिशत |
| कच्चा लोहा | 1.189 | 609 | 0.853 | 446 | -28 प्रतिशत | -27 प्रतिशत |
| योग (लोहा और इस्पात) | 2.424 | 1799 | 2.329 | 2068 | -4 प्रतिशत | 15 प्रतिशत |
| उपोत्पाद | 0.482 | 91 | 1.043 | 147 | 116 प्रतिशत | 62 प्रतिशत |
| कुल बिक्री | 2.906 | 1890 | 3.372 | 2215 | 16 प्रतिशत | 17 प्रतिशत |

(ग) और (घ). विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की क्षमता में वृद्धि हेतु अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) 1 दिसम्बर, 1995 को उप-रोजगार केन्द्र गजुवाका में 14449 विस्थापित व्यक्ति पंजीकृत हैं जिनमें से 6241 विस्थापितों को पहले ही विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में रोजगार दिया जा चुका है और शेष 8208 व्यक्ति रोजगार केन्द्र के मौजूदा रजिस्टर में दर्ज हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के बीच हुए अनुबंध के अनुसार 5000 विस्थापितों को वी.एस.पी. में रोजगार दिया जाएगा। तथापि, वी.एस.पी. अनुबंध में बताई गई संख्या से अधिक विस्थापितों को रोजगार उपलब्ध करवा चुका है। चूंकि वी.एस. पी. में जनशक्ति की आवश्यकता स्थिर हो गई है। अतः विस्थापितों को बड़े पैमाने पर वी.एस.पी. में रोजगार देना वी.एस.पी. के लिए संभव नहीं होगा। तथापि, वी.एस.पी. सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र देने के फलस्वरूप हुई रिक्तियों को भरने के लिए विस्थापितों को वरीयता देना जारी रखेगा। वी.एस.पी. ने स्थानीय प्रशासन को भी सुझाव दिया है कि वह ऐसी उपयुक्त योजनाओं पर सहमत है जिनसे विस्थापितों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा जैसे कि सेवा सहकारी समितियों का गठन, जिन्हें ठेके के आधार पर कार्य दिया जाएगा। अनुषंगी उद्योगों का चयन करने में वी.एस.पी. ने अकुशल कार्यों में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया है। इन अनुषंगी उद्योगों से माल और जिन्स प्राप्त करने के लिए एक कड़ी शर्त रखी गई है।

## भारत-यूक्रेन संबंध

**2273. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूक्रेन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित किये जाने की अत्यधिक संभावना है;

(ख) क्या यूक्रेन ने भारत के साथ विभिन्न क्षेत्रों यथा आर्थिक, व्यापारिक, रक्षा क्षेत्रों में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पहल का स्वागत किया है तथा क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच इस पर कोई समझौता हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारत और उक्रेन के बीच मैत्री और सहयोग के उत्कृष्ट संबंध हैं जो उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से मजबूत होते रहे हैं। मार्च, 1992 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री लियोनिद क्रावचुक ने भारत की यात्रा की थी। भारत के राष्ट्रपति जुलाई, 1993 में यूक्रेन की राजकीय यात्रा पर गए थे।

अप्रैल, 1994 में यूक्रेन के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री ए एम ज्लेंको भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच नियमित परामर्शों के संबंध में एक प्रोटोकोल तथा व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में एक अन्तर्सरकारी आयोग की स्थापना करने के लिए एक करार संपन्न हुआ। तत्पश्चात् विदेश मंत्रालयों के परामर्श तथा इसके साथ ही संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक कीव में दिसम्बर, 1994 में हुई।

अक्तूबर, 1992 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री यूक्रेन की यात्रा पर गए और उसकी इस यात्रा के बाद विशेषज्ञ स्तर पर ठोस संपर्क होते रहे।

(घ) और (ङ). यूक्रेन के साथ नीचे लिखे करार/समझौता ज्ञापन संपन्न किए गए हैं;

(i) मैत्री और सहयोग संधि, जो भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के क्षेत्रों तथा दिशाओं के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला आधारभूत राजनीतिक दस्तावेज है।

(ii) व्यापारिक और आर्थिक सहयोग पर करार, जिसमें यह व्यवस्था है कि भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनीय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं में किया जाए, बशर्ते दोनों संविदाकारी पक्षों में अन्यथा सहमति न हो जाए।

(iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग पर करार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग उपलब्ध कराने के लिए यह एक छत्र करार है जिसकी पूर्ति 1993 से 96 तक के लिए सहयोग कार्यक्रम द्वारा की जाएगी।

(iv) संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, खेलकूद और जन-संचार के क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध यह एक छत्र करार है। एक जिसकी पूर्ति एक सहयोग कार्यक्रम द्वारा की जाएगी जिस पर विचार-विमर्श हो रहा है।

(v) व्यापारिक और आर्थिक संबंधों से संबद्ध समझौता ज्ञापन। यह भारत और यूक्रेन के बीच निलंब लेख एकाउंट के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार के संचालन के तौर-तरीकों से संबंधित है।

(vi) व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग से संबद्ध अन्तर-सरकारी करार। इसमें द्विपक्षीय करारों के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करने के लिए और उपर्युक्त क्षेत्रों में सहयोग के संवर्धन के लिए समीक्षा करने, अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है।

(vii) आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध करार, जिसमें भारतीय संस्थाओं में यूक्रेनी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण देने की, परस्पर सहमत क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञों को यूक्रेन

भेजने तथा यूक्रेन की उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में भारतीय छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था है।

(viii) भारत के विदेश मंत्रालय तथा यूक्रेन के विदेश कार्य मंत्रालय के बीच परामर्श से सम्बद्ध प्रोटोकोल, जिसमें द्विपक्षीय करारों के क्रियान्वयन का आदान-प्रदान, अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विनिमय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में परस्पर कार्यकलाप करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित परामर्श की व्यवस्था है।

(ix) इसरो तथा यूक्रेन के राष्ट्रीय अन्तरिक्ष अभिकरण के बीच बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उपयोग के संबंध में सहयोग से सम्बद्ध करार, जिसमें रिमोट सेंसिंग सहित संचार सामग्री संसाधन, सुविधाओं का परस्पर प्रयोग करने आदि के क्षेत्रों में अन्तरिक्ष अनुसंधान में सहयोग की व्यवस्था है।

(x) वायु सेवाओं से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन, जिसमें दोनों देशों के बीच वायु सेवाओं की मार्ग-सारिणी तथा अन्य तौर-तरीकों की व्यवस्था है।

(च) जहाजरानी, दोहरे कराधान के परिहार तथा रक्षा सहयोग से सम्बद्ध क्षेत्रों में द्विपक्षीय करार सम्पन्न करने के लिए बातचीत चल रही है। पूंजी-निवेशों के पारस्परिक संरक्षण तथा संवर्धन और प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने से सम्बद्ध प्रस्ताव विचाराधीन है। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति श्री कुचमा को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री तथा उप उद्योग मंत्री को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। संयुक्त आयोग की अगली बैठक और विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए तारीखें तय करने हेतु विचार-विमर्श किया जा रहा है।

## उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या

**2274. श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जहां जल का कोई स्रोत नहीं है, पेयजल की समस्या के निदान हेतु कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं; और

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## निजी कंपनियों के साथ विद्युत परियोजनाओं संबंधी समझौते

**2275. श्री राम नाईक :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को नई विद्युत परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौते करने की अनिवार्यता के संबंध में कोई मार्ग निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा उन निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन सी राज्य सरकारों द्वारा इन मार्ग निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; और

(ङ). इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊर्मिला सी. पटेल) :** (क) और (ख). सरकार ने, निजी विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापना करने के लिए, 18.2.1995 से प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली को अनिवार्य बनाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत राज्यों को जारी किए हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को यह सलाह दी गई है कि वह 18.2.1995 के बाद किसी भी प्रस्ताव को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचार न करें, यदि परियोजना के संबंध में प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली पद्धति से कार्रवाई नहीं की गई हो। इसलिए राज्य सरकारों ने उन परियोजनाओं, जिनके लिए के.वि. प्रा. की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित हो, के लिए 18.2.95 के बाद निजी विद्युत विकासकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना प्रभावी रूप से बंद कर दिया।

(ग) अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, जिसमें यह देखा गया हो कि किसी राज्य सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन न किया हो।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## मेस्को द्वारा चलाई जाने वाली कल्याण गतिविधियां

**2276. श्री अनादि चरण दास :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने क्षेत्र में मेस्को का (उड़ीसा के सुकिन्दा, जिला जाजपुर में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र) समाज कल्याण गतिविधियों हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या उद्योग में एक अलग समाज कल्याण स्कंध आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) से (ग). उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मेस्को ग्रुप ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कल्याण कार्यकलापों में अपने लाभ का कम से कम 1 प्रतिशत खर्च करने का प्रस्ताव किया है।

## गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए आवंटन

**2277. श्री बलराज पासी :**
**श्री अमर पाल सिंह :**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पर गंभीर है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना, गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रम हैं, जिसे केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतगर्त कुल खर्च की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है :—

| कार्यक्रम | खर्च की गई राशि (रु. करोड़ में) | | |
|---|---|---|---|
| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
| 1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 693.08 | 956.65 | 995.86 |
| 2. जवाहर रोजगार योजना | 2709.59 | 3590.21 | 3359.88 |
| 3. सुनिश्चित रोजगार योजना | ** | 183.75 | 1235.45 |

** सुनिश्चित रोजगार योजना 1993-94 में शुरू की गई थी।

(ख) और (ग). विगत वर्षों में सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई पहल की हैं। 1995-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना की कवरेज को देश के 1778 खण्डों (1993-94 के अनुसार) से बढ़ाकर 2475 खण्डों में लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना का विस्तार वैयक्तिक कृषकों (योजना के लक्षित समूह) की निजी भूमि पर बागवानी शुरू करने के लिए भी किया गया है। हाल ही में, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को राज्य, जिला, ब्लाक स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ चुने हुए प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति मंत्रालय की सहायता से चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण, निगरानी और सतर्कता कार्य करेगी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई महत्वपूर्ण पहले ये हैं :—

(1) 8,500 रु. की निर्धारित सीमा रेखा को समाप्त करके, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दिए जाने के लिए 11,000/-रु. की गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों को अनुमेय बनाना (2) 1996-97 में प्रति परिवार 15,000/- रु. तक लक्षित निवेश में वृद्धि करना (3) देश के 50 प्रतिशत खण्डों में नकद वितरण योजना का विस्तार करना (4) अप्रैल, 1993 से प्रत्येक वर्ग के लिए सबसिडी की सीमा को 1,000 रु. से और अधिक बढ़ाना (5) 25 लाख रुपये से नीचे की ढांचागत परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत शक्तियों को विकेन्द्रीकरण करना आदि।

**[हिन्दी]**

## जल आपूर्ति हेतु असम सरकार का प्रस्ताव

**2278. श्री प्रबीन डेका** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सफाई प्रबन्ध हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जानी है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

## ताप/जल विद्युत संयंत्रों में उत्पादन लागत

**2279. श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप और जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की उत्पादन लागत का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत का राष्ट्रीय औसत क्या है?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे)** : (क) से (ग). विद्युत उत्पादन की लागत केन्द्र के स्थल, परियोजना की क्षमता, वित्तपोषण का स्रोत व पद्धति, कोयले की गुणवत्ता एवं प्रकार और प्रौद्योगिकी विशेषताओं आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न केन्द्रों में भिन्न-भिन्न होती है। वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.

... द्वारा स्वीकृत कुछ परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन की लागत ... विद्युत परियोजनाओं के मामले में 112 पैसा/कि.वा. आवर से 222 पैसा/कि.वा. आवर तथा ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में 214 पैसा/कि.वा. आवर में 275 पैसा/कि.वा. आवर अनुमानित की गई है।

**[अनुवाद]**

### गोवा में पत्तन सुविधाएं

**2280. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उदारीकरण, व्यापार के भूमण्डलीकरण तथा पत्तन सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गोवा पत्तन पर पत्तन सुविधाओं के विस्तार/आधुनिकीकरण करने हेतु एक विकास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत चार वर्षों के दौरान किन-किन योजनाओं को लागू किया गया तथा उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें निजी निवेश द्वारा वित्त पोषण किया जाना है तथा इस संबंध में कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा किन-किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) और (ख). जी हां। 8 वीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं 1995-96 और 1996-97 में क्रमशः 123 करोड़ रु., 27.28 करोड़ रु., 12.50 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान/प्रस्ताव किया गया है। 8वीं योजना के पहले 4 वर्षों के दौरान लगभग 80 प्रतिशत परिव्यय का उपयोग हुआ है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामान्य कार्गो बर्थ सं. 11 को चालू किया जाना मुख्य उपलब्धि रही।

(ग) तथा (घ). 60,000 एस डब्ल्यू टी तक के जलयानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फ्लोटिंग शुष्क गोदी सहित जहाज मरम्मत परिसर स्थापित करने के लिए मै. वैस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि. को 31,000 वर्ग मीटर भूमि और 50,000 वर्ग मीटर तटीय क्षेत्र (वाटर फ्रंट) पट्टे पर दिया गया है।

### केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

**2281. श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों हेतु आवेदनों को मंजूरी देने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भूमिका में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भूमिका में दिए गए संशोधन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की भूमिका को जानबूझकर कम किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

### पाकिस्तान द्वारा कट्टरपंथी संगठनों पर छापे

**2282. श्री गुरुदास कामत :**
**कुमारी सुशीला तिरिया :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अनेक देशों के बार-बार किये गये इस अनुरोध की उपेक्षा कर दी है कि वह उन प्रमुख कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाये, जो भारत तथा अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) और (ख) सरकार का विश्वास है कि आतंकवाद को पाकिस्तान का निरन्तर समर्थन देने का मसला कुछ देशों ने पाकिस्तान के साथ उठाया है। तथापि, आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान का निरन्तर समर्थन जारी है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इसे पूर्णतः मानता है। सरकार पाकिस्तान से बार-बार यह अनुरोध करती रही है कि वह आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियों को समर्थन देने की अपनी नीति का त्याग दे।

### उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाएं

**2283. डा. साक्षीजी :**
**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं पर राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई और इनसे कितने लोग लाभान्वित हुए;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कोई नया ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के लिए योजनावार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल)** : (क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) सुनिश्चित रोजगार योजना, और (4) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम हैं। गत दो वर्षों अर्थात् 1993-94 और 1994-95 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत खर्च की गई राशि और लाभान्वित लोगों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). फिलहाल किसी नए ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान चल रहे स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता रहेगा।

**विवरण**

**उत्तर प्रदेश में 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च की गई राशि और भौतिक उपलब्धि**

| कार्यक्रम | खर्च की गई राशि (रुपए करोड़ में) | | भौतिक उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|
| | 1993-94 | 1994-95 | 1993-94 | 1994-95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (लाभांवित परिवारों की संख्या) | 201.97 | 193.35 | 4,45,403 | 3,69,725 |
| जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रमदिन) | 474.02 | 494.10 | 1791 | 1395 |
| सुनिश्चित रोजगार योजना (लाख श्रमदिन) | 5.18 | 58.98 | 15 | 166 |
| त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (लाभांवित जनसंख्या) | 69.65 | 74.06 | 36,99,600, | 29,89,30 |

**[हिन्दी]**

**केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि**

**2284. श्री खोलन राम जांगडे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का वर्ष-वार राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार को सड़कों तथा पुलों के निर्माण में प्रयोग की जा रही सामग्रियों के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1992-93 आबंटन | 1993-94 आबंटन | 1994-95 आबंटन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 33.00 | 50.00 | 600.00 |
| 2. | असम | 60.00 | 40.00 | 42.00 |
| 3. | बिहार | 100.00 | 40.00 | 166.00 |
| 4. | दिल्ली | 12.00 | 100.00 | 835.00 |
| 5. | गोवा | 1.00 | 5.00 | 55.00 |
| 6. | गुजरात | 70.00 | 80.00 | 239.00 |
| 7. | हरियाणा | 39.00 | 35.00 | 250.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | – | 15.00 | 35.00 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 50.00 | 15.00 | 50.00 |
| 10. | कर्नाटक | 80.00 | 50.00 | 288.00 |
| 11. | केरल | 20.00 | 55.00 | 104.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 50.00 | 45.00 | 236.00 |
| 13. | महाराष्ट्र | 100.00 | 110.00 | 1100.00 |
| 14. | मणिपुर | – | 10.00 | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | मेघालय | 25.00 | 10.00 | 7.00 |
| 16. | मिजोरम | 35.00 | – | 11.00 |
| 17. | नागालैण्ड | – | 10.00 | 34.00 |
| 18. | उड़ीसा | 7.00 | 40.00 | 28.00 |
| 19. | राजस्थान | 25.00 | 5.00 | 103.00 |
| 20. | तमिलनाडु | 50.00 | 80.00 | 505.00 |
| 21. | त्रिपुरा | 11.00 | 5.00 | 1.00 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 79.50 | 100.00 | 157.00 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 40.00 | 20.00 | 56.00 |
| 24. | सिक्किम | – | 20.00 | 8.00 |
| 25. | पंजाब | – | 60.00 | 259.00 |

**[अनुवाद]**

**फार्म आधारित परियोजनाएं**

**2285. श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में इजराइल के सहयोग से कुछ फार्म आधारित परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ये परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएंगी, उनकी लागत कितनी होगी तथा उन परियोजनाओं में व्यावसायिक उत्पादन कब से शुरू हो जाने का अनुमान है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) से (ग). कृषि क्षेत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि व्यापार फसलोत्तर और प्रसंस्करण प्रोद्यौगिकी तथा संयुक्त उद्यम शामिल हैं, में सहयोग के लिए भारत सरकार और इजराइल सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्थान के मामले में यह समझौता सभी राज्यों पर लागू है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए उड़ीसा सरकार वहां स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्यमियों ने इजराइल की विभिन्न फर्मों के साथ 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल फर्मों के साथ 13.9.95 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

**13.9.95 को इजरायली फर्मों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन**

| क्र.सं. | उड़ीसा पार्टी | विदेशी पार्टी | समझौता ज्ञापन का विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सचिव, जल संसाधन | टहल | उड़ीसा के लिए जल प्रबंधन सलाहकार |
| 2. | सचिव, कृषि | ओजकोब | उड़ीसा में बढ़िया किस्म की कपास का विकास |
| 3. | उड़ीसा कृषि उद्योग निगम | एग्रो-टीम | उड़ीसा में कृषि/कृषि उद्योग में इजरायली तकनीक और कौशल के उपयोग के लिए क्षेत्रों के पहचान के लिए अध्ययन |
| 4. | ओएआईसी | कैमटेक | आधुनिक कृषि तकनीक के प्रदर्शन और इस तकनीक का किसानों को हस्तान्तरण करने के लिए आदर्श फार्मों का विकास |
| 5. | आईपीआईसीओएल | बरमाड | जलापूर्ति उद्योग, अग्निशमन तंत्र के लिए स्वतः नियंत्रित वाल्व का उत्पादन |
| 6. | रूंगटा इरीगेशन लि. और ओएआईसी | नो प्रम | ड्रिप-सिंचाई उपकरण का निर्माण और प्रणाली का विकास |
| 7. | वेस्टर्न इंडिया सर्विसेज और एस्टेट्स लि. और आईपीआईसीओएल | एग्रो-टीम | हाई टेक एग्रो पार्क की स्थापना |
| 8. | सूर्या फूड्स एंड इंडस्ट्रीज लि. और आईपीआईसीओएल | एपीटी | माडर्न इन्लैंड अक्वाकल्चर |
| 9. | इस्पात ग्रुप | ओजकोट | उड़ीसा में कपास विकास (जिससे एक बड़ी स्पीनिंग मिल की स्थापना हो सके) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | उषा इंडिया ग्रुप | कॉमषेक | फूल उत्पादन |
| 11. | यूनिवर्थ ग्रुप | कॉमटेक | गन्ना विकास |
| 12. | यूनिवर्थ ग्रुप | हेमन्त मेहता | भुवनेश्वर (उड़ीसा) में डायमंड पार्क |
| 13. | फ्रिक इंडिया | शेक्ड सिस्टम्स आईएन ए सिस्टम्स | कृषि उत्पादों के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स |
| 14. | सूर्या उद्योग ग्रुप | यूरेका | डिस्पोजेबल सेल्फ-डिस्ट्रक्टिव सिरीज |
| 15. | पोलिप्लेक्स | टेन्सर | विद्युत आपूर्ति उपकरण यूपीई |
| 16. | रिलाटी (उड़ीसा) | एग्रो-टीम | बीज उत्पादन तथा विपणन |
| 17. | रूंगटा प्रोजेक्ट्स लि. | मोहन पटेल, अनिवासी भारतीय, फिलर टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि. | कॉटन स्पीनिंग मिल |

## भारत-ग्रेट ब्रिटेन संबंध

**2286. श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान भारत-ग्रेट ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने 13 से 16 मार्च, 1994 तक यू.के. की यात्रा की, यह यात्रा 1985 के बाद भारत के प्रधान मंत्री की पहली यात्रा थी। इस यात्रा से भारत और यू.के. के पारस्परिक संबंधों का एक नया युग शुरू हुआ जिससे पारस्परिक विश्वास, समान मूल्यों और परस्पर लाभ पर आधारित दीर्घावधि भागीदारी की प्रवृत्तियों को बल मिला है। ब्रिटिश नेताओं के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत के परिणामतः भारत के साथ यू.के. के संबंधों को महत्व देने के संबंध में एक व्यापक सर्वसम्मति कायम हुई। इस यात्रा के दौरान यू.के. के साथ द्विपक्षीय पूंजी निवेश संरक्षण करार सम्पन्न हुआ था। यह एक ऐसा करार है जिसे भारत ने किसी देश के साथ पहली बार सम्पन्न किया है और इससे आर्थिक संबंधों और पूंजी निवेश को और अधिक गति मिलेगी।

प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान अक्तूबर, 1995 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री जान मेजर के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और पारस्परिक हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया।

वी ई डे स्मरणोत्सव में भाग लेने के लिए मई, 1995 में अपनी यू.के. यात्रा के दौरान हमारे विदेश मंत्री ने तत्कालीन ब्रिटिश फारेन सेक्रेटरी श्री डगलस हर्ड के साथ मुलाकात की। उन्होंने अपने मौजूदा ब्रिटिश समकक्ष श्री मलकम रिफकाइण्ड के साथ सितम्बर, 1995 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान और फिर नवम्बर, 1995 में अपनी यू.के. की सरकारी यात्रा के दौरान मुलाकात की। हमारे विदेश मंत्री ने ब्रिटिश रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात की। इसके अलावा, उन्होंने वहां के विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की, अपनी सभी मुलाकातों के दौरान हमारे विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की और भारत यू.के. द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने ब्रिटिश नेताओं को भारत से सम्बद्ध अत्यावश्यक मसलों पर भारत के विचारों से अवगत कराया।

पिछले दो वर्षों से कई ब्रिटिश मंत्रियों ने भारत की यात्रा की। ये मंत्री अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने भारत में अपने समकक्षों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकातें कीं। इसी प्रकार भारत के वित्त, गृह, भूतल परिवहन, पर्यावरण और वन, विद्युत, नागर विमानन और पर्यटन, मानव संसाधन विकास मंत्रियों ने भी यू.के. की यात्रा की तथा अपने-अपने ब्रिटिश समकक्षों के साथ मुलाकातें कीं।

आधिकारिक स्तर पर अब तक विदेश सचिव स्तर की वार्ता के आठ दौर हो गए हैं जिसमें वार्ता का नवीनतम दौर ब्रिटिश परमानेन्ट अंडर सेक्रेट्री आफ स्टेट की भारत यात्रा के दौरान सितम्बर, 1995 में हुआ था।

भारत और यू.के. ने रक्षा परामर्श दल की भी स्थापना की है जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाना है। इस दल की पहली बैठक लन्दन में मई, 1995 में हुई।

## बंगलौर स्थित मेकेदातू जल विद्युत परियोजना

**2287. श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बंगलौर के निकट "मेकेदातू" जल विद्युत परियोजना की स्थापना का कोई प्रस्ताव है क्योंकि हाल के वर्षों

में कर्नाटक को विद्युत की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मेकेदातू जल विद्युत परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## नई उदारीकृत औद्योगिक नीति

2288. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नई उदारीकृत औद्योगिक नीति" के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दूध के प्रसंस्करण हेतु कितने समझौता ज्ञापनों का पंजीकरण किया गया है;

(ख) इन संयंत्रों की राज्य-वार कुल कितनी आवश्यकता है; और

(ग) इन दूध संयंत्रों के लिये तरल दूध अधिकतम मात्रा में प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव)** : (क) सरकार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दूध के प्रसंस्करण ताथ दूध उत्पादों के निर्माण हेतु यूनिटें स्थापित करने, इनमें यूनिटों का विस्तार भी शामिल है, अक्तूबर, 1995 तक 589 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 33 यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की सूचना दी है।

(ख) और (ग). इन संयंत्रों की स्थापना क्योंकि निजी और सहकारी क्षेत्र द्वारा की जानी है इसलिए अपनी परियोजनाओं हेतु दुध की खरीद के वास्ते जरूरी प्रबंध संबंधित उद्यमियों को ही करने होंगे। अधिकांश औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में दूध का प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पादों के बारे में नीचे आंकड़े दिए हैं इसलिए दुध की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन यदि इन सभी परियोजनाओं को लागू किया जाता है तो अनुमान है कि मोटे तौर पर पंजाब में प्रति दिन 110 लाख लीटर, हरियाणा में प्रति दिन 200 लाख लीटर; उत्तर प्रदेश में प्रति दिन 300 लाख लीटर और दिल्ली में प्रति दिन 20 लाख लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी।

## संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षण कार्यों के लिए अतिरिक्त बल

2289. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सदस्य देशों से अशांत स्थानों पर शांति रक्षण कार्य के लिए लगाई जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त बलों के लिए सैन्य टुकड़ियां देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित अतिरिक्त बलों के लिए सेना की टुकड़ियां देने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के साथ-साथ इसके क्या वित्तीय प्रभाव होंगे?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया)** : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सदस्य राज्यों से यह अनुरोध किया है कि वे ऐसे सैन्य एककों को मनोनीत करें, जिनकी तैनाती संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना कार्य के लिए अल्प सूचना पर संयुक्त राष्ट्र के एवजी बलों के अंग के रूप में की जा सके। इन एवजी बलों की तैनाती अध्याय 6 के अन्तर्गत शान्ति स्थापना कार्य के लिए ही की जाएगी और इनका उपयोग शान्ति प्रवर्तन के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) और (घ). संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुरोध के उत्तर में भारत ने संयुक्त राष्ट्र एवजी बलों के लिए एक ब्रिगेड ग्रुप तक सैनिक तथा अन्य सहायता सामाग्री देने का निर्णय लिया है। भारत प्रवास के दौरान वह मनोनीत एवजी बल एकक सेना के साथ अपने सामान्य प्रचालन कार्य करेगा और उसका वित्त पोषण रक्षा मंत्रालय से होगा। संयुक्त राष्ट्र स्थापना कार्यों के लिए जब उसकी तैनाती हो जाएगी तब उसके व्यय की प्रतिपूर्ति मानक संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों के मुताबिक की जाएगी। आवश्यकतानुसार शान्ति स्थापना कार्यों के लिए विशेष रूप से खरीदे गये उपकरणों की लागत के संबंध में अनुमत्य राशि की प्रतिपूर्ति संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

## केरल में पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना

2290. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा केरल अवस्थित 240 मे.वा. (2×120 मे.वा.) की पूयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना को 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्ष 1984 में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार द्वारा वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त पर, योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1986 में परियोजना को निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया था। परियोजना का क्रियान्वयन परियोजना के लिए अपेक्षित वन संबंधी स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

## राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के लिए भूमि अधिग्रहण

**2291. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को चौड़ा करने के लिए भूमि के अधिग्रहण पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 1976 से अब तक लगभग 30.7 करोड़ रुपये की संस्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

## ग्रामीण निर्धनों के लिये आवास

**2292. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण निर्धनों के लिये कितने आवास बनाने की योजना बनाई गई थी;

(ख) आज की तारीख तक वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने आवास बनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये आवास निर्माण में तेजी लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) गत दो वर्षों के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए सरकार की योजना 6,33,716 मकान बनाने की थी लेकिन वास्तव में 7,32, 322 मकान बनाये गये।

(ख) इन्दिरा आवास योजना के आरम्भ (1986-87) से 30 अक्तूबर, 1995 तक योजना के अन्तर्गत 22,23,100 मकान बनाये गये हैं। (वर्षवार और राज्यवार बनाये गये मकानों की संख्या विवरण-I और II में दिया गया है)।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए गये हैं कि वे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यान्वयनतंत्र को तेज करें।

### विवरण-II

### 1985-86 से 1994-95 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकान

(मकानों की संख्या)

| क्रमांक | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 3321 | 19482 | 12832 | 9363 | 6850 | 6142 | 10876 | 10961 | 44897 | 57483 | 182207 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 20 | 34 | 90 | 99 | 68 | 233 | 218 | 120 | 219 | 1101 |
| 3. | असम | 0 | 1107 | 1991 | 809 | 1960 | 2299 | 1231 | 1037 | 4304 | 6862 | 21600 |
| 4. | बिहार | 1585 | 18932 | 24028 | 24315 | 20361 | 21155 | 22541 | 28189 | 88960 | 59216 | 309282 |
| 5. | गोवा | 0 | 216 | 190 | 0 | 121 | 51 | 52 | 55 | 84 | 201 | 970 |
| 6. | गुजरात | 418 | 5907 | 8901 | 4088 | 4806 | 4736 | 4939 | 1889 | 7117 | 7895 | 53696 |
| 7. | हरियाणा | 390 | 1019 | 1422 | 1153 | 1495 | 859 | 968 | 1002 | 1552 | 3536 | 13396 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 412 | 1085 | 783 | 648 | 435 | 362 | 351 | 629 | 853 | 5558 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 0 | 638 | 0 | 1499 | 845 | 273 | 495 | 425 | 390 | 1697 | 6262 |
| 10. | कर्नाटक | 3533 | 1542 | 9670 | 1896 | 5147 | 11341 | 6092 | 1197 | 8820 | 13831 | 69096 |
| 11. | केरल | 4802 | 14888 | 11040 | 8554 | 22932 | 8724 | 5172 | 4100 | 4827 | 3891 | 88930 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4521 | 8836 | 10033 | 6857 | 6384 | 18790 | 40644 | 17156 | 48108 | 48967 | 240296 |
| 13. | महाराष्ट्र | 6404 | 12198 | 7431 | 9647 | 14442 | 9730 | 9927 | 8778 | 18870 | 22812 | 120239 |
| 14. | मणिपुर | 0 | 12 | 160 | 111 | 284 | 170 | 140 | 213 | 208 | 171 | 1469 |
| 15. | मेघालय | 110 | 157 | 230 | 140 | 150 | 387 | 388 | 432 | 318 | 241 | 2553 |
| 16. | मिजोरम | 0 | 27 | 37 | 70 | 104 | 1264 | 256 | 224 | 240 | 368 | 2590 |
| 17. | नागालैण्ड | 84 | 102 | 130 | 196 | 373 | 649 | 1581 | 1603 | 1536 | 895 | 7229 |
| 18. | उड़ीसा | 0 | 1485 | 7091 | 6563 | 3894 | 9041 | 17028 | 11305 | 10581 | 13297 | 83285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | पंजाब | 0 | 669 | 1366 | 0 | 1578 | 934 | 1191 | 3359 | 2739 | 3849 | 15685 |
| 20. | राजस्थान | 46 | 3120 | 10180 | 4958 | 3766 | 2028 | 13174 | 10541 | 19958 | 28934 | 95705 |
| 21. | सिक्किम | 112 | 150 | 150 | 51 | 99 | 96 | 166 | 140 | 142 | 108 | 1214 |
| 22. | तमिलनाडु | 9291 | 34038 | 24535 | 26917 | 41666 | 47260 | 40768 | 14409 | 33758 | 33176 | 305818 |
| 23. | त्रिपुरा | 168 | 1208 | 404 | 781 | 810 | 491 | 472 | 343 | 636 | 567 | 5880 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 16467 | 25191 | 25709 | 23871 | 32947 | 25300 | 20262 | 22218 | 47722 | 47555 | 287242 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 0 | 6711 | 10547 | 6178 | 13866 | 9421 | 8223 | 13300 | 13389 | 15526 | 97161 |
| 26. | अंडमान निकोबार | 0 | 0 | 10 | 60 | 54 | 53 | 17 | 20 | 21 | 21 | 256 |
| 27. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 0 | 50 | 0 | 62 | 130 | 53 | 53 | 52 | 60 | 59 | 519 |
| 29. | दमन व दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 26 | 21 | 13 | 45 | 172 |
| 30. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | पांडिचेरी | 0 | 0 | 96 | 180 | 205 | 40 | 22 | 47 | 48 | 0 | 638 |
| | कुल योग | 51252 | 160197 | 169302 | 139192 | 186023 | 181800 | 207299 | 192535 | 360047 | 372275 | 2019972 |

## विवरण–II

### 1995–96 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

(30.10.95 की स्थिति)
(मकानों की संख्या)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | बनाये गये मकान | | | | अन्य | योग | मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर | प्रतिशत उपलब्धि (कालम 8/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनु. जाति | अनु. जनजाति | अनु.जाति+ अनु.जनजाति | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 77642 | एन आर | एन आर | 0 | एन आर | 10087 | 31008 | 12.99 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 797 | एन आर | एन आर | 0 | एन आर | 35 | 141 | 4.39 |
| 3. | असम | 25560 | एन आर | एन आर | 2133 | 447 | 2580 | 12855 | 10.09 |
| 4. | बिहार | 152292 | एन आर | एन आर | 35938 | 5408 | 41346 | 132396 | 27.15 |
| 5. | गोवा | 861 | 34 | 0 | 34 | 225 | 259 | 121 | 30.08 |
| 6. | गुजरात | 28501 | 947 | 3736 | 4683 | 385 | 5068 | 9376 | 17.78 |
| 7. | हरियाणा | 6846 | 932 | 0 | 932 | 265 | 1197 | 1125 | 17.48 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2736 | 177 | 30 | 207 | 80 | 287 | 1092 | 10.49 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 5561 | एन आर | एन आर | 0 | एन आर | 789 | 938 | 14.19 |
| 10. | कर्नाटक | 52133 | 5055 | 22 | 5077 | 156 | 5233 | 19545 | 10.04 |
| 11. | केरल | 24624★ | 4262 | 669 | 4931 | 1734 | 6665 | 24369 | 27.07 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 98384 | एन आर | एन आर | 21689 | 11905 | 33594 | 33604 | 34.15 |
| 13. | महाराष्ट्र | 84641 | एन आर | एन आर | 0 | एन आर | 5536 | 27640 | 6.54 |
| 14. | मणिपुर | 1022 | एन आर | एन आर | 219 | 65 | 284 | 264 | 27.79 |
| 15. | मेघालय | 1195 | एन आर | एन आर | 0 | एन आर | 64 | 0 | 5.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | मिजोरम | 504 | एन आर | एन आर | 271 | 0 | 271 | 112 | 53.77 |
| 17. | नागालैण्ड | 1281 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0.00 |
| 18. | उड़ीसा | 62986 | 4376 | 4669 | 9045 | 755 | 9800 | 25960 | 15.56 |
| 19. | पंजाब | 7047** | एन आर | एन आर | 0 | एन आर | 1121 | 1768 | 15.91 |
| 20. | राजस्थान | 40875 | एन आर | एन आर | 0 | एन आर | 10899 | 15602 | 26.66 |
| 21. | सिक्किम | 466 | एन आर | एन आर | 62 | 33 | 95 | 229 | 20.39 |
| 22. | तमिलनाडु | 70187 | 8499 | 141 | 8640 | 2862 | 11502 | 58685 | 16.39 |
| 23. | त्रिपुरा | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 189211 | एन आर | एन आर | 43685 | 5536 | 49221 | 23003 | 26.01 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 9579 | एन आर | एन आर | 4938 | 2229 | 7167 | 4041 | 10.3 |
| 26. | अंडमान व निकोबार | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27. | दादर व नगर हवेली | 205 | एन आर | एन आर | 0 | एन आर | 13 | 0 | 6.34 |
| 28. | दमन व दीव | 121 | एन आर | एन आर | 4 | 0 | 4 | 2 | 2.12 |
| 29. | लक्षद्वीप | 189 | एन आर | एन आर | 4 | 0 | 4 | 28 | 2.12 |
| 30. | पांडिचेरी | 369 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 298 | 1.90 |
| | कुल योग | 1007519 | 24289 | 9267 | 142499 | 32085 | 203128 | 424353 | 20.16 |

* 707.14 लाख रूपये की तुलना में लक्ष्य भी शामिल हैं।

(दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत आबंटन का दो तिहाई भाग इन्दिरा आवास योजना के लिए उपयोग किया जाना स्वीकृत है।

** इसमें दस लाख कुओं की योजना हेतु आबंटित 272.28 लाख रुपए की तुलना में लक्ष्य शामिल है।

[हिन्दी]

### राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को चार लेनों वाला बनाना

**2293. प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चार लेनों में बदलने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पहले दिल्ली और अजमेर के बीच उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करके चार लेनों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और इस संबंध में कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और अब तक किये गये खर्च सहित इस कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) हरियाणा सीमा (107.18 कि.मी.) से कोटपुतली (162.5 कि.मी.) तक रा.रा. 8 को 4 लेन का बनाने के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदन दे दिया गया है। कोटपुतली से जयपुर तक चार लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है और दिसम्बर, 96 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। 8वीं योजना के दौरान जयपुर-अजमेर खण्ड को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### पश्चिमी तट नहर

**2294. श्री ए. चार्ल्स :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी तट नहर के क्विलोन-त्रिवेन्द्रम सेक्टर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के संबंध में एन.ए.टी.पी.ए.सी. द्वारा पुनः अध्ययन करवाने के बारे में काफी पहले निर्णय लिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन करवाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) से (ग). जी, हां। पश्चिमी तटीय नहर के कोल्लाम-कोवलम खण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के लिए अभी हाल ही में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एन ए टी पी ए सी को एक अध्ययन कार्य सौंपा है। यह अध्ययन कार्य प्रगति पर है।

**[अनुवाद]**

## गंगा नदी पर यात्री सेवा

**2295. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. द्वारा गंगा नदी पर चलाए जाने वाली यात्री सेवा की बारंबारता यात्री क्षमता और प्रत्येक सेवा के लिये टर्मिनल केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. का एकाधिकार है;

(ग) यदि नहीं, तो इन मार्गों पर चलने वाले यातायात में से वास्तव में उसके द्वारा ले जाये जाने वाले यातायात का अनुमानित अनुपात क्या है;

(घ) क्या समस्त यातायात को ले जाना सुनिश्चित करने के लिये इन सेवाओं में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) से (ङ). केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.) के बेड़े में कोई यात्री जलयान नहीं है, इसलिए उनके द्वारा भारत में किसी भी स्थान पर यात्री सेवा प्रचालित करने का प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## ब्रांड नाम

**2296. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधियों का औषध उद्योगों के प्रसिद्ध नामों के बजाय उनके "जेनरिक" नामों से प्रचारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव)** : (क) से (ग). स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार जी एस आर 27 (ई) दिनांक 17.1.1981 के तहत यथा-संशोधित औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 96 (1)(1) (क) में निम्नलिखित प्रावधान हैं : "औषध का सही नाम किसी व्यावसायिक नाम, यदि कोई हो, के बजाए बेहतर सुस्पष्ट तरीके से मुद्रित या लिखित होना चाहिए, जिसे विशिष्ट नाम के तुरन्त पश्चात् या अधीन दिखाया जाना चाहिए" यहां पर विशिष्ट नाम से आशय "जेनरिक नाम" से है।

**[अनुवाद]**

## भूमि सुधार अधिनियमों में संशोधन

**2297. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने के क्या परिणाम होंगे;

(ख) क्या किसी अन्य राज्य सरकार ने भी अपने भूमि सुधार अधिनियम में सुधार किया है या उसके द्वारा ऐसा किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, और यह संशोधन एक दूसरे से किस सीमा तक भिन्न हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई मार्ग निर्देश जारी किया है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल)** : (क) हाल के संशोधन अर्थात् कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 1995 को मार्फत राज्य सरकार ने धारा 2, 5, 48क, 61,63,79क, 109 का संशोधन है। उपरोक्त संशोधनों में से मूल अधिनियम की धारा 63 और 109 के संशोधनों के फलस्वरूप एक काश्तकार के लिए सिंचित जोतों की अधिकतम सीमा में पर्याप्त वृद्धि की गई है। धारा 63 के खण्ड 2 क और धारा 109 के खण्ड 1 द्वारा औद्योगिक विकास, शिक्षण संस्थाओं, पूजा-स्थलों आवास परियोजनाओं और बागवानी परियोजनाओं के लिए अधिकतम सीमा में काफी वृद्धि की गई है। धारा 109 में खण्ड 1 क शामिल करके राज्य सरकार ने जनहित में किसी भी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि जोतों को कितनी ही मात्रा की छूट देने की असीमित शक्ति प्राप्त कर ली है। इसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई है।

(ख) और (ग). किसी भी अन्य राज्य ने हाल ही में अपने भूमि सुधार अधिनियमों का संशोधन नहीं किया है। तथापि, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकारों ने भारत सरकार के पास दो अध्यादेश विचारार्थ और इन अध्यादेशों को लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के आवश्यक निर्देश के लिए भेजे हैं। भारत सरकार ने अभी तक इन दो अध्यादेशों अर्थात महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोतों की अधिकतम सीमा) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 और पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को लागू करने की स्वीकृति देने के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के

राज्यपाल द्वारा जारी किए गये अध्यादेश की एक प्रति इस मंत्रालय को प्राप्त हुई है, जिसमें दो नई धाराएं अर्थात 157 क (क) और 157 ख (ख) के साथ-साथ संशोधित धारा 122 ख शामिल की गई है। उपरोक्त दो धाराओं को शामिल करके उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को सरकार द्वारा आबंटित भूमि को बेचने पर कुछ पाबंदी लगाना चाहती है। धारा 122 ख का संशोधन करके सरकार काश्तकारों द्वारा अपनी पैतृक भूमि जिसपर वे 30 जून 1985 जो कि पहले सीमांत तारीख थी की बजाय 3 जून 1995 तक बेरोकटोक ऐसी भूमि पर काश्तकारी करते रहे हैं, के लिए काश्तकारी अधिकारों को नियमित करने की पात्रता की अवधि को बढ़ाना चाहती है।

(घ) और (ङ). केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों को लागू करने के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गये अध्यादेशों और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1995 द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा पारित और लागू किए गए कानून के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार उचित उपाय करेगी।

**[हिन्दी]**

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार

**2298. श्री लक्ष्मण सिंह :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में राज्य-वार रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) और (ख). अन्य पहलुओं के साथ-साथ तुलनात्मक रूप से कम पूंजी निवेश द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपाय किये हैं। इस क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए एक प्रेरक माहौल बनाने के साथ सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश समेत पूंजी निवेश, पूंजी निवेश पर लगे नियंत्रणों को हटाने, उत्पादन क्षमता में विस्तार, प्रौद्योगिकी प्राप्त करने आदि संबंधी नीतियों को उदारीकृत किया है। सरकार ने अधिकांश खाद्य उत्पादों, पैकेजिंग सामग्री, मशीनरी, उपकरणों आदि पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को कम करने के अलावा फल तथा सब्जी उत्पाद, मांस, पाल्ट्री और मछली उत्पादों, सागर उत्पादों, अधिकांश दूध उत्पादों, अनाज और दाल से बनने वाले अनेक उत्पादों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क को हटाने समेत वित्तीय रियायतें दी हैं। यह मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, आधारभूत सुविधाओं के विकास, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण [illegible] और बैकवर्ड लिंकेज संबंधी अनेक योजनागत स्कीमें चला रहा है।

मंत्रालय उद्यमियों को पूंजी निवेश के अवसरों के बारे में मार्गदर्शन तथा सलाह देता है और इस उद्देश्य से उसने प्रचार सामग्री का भी प्रकाशन किया है। मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सेमिनार, वर्कशाप, मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए भी प्रोत्साहन तथा सहायता देता है। राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए सभी राज्यों स्थित नोडल एजेन्सियों का पता लगा लिया गया है। यह मंत्रालय उन्हें सुदृढ़ करने के लिए सहायता दे रहा है।

सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण उदारीकरण से लेकर अक्तूबर, 1995 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 3421 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन पेश किए गए हैं जिनमें लगभग 42343 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा और लगभग 507 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने अक्तूबर, 1995 तक संयुक्त उद्यमों, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, विदेशी सहयोग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए 744 प्रस्तावों को मंजूर किया है जिनमें लगभग 99.03 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश और लगभग 1.78 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों से मिलने वाले अप्रत्यक्ष रोजगार की मात्रा कहीं अधिक होगी।

## गैर-सरकारी सहायता से गैस पर आधारित लघु विद्युत परियोजनाएं

**2299. श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषतः गुजरात में, गैर-सरकारी सहायता से लघु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी गैर-सरकारी कंपनियों के साथ बातचीत हुई तथा इस संबंध में शर्तें क्या हैं और इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावनाएं हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) से (घ). भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र में ऐसी विद्युत परियोजनाएं, जोकि ईंधन के रूप में गैस के उपयोग का प्रस्ताव रखती है, का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना के लिए मानदंड और शर्तें, गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं समेत, दिनांक 22.10.1991 के भारत सरकार के संकल्प और समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 30.3.1992 की टेरिफ अधिसूचना में निर्धारित किए गए हैं। हालांकि निजी विद्युत परियोजनाओं, गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं समेत, को समय से पूरा करने की जिम्मेवारी संबद्ध राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्डों को होती है। भारत सरकार सभी निजी विद्युत प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा करती है और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में बाधाओं, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए शीघ्रता से सभी आवश्यक कदम उठाती है।

**विवरण**

**निजी क्षेत्र की कंपनियों (गैस आधारित) द्वारा प्रकट की गई रूचियों का अनंतिम ब्यौरा**

(7.12.95 की स्थिति के अनुसार)

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | | क्षमता (मे.वा.) | अनंतिम लागत (करोड़ रु. में) | प्रकार | एमओयू की तारीख | कंपनी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | | | | | | |
| 1. | गोदावरी | | 208 | 748.430 | गैस/नाफ्था | | स्पैक्ट्रम टेक. यूएसए/जया फूड्स एंड एनटीपीसी |
| 2. | हैदराबाद | | 700 | 2450.00* | सी/एन/डी/गैस | 18.2.95 | मै. आरपीजी इंडस्ट्रीज लि. |
| 3. | जेगुरूपाडु जीबीपीपी | | 216 | 827.000 | गैस/नाफ्था | 16.3.92 | जीवीके इंडस्ट्रीज लि. यूएसए |
| 4. | काकीनाडा | | 250 | 875.000* | सी/एन/डी/गैस | 18.2.95 | मै. एडवांस्ड रेडियो मास्ट्रस |
| 5. | मछलीपट्टनम | | 500 | 1750.000* | सी/एन/डी/गैस | 18.2.95 | अंगराम फाइनेंसिस लि. |
| 6. | रामागुंडम | | 500 | 1750.000* | सी/एन/डी/गैस | 18.2.95 | मै. एडवांस्ड रेडियो मास्ट्रस |
| 7. | विशाखापत्तनम | | 650 | 2275.000* | नाफ्था/गैस | 18.2.95 | एस्सार इन्वेस्टमेंट लि. |
| 8. | विशाखापत्तनम | | 500 | 1750.000* | सी/एन/डी/गैस | 18.2.95 | मै. अक्ट्रैक्स एप्लायंसेस |
| | जोड़ | 8 | 3524.00 | 12425.430 | | | |
| **अरुणाचल प्रदेश** | | | | | | | |
| 9. | खारसांग जीबीपीपी | | 48 | 223.000 | गैस | 6.3.93 | इंटर कौरप./स्नोवी माउंटेन इंजी. आस्ट्रेलिया |
| | जोड़ | 1 | 48.00 | 223.000 | | | |
| **असम** | | | | | | | |
| 10. | आदमतिल्ला ओपन साइकिल | | 9 | 52.500 | गैस | 3.9.93 | डीएलएफ पावर कंपनी लि. |
| 11. | अमगुड़ी जीबीपीपी | | 280 | 1280.000 | गैस | 10.6.93 | असम पावर पार्टनर्स, नार्दर्न इंजी. इन्क. यूएसए/आगरा इंडस्ट्रीज |
| 12. | केडी ओपन साइकिल | | 15.50 | 78.750 | गैस | 3.9.93 | डीएलएफ पावर कंपनी लि. |
| | जोड़ | 3 | 304.50 | 1411.250 | | | |
| **दिल्ली** | | | | | | | |
| 13. | बवाना जीबीपीपी | | 800 | 2000.000 | गैस | | रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. |
| | जोड़ | 1 | 800.00 | 2000.000 | | | |
| **गुजरात** | | | | | | | |
| 14. | जीआईपीसीएम विस्तार पीपी | | 145 | 399.00 | गैस | | गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कं लि. |
| 15. | हजीरा सीसीपीपी | | 1×515 | 1765.940 | गैस | | मै. एस्सार ग्रुप |
| 16. | पागुथाण जीबीपीपी | | 655 | 2298.140 | गैस | 12.5.94 | गुजरात टोरेंट एनर्जी कौरप.लि./ सिमन्स, जर्मन बोली के अधीन |
| 17. | पिपावार | | 1×615 | 2152.500* | गैस | | |
| | जोड़ | 4 | 1930.00 | 6615.580 | | | |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **कर्नाटक** | | | | | | | |
| 18. | बेल्लारी हॉसपैट | | 2×120 | 838.900 | गैस/कोयला | 9.12.94 | जिन्दल ग्रुप/ट्रैक्टबेल, बेल्जियम |
| | जोड़ | 1 | 240.00 | 838.900 | | | |
| 19. | कसारगोडे | | 500 | 1750.000* | गैस/नापथा | 29.11.94 | फिनोलैक्स केबल्स लि. |
| | जोड़ | 1 | 500.00 | 1750.000 | | | |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | | | |
| 20. | मंडेर ड्यूल फ्यूल टीपीएस | | 330 | 1280.000 | गैस/नापथा | 12.10.94 | एस्सार इन्वे. लि. बम्बई |
| 21. | बरहानपुर खंडदा | | 120 | 420.00* | गैस | 2.2.95 | सुभाष प्रोजैक्ट्स एंड मार्केटिंग लि. |
| 22. | गुना ड्यूल फ्यूल टीपीएस | | 330 | 1155.000* | गैस/नापथा | 20.1.95 | मै. एसटीआई, इंडोर |
| 23. | झाबुआ | | 330 | 1300.000 | गैस/नापथा | 21.1.95 | मै. कॉडिया डोस्टेलेरवस लि. |
| 24. | राजगढ़ ड्यूल फयूल टीपीएस | | 330 | 1155.000* | नापथा/गैस | 21.1.95 | मै. अल्पाइन इंडिया प्रा. लि. इंडिया |
| | जोड़ | 5 | 1440.00 | 5310.000 | | | |
| **महाराष्ट्र** | | | | | | | |
| 25. | शिवपुरी सीसीजीटी | | 1×450 | 1340.000 | गैस | | मै. टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी, बम्बई |
| 26. | दभौल सीसीजीटी | | 2015 | 9015.270 (695-पीएच) | एलएनजी | 20.6.92 | एनरॉन डेवलपमेंट कौरप. जोई (एलएनजी) एंड बैचटेल यूएसए |
| 27. | नागाथोन जीबीपीपी | | 410 | 1435.000 | गैस | | रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. |
| | जोड़ | 3 | 2875.00 | 11826.270 | | | |
| **तमिलनाडु** | | | | | | | |
| 28. | गुमाडी पून्डी | | 1000 | 3500.000* | गैस | 18.2.95 | मै. जीवीके इंडस्ट्रीज |
| 29. | पिल्लईपेरूमलनल्लूर | | 1×320 | 1120.000* | गैस/नापथा | 9.12.92 | डायना विजन ऑफ रेड्डी ग्रुप/जे. मकोवस्की यूएसए |
| 30. | बेम्बर टीपीपी | | 2000 | 7000.000* | गैस | 18.2.95 | मै. सीआरएसएस कैपिटल कोरपोरेशन एंड इटैल रिसोरसिस, यूएसए |
| | जोड़ | 3 | 3320.00 | 11620.000 | | | |
| **पश्चिम बंगाल** | | | | | | | |
| 31. | दानकुनी | | 20 | 70.000 | गैस | 1.1.93 | स्पैक्ट्रम टैक्नोलाजी, यूएसए |
| | जोड़ | 1 | 20.00 | 70.000 | | | |
| | कुल जोड़ | 31 | 15001.50 | 54090.430 | | | |

* 3.5 करोड़ प्रति मेगावाट पूंजीगत लागत के रूप में मानी गई है जहां भी राज्य/प्रवर्तकों ने अनंतिम लागत अनुमान प्रदान नहीं किया है।

## सड़क विकास योजना

**2300. डा. मुमताज अंसारी :**
**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-2001 की अवधि के लिए सड़क विकास हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु चयनित राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1995 तक राज्य-वार कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया गया है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) से (ग). संभवतः माननीय सदस्य का आशय भारतीय सड़क कांग्रेस, जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है, द्वारा तैयार की गई 20-वर्षीय सड़क विकास योजना (1981-2001) से है। इस योजना दस्तावेज में दी गई सिफारिशें/लक्ष्य मूल रूप से सिफारिशी प्रकार की हैं और पंचवर्षीय योजनाएं बनाते समय इन्हें संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाना है।

**[अनुवाद]**

## दिल्ली हेतु विद्युत बोर्ड

**2301. श्री तारा सिंह :**
**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये विद्युत बोर्ड गठित करने संबंधी प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है; और

(ख) इस बोर्ड का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) :** (क) और (ख). पिछले कुछ वर्षों में डेसू के समग्र खराब कार्य-निष्पादन को मद्देनजर रखते हुए, भारत सरकार द्वारा दिल्ली के लिए एक बिजली बोर्ड गठित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जब यह बोर्ड बनेगा, तब यह विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के कार्यक्षेत्र के भीतर कार्य करेगा। बोर्ड का वास्तविक गठन और इसके कार्यकरण हेतु तौर-तरीके, ऐसे मामलों में, जिन्हें अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करेगा।

**[हिन्दी]**

## भारतीय मिशनों में समारोहों पर हिन्दी का प्रयोग

**2302. श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों, वाणिज्यिक दूतावासों और अन्य संबंधित कार्यालयों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसे कितने मिशन और अन्य कार्यालय हैं जहां गणतंत्र दिवस, 1995 और स्वतंत्रता दिवस, 1995 के अवसर पर राष्ट्रपति का भाषण हिन्दी में पढ़ा गया और इन मिशनों के कितने अधिकारियों ने अपना भाषण हिन्दी में दिया; और

(ग) इन अवसरों पर हिन्दी की लगातार उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं और ऐसे राष्ट्रीय महत्व के अवसर पर हिन्दी के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) भारत के राजदूतावासों की संख्या 84 है, भारत के हाई कमीशनों की संख्या 27 है, भारत के प्रधान कोंसलावासों की संख्या 27 है, भारत के कमीशनों की संख्या 2 है, भारत के सहायक कमीशनों की संख्या 3 है तथा भारत के 5 विशेष मिशन हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) मंत्रालय ने हमारे मिशनों/केन्द्रों में समारोहों, विशेषकर गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष में मनाए जाने वाले समारोहों पर हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लिखित अनुदेश दिए हैं। इन समारोहों में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि हो रही है।

## पेयजल योजनाओं हेतु राज्यों की सहायता

**2303. श्री एन.जे. राठवा :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से पेयजल के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का विचार है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित राज्यों ने अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है :—

| क्र.सं. | राज्य | प्रस्तावित अतिरिक्त सहायता (रुपये करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1. | असम | 37.50 |
| 2. | हिमाचल प्रदेश | 67.62* |
| 3. | जम्मू व कश्मीर | 20.89@ |
| 4. | कर्नाटक | 46.08 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 0.75 |
| 6. | त्रिपुरा | 8.07 |

*1.462 करोड़ रु. पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं।

@ 4.89 करोड़ रु. पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं।

(ग) प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है। हालांकि, 1995-96 के लिए समग्र बजट प्रावधान पहले से ही राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित कर दिया गया है, उपरोक्त राज्यों हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान राज्यों की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बचत और मैचिंग उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

## पैट्रो-केमिकल/गैस आधारित संयंत्र

**2304. श्री एन.जे. राठवा :**
**श्री गोपी नाथ गजपति :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के पैट्रो केमिकल/गैस आधारित संयंत्रों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन संयंत्रों के कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) से (ग). सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को जारी किए गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के एककों ने उर्वरक उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य नीतियों को अपनाया है :—

(i) चालू उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/रेट्रोफिटिंग/पुनरूद्धार।

(ii) नेफथा आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना द्वारा नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण के लिए वरीयता प्राप्त फीड स्टाक, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता तथा चालू संयंत्रों एवं कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में डूएल फ्यूल/फीड स्टाक सुविधाओं की स्थापना की बाधाओं को दूर करना, और

(iii) सस्ते तथा भारी मात्रा में कच्चे माल के भण्डार वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को स्थापित किया जाना।

दो चरणों के अंतर्गत सार्वजनिक निवेश बोर्ड की मंजूरी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी यूनिटों द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिसकी मंजूरी प्रक्रिया निम्नानुसार है :

| क्र.सं. | कम्पनी/उपक्रम का नाम | स्थिति | अनुमानित पूंजी लागत (रुपये करोड़ में) | उत्पादन परिकल्पना | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | उत्पाद क्षमता (लाख मी.टन प्रति वर्ष में) | स्तर |
| 1. | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) | काण्डला गुजरात (विस्तार) | 212.80 फास्फेट न्यूट्रिएन्ट | 2.11 | प्रथम चरण की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया |
| 2. | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) | नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश) (ग्रासरूट) | 1468.20 यूरिया | 7.26 | प्रथम चरण के लिए प्रस्तुत किया गया |
| 3. | कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) | हजीरा गुजरात (ग्रासरूट) | 601.38 एन पी (20:20:20) केन (25प्रतिशत एन) | 3.00<br>2.85 | प्रथम चरण की मंजूरी के लिए 9.6.1994 को दिया गया |
| 4. | कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) | हजीरा गुजरात (विस्तार) | 972.00 यूरिया | 7.26 | प्रथम चरण की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया। |
| 5. | नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) | पानीपत हरियाणा (विस्तार) | 1175.42 यूरिया | 7.26 | प्रथम चरण की मंजूरी के लिए दर्शाया जा रहा है। |

कार्यान्वयनाधीन परियोजना के विवरणों में शामिल अनुमानित पूंजीगत लागत, क्षमता एवं प्रारम्भण की सम्भावित तिथि शामिल निम्नानुसार है। जब परियोजनाएं प्रारम्भ होंगी तो दस परियोजनाओं में 6636.06 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित पूंजीगत लागत से 40.18 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष यूरिया ओर 1.84 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष एनपीके का उत्पादन होने की संभावना है।

देश में कार्यान्वयनाधीन उर्वरक परियोजना का विवरण इस प्रकार है :—

| क्र.सं. | कम्पनी/सहकारी समिति का नाम | स्थान | अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़ में) | परिकल्पित उत्पादन उत्पाद क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष) | | आरम्भण की प्रत्याशित तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) | आवंला (उ.प्र.) (विस्तार) | 960.00 | यूरिया | 7.26 | 1.1.1997 |
| 2. | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) | कलोल (गुजरात) (विस्तार) | 119.08 | यूरिया | 1.50 | 1.9.1997 |
| 3. | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर | फुलपूर (उ.प्र.) (विस्तार) | 993.00 | यूरिया | 7.26 | 20.1.1998 |
| 4. | नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) | विजयपुर (म.प्र.) (विस्तार) | 987.30 | यूरिया | 7.26 | 1.1.1997 |
| 5. | मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम एफ एल) | मनाली (मद्रास) (विस्तार) | 487.47 | यूरिया<br>(एनपीके) | 0.76<br>1.84 | 3.6.1996 |
| 6. | फर्टिजाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) | उद्योगमण्डल केरल (अमोनिया संयंत्र का प्रतिस्थापन) | 618.00 | अमोनिया | 2.97 | 31.3.1996 |
| 7. | ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. | शाहजहांपुर (उ.प्र.) (ग्रासरूट) | 1325.00 | यूरिया | 7.26 | परीक्षण उत्पादन शुरू हो चुका है। दिसम्बर, 95 तक शुरू होने की सम्भावना है। |
| 8. | नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. | काकीनाडा (आ.प्र.) (विस्तार) | 954.21 | यूरिया | 4.95 | 1997-98 उत्तरार्द्ध |
| 9. | नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. | नांगल, पंजाब (डि-बोटलेनेकिंग) | 50.00 | यूरिया | 1.81 | 1.11.1996 |
| 10. | राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) | थाल चरण-I<br>चरण-II<br>(अमोनिया रेट्रोफिट) | 49.00<br>93.00 | यूरिया<br>यूरिया | 1.65<br>1.10 | 7.10.1996<br>नवम्बर, 1997 |
| | कुल अनुमानित पूंजी लागत | - | 6536.06 | करोड़ रु. | | |
| | कुल क्षमता (क) यूरिया | - | 40.81 | लाख मी. टन प्रतिवर्ष | | |
| | (ख) एनपीके | - | 1.84 | लाख मी. टन प्रतिवर्ष | | |

[अनुवाद]

## पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली का कार्यकरण

**2305. श्री के.टी. वान्डायार :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली स्थिति क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का कार्यकरण संतोषप्रद नहीं है क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव जिले के आवेदकों को पासपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) गत चार महीनों के दौरान प्रतिमाह इस कार्यालय को पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इसने कितने पासपोर्ट जारी किये;

(घ) लम्बित आवेदनों के निपटान हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा पासपोर्ट आवेदनों की जांच की कोई आवधिक समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) और (ख). सरकार ने पासपोर्ट कार्यालयों से दूर स्थानों पर रहने वाले लोगों को पासपोर्ट आवेदन फार्म आसानी से उपलब्ध कराने के लिए डाकघरों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन फार्म देने के लिए कदम उठाए हैं। इसी प्रकार, ऐसे आवेदकों की सुविधा के लिए और पासपोर्ट सुरक्षित रूप से आवेदक को प्रेषित करने के लिए पासपोर्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी भेजे जाते हैं।

(ग) पिछले चार महीनों के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

| महीना | प्राप्त आवेदन-पत्र | जारी किए गए पासपोर्ट |
|---|---|---|
| अगस्त | 13332 | 11477 |
| सितम्बर | 13200 | 11214 |
| अक्तूबर | 10063 | 8597 |
| नवम्बर | 11627 | 8269 |

(घ) से (च). सरकार पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यप्रणाली को सुचारू करने, और पासपोर्टों को शीघ्र जारी करने के लिए कार्य करती रही है और करती रहेगी जैसेकि स्टाफ की संख्या में वृद्धि/कार्यालयी सुविधाओं को उन्नत करना, जिसमें कम्प्यूटरीकरण प्रणाली का पुनरीक्षण और देरी को कम करने और पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई भी शामिल है।

## फलों का उत्पादन

**2306. श्री हरिन पाठक :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अन्य सभी फल उत्पादक देशों की तुलना में भारत में फलों का उत्पादन सर्वाधिक है;

(ख) यदि नहीं, तो कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उत्पादित फलों का काफी भाग बिना उपयोग के बरबाद चला जाता है;

(घ) यदि हां, तो वार्षिक रूप से औसतन कितने प्रतिशत फल बरबाद हो जाते हैं; और

(ङ) भारत में कितने प्रतिशत फलों की खपत होती है तथा इसका कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव ) :** (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि संगठन की वर्ष 94 की पुस्तक के अनुसार चीन के बाद भारत विश्व में फल पैदा करने वाला दूसरा बड़ा देश है।

(ग) से (ङ). फल और सब्जियों की वास्तविक बरबादी का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण विशेष नहीं किया गया है लेकिन 1988 में अनुमान लगाया गया था कि सड़ जाने, फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण कुछ फल और सब्जियों की गुणवत्ता में कमी और उसके परिणामस्वरूप उनके मूल्य में कमी और बरबादी लगभग 25-30 प्रतिशत तक होती है। देश में पैदा होने वाले लगभग 0.62 प्रतिशत फल का ताजे तथा प्रसंस्कृत रूप में निर्यात किया जाता है और शेष की खपत घरेलू स्तर पर होती है।

## राष्ट्रीय राजमार्गों के निजीकरण संबंधी मुद्दे पर संगोष्ठी

**2307. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
**श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1995 के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के मुद्दे पर कोई संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में कितने देशों/प्रतिनिधियों/विशेषज्ञों ने भाग लिया;

(ग) इस संगोष्ठी में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) इन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता के संबंध में किसी सेमीनार का आयोजन नहीं किया था। तथापि, भारतीय सड़क कांग्रेस ने सितम्बर, 1995 में "राजमार्ग विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता" के संबंध में एक सेमीनार का आयोजन किया था।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित सेमीनार में लगभग 300 प्रतिनिधियों/विशेषज्ञों ने भाग लिया था जिसमें कुछ प्रतिनिधि/विशेषज्ञ बंगलादेश, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा के थे।

(ग) और (घ). इस सेमीनार में प्रतिनिधियों को नियोजना, विकास, वित्तपोषण तथा सड़क अवसंरचना में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का एक मंच मिला। इस सेमीनार में उपर्युक्त पहलुओं से संबंधित कुछ सिफारिशें की गई हैं। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों में निजी क्षेत्र की सहभागिता से संबंधित विभिन्न मामलों पर कार्रवाई करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखेगी।

## चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष की यात्रा

**2308. श्री रवि राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष ने हाल में भारत की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय नेताओं के साथ उनकी किन किन द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई थी; और

(घ) बातचीत के परिणाम क्या निकले?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). उपराष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन तथा लोक सभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल के निमंत्रण पर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कियाओशि 15 से 20 नवंबर, 1995 तक भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष से भेंट की तथा वे विदेश मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री से भी मिले। दिल्ली के अतिरिक्त वे आगरा, बंगलौर और बंबई भी गए। बंगलौर और बम्बई में उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान सभाओं के अध्यक्षों से भेंट की। बम्बई में वे व्यापार समुदाय के नेताओं से मिले।

श्री कियाओशि की यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्कों की अनवरत प्रक्रिया का एक अंग थी जिससे आपसी समझबूझ के संवर्धन में योगदान मिला। इस यात्रा से बहुत से द्विपक्षीय मसलों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिला, जिनमें सीमा का मसला भी शामिल है। दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों में बराबर हो रहे सुधार पर संतोष व्यक्त किया और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि खासतौर पर आर्थिक और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

## लौह अयस्क खानों का निजीकरण

**2309. श्री मोहन रावले** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र को अब तक सौंपे गए लौह अयस्क खानों का विवरण क्या है;

(ख) इसकी क्या शर्तें हैं;

(ग) क्या कुछ और लौह अयस्क खानें निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग)** : (क) से (घ). खनन पट्टे, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और खनिज रियायत नियम, 1960 में उल्लिखित शर्तों, जोकि सरकारी या निजी क्षेत्र के सभी आवेदकों पर लागू होती है, के अनुसार दिए जाते हैं। वर्ष 1994-95 में उत्पादनरत लौह अयस्क खनन पट्टों का विवरण नीचे दिया गया है :—

| मद | कुल | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1994-95 में खानों की संख्या | 257 | 36 | 221 |
| 1.1.1994 को खनन पट्टों की संख्या | 684 | 66 | 618 |

## दिल्ली में "हाई स्पीड ट्राम सिस्टम"

**2310. श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने राजधानी के लिए "हाई स्पीड ट्राम सिस्टम" की संभावना, व्यवहार्यता और वांछनीयता पर गम्भीर आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में एच एस टी एस परियोजना के नियोजन और कार्यान्वयन के बारे में कुछेक मुद्दे उठाए थे, जो विचार-विमर्श के बाद स्पष्ट कर दिए गए हैं।

## अमरीकी अप्रवास कानून

**2311. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के प्रस्तावित अप्रवास कानून के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने प्रस्ताव है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रवासन विधान, जिसका प्रस्ताव अमरीकी कांग्रेस में किया गया है और जो इस समय कमेटी स्तर पर है, के संबंध में भारतीय व्यापार और अन्य हितों को प्रभावित करने वाली घटनाओं के प्रति सरकार सतर्क है। उम्मीद है कि प्रस्तावित विधान पर 1996 के दौरान हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव और सीमेंट में विचार-विमर्श होगा।

## अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास

**2312. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में अन्तर्देशीय जलमार्ग के विकास में भागीदारी हेतु अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निजी निवेशकर्त्ताओं को आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आंध्र प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :—

(i) **गोदावरी नदी तथा इसकी नौचालन योग्य डेल्टा नहरें**

मै. राइटस ने गोदावरी नदी पर चेरला से राजामुन्दरी तक जल-राशिक सर्वेक्षण तथा एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया है। इस अध्ययन के आधार पर गोदावरी नदी के चेरला-राजामुन्दरी खंड (208 कि.मी.) तथा इसकी नौचालन योग्य डेल्टा नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव है।

(ii) **काकीनाडा और मद्रास को जोड़ने वाली नहर प्रणाली**

काकीनाडा और मद्रास को आई डब्ल्यू टी के जरिए आपस में जोड़ने के लिए नहर प्रणाली में सुधार किए जाने पर प्रारंभ में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम के रूप में विचार किया गया था।

तथापि, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने फरवरी, 1994 में काकीनाडा और मद्रास को जोड़ने वाली सम्पूर्ण नहर प्रणाली पर नए सिरे से तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करवाने का निर्णय लिया। आई डब्ल्यू ए आई के परामर्शदाता मै. राइटस द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर इस नहर प्रणाली के माध्यम से आई डब्ल्यू टी के विकास हेतु किए जाने वाले उपायों पर विचार किया जाएगा।

## विश्व बैंक ऋण का रद्द होना

**2313. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विद्युत क्षेत्र के लिये स्वीकृत ऋणों को रद्द करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## पारले और कोका कोला ग्रुप

**2314. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पारले और कोका कोला ग्रुप द्वारा देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). उपर्युक्त "क" को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

## आन्ध्र प्रदेश में यूरिया का आबंटन

**2315. श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के खरीफ तथा रबी मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश को किये गये यूरिया के आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राज्यों में यूरिया की कम आपूर्ति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी;

(घ) क्या आवश्यकता तथा आपूर्ति में कोई अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा किए गए आबंटनों के अनुरूप वितरित की जाने वाली यूरिया की आवश्यक मात्रा की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) वर्ष 1994-95 के दौरान मौसमदार ईसीए आबंटन की तुलना में यूरिया की उपलब्धता निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े 000 मी. टनों में)

| | ईसीए आबंटन | उपलब्धता | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| खरीफ 94 | 907.04 | 887.20 | 98% |
| रबी 1994-95 | 1102.97 | 1147.62 | 104% |

(ख) से (ङ). वर्ष 1994-95 के दौरान मूल्यांकित मांग के संदर्भ में राज्य में यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त थी। तथापि खरीफ 1994 के दौरान राज्य से अस्थायी और स्थानीय कमियों की रिपोर्टें प्राप्त हुई थी। ये कमियां अनुकूल मौसम परिस्थितियों से उत्पन्न मांग स्तर में परिवर्तन, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफसीआई) के रामागुण्डम संयंत्र में उत्पादन में कटौती और आयातित यूरिया की पहुंच में कुछ कमियों के कारण हुई थी।

एफ सी आई के रामागुण्डम संयंत्र में उत्पादन के पुनरूद्धार (जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी उपलब्धता में वृद्धि हुई) और राज्य में आयातित यूरिया की पहुंच से उपलब्धता को सुनिश्चित करके रबी 1994 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति तीव्र की गयी थी।

## रूस से आयात

**2316. श्री लोकनाथ चौधरी :**
**श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से उर्वरकों के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उर्वरकों की कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में उर्वरकों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). इस समय यूरिया ही मात्र एक ऐसा उर्वरक है, जो सरकारी मूल्य, वितरण और संचालन नियंत्रण के अंतर्गत है। आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 के अंतर्गत खरीफ 1995 में आबंटन खरीफ 1994 से 15 प्रतिशत अधिक था। देश के लिए ईसीए की प्राप्ति प्रतिशतता कुल मिलाकर 101 प्रतिशत थी। यद्यपि बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में कमी 1 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक थी, तथापि, बिक्री के लिए पर्याप्त उपलब्धता थी, जो कि खरीफ 1994 की तुलना में खरीफ 1995 में 14.6 प्रतिशत अधिक थी। अस्थायी और स्थानीय कमियां जब भी इस अवधि के दौरान सूचित की गयी, वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति द्वारा पूरी की गयी।

अन्य नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों की उपलब्धता, जिनकी मांग और पूर्ति बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं, पर्याप्त पायी गयी है।

यूरिया की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विदेशी क्षमता वृद्धि की योजनाओं को संलग्न विवरणों के अनुसार प्रारंभ किया गया है।

**विवरण**

**देश में कार्यान्वयनाधीन उर्वरक परियोजनाओं के विवरण**

| क्र.सं. | कम्पनी/सहकारिता का नाम | स्थान | अनुमानित पूंजी लागत (लाख मी. टन प्रतिवर्ष) | परिकल्पित उत्पादन उत्पाद क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष | | प्रारम्भण की संभावित तिथि | बजटीय सहायता (रु. करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) | आंवला (उ.प्र.) (विस्तार) | 960.00 | यूरिया | 7.26 | 1.1.97 | - |
| 2. | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) | कलोल, गुजरात (विस्तार) | 119.08 | यूरिया | 1.50 | 1.9.97 | - |
| 3. | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) | फूलपुर (उ.प्र.) (विस्तार) | 993.00 | यूरिया | 7.26 | 20.1.98 | - |
| 4. | नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) | विजयपुर (म.प्र.) (विस्तार) | 987.30 | यूरिया | 7.26 | 1.1.97 | - |
| 5. | मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल) | मनाली, मद्रास (विस्तार) | 487.47 | यूरिया<br>एनपीके | 0.76<br>1.84 | 30.6.96 | 24 |
| 6. | फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) | उद्योग मण्डल, केरल (अमोनिया प्रतिस्थापन संयंत्र) | 618.00 | अमोनिया | 2.97 | 31.3.97 | 10 |
| 7. | नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) | नांगल, पंजाब (डि-बोटलेनेकिंग) | 50.00 | यूरिया | 1.1 | 1.11.96 | - |
| 8. | राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर सी एफ) | थाल चरण-I<br>मुम्बई चरण-II अमोनिया रिट्रोफिट) | 40.00<br>93.00 | यूरिया<br>यूरिया | 1.65<br>1.10 | 7.10.96<br>नवम्बर, 1997 | |

**असम में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत योजना**

**2317. श्री प्रबीन डेका :** क्या **जल-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष असम में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष कार्य के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) से (ग). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान असम में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित स्कीमों के ब्यौरे**

| क्र.सं. | संस्वीकृत स्कीम का नाम | संस्वीकृति की तारीख | पूरी हुई अथवा नहीं | पूरी करने की लक्षित तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | तेजपुर सड़क प्रभाग के अंतर्गत रंगापाड़ा से बोरजुली | 29.6.94 | नहीं | सित., 96 |
| 2. | तेजपुर सड़क प्रभाग के अंतर्गत खानमुख से कचूबील | 29.6.94 | नहीं | सित., 96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | लीलाबाड़ी सोजुली सड़क | 29.6.94 | नहीं | मार्च, 96 |
| 4. | अनिपुर-ओलिवीचेरा सड़क | 29.6.94 | नहीं | मार्च, 96 |
| 5. | 20.8.89 से 5 वर्षों के लिए यातायात इंजीनियरिंग प्रकोष्ठ को जारी रखना | 29.6.94 | नहीं | सित, 96 |
| 6. | पलै-डवों-दार्जिलिंग सड़क | 17.1.95 | नहीं | मार्च, 96 |
| 7. | सिलचर-जयन्तीपुर सड़क | 17.1.95 | नहीं | मार्च, 96 |
| 8. | सोनई-मोतीनगर-दीदकुश सड़क | 17.1.95 | नहीं | मार्च, 96 |
| 9. | असम में ब्रहमपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच केबिल आधारित पुल के निर्माण के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन (चरण-I) | 27.12.93 | नहीं | मार्च, 96 |

[हिन्दी]

**ग्रामीणों हेतु आवास**

**2318. श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने ग्रामीण लोगों के लिये किसी आवास योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने आवासों का निर्माण किए जाने का विचार है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). तथापि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 10 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव है और सभी मकानों के इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है। (मकानों के निर्माण हेतु राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गये हैं)।

**विवरण**

**1995-96 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अनुमानित लक्ष्य**

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | लक्ष्य (बनाये जाने वाले मकानों की संख्या) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 77642 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 797 |
| 3. | असम | 25568 |
| 4. | बिहार | 152292 |
| 5. | गोवा | 861 |
| 6. | गुजरात | 28501 |
| 7. | हरियाणा | 6816 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2736 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 5561 |
| 10. | कर्नाटक | 52133 |
| 11. | केरल | 24624* |
| 12. | मध्य प्रदेश | 98324 |
| 13. | महाराष्ट्र | 84641 |
| 14. | मणिपुर | 1022 |
| 15. | मेघालय | 1195 |
| 16. | मिजोरम | 504 |
| 17. | नागालैण्ड | 1261 |
| 18. | उड़ीसा | 62986 |
| 19. | पंजाब | 7047** |
| 20. | राजस्थान | 40875 |
| 21. | सिक्किम | 466 |
| 22. | तमिलनाडु | 70187 |
| 23. | त्रिपुरा | 1327 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 189211 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 69579 |
| 26. | अण्डमान निकोबार द्वीप समूह | 377 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 27. | दादर व नगर हवेली | 205 |
| 28. | दमन व दीव | 121 |
| 29. | लक्षद्वीप | *** |
| 30. | पांडिचेरी | 369 |
| | कुल | 1007331 |

* इसमें 707.14 लाख रुपये की तुलना में लक्ष्य भी शामिल हैं। (दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत आवंटन के दो तिहाई के भाग को इन्दिरा आवास योजना के लिए प्रयोग किए जाने की अनुमति दी गई है)

** इसमें दस लाख कुंओं की योजना हेतु आवंटित 272.28 लाख रुपये की तुलना में लक्ष्य शामिल है जिस राशि को इन्दिरा आवास योजना के लिए इस्तेमाल किया जाना है।

*** सामान्य जवाहर रोजगार योजना निधियों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

**[अनुवाद]**

## गुजरात में पासपोर्ट कार्यालय

**2319. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पासपोर्ट बनाने की भारी मांग है;

(ख) 1 जनवरी, 1995 से आज तक कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) उनमें से कितने आवेदनों पर पासपोर्ट जारी किये गए हैं;

(घ) क्या सरकार को गुजरात तथा दिल्ली के पासपोर्ट कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में संसद सदस्यों तथा विभिन्न संगठनों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दश के किसी पासपोर्ट कार्यालय में किसी अधिकारी/कर्मचारी का निर्लोबित/बर्खास्त किया गया; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** (क) अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में वर्ष 1992, 1993, 1994 और 1995 (30.11.95 तक) क्रमशः कुल 133023, 113191, 98881 और 92352 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए हैं जो इस बात का द्योतक हैं कि गुजरात में पासपोर्टों की मांग में कमी आयी है।

(ख) और (ग). 1.1.95 से 30.11.95 तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद को कुल 92352 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए थे और इसी अवधि के दौरान कुल 90,005 पासपोर्ट जारी किए गए थे।

(घ) कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| राज्य | पिछले तीन वर्षों के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों के मुअत्तल/बरखास्त किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 1993 | 1994 | 1995 |
| आन्ध्र प्रदेश | शून्य | 3 | 1 |
| असम | शून्य | शून्य | 1 |
| दिल्ली | शून्य | 1 | 1 |
| हरियाणा तथा पंजाब | 2 | 3 | 2 |
| केरल | 1 | 1 | 1 |
| उड़ीसा | शून्य | 2 | 2 |
| तमिलनाडु | शून्य | 4 | शून्य |
| उत्तर प्रदेश | शून्य | शून्य | 1 |

## निजी कम्पनियों को विद्युत लाइसेंस दिया जाना

**2320. श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को लाइसेंस देने के संबंध में राज्य विद्युत बोर्डों को कोई भूमिका सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को भी विद्युत वितरण योजना में शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) से (घ). भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने तथा विद्युत का पारेषण किए जाने हेतु विद्युत आपूर्ति लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार राज्य बिजली बोर्डों (रा.बि.बो.) के साथ परामर्श करके किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकती है। वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1991 में लाइसेंसधारियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों की घोषणा की है, जिससे अन्य बातों के साथ साथ, लाइसेंस की अवधि में वृद्धि और नवीकरणीय अवधि, लाभांश की उच्च दर, ऋण में छूट संबंधी

देयता पूरी करने के लिए विशेष विनियोजन और वास्तविक लागत पर निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण आदि शामिल है। वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को रा.बि.बो. के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

## विद्युत आपूर्ति ठप्प होना

**2321. श्री गुरुदास कामत :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान अनेक पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों और उद्योगों में विद्युत आपूर्ति ठप्प रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) :** (क) और (ख). अप्रैल, 95 से अब तक पश्चिमी क्षेत्र में तीन बड़ी ग्रिड गड़बड़ियां और दक्षिणी क्षेत्र में एक बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हुई। पश्चिमी क्षेत्र में ग्रिड में गड़बड़ी उत्पन्न होने का कारण कुछेक विद्युत प्रणाली उपस्कर के प्रचालन में खराबी का होना था। दक्षिणी क्षेत्र में ग्रिड में गड़बड़ी इसलिये उत्पन्न हुई, क्योंकि एक कंडक्टर क्षतिग्रस्त हो गया था और इसकी क्रास आर्म गिर गई थी, जिसके कारण श्रीसेलम से आने वाली सभी लाइनें ट्रिप कर गईं।

(ग) किए जा रहे उपायों में, ग्रिड मानदण्डों को बनाए रखने हेतु ग्रिड में सभी घटकों को सलाह देना, शंट कैपिसिटरों, बस-बार संरक्षण रिले का अधिष्ठापन करना और पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करना आदि शामिल है।

## आन्ध्र प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति

**2322. श्री धर्मोमिक्षम :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादक केन्द्रों के अनार्बोटित भाग में से 50 प्रतिशत हिस्सा आन्ध्र प्रदेश को प्रदान किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र से भी आन्ध्र प्रदेश को 30 मेगावाट का अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया गया है। समय-समय पर व्यवहार्य रूप से संभावित सीमा तक पूर्वी क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन की अधिशेष उपलब्धता के आधार पर ओ एस ई बी/पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड द्वारा आन्ध्र प्रदेश को व्यस्ततम कालीन घंटों के दौरान लगभग 100 मेगावाट या अधिक के समतुल्य की और अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है।

## आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का निर्माण

**2323. श्री जे. चौक्का राव :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1994-95 और 1995-96 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों से संबंधित कोई कार्य गैर-सरकारी पार्टियों को सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन-किन पार्टियों को ये कार्य सौंपे गए हैं; और

(ग) उन्हें किन-किन शर्तों पर यह कार्य सौंपा गया है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** संभवतः माननीय सदस्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर निजी निवेशकों को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य सौंपने का उल्लेख कर रहे हैं।

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

## उड़ीसा की जल विद्युत परियोजनाएं

**2324. श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी जल विद्युत् इकाइयां चल रही हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) 1995-96 के दौरान उन इकाइयों में विद्युत उत्पादन का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी.पटेल) :** (क) से (ग). अपेक्षित ब्यौरा निम्नलिखित है :—

| उड़ीसा में ज.वि. केन्द्र का नाम | क्षमता (मेगावाट) | विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (मि.यू.) 1995-96 | अप्रैल-अक्तू., 95 तक का वास्तविक उत्पादन |
|---|---|---|---|
| हीराकुड | 5×37.5+5×24=307.5 | 1164 | 733 |
| बालीमेला | 6×60=360 | 1184 | 830 |
| रेंगाली | 5×50=250 | 750 | 601 |
| अपर कोलाब | 4×80=320 | 832 | 639 |
| मचकुंद(*) | 3×17+3×21=114 | 785 | 490 |

* उड़ीसा का हिस्सा 30 प्रतिशत अर्थात् 34 मेगावाट है।

[हिन्दी]

**"यूनीसेफ"/विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं**

**2325. श्री महेश कनोडिया :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष/विश्व बैंक की सहायता से कौन-कौन सी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) "यूनीसेफ" और विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में यह सहायता कब से दी जा रही है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान कराई गई विदेशी सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सहायता से अब तक कितने कार्यक्रम क्रियान्वित किये गए हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) गुजरात में ग्रामीण जल सप्लाई और कम लागत वाली स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम (डवाकरा) को यूनीसेफ की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) यूनीसेफ और विश्व बैंक द्वारा सहायता मुहैया कराने का मानदण्ड क्षेत्र की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार मंत्रालय के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त सामान्य नीति पर आधारित होता है।

(ग) विश्व बैंक 1987-88 से तथा यूनीसेफ 1982-83 से सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ)

| वर्ष | उपलब्ध कराई गई सहायता | |
|---|---|---|
| | विश्व बैंक (रुपए करोड़ में) | यूनीसेफ (रुपए लाख में) |
| 1992-93 | 11.29 | अनुपलब्ध |
| 1993-94 | 14.60 | 13.75 |
| 1994-95 | 4.37 | 3.00 |

(ङ) गुजरात में विश्व बैंक की सहायता के कार्यान्वित की गई विशिष्ट परियोजनाओं को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

| | समयबद्ध योजना | | अनुमानित कुल लागत (रु. लाख में) |
|---|---|---|---|
| | आरंभ | समाप्त | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **क. क्षेत्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं** | | | |
| उना खण्ड | 7/88 | पूर्ण | 697.07 |
| कांडला गांधीधाम | 3/88 | पूर्ण | 541.08 |
| खादिर | 4/88 | 12/95 | 1000.5 |
| भदर | 4/88 | पूर्ण | 525.07 |
| ओखा-मण्डल | 4/88 | 03/96 | 1480.00 |
| उपयोग (क) | | | 4243.37 |
| **ख. व्यक्तिगत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं** | | | |
| डी.आई.ए.टी. डब्ल्यू में 6 | 4/87 | पूर्ण | 3215.46 |
| डी.आई.ए.टी. डब्ल्यू/ओ. एन में 8 | 4/87 | पूर्ण | |
| उपयोग (ख) | | | 3215.46 |
| **ग. विविध** | | | |
| कम लागत वाली स्वच्छता सुविधाएं | 4/89 | | 1903.87 |
| वर्षा जल एकत्रीकरण | | पूर्ण | 130.00 |
| उपयोग (ग) | | | 2033.87 |
| **घ. मेहसना फ्लोराइड परियोजना हेतु अध्ययन** | | | 140.00 |
| उपयोग (घ) | | | 140.00 |
| कुल योग | | | 9632.70 |

[अनुवाद]

**विदेश में मृत भारतीयों के पार्थिव शरीर को लाना**

**2326. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1995 के दौरान विदेश में मृत भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को लाने हेतु कितने मामलों में मदद की है;

(ख) क्या सरकार के पास इस आशय का कोई अनुरोध लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इन्टरपोल ने इस वर्ष पार्थिव शरीर लाने संबंधी किसी मामले में कोई जांच-पड़ताल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :** विदेशों में जिन भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो जाती है उनके पार्थिव शरीर को वापस भारत लाने के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने हेतु, जो मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं, सरकार हमेशा ही उन सभी में सहायता करती है।

(ख) और (ग). राजदूतावास को किए जाने वाले सभी अनुरोधों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। औपचारिकताएं पूरी करने के संबंध में संबंधित भारतीय मिशन प्रायोजक, स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों और मृतक के निकटतम संबंधी से सम्पर्क करते हैं।

(घ) और (ङ). जिन भारतवासियों की विदेशों में मृत्यु हो गई थी उनके पार्थिव शरीर को स्थानान्तरित करने के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के इन्टरपोल स्कन्ध ने कोई जांच शुरू नहीं की है। बहरहाल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के इन्टरपोल स्कन्ध का उपयोग विदेशों में मरने वाले भारतीयों की मृत्यु की सूचना भारत में उनके संबंधियों तक पहुंचने के लिए किया जाता रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का इन्टरपोल सकन्ध लावारिश लाशों की शिनाख्त को सुविधाजनक बनाने के लिए काले किनारे वाली सूचनाएं भी जारी करता है।

## प्रतिव्यक्ति विद्युत की खपत

**2327. श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 अथवा अन्य नवीनतम वर्ष के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य-वार प्रति व्यक्ति विद्युत की अनुमानित खपत कितनी थी;

(ख) पूर्वगामी वर्ष की तुलना में 1994-95 के दौरान देश में राज्य-वार कितना अन्तर्वार्षिक परिवर्तन हुआ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत तथा अन्तर्वार्षिक वृद्धि दर के मामले में अन्तर्राज्यीय असमानता दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) और (ख). वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यवार विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सभी राज्य आवश्यक प्राकृतिक विद्युत संसाधनों से सम्पन्न नहीं हैं। समान विकास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :

(1) विद्युत विकास के सम्बन्ध में स्थानिक इकाई के तौर पर राज्यों के स्थान पर क्षेत्र को अपनाना, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में भागीदार राज्यों/संघ क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा किया जा सके।

(2) क्षेत्रीय ग्रिडों का अन्तःसम्बन्ध और अन्तःक्षेत्रीय विनिमयों का प्रवर्तन, ताकि अधिशेष वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र को विद्युत का अंतरण किया जा सके।

(3) एक मजबूत एकल समकालिक राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना करना, ताकि प्रत्येक स्थान पर प्रतिव्यक्ति अधिकतम खपत करने वाले सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी की जा सके।

**विवरण**

**वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विद्युत की राज्यवार वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत (यूटीलिटियां तथा गैर-यूटीलिटियां)**

(कि.वा.आवर में)

| क्षेत्र/राज्य का नाम | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | |
| हरियाणा | 507.24 | 490.82 |
| हिमाचल प्रदेश | 207.94 | 218.52 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 188.24 | 195.06 |
| पंजाब | 883.58 | 702.51 |
| राजस्थान | 246.45 | 256.12 |
| उत्तर प्रदेश | 178.52 | 185.74 |
| चण्डीगढ़ | 714.68 | 626.08 |
| दिल्ली | 823.26 | 733.45 |
| उप जोड़ | 282.45 | 286.41 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | |
| गुजरात | 538.43 | 587.33 |
| मध्य प्रदेश | 280.59 | 310.54 |
| महाराष्ट्र | 438.58 | 459.09 |
| गोवा | 540.74 | 588.49 |
| दमन और दीव | 1014.70 | 1182.09 |
| दादर एवं नगर हवेली | 1174.50 | 1392.13 |
| उप जोड़ | 406.21 | 436.66 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 312.49 | 344.96 |
| कर्नाटक | 302.98 | 327.72 |
| केरल | 200.10 | 215.42 |
| तमिलनाडु | 368.85 | 386.04 |
| पाण्डिचेरी | 855.91 | 842.55 |
| लक्षद्वीप | 183.20 | 207.20 |
| उप जोड़ | 311.80 | 335.47 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | |
| बिहार | 117.03 | 125.70 |
| उड़ीसा | 296.95 | 313.48 |
| प. बंगाल | 157.70 | 171.31 |
| अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह | 162.35 | 167.74 |
| सिक्किम | 113.93 | 122.50 |
| उप जोड़ | 162.39 | 174.04 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **उत्तर पूर्वी क्षेत्र** | | |
| असम | 96.77 | 94.98 |
| मणिपुर | 103.88 | 111.03 |
| मेघालय | 129.10 | 109.95 |
| नागालैंड | 72.90 | 67.92 |
| त्रिपुरा | 58.53 | 59.57 |
| अरुणाचल प्रदेश | 54.13 | 66.52 |
| मिजोरम | -90.86 | 101.96 |
| उप जोड़ | 93.44 | 91.96 |
| कुल अखिल भारत | 283.10 | 298.96 |

**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिये गए ऋण**

**2328. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और डी.आर.आई. योजनाओं के अंतर्गत 1993-94 और 1994-95 में लक्ष्य की तुलना में कितने व्यक्तियों को ऋण दिये गए हैं; और

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और डी.आर.आई. योजनाओं के अंतर्गत 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) :** (क) और (ख). 1993-94 और 1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित और ऋण दिये गए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :-

| वर्ष | लक्ष्य (व्यक्ति परिवार) (संख्या लाख में) | ऋण स्वीकृत किए गए व्यक्तियों की संख्या | वितरित ऋण | सब्सिडी (करोड़ रुपये में) | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1993-94 | 25.70 | 25.39 | 1408.44 | 800.82 | 2209.26 |
| 1994-95 | 21.15 | 21.82 | 1424.66 | 810.13 | 2234.79 |

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, डी. आर.आई. योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जाने वाले लोगों की संख्या के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। 1993-94 के दौरान सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 4,15,756 खाता धारकों को 135.30 करोड़ रुपये की कुल राशि का ऋण वितरित किया गया है। 1994-95 हेतु सूचना भारतीय रिजर्व बैंक के पास अभी उपलब्ध नहीं है।

**ग्रामीण विद्युतीकरण**

**2329. श्रीमती भावना चिखलिया :**
**श्री चेतन पी.एस. चौहान :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ओवरसीज इकानामिक कारपोरेशन फंड से ग्रामीण विद्युत प्रणाली सुधार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मांगने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विद्युत परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिन्हें उपरोक्त वित्तीय सहायता से लागू करने का विचार है; और

(घ) किन-किन विद्युत योजनाओं को ओ ई सी एफ से प्राप्त वित्तीय सहायता से लागू किए जाने का विचार है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) :** (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा प. बंगाल राज्यों में 50 विद्युत प्रणाली सुधार परियोजनाओं और तीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए ओवरसीज इकोनोमिक को-ओपरेशन फण्ड (ओईसीएफ) ने प्रथम ऋण आईडीपी-66 के अन्तर्गत 24.4 बिलियन येन स्वीकृत किया है। ऐसी परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य बिजली बोर्डों की उपयुक्त परियोजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 के ओईसीएफ ऋण पैकेज के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले लगभग 54.46 बिलियन येन की ओ ई सी सी सहायता हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने विद्युत प्रणाली सुधार पर एक दूसरी परियोजना और लघु जल विद्युत परियोजना को भी प्रस्तावित किया है।

**विवरण**

**ओ ई सी एफ ऋण संख्या आई.डी. पी–66 विद्युत प्रणाली सुधार तथा लघु जल विद्युत परियोजना**

| विषयान्तर्गत परियोजना क्र.सं. | राज्य | जिला | क्रियान्वित परियोजना संख्या | विषयान्तर्गत परियोजना का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| एक. | **हरियाणा** | कुरूक्षेत्र | 1. एन–एचआर–3 | 66 के.वी. जठलाना प्रणाली |
| | | | 2. एन–एचआर–6 | 33 के.वी. मलिकपुर एस/एस का अपग्रेड |
| | | | 3. एन–एचआर–7 | 33 के.वी. पाई एस/एस का अपग्रेड |
| | | | 4. एन–एचआर–8 | 33 के.वी. पीपली एस/एस का अपग्रेड |
| | | | 5. एन–एचआर–11 | 33 के.वी. एस/एस के लिए 11 केवी लाइन्स का विस्तार |
| | | | 6. एन–एचआर–12 | 11 केवी कार्य |
| दो. | **प. बंगाल** | बिरभूम | 7. ई–डब्ल्यूबी–1 | पेंथर के साथ 132 के.वी. डीसी डीसी बोलेपुर लाइन |
| | | | ई–डब्ल्यूबी–2 | 132/33 केवी बोलेपुर प्रणाली |
| | | कूच बिहार | 8. ई–डब्ल्यूबी–6 | 132 केवी कूचबिहार प्रणाली और एससीएसीडीए प्रणाली |
| | | बुर्दवान | 9. ई–डब्ल्यूबी–7 | 132 केवी मांकर प्रणाली और एससीएसीडीए प्रणाली |
| | | माल्दा | 10. ई–डब्ल्यूबी–8 | 132 केवी सामासी प्रणाली और एससीएडीए प्रणाली |
| | | हुगली | 11. ई–डब्ल्यूबी–9 | 132 केवी तारकेश्वर प्रणाली और एससीएडीए प्रणाली |
| | | मिदनापुर | 12. ई–डब्ल्यूबी–10 | 132 केवी पिंग्ला, 33 केवी पोटाशपुर एवं एससीएडीए प्रणाली |
| | | 24–परगनास | 13. ई–डब्ल्यूबी–11 | 132 केवी बोंगईगांव, 33 के.वी. अशोकनगर एससीएडीए प्रणाली |
| | | मुर्शिदाबाद | 14. ई–डब्ल्यूबी–12 | 132 के.वी. मुर्शिदाबाद प्रणाली और एससीएडीए प्रणाली |
| तीन. | **कर्नाटक** | खानपुर | 15. एस–केटी–1 | 33/11 केवी खानपुर प्रणाली |
| | | गुलबर्गा | 16. एस–केटी–2 | 110/33/11 केवी शोरापुर प्रणाली |
| चार. | **आन्ध्र प्रदेश** | वारंगल | 17. एस–एपी–1 | 33/11 केवी वारंगल प्रणाली–क |
| | | | 18. एस–एपी–2 | 33/11 केवी वारंगल प्रणाली–ख |
| | | | 19. एस–एपी–3 | चेरपुर–पारवल (वारंगल) का पुनर्गठन |
| | | | 20. एस–एपी–4 | 33/11 केवी नेक्कोण्डा प्रणाली–क |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 21. एस-एपी-5 | 33/11 केवी नेक्कोण्डा प्रणाली-ख |
| | | | 22. एस-एपी-6 | 33/11 केवी रघुनाथपाल्ली प्रणाली |
| | | | 23. एस-एपी-7 | 33/11 केवी मस्त्याल प्रणाली |
| | | | 24. एस-एपी-8 | 33/11 केवी वाडाकोठापल्ली प्रणाली |
| | | | 25. एस-एपी-9 | 33/11 केवी कमलापुरम प्रणाली |
| | | | 26. एस-एपी-10 | 33/11 केवी चित्याल प्रणाली |
| | | | 27. एस-एपी-12 | 33/11 केवी माडिकोण्डा प्रणाली |
| | | कुरनूल | 28. एस-एपी-19 | 132 केवी कुरनूल प्रणाली |
| | | कुड्डापाह | 29. एस-एपी-18 | 132 केवी येर्रागुंटली प्रणाली |
| | | | 30. एस-एपी-19 | 132 केवी राजामपेट प्रणाली |
| | | | 31. एस-एपी-20 | 132 केवी कुड्डापाह प्रणाली |
| | | अनंतपुर | 32. एस-एपी-22 | 132 केवी गूटी प्रणाली |
| | | | 33. एस-एपी-23 | 132 केवी अनंतपुर प्रणाली का विस्तार |
| | | चित्तूर | 34. एस-एपी-26 | 132 केवी मदानापल्ली प्रणाली का विस्तार |
| | | | 35. एस-एपी-27 | 33 केवी चित्तूर प्रणाली |
| | | | 36. एस-एपी-28 | 132 केवी तिरूपति प्रणाली का विस्तार |
| | | | 37. एस-एपी-29 | 132 केवी पुत्तूर प्रणाली का विस्तार |
| | | निजामाबाद | 38. एस-एपी-31 | 132 केवी निजामाबाद (साउथ) प्रणाली |
| | | | 39. एस-एपी-32 | 132 केवी निजामाबाद (नार्थ) प्रणाली |
| पांच. | **केरल** | त्रिचूर | 40. एस-केएल-5 | 110 केवी इरींजलाकूडा प्रणाली |
| | | त्रिवेन्द्रम | 42. एस-केएल-5 | 66केवी पेरूरकाडा प्रणाली |
| | | मालापुरम | 43. एस-केएल-6 | 110 केवी कुट्टिपुरम प्रणाली |
| | | पाथानाम्थाट्ट | 44. एस-केएल-7 | 11केवी माल्लापाल्ली प्रणाली |
| छः. | **उड़ीसा** | गंजम | 45. ई-ओआर-6 | 132 केवी पारालाखेमुण्डी प्रणाली |
| | | सम्भलपुर | 46. ई-ओआर-7 | 132 केवी रेराखोले प्रणाली और 220 केवी बारकोट प्रणाली |
| | | बोलांगीर | 47. ई-ओआर-8 | 132 केवी पटनागढ़ प्रणाली |
| | | सोनापुर | 48. ई-ओआर-9 | 132 केवी सोनेपुर प्रणाली |
| सात. | **तमिलनाडु** | गुल्डालोर बाल्लालर | 49. एस-टीएन-3 | 110 केवी वाल्लालर प्रणाली |
| | | कोयम्बटूर | 50. एस.एस.-टीएन-4 | 110 केवी कोयम्बटूर साउथ प्रणाली |

**लघु जल विद्युत-विद्युत उप परियोजना**

| क्र.सं. | राज्य | उप-परियोजना की सं. | उप परियोजना का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | कर्नाटक | 1 | एस आर 2-2 वृन्दावन (2×6 मे.वा.) |
| 2. | तमिलनाडु | 1 | एसआर 4-3अमरावती (2×2 मे.वा.) |
| 3. | केरल | 1 | एस आर 3-6 मालांकारा (2×3.5 मे.वा.) |

[हिन्दी]

## सड़क दुर्घटनाएं

**2330. डा. मुमताज अंसारी :**
**श्री सत्यदेव सिंह :**
**श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
**श्री अशोक आनंदराव देशमुख :**
**श्री डी. वेंकटस्वर राव :**
**श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और जनवरी, 1995 से अब तक राज्यवार कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार इसमें आर्थिक दृष्टि से कितनी क्षति हुई और उन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए/घायल हुए;

(ङ) दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम के वाहनों द्वारा दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए; और

(च) सरकार द्वारा बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

## राजस्थान में विद्युत की कमी

**2331. प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विद्युत की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त विद्युत की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) राज्य में इस समय कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और इनसे क्रमशः कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) केन्द्रीय ग्रिड विद्युत योजना और संयुक्त जल विद्युत परियोजनाओं से राज्य को कितनी मात्रा में विद्युत की सप्लाई की जा रही है;

(ङ) निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभी तक किन-किन परियोजनाओं/प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और

(च) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर राजस्थान को कितनी मात्रा में विद्युत की सप्लाई की जाएगी?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे)** : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 95 की अवधि के दौरान राजस्थान में ऊर्जा एवं व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत थी।

(ख) राजस्थान में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, विद्यमान क्षमता से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण के उपाय करना और पड़ोसी राज्यों/प्रणाली से सहायता की व्यवस्था करना। इस समय कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 8 घंटे विद्युत सप्लाई की जा रही है।

(ग) अप्रैल-नवम्बर, 1995 के दौरान राजस्थान में केन्द्रवार ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत् है :—

**अप्रैल-नवम्बर, 1995**

| केन्द्र का नाम | क्षमता (मि.वा.) | विद्युत उत्पादन (मि.यू.) |
|---|---|---|
| कोटा | 850 | 3001 |
| रामगढ़ | 3 | 6 |
| राणाप्रताप सागर | 172 | 336 |
| जवाहर सागर | 99 | 251 |
| माही बजाज | 140 | 203 |
| अंता | 413 | 1598 |
| आरएपीएस | 300 | 0 |

(घ) केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों और संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं में राजस्थान के हिस्से के बारे में ब्यौरा निम्नवत् है :—

**एनटीपीसी, एनएचपीसी और एनपीसी के केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्र**

| केन्द्रीय केन्द्रों के नाम तथा स्थान | अधिष्ठापित क्षमता (मि.वा.) | राजस्थान का हिस्सा (आवंटित+ अनावंटित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| सिंगरौली एसटीपीएस (उ.प्र.) | 2000 | 300+150 * |
| रिहन्द एसटीपीएस (उ.प्र.) | 1000 | 95+75 * |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| ऊंचाहार टीपीएस (उ.प्र.) | 420 | 20+10 * |
| एनसीआरटीपीएस दादरी (उ.प्र.) | 840 | — |
| अन्ता जीपीएस (राजस्थान) | 413 | ×191+21 * |
| औरैया जीपीएस (उ.प्र.) | 652 | 60 |
| दादरी जीपीएस (उ.प्र.) | 817 | ××210+21 * |
| नरौरा एपीएस (उ.प्र.) | 440 | 40 |
| बेरास्यूल एचपीएस (हि.प्र.) | 198 | — |
| सलाल एचपीएस चरण-1 (जम्मू एवं कश्मीर) | 345 | — |
| सलाल एचपीएस चरण-2 (जम्मू एवं कश्मीर) | 345 | 30 |
| टनकपुर एचपीएस (उ.प्र.) | 120 | 11 |
| चमेरा एचपीएस (हि.प्र.) | 540** | — |

* एनटीपीसी के अनार्बटित कोटे से राजस्थान का आवंटन

× राजस्थान को अन्ता जीपीएस के 1/3 आबंटन समेत

×× उत्तर प्रदेश के हिस्से में से 135 मेगावाट राजस्थान को दिए जाने समेत।

** राजस्थान के आर्बटित हिस्से में से तदर्थ आधार पर अन्य राज्यों का आबंटन

इन हिस्सों में पूर्णतः राजस्थान को आर्बटित राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र (300 मेगावाट) की विद्युत को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह दीर्घावधि से बन्दी की स्थिति में है।

(1) संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाएं :—

(अधिष्ठापित क्षमता मेगावाट में.)

| परियोजना का नाम | स्थान | कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) | राजस्थान का हिस्सा |
|---|---|---|---|
| सतपुरा टीपीएस | म.प्र. | 312.5 | 125 |
| गांधीनगर | म.प्र. | 115.0 | |
| आर.पी. सागर | राजस्थान | 172.0 | |
| जवाहर सागर | राजस्थान | 99.0 | 193 |
| भाखड़ा नांगल एचईपी | हि.प्र. | 1355.0 | 206 |
| डेहर एचईपी | हि.प्र. | 990.0 | 198 |
| पोंग एचईपी | हि.प्र. | 360.0 | 210 |
| | जोड़ | | 932 |

(ङ) और (च). राजस्थान में परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रकट की गई रूचि का अर्नतिम ब्यौरा विवरण निम्नवत है :—

**राजस्थान में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रकट रूचियां का अर्नतिम ब्यौरा**

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | विदेशी/ भारतीय | क्षमता (मे.वा.) | अर्नतिम लागत (करोड़ रु.) | कम्पनी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्थान** | | | | | |
| 1. | आबू रोड | | 75 | 262.500 * | बोली के अधीन |
| 2. | बरसिंगसर टीपीएस | | 240 | 840.000 * | बोली के अधीन |
| 3. | भिवाड़ी | | 75 | 262.500 * | बोली के अधीन |
| 4. | चित्तौड़गढ़ टीपीएस | भारतीय | 500 | 1750.000 | सेंचुरी टैक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. |
| 5. | धौलपुर | भारतीय | 2×350 | 2958.000 | मै. आरपीजी एंटरप्राइजेज |
| 6. | जयपुर | | 75 | 262.500 * | बोली के अधीन |
| 7. | जालिपा | | 4×250 | 1967.540 | बोली के अधीन |
| 8. | जोधपुर | | 75 | 262.500 * | बोली के अधीन |
| 9. | कंपूरडी | | 2×250 | 1932.460 | बोली के अधीन |
| 10. | निया-अलवर | | 75 | 262.500 * | बोली के अधीन |
| 11. | सूरतगढ़ चरण-2 | | 2×250 | 1597.900 | बोली के अधीन |
| 12. | उदयपुर | | 75 | 262.500 | बोली के अधीन |
| | जोड़-12 | | 3890.00 | 12620.900 | |

* 3.5 करोड़ रुपये/मेगावाट पूंजीगत लागत के रूप में मानी गई है, जहां भी राज्य/प्रवर्तकों ने अर्नतिम लागत अनुमान प्रदान नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

## समुद्रीय संभाव्यता का सर्वेक्षण

**2332. श्री हरिन पाठक :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटीय राज्यों में समुद्री मत्स्य अनुसंधान पर कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए क्षेत्रों में संभावित मत्स्यन क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) कोई राज्य विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन सभी तटवर्ती राज्यों और संघ-शासित प्रदेशों के तटवर्ती इलाकों के समुद्री मत्स्यन संसाधनों का सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) और (ग). तटवर्ती मत्स्यन संसाधनों के गहराईवार वितरण से पता चलता है कि तटवर्ती क्षेत्र में 50 मीटर गहराई तक लगभग 2.1 मिलियन टन मात्स्यिकी संसाधन उपलब्ध है। अनुमान है कि भारत के अनय आर्थिक क्षेत्र में कुल 3.9 मिलियन टन मात्स्यिकी संसाधन उपलब्ध है।

## भारत तथा पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों का सम्मेलन

**2333. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारत तथा पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) क्या इस सम्मेलन में कई सुझाव दिए गए;

(ग) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई;

(घ) आगामी सम्मेलन कहां आयोजित होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार ने किस हद तक इस सम्मेलन का स्वागत किया है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) से (ग). सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि शांति एवं लोकतंत्र के लिए पाकिस्तान-भारत लोक मंच का सम्मेलन नवम्बर, 1995 में लाहौर में आयोजित किया गया। यह बताया गया है कि राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक तथा लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित भारत पाकिस्तान संबंधों के कई मामलों पर विचार विमर्श हुआ और इस सम्मेलन में कई सुझाव प्रस्तुत किए गए।

(घ) यह सम्मेलन गैर-सरकारी किस्म का था। इसकी अगली बैठक और समय के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ङ) सरकार दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के बीच सम्पर्क को प्रोत्साहित करने की नीति के प्रति वचनबद्ध है। तथापि इस बात का खेद है कि पाकिस्तान प्रतिबन्धित वीजा प्रणाली अपना रहा है जिससे भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच सम्पर्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

## होटल के बिलों का भुगतान नहीं किया जाना

**2334. श्री मोहन रावले :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों के बिल की कुछ धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धनराशि कब से बकाया है;

(घ) मंत्रालय द्वारा होटल के बिलों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बिलों का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

## इस्लामी देशों के संगठन द्वारा कश्मीर संबंधी वक्तव्य

**2335. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस्लामी देशों के संगठन की अक्तूबर, 1995 में हुई वार्षिक समन्वय बैठक में जम्मू और कश्मीर पर तथाकथित रूप से जारी वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया पर इस्लामी देशों का क्या रवैया है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) :** (क) से (ग). अक्तूबर, 1995 में न्यूयार्क में आयोजित इस्लामी देशों के संगठन की समन्वय बैठक के अंत में जारी विज्ञप्ति में जम्मू एवं कश्मीर का जिक्र किया

गया है। सरकार इस संबंध में किए गए उल्लेखों को झूठा और भ्रामक मानती है। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में व्याप्त स्थिति, जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहित एवं समर्थन देने तथा कश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय बनाने और उसे एक धार्मिक रूप प्रदान करने के पाकिस्तान के प्रयासों से इस्लामी देशों के संगठन के देशों को पूरी तरह से अवगत करा दिया है।

इस्लामी देशों के संगठन ने सरकार की प्रतिक्रिया का कोई उत्तर नहीं दिया है तथापि इस्लामी देशों के संगठन के कई सदस्य देशों ने जिनके साथ भारत के सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हैं यह कहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के सम्बन्ध में इस्लामी देशों के संगठन का वक्तव्य सदस्य देशों की आम राय नहीं दर्शाता।

## ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्यों की सहायता

**2336. श्री राघेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जब तक राज्य उपयोग के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते तब तक केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता रोकने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अब तक ऐसे उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत दिये हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) :** (क) और (ख). विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे जो प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को किश्तों में निधियां रिलीज की जाती है। आम तौर पर यह देखा गया है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय रिलीज का पूरा इस्तेमाल नहीं करती। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। 1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में राज्यों से लंबित आडिट रिपोर्टें तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के संबंध में पहली किश्त बिना किसी पूर्व शर्त के रिलीज की जाती है। जिले को केन्द्रीय निधियों की दूसरी किश्त राज्य के अनुरोध पर निर्धारित प्रपत्र में रिलीज की जाती है। रिलीज के समय जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा कुछेक शर्तों को पूरा किया जाता होता है जिसमें आवेदन के समय उनके पास उपलब्ध कुल निधियों का 50 प्रतिशत उपयोग तथा उस तारीख तक पहले से इस्तेमाल की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना शामिल हैं।

**विवरण**

**वर्ष 1994-95 के लंबित आडिट रिपोर्टें और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा**

| क्र.सं. | राज्य | कवर की गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की संख्या | प्राप्त आडिट रिपोर्टों की सं. | प्राप्त न हुई आडिट रिपोर्टों और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की सं. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 22 | 10 | 12 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 5 | 7 |
| 3. | असम | 23 | — | 23 |
| 4. | बिहार | 50 | 10 | 40 |
| 5. | गोवा | 2 | 1 | 1 |
| 6. | गुजरात | 19 | 18 | 1 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 12 | — | 12 |
| 8. | हरियाणा | 17 | 13 | 4 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 14 | 6 | 8 |
| 10. | कर्नाटक | 20 | 1 | 19 |
| 11. | केरल | 14 | 14 | शून्य |
| 12. | मध्य प्रदेश | 45 | 18 | 27 |
| 13. | महाराष्ट्र | 29 | 16 | 13 |
| 14. | मणिपुर | 8 | 4 | 4 |
| 15. | मेघालय | 7 | 6 | 1 |
| 16. | मिजोरम | 3 | 2 | 1 |
| 17. | नागालैंड | 1 | — | 1 |
| 18. | उड़ीसा | 30 | 9 | 21 |
| 19. | पंजाब | 14 | 10 | 4 |
| 20. | राजस्थान | 31 | 4 | 27 |
| 21. | तमिलनाडु | 21 | 13 | 8 |
| 22. | त्रिपुरा | 3 | 2 | 1 |
| 23. | सिक्किम | 1 | — | 1 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 65 | 28 | 37 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 18 | 12 | 6 |
| **संघ शासित क्षेत्र** | | | | |
| 26. | अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 2 | 1 | 1 |
| 27. | दमन व दीव | 1 | — | 1 |
| 28. | पांडिचेरी | 1 | — | 1 |
| 29. | लक्षद्वीप | 1 | — | 1 |
| 30. | दादर व नगर हवेली | 1 | — | 1 |
| कुल | | 487 | 203 | 284 |

## खुले समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी समझौता

**2337. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 100 देशों ने विश्व के मत्स्यन स्थलों को व्यापारगत अनियमितताओं से बचने के लिए खुले समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या भारत इन 100 देशों में सम्मिलित है;

(घ) यदि हां, तो इस समझौते को हिन्द महासागर में लागू करने वाली मुख्य एजेंसी कौन-सी हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या भारत ने इन दोनों क्षेत्रीय सन्धियों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(छ) यदि हां, तो क्या इन सन्धियों का अब तक अनुसमर्थन कर दिया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) 4.12.95 को पुनः शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान 46 देशों ने सम्मेलन के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं और 26 देशों ने स्ट्रैडलिंग फिश स्टॉक्स और हाइली माइग्रेटरी फिश स्टाक्स संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) समझौते की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) भारत ने सम्मेलन के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ङ). समझौते को लागू करने के लिए किसी एजेंसी को नामजद करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) भारत ने हिंद महासागर ट्ना आयोग और पश्चिमी हिंद महासागर ट्ना संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(छ) जी हां।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

### विवरण

1. स्ट्रैडलिंग फिश स्टॉक और हाइली माइग्रेटरी फिश स्टाक का दीर्घकालीन संरक्षण और उसके लगातार प्रयोग को सुनिश्चित करना।
2. समुद्री वातावरण की जीव विविधता का संरक्षण।
3. चुने हुए, वातावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले और लागत प्रभावी फिशिंग गियर और तकनीक के प्रयोग और विकास को बढ़ावा देना ताकि प्रदूषण, अपव्यय, छंटाई, खोने अथवा गुम होने वाले गियरों के कारण कैच तथा नॉन टारगेट किस्म की प्रजातियों के शिकार को कम किया जा सके।
4. अत्यधिक मत्स्यन को समाप्त करने या रोकने के लिए कदम उठाना।
5. मछली से जीविका कमाने वाले और मछली कामगारों के हितों को ध्यान में रखना।
6. मत्स्यन संबंधी कार्यकलापों के पूरे आंकड़े प्राप्त करना और उसे बांटना।
7. उपक्षेत्रीय या क्षेत्रीय फिशरीज प्रबंध संगठन या व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन।
8. इस समझौते को लागू करते समय विकासशील देशों की जरूरतों को मान्यता देना।

## राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

**2338. श्री प्रबीन डेका :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी तथा तेजपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुवाहटी और तेजपुर के बीच पहले ही 2 लेन हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे और चौड़ा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

## ग्रामीण विकास और रोजगार परियोजनाओं के लिए सहायता

**2339. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को ग्रामीण विकास और रोजगार परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने पूरी सहायता राशि खर्च कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सहायता राशि के वितरण में विलंब हुआ था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गुजरात के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण तथा रोजगार कार्यक्रमों और परियोजनाओं हेतु बनाई गई योजनाओं परियोजनाओं और उनके लिए अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या गुजरात सरकार ने ग्रामीण तथा रोजगार कार्यक्रमों के लिए सहायता राशि में वृद्धि के लिए हाल में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस राशि में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल)** : (क) से (ग). केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) सुनिश्चित रोजगार योजना तथा (4) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता की कुल राशि और उसकी तुलना में उपयोग नीचे दर्शाया गया है :

**गुजरात राज्य में केन्द्रीय सहायता और उसका उपयोग**

(लाख रुपये में)

| वर्ष | समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ज.रो.यो. | | | | सु.रो.यो. | | त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | केन्द्रीय सहायता | उपयोग (केन्द्र राज्य) | केन्द्रीय रिलीज | उपयोग (केन्द्रीय राज्य) | केन्द्रीय रिलीज | उपयोग | रिलीज की गई राशि | उपयोग |
| 1992-93 | 1096.97 | 2284.58 | 8195.83 | 8227.77 | | | 1633.00 | 1797.00 |
| 1993-94 | 1510.23 | 3334.85 | 7447.38 | 10533.51 | 485.00 | 606.25 | 2956.00 | 1858.40 |
| 1994-95 | 1507.63 | 3259.82 | 8802.65 | 10686.33 | 3580.00 | 4475.00 | 3039.00 | 4104.80 |

× सुनिश्चत रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई है।

(घ) से (घ). उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत राज्य को सहायता के वितरण में कोई विलम्ब नहीं हुआ था। जहां तक गुजरात राज्य को 1996-97 हेतु प्रस्तावित आबंटन का सम्बन्ध है, उसका निर्णय 1996-97 के लिए वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के बाद किया जाएगा।

(छ) और (ज). गुजरात राज्य सरकार ने अभी तक इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटन को बढ़ाने के लिए नहीं कहा है।

**भारतीय स्पंज लौह उद्योग की सुविधायें**

**2340. श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्पंज लौह उद्योग को कोई सुविधायें प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में भारतीय स्पंज लौह उद्योग को प्रस्तावित सुविधायें देने के संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है जैसा कि समेकित इस्पात संयंत्रों की दी गयी हैं?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) से (ग). सरकार ने स्पंज लोहे को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। देश में स्पंज लोहे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :

(i) स्वदेशी कच्चे माल से स्पंज लोहे को उत्पादन करने की तकनीकी-आर्थिक शक्यता स्थापित करने के लिए खम्मम, आंध्र प्रदेश में वर्ष 1980 में एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित किया गया था।

(ii) एम.आर.टी.पी. कम्पनियों के लिए कतिपय स्थान-स्थिति संबंधी प्रतिबन्धों को छोड़कर स्पंज लोहा उद्योग को मार्च, 1985 में लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया था।

(iii) अकोकेकर कोयला और रेल मार्ग-परिवहन की सहलग्नता की व्यवस्था करने के लिए वर्ष 1986 में एक सहलग्नता समिति का गठन किया गया।

(iv) स्पंज लोहा उद्योग को प्रोत्साहन देने के संबंध में सरकार ने 1994-95 के बजट में लौह अयस्क पैलेटों पर से सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत और अकोकेकर कोयले पर से सीमा शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया था। 26.4.94 से लौह अयस्क पैलेटों पर से सीमा-शुल्क पुनः घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया।

**परमाणु युद्ध**

**2341. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" के 17 अक्तूबर, 1995 के अंक में "पाक में यूज फारेन सप्लाइड प्लेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रक्षा मामलों के संबंध में विभिन्न देशों से संबंधित लिशिष्ट अद्यतन वाली "रिस्क रिपोर्ट" का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार को पाकिस्तान के गुप्त शस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम की जानकारी है। भारत की सुरक्षा स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है विशेष रूप से आस पड़ोस में घट रही घटनाओं को देखते हुए तथा सरकार देश की सुरक्षा को पेश आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी।

## भारत-फ्रांस संधि

**2342. श्रीमती भावना चिखलिया :**
**श्री सत्यदेव सिंह :**
**श्री पंकज चौधरी :**
**श्री राम पाल सिंह :**
**श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**
**श्री रामसिंह कास्वां :**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खनिजों की खोज और इसके विकास के संबंध में फ्रांस के साथ किसी संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्रांस ने संधि में अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करना स्वीकार किया है;

(घ) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थित हैं; और

(ङ) परियोजना से संबंधित कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). खनिज गवेषण और विकास पर गठित भारत-फ्रांस कार्यदल की 9वीं बैठक 14-15 नवम्बर, 1995 को नई दिल्ली में हुई थी। बैठक में जारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और भारत-फ्रांस वित्तीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत संभावित सहायता के आधार पर दो परियोजनाओं (1) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में भू-वैज्ञानिक डाटा केन्द्र की स्थापना और (2) उड़ीसा के बाउला-नौसाही में संभावित प्लेटिनम ग्रुप के धातुओं के विस्तृत गवेषण के लिए तकनीकी सहायता को अंतिम रूप दे दिया गया।

बैठक में तीन नई परियोजनाओं, यथा (1) भारत और भारतीय महाद्वीप के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुन्द्र तल का गवेषण और सर्वेक्षण (2) खनिजों, तेल/हाइड्रोकार्बन भू-जल, सैलाइन और वैस्टलैंड डवलपमेंट और भू विज्ञान आंकड़ा आधार में बढ़ोत्तरी के लिए हवाई भू-भौतिक सर्वेक्षण(3) खानों के पर्यावरणात्मक प्रबंध और अपशिष्ट पदार्थों की प्राप्तियों से संबंधित उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकों के विकास का पता लगाया गया। परियोजना के विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे और इसके बाद इन्हें भारत-फ्रांस वित्तीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत फ्रांस सरकार से रियायती दरों पर ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य, प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के बाद आरम्भ होगा।

## गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

**2343. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने एक नए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो हाल ही में आरम्भ किये गए इस नए कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

**ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)** : (क) और (ख). माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में ग्रामीण गरीबों और कमजोर वर्गों के लाभ के लिए कई कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम जो इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम से संबंधित है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में फिलहाल इसके घटकों के रूप में तीन लाभ दिए गए हैं अर्थात :

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना

(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों, मार्गदर्शिकाओं और शर्तों के अनुसार इसके अंतर्गत लाभ मुहैया करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ की मात्रा निम्नानुसार है :—

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : प्रतिलाभार्थी को प्रतिमाह 75 रुपए

(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना : प्रमुख जीविकोपार्जन की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर शोक संतप्त परिवार को 5000 रुपए तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 10,000 रुपए।

(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना : दो जीवित बच्चों तक प्रति गर्भधारण पर 300 रुपए

इन तीन योजनाओं की अन्य विशेष शर्तें निम्नलिखित हैं :—

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :
(1) आवेदक की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
(2) आवेदक दीन-हीन होना चाहिए जिसकी आय का निजी स्रोत बहुत कम अथवा जीने का कोई नियमित साधन न हो।

(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :
(1) प्रमुख जीविकोपार्जक परिवार का सदस्य पुरूष अथवा महिला होनी चाहिए जिसकी आय का योगदान कुल परिवारिक आय का एक बड़ा भाग हो।
(2) ऐसे प्रमुख जीविकोपार्जन की मृत्यु 18 से 60 वर्ष आयु समूह में हुई हो।
(3) भारत सरकार द्वारा निधारित मानदण्डों के अनुसार शोकसंतप्त परिवार गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाला परिवार होना चाहिए।

(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना : गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाली 19 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु वाली गर्भवती महिला इस योजना के लाभ की पात्र होगी।

वर्ष 1995-96 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 550 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

## स्टेज कैरिज

**2344. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 27.11.1995 के तारांकित प्रश्न सं. 3 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 62, 72 और 80 केवल अन्तर्राज्यीय मार्गों पर कान्ट्रैक्ट वाहन के रूप में चलने वाले स्टेज वाहनों के बारे में है, न कि नगर की सड़कों पर जैसाकि धारा 66 (1) में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि "किसी भी वाहन का मालिक किसी वाहन को परिवहन वाहन के रूप में न तो स्वयं उपयोग कर सकता है और न ही अन्यत्र ऐसे उपयोग की अनुमति दे सकता है शर्ते कि उसे एक कान्ट्रैक्ट वाहन के रूप में उपयोग करना हो;

(ख) क्या उक्त अधिनियम की धारा 71 में केवल 50 कि.मी. अथवा इससे कम दूरी के मार्ग के लिये ही परमिट दिया जा सकता है और यह भी इस प्रावधान के साथ कि ऐसा परमिट राज्य परिवहन निगम को ही दिया जा सकता है; और उसके द्वारा मना किये जाने के पश्चात् इसे व्यक्तिगत लोगों आदि को दे सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या निजी बस चालकों को परमिट देने के लिये दि.प.नि. ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) जी नहीं। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 और 80 सभी के वाहनों की सभी श्रेणियों के परमिटों की शर्तों के बारे में है। जहां तक मोटर अधिनियम, 1988 की धारा 72 का संबंध है, यह सामान्यतया स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने संबंधी शर्तों के बारे में है।

(ख) जी नहीं। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 71 के तहत स्टेज कैरिज परिमिटों हेतु आवेदन पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा विचार करने की प्रक्रिया दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकने के लिये अमेरिका में भारतीय दूतावास द्वारा किए गए प्रयास**

**2345. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
**श्री मोहन रावले :**
**श्री के.एम. मैथ्यू :**
**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावास ने अमेरिकी सरकार द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए वाशिंगटन में हर संभव प्रयास किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में दूतावास की असफलता संबंधी तथ्य क्या हैं।

**विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950**

**2346. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन निगम अधिनियम के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निजी व्यक्तियों को परमिट केवल तभी जारी किये जा सकते हैं जब सार्वजनिक परिवहन निगम (दिल्ली के मामले में दि.प.नि.) द्वारा बसें चलाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की हो;

(ख) यदि हां, तो क्या दि.प.नि. ने रा.उ.प्रा. को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में हजारों रेडलाइन और ब्लू लाइन को परिमिट दे दिये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो रेडलाइन और ब्लू लाइन बसों को ऐसे परमिट देने के क्या कारण थे;

(घ) क्या सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 का उल्लंघन किया गया है; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूंकि दिल्ली परिवहन निगम के बस बेड़े में वित्तीय कमियों के कारण वृद्धि नहीं की जा सकी और दि.प.नि. सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं था इसलिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66,71,72 और 80 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निजी प्रचालकों को स्टेज कैरिज परमिट प्रदान किए गए थे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**गोरखपुर में भारतीय खाद्य निगम का संयत्र**

**2347. श्री राम विलास पासवान** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम का संयत्र गत पांच/छः वर्षों से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संयंत्र के बंद रहने के कारण यूरिया के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में यूरिया की कमी दूर करने हेतु इस संयंत्र को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव)** : (क) से (घ). संयंत्र में दुर्घटना के कारण 10.6.1990 को फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का गोरखपुर यूनिट बन्द कर दिया गया, इस यूनिट की स्थापित क्षमता 2.85 लाख टन प्रतिवर्ष (टी.पी.ए.) थी।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर) बोर्ड द्वारा एफ सी आई को रुग्ण कम्पनी घोषित किया गया। सरकार ने सैद्धान्तिक रूप में एफ सी आई के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज को स्वीकृति दी है जिसमें एफ सी आई के सिन्दरी, रामागुण्डम एवं तालचर यूनिटों के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई है। गोरखपुर यूनिट का पुनरुद्धार तकनीकी-आर्थिक रूप में सम्भव नहीं था। चूंकि इसके पुनरुद्धार के लिए नए संयंत्रों की आवश्यकता होगी जिसमें 810 करोड़ रुपए का निवेश शामिल होगा। यह निर्णय लिया गया है कि गोरखपुर यूनिट के पुर्नस्थापन के लिए निजी पूंजी आमंत्रित करने के विकल्प पर विचार किया जाए। तथापि, एफ सी आई के पुनरुद्धार पर अंतिम निर्णय जिसमें इसका गोरखपुर यूनिट भी शामिल है बीआईएफआर के समक्ष लम्बित कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगा, जो एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत राज्यवार आबंटन के अनुसार यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को स्वदेशी एवं आयातित यूरिया की आपूर्ति से सुनिश्चित किया जाता है। राज्य से संबंधित राज्य सरकार द्वारा समान क्षेत्रीय वितरण सुनिश्चित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरिया की समग्र उपलब्धता काफी संतोषजनक है।

## पावर ग्रेड कोयला

**2348. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटवर्ती विद्युत केन्द्रों के लिए पावर ग्रेड कोयले का आयात करने हेतु दक्षिणी पत्तनों पर अलग गोदी बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आयात किये गये कोयले के संबंध में विशेषज्ञों की राय की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) कोयले का अब तक कितनी मात्रा में आयात किया गया है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) तमिलनाडु में थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले की हैंडलिंग हेतु मद्रास के निकट इन्नौर में एक उपग्रह पत्तन की स्थापना संबंधी एक परियोजना को अप्रैल, 1993 में संस्वीकृति दी गई थी।

(ख) जी नहीं। कोयले का आयात सामान्य मुक्त लाइसेंस के तहत आता है और ग्राहक सीधे इसका आयात कर सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने अप्रैल-अक्तूबर, 1995 के दौरान मौजूदा सुविधाओं के माध्यम से 7.59 लाख टन थर्मल कोयले का आयात किया।

## दिल्ली में रेडलाइन बसें

**2349. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भी राज्य सरकार किसी भी नगर जिसकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक है, की सड़कों पर केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के बिना कोई स्टेज कैरिज नहीं चला सकती; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में रेडलाइन बसें कैसे चलायी गई हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश प्रस्ताव

**2350. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए किन-किन देशों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या उनके प्रस्तावों पर विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उद्योगों की किन-किन स्थानों पर स्थापना किए जाने की संभावना है और इन उद्योगों को विदेशी निवेश की कुल कितनी राशि दी जाएगी?

**खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) :** (क) से (घ). उदारीकरण के बाद अर्थात् जुलाई 1991 से अक्तूबर, 1995 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 2755 करोड़ रु. मूल्य के विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। विदेशी निवेश का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर और विदेशी निवेश का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

उन देशों के नाम, जिन्हें दी गई मंजूरी से देश में विदेशी पूंजी निवेश किए जाने की आशा है, संलग्न विवरण-III में दर्शाये गये हैं।

### विवरण-I

### खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में अक्तूबर, 1995 तक अनुमोदित विदेशी निवेश का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

| क्र.सं. | राज्य | अनुमोदित विदेशी इक्विटी निवेश |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 157 |
| 2. | असम | 1 |
| 3. | बिहार | 1 |
| 4. | गुजरात | 96 |
| 5. | हरियाणा | 44 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 92 |
| 7. | *जम्मू एवं कश्मीर | — |
| 8. | कर्नाटक | 45 |
| 9. | केरल | 27 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 25 |
| 11. | महाराष्ट्र | 481 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | मणिपुर | — |
| 13. | मेघालय | — |
| 14. | नागालैंड | — |
| 15. | उड़ीसा | 1 |
| 16. | पंजाब | 222 |
| 17. | राजस्थान | 23 |
| 18. | तमिलनाडु | 444 |
| 19. | त्रिपुरा | 1 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 228 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 11 |
| 22. | सिक्किम | — |
| 23. | अंडमान निकोबार | 1 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | — |
| 25. | चंडीगढ़ | 1 |
| 26. | दादर एवं नागर हवेली | — |
| 27. | दिल्ली | — |
| 28. | दमन एवं दीव | — |
| 29. | एल.एम. एंड ए. आइलैंड | — |
| 30. | मिजोरम | — |
| 31. | पाण्डिचेरी | — |
| 32. | गोवा | 27 |
| 33. | स्थान निर्धारित नहीं/एक से अधिक स्थान पर स्थापित यूनिटें | 827 |
| | कुल | 2755 |

विवरण–II

**अक्तूबर, 1995 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में अनुमोदित विदेशी निवेश का क्षेत्र–वार ब्यौरा**

| क्र.सं. | क्षेत्र | अनुमोदित विदेशी इक्विटी निवेश (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अनाज कुटाई और अनाज आधारित उत्पाद | 317 |
| 2. | फल और सब्जी उत्पाद | 353 |
| 3. | मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण | 292 |
| 4. | गहन समुद्री मत्स्यन, मत्स्य प्रसंस्करण और एक्वाकल्चर | 539 |
| 5. | अल्कोहल युक्त पेय | 222 |
| 6. | साफ्ट ड्रिंक्स/वाटर्स/कनेफेक्शनरी समेत उपभोक्ता उद्योग | 735 |
| 7. | दूध और दुग्ध उत्पाद | |
| 8. | खाद्य योगज, सुगंध आदि समेत अन्य | 100 |
| | कुल | 2755 |

विवरण–III

**उन देशों के नाम जिन्हें दी गई मंजूरी से देश में विदेशी पूंजी निवेश किए जाने की आशा है**

| | |
|---|---|
| 1. | आस्ट्रेलिया |
| 2. | आस्ट्रिया |
| 3. | बहमास |
| 4. | बेहरीन |
| 5. | बेल्जियम |
| 6. | कनाडा |
| 7. | चीन |
| 8. | डेनमार्क |
| 9. | एस्टोनिया |
| 10. | फिनलैंड |
| 11. | फ्रांस |
| 12. | जर्मनी |
| 13. | हांगकांग |
| 14. | आयरलैंड |
| 15. | इज़रायल |
| 16. | इटली |
| 17. | जापान |
| 18. | कोरिया |
| 19. | मलेशिया |
| 20. | मारिशस |
| 21. | मैक्सिको |
| 22. | नीदरलैंड |
| 23. | नाइजीरिया |
| 24. | पुर्तगाल |
| 25. | सिंगापुर |
| 26. | स्पेन |
| 27. | स्विटजरलैंड |
| 28. | ताइवान |
| 29. | थाइलैंड |
| 30. | संयुक्त अरब अमीरात |
| 31. | ब्रिटेन |
| 32. | संयुक्त राज्य अमरीका |
| 33. | यूक्रेन |

[अनुवाद]

## पेप्सी कंपनी इंडिया होल्डिंग्स

**2351. श्री आर. गौवरत्नम :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी फूड लिमिटेड हेतु आयात/निर्यात के संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं;

(ख) क्या पेप्सी कंपनी इंडिया होल्डिंग्स और इसकी सहायक कंपनियों हेतु समान शर्तें लागू हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) :** (क) मै. पेप्सी फूड्स लि. को दी गई मंजूरी में शर्त रखी गई कि आयात-निर्यात का अनुपात 3:1 बनाए रखा जाएगा।

(ख) से (घ). मै. पेप्सी इंडिया होल्डिंग्स लि. को दी गई मंजूरी के अनुसार उसके द्वारा किए जाने वाले पूंजीगत उपकरणों, संघटकों और कच्चे माल के आयात की अनुमति समय-समय पर लागू आयात नीति के अनुसार दी जाए।

## सार्वजनिक परिवहन प्रणाली

**2352. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** 27 नवम्बर, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के भाग (क) और (ख). के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तत्संबंधी नियमों और विनियमों के सार सहित राज्य सार्वजनिक परिवहन के अलावा उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जो एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) क्या धारा 71 (3) (क) के अंतर्गत केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्य परिवहन प्राधिकरण को वाहनों की संख्या, सड़कों की स्थिति और अन्य संगत मामलों को ध्यान में रखते हुए शासकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके स्टेट वाहनों की संख्या की सीमा निर्धारित करने हेतु निर्देश दें; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार सड़कों की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए शासकीय गजट में कोई अधिसूचना प्रकाशित करती है जिसके अंतर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण को और अधिक संख्या में प्राईवेट बसें सड़कों पर चलाने संबंधी निर्देश देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) :** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

## जम्मू और कश्मीर में जल विद्युत क्षमता

**2353. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में 20000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है लेकिन राज्य में वास्तविक रूप से केवल 100 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो जल विद्युत क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु किन-किन परियोजनाओं की स्थापना पर विचार किया जा रहा है;

(ग) पहले से काम कर रही परियोजनओं की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है तथा नई परियोजनाएं स्थापित होने के बाद विद्युत की और कितनी मात्रा का उत्पादन होगा;

(घ) गुजरात में इस समय किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी विभिन्न जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं;

(ङ) प्रत्येक स्थान पर कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है;

(च) वर्ष 1991 से 1995 तक प्रत्येक वर्ष उक्त प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च हुआ है; और

(छ) 1996 तथा 1997 के दौरान गुजरात में कौन-कौन सी जल विद्युत योजनाएं/परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी तथा उन पर कितना खर्च होगा?

**विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) :** (क) और (ख). जम्मू एवं कश्मीर के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 7487 मे.वा. क्षमता के बराबर की पन-बिजली परियोजनाओं के विकास की शक्यता आंकी गई है। इसमें से 311.33 मे.वा.का विकास किया जा चुका है और अन्य 355.17 मे.वा. का विकास किया जा रहा है। 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 532.33 मे. वा. की शक्यता पर पन-बिजली स्कीमों (3मे.वा. से अधिक) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान कार्यान्वयनाधीन पन बिजली परियोजनाओं का व्यय तथा 1995-96 के लिए प्रस्तावित परिव्यय क्रमशः 742.39 करोड़ रुपये और 917.30 करोड़ रुपये है। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 (नवम्बर, 1995 तक) जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः 115 मे.वा. तथा 3.75 मे.वा. है।

(घ) और (ङ). गुजरात में प्रचालनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| क्र.सं. | परियोजना का नाम/अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) | स्थल (जिला) |
|---|---|---|
| 1. | उकई एचईपी (4x75=300 मे.वा.) | सूरत के समीप |
| 2. | उकई एलबीसी (2x2.5=5 मे.वा.) | सूरत के समीप |
| 3. | कदाना पीएसएस चरण-1 (2x60=120 मे.वा.) | पंचमहल |

(च) और (छ). वर्ष 1991-95 के दौरान गुजरात में निर्माणाधीन पन बिजली परियोजनाओं पर किया गया खर्च तथा वर्ष 1995-96 के लिए प्रस्तावित परिव्यय निम्नवत् है :—

| परियोजना का नाम अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 |
|---|---|---|---|---|---|
| कदाना चरण-1 (2x60 मे.वा.) चालू | 2.56 | 8.26 | 7.36 | 4.51 | 10.0 |
| कदाना चरण-2 (2x60 मे.वा.) | 16.66 | 16.07 | 25.00 | 30.85 | 18.0 |
| सरदार सरोवर (6x200+5x50 मे.वा.) | 23.46 | 200.23 | 196.13 | 4.51 | 150.88 |
| गुजरात का हिस्सा 16% अर्थात् 232 मे.वा. | नर्मदा सागर और आंकारेश्वर एचईपी(*) के साथ एकमुश्त आवंटन | | | | |

* वर्ष 1996-97 के लिए परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

**विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का कार्यक्रम**

**2354. श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र अपनी इष्टतम क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संयंत्र में विदेशी इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता की तुलना में किस हद तक उत्पादन होता है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) और (ख). विशाखापत्तणम इस्पात संयंत्र और इस्पात मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों की दृष्टि से विशाखापत्तणम इस्पात संयंत्र का निष्पादन बहुत अच्छा होने की सम्भावना है जैसाकि नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :—

(दस लाख टन)

| | समझौता ज्ञापन लक्ष्य | उत्पादन (अप्रैल-अक्तूबर, 95) | | | संभावित उत्पादन |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | वास्तविक | उपलब्धि (प्रतिशत) | |
| द्रव इस्पात | 2.5 | 1.60 | 1.48 | 92% | 2.5 |
| विक्रेय इस्पात | 2.247 | 1.44 | 1.33 | 92% | 2.247 |

(ग) विदेशी इस्पात संयंत्रों में उपलब्ध उपस्करों और प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण सदृश तुलना करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**11.03 म.प.**

**तत्पश्चात् लोक सभा 2 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।**

**लोक सभा दो बजे म.प. पर पुनः समवेत हुई।**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**[अनुवाद]**

**2.00 म.प.**

**(व्यवधान)**

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा प्रश्न सूचना देने के संबंध में है। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता का लोकतंत्रात्मक निर्णय देश की उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायपूर्ण तरीके से रोक लिया गया है। हम स्वयं को महाराष्ट्र के लोगों के प्रति पुनः समर्पित करते हैं।

मंत्रीजी श्री सुख राम अभी तक यहां नहीं आए हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। जब तक वे अपना इस्तीफा नहीं देते हम सभा को...**(व्यवधान)**

**2.03 म.प.**

**(इस समय श्री सैयद मसूदल हुसैन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री :** महोदय, यह सही नहीं है। सभा को कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**[अनुवाद]**

**2.03 ½ म.प.**

**वर्ष 1995-96 के लिए एम एस टी सी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन**

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : महोदय मैं श्री संतोष मोहन देव की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) एम एस टी सी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8458/95]

(2) फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8459/95]

**माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे**

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : महोदय, मैं श्री के.पी. सिंह देव की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं :—

(1) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8460/95]

**महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 इत्यादि के अंतर्गत अधिसूचनाएं**

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : महोदय, मैं श्री एम. राजशेखर मूर्ति की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 363(अ), जो 27 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन कर्मचारी (गृह निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 540(अ), जो 7 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी (श्रेणी—तीन और चार) अंशदायी भविष्य निधि में विशेष अंशदान (संशोधन) विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 637(अ), जो 15 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 661(अ), जो 22 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन न्यास (नौभरकों की अनुज्ञप्ति) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 645(अ), जो 19 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (विभागध्यक्षों की भर्ती) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 646(अ), जो 19 सितम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंशदायी बाह्य एवं अंतरंग चिकित्सा सुविधा) संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 677(अ), जो 5 अक्तूबर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (त्यौहारों के लिए अग्रिम की मंजूरी) पहला संशोधन विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 757(अ), जो 18 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर-लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (विदेश सेवा) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8461/95]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वाणिज्य पोत (सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र) संशोधन नियम, 1995, जो 8 जुलाई, 1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत (जीवन रक्षा साधन) संशोधन नियम, 1995, जो 22 जुलाई, 1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 344 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वाणिज्य पोत (औषधियां, चिकित्सा भण्डार तथा साधन) संशोधन नियम, 1994, जो 5 नवम्बर, 1994 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) वाणिज्य पोत (सुरक्षा अभिसमय प्रमाणपत्र) संशोधन नियम, 1995, जो 2 अगस्त, 1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8462/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8463/95]

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1994-95 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8464/95]

## पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की समीक्षा वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : महोदय, मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8465/95]

(दो) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8466/95]

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8467/95]

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाटिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8468/95]

## नींबू प्रजाति फल श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1994

**रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग-अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : महोदय, मैं श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत नींबू प्रजाति फल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1994, जो 8 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 325 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8469/95]

## वर्ष 1994-95 के लिये टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी-गढ़वाल के कार्यकरण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे आदि

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी-गढ़वाल के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी-गढ़वाल का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8470/95]

(ख) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8471/95]

(2) निम्नलिखित पत्रों का एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(दो) राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8472/95]

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 8473/95]

**[अनुवाद]**

**2.04 म.प.**

## सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

### ग्यारहवां प्रतिवेदन

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 6 दिसम्बर, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए :-

| | |
|---|---|
| (1) श्री प्रबीन डेका | 31 जुलाई से 26 अगस्त, 1995 तक |
| (2) श्री वी. कृष्णा राव | 31 जुलाई से 26 अगस्त, 1995 तक |
| (3) श्री अंकुशराव टोपे | 2 अगस्त से 26 अगस्त, 1995 तक |
| (4) श्री कृष्ण मरन्डी | 31 जुलाई से 22 अगस्त, 1995 तक |
| (5) श्री जार्ज फर्नान्डीज | 21 अगस्त से 26 अगस्त, 1995 तक और 27 नवम्बर से 22 दिसम्बर, 1995 तक |

क्या सभा सदस्यों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में समिति द्वारा की गई सिफारिश से सहमत है?

**अनेक माननीय सदस्य** : जी, हां।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अनुमति प्रदान की गई। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

**2.04 ½ म.प.**

## संचार संबंधी स्थायी समिति

### तेईसवां तथा चौबीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़) : महोदय, मैं संचार संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनसे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

(1) डाक विभाग, वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93), संचार मंत्रालय के संबंध में संचार संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(2) नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन।

---

**2.04 $^{3}/_{4}$ म.प.**

## मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

### बत्तीसवां प्रतिवेदन

**श्री इन्द्रजीत** (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक, 1995 के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

---

[अनुवाद]

**2.05 म.प.**

## समिति के लिए निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : महोदय, मैं श्री जी. वेंकट स्वामी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

> "कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

[अनुवाद]

**2.05 ¼ म.प.**

## अनुदान की अनुपूरक मांग-(रेल)

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी)** : महोदय, मैं वर्ष 1995-96 के लिये बजट (रेल) के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

**लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें (रेलवे)**

| मांग की सं. | मांग का नाम | सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांग की राशि। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 16. | परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव | (रुपये) |
| | अन्य व्यय | 2,000 |
| | रेलवे निधियां | 58,000 |

[अनुवाद]

**2.05 ½ म.प.**

## कपास ओटाई और दबाई कारखाना (निरसन) विधेयक*

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : महोदय, मैं श्री कमलनाथ की ओर से कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता हूं।

× भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 दिनांक 11.12.95 में प्रकाशित।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना अधिनियम, 1925 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री मुकुल वासनिक :** महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

**(व्यवधान)**

---

**उपाध्यक्ष महोदय :** पांच बजे आपको सभी दस्तावेज दिखाए जायेंगे। सरकार आपको दस्तावेज दिखाने के लिए सहमत हो गई है...

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप दस्तावेज देखना चाहते हैं और नेतागण भी पांच बजे दस्तावेज देखने के लिए सहमत हो गए हैं। कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया है। नेतागण भी इसके लिए सहमत हो गए हैं और सरकार भी आपको सभी दस्तावेज दिखाने के लिए सहमत हो गई है। तो आप सभा का कार्य जारी रखने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? यह आपका अपना समय है...

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आप दस्तावेज देखना चाहते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में, नेतागण पांच बजे दस्तावेज देखने के लिए सहमत हो गए हैं और सरकार भी पांच बजे सभी दस्तावेज दिखाने के लिए सहमत हो गई है। इसलिए, आप सभा का कार्य जारी क्यों नहीं रखने देते?...

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा कल 12 दिसम्बर, 1995 को ।। म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

**2.06 म.प.**

**तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1995/21 अग्रहायण 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---